

tuin fi Fkk&kx<+, d nf"V eA

भौगोलिक क्षेत्र	1883.647 वर्ग कि०मी०
ग्रामीण क्षेत्रफल	1874.613 वर्ग कि०मी०
नगरीय क्षेत्रफल	9.034 वर्ग कि०मी०
कुल जनसंख्या-2011	485993-पु०-240427 म०-245566
ग्रामीण जनसंख्या	416430
शहरी जनसंख्या	69563
साक्षर व्यक्ति	350844
जनसंख्या का घनत्व	69 प्रति वर्ग कि०मी०
तहसील	11
विकास खण्ड	08
न्याय पंचायत	64
ग्राम पंचायत	687
आवाद ग्राम	1601
गैर आवाद ग्राम	37
कुल ग्राम	1638
नगरपालिका परिषद	02
नगर पंचायत	04
कानूनगो क्षेत्र	16
पटवारी क्षेत्र	144
विद्युतीकृत आवाद ग्राम	1557
विद्युतीकृत नगर	04
पशु चिकित्सालय	27
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र / उपकेन्द्र	40
प्राथमिक विद्यालय	1169
उच्च प्राथमिक विद्यालय	286
हाईस्कूल	98
इण्टमीडिएट	96
आई०टी०आई०	08
डिग्री कालेज	06
राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय	32
आयुर्वेदिक चिकित्सालय	58
होम्योपैथिक चिकित्सालय	04
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	04
अतरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	14
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	04
मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	156
ग्रामीण महिला चिकित्सालय	02
टी०वी० चिकित्सालय	01
टी०वी० क्लीनिक	01
राष्ट्रीयकृत बैंक शाखायें	44

ग्रामीण बैंक शाखायें	28
सहकारी बैंक शाखायें	20
डाकघर	400
तारघर	01
समुद्र तल से ऊँचाई	5315 फिट

t u i n d s r g l h y o k j j k t L o x k e k a d h l a ; k

1. तहसील पिथौरागढ़	351
2. तहसील डीडीहाट।	176
3. तहसील धारचूला	66
4. तहसील मुनस्यारी	187
5. तहसील बेरीनाग	218
6. तहसील गंगोलीहाट	205
7. तहसील कनालीछीना	75
8. तहसील देवलथल	73
9. तहसील गणार्ई	127
10. तहसील बंगापानी	46
11. तहसील थल	114
कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	1638
कुल राजस्व पुलिस ग्रामों की संख्या	897
नियमित पुलिस ग्रामों की संख्या	741

i Lrkouk

कुमायूँ मण्डल में पिथौरागढ़ वर्ष 1960 में जनपद अल्मोड़ा से पृथक कर एक नये जनपद के रूप में स्थापित किया गया। वर्ष 1972 में अल्मोड़ा जनपद की तहसील चम्पावत को भी इस नये जनपद में समाविष्ट किया गया, जिसे अब वर्ष 1997 में जनपद चम्पावत के नाम से सृजित किया गया है। हिमालय की गोद में बसा यह जनपद पिथौरागढ़ नेपाल और चीन की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। वर्षपर्यन्त अनेक पर्यटक जनपद में स्थित विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करने आते हैं।

पिथौरागढ़ जनपद का विस्तार 29.40 से उत्तरी अक्षांस तथा 80 से 81 अक्षांस पूर्वी देशान्तर के मध्य है। जनपद की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः चीन तथा नेपाल से लगती हैं तथा दक्षिणी सीमा जिला चम्पावत व पश्चिमी सीमा जनपद अल्मोड़ा को स्पर्श करती है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7218 वर्ग कि०मी० है तथा जनपद की जलवायु समशीतोष्ण है।

गर्मियों में घाटियों गर्मी तथा जाड़ों में क्षेत्र में अत्यधिक ठण्ड रहती है। समुद्र तल से पिथौरागढ़ की ऊँचाई 5315 फिट है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्राचीन पैदल मार्ग होने, चीन एवं नेपाल की सीमा पर बसे होने, हिमालय श्रृंखलाओं की गोद में बसे होने, जनपद अन्तर्गत भोटिया एवं वन रावत नामक जनजातियों के बसे होने तथा मैग्नेसाइड एवं ताबें की खानों की उपलब्धता के कारण पिथौरागढ़ जनपद का विशिष्ट स्थान है। जनपद की उत्तरी सीमा पर गगन चुम्बी हिमाच्छादित पर्वत मालायें अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल पर्वत शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात हैं। पर्वतारोहियों के लिये यह पर्वत शिखर विशेष आकर्षण का केन्द्र है। त्रिशूल शिखर के निकट स्थित मिलम ग्लेशियर सैलानियों को काफी आकर्षित करता है। जनपद की मुनस्यारी एवं धारचूला तहसीलों में हिमाच्छादित शिखरों में छःमाह तक शीतकाल में बर्फ जमी रहती है। सम्पूर्ण जनपद पर्वत एवं घाटियों में विभक्त है। यह पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण में कहीं कम एवं कहीं अधिक ऊँचाई लेती हुई है। इन पर्वत मालाओं में अनेक सुन्दर घाटियां हैं, जिसमें सोर घाटी, जहाँ पर जनपद मुख्यालय स्थित है, अपने सौन्दर्य तथा विस्तार के लिए प्रसिद्ध है। जनपद पिथौरागढ़ को भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों में बांटा जा सकता है—

1. इस क्षेत्र में धारचूला एवं मुनस्यारी विकास खण्ड आते हैं। यह मुख्यतः हिमालय के पर्वत शिखरों, बर्फीले ढलानों एवं काली, रामगंगा व उनकी सहायक नदियों की घाटियों में बसा हुआ क्षेत्र है। इन पर्वतों में उत्तर की चोटियां 18000 फिट तक की ऊँचाई लिये हुए हैं तथा हिमाच्छादित रहती हैं। इस क्षेत्र का संयुक्त क्षेत्रफल सारे जनपद के भौगोलिक क्षेत्रफल का 63 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की औषधियां, जड़ी-बूटियां इत्यादि अत्यधिक मात्रा में पायी जाती हैं। प्रसिद्ध छोटा कैलाश एवं नारायण आश्रम इसी क्षेत्र में स्थित हैं।

2. जनपद के मध्य में कनालीछीना, डीडीहाट तथा बेरीनाग विकास खण्ड आते हैं। यह सुहावनी घाटियों, कम ऊँचे पर्वतों एवं ढलानों का क्षेत्र है।

इस क्षेत्र का विस्तार जनपद के भौगोलिक क्षेत्र का 19 प्रतिशत है। पूर्वी सीमा पर काली नदी, पश्चिम सीमा पर सरयू नदी तथा मध्य सीमा पर रामगंगा बहती है। चौकोड़ी नामक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इसी क्षेत्र में स्थित है।

जनपद के दक्षिण क्षेत्र में मूनाकोट, गंगोलीहाट विकास खण्ड आते हैं। इनके मध्य में सोरघाटी है। यहीं जिला मुख्यालय भी स्थित है। रामगंगा एवं सरयू नदी के बीच का क्षेत्र गंगोली के नाम से जाना जाता है, जो गंगावली का अपभ्रंस है। यह गंगोलीहाट तथा बेरीनाग क्षेत्र से बना है। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध महाकाली मन्दिर तथा पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है, जो धार्मिक स्थल के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

इस जनपद के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि बागवानी तथा व्यापार है। जनपद के कुछ क्षेत्रों में सन्तरा, नीबू, माल्टा, पहाड़ी केला तथा पहाड़ी आम होते हैं। मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र में जड़ी-बूटी के अलावा राजमा व आलू उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में भेड़ पालन तथा ऊन से संबंधित उद्योग-धन्धे लोगों का मुख्य व्यवसाय है। आद्यौगिक रूप से यह जनपद काफी पिछड़ा हुआ है। कृषि कम लाभकारी मानी जाती है। उद्योग धन्धों के अभाव में यहां के नवयुवकों की मुख्य आजीविका का साधन नौकरी पेशा है। अधिकांश पुरुष सशस्त्र सेना में कार्यरत हैं। इस जनपद में पर्यटन की अपार सम्भावनाएँ हैं। इस जनपद के प्राकृतिक सौन्दर्य तथा पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखकर जिला मुख्यालय में नैनी-सैनी नामक स्थान पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है।

सूचना क्र. 1

अधिसूचना संख्या-908, दि. 24-02-1960

उत्तर प्रदेश सरकार की
फरवरी, 1960
विज्ञापित संख्या-908,
करते हुए
दि. 24-02-1960

उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञापित दिनांक: 24

के द्वारा तत्कालीन अल्मोड़ा जिले की सीमाओं का परिवर्तन
पिथौरागढ़ जनपद का सृजन किया गया, जिसके अन्तर्गत चार
तहसीलें क्रमशः धारचूला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ एवं डीडीहाट का
भी सृजन किया गया। विज्ञापित संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

उत्तर प्रदेश सरकार की
अधिसूचना संख्या-
5-2(5)-70-1(107)
दि. 13-05-1972

उत्तर प्रदेश सरकार के गजट नोटिफिकेशन
दिनांक: 13 मई,
1972 से जनपद अल्मोड़ा की चम्पावत तहसील को जनपद
पिथौरागढ़ में
स्थानान्तरित किया गया। अधिसूचना संलग्न परिशिष्ट-2 पर है।

उत्तर प्रदेश सरकार की
अधिसूचना संख्या-
5-2(11)/74(180)
रा-5, दिनांक:
17 जून, 1989

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक: 17
जून, 1989
से जनपद की तहसील पिथौरागढ़ की सीमा से 332 गांवों को
पृथक कर
एक नई तहसील गंगोलीहाट का सृजन किया गया। शासनादेश
परिशिष्ट-
3 पर संलग्न है।

उत्तर प्रदेश सरकार की
दिनांक: 30

उत्तर प्रदेश, राजस्व अनुभाग-5 की अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-5-2
अधीन
(4)/76(68)रा-5,
बेरीनाग का
दिनांक- 30-09-1989

सितम्बर, 1989 से तहसील डीडीहाट की अधिकारिता के
290 गांवों को सम्मिलित कर उप तहसील
सृजन किया गया। अधिसूचना संलग्न परिशिष्ट-4 पर है।

उ0प्र0 सरकार की
अधिसूचना संख्या-
2799/1-5/97
-327/97-रा0-5
दि0 15-09-1997

उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना
संख्या-2799/1-5
/97-327/97-रा0-5, दिनांक: 15 सितम्बर, 1997 द्वारा
जनपद
उधमसिंह नगर एवं जनपद पिथौरागढ़ की सीमाओं को परिवर्तित
करते
एक नये जनपद के रूप में चम्पावत को सृजित किया गया।
अधिसूचना
संलग्न परिशिष्ट-5 पर है।

उत्तरांचल शासन की
दिनांक: 17
अधिसूचना संख्या-5/
कर पूर्ण
मु0मंत्री/राजस्व/2004,
है।
दिनांक: 17-01-2004

उत्तरांचल शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना
जनवरी, 2004 से जनपद की उप तहसील बेरीनाग को उच्चिकृत
तहसील का दर्जा दिया गया। अधिसूचना संलग्न परिशिष्ट-6 पर

उत्तरांचल शासन की
दिनांक: 12
अधिसूचना संख्या-23/
डीडीहाट के
मु0मंत्री/राजस्व/2004,
देवलथल एवं
दिनांक+ 12-02-2004
परिशिष्ट-7 एवं 8
व अधिसूचना संख्या-
120/राजस्व/2004,
दिनांक: 12-02-2004

उत्तरांचल शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना
फरवरी, 2004 से तहसील डीडीहाट की अधिकारिता में तहसील
क्रमशः 73 एवं 75 गांवों को सम्मिलित कर उप तहसील
कनालीछीना का सृजन किया गया। अधिसूचना संलग्न
पर है।

इस प्रकार वर्तमान में इस जनपद में कुल 6 तहसीलें तथा 2 उप तहसील हैं। जनपद पिथौरागढ़ में 8 विकास खण्ड, 16 कानूनगो क्षेत्र तथा 144 पटवारी क्षेत्र हैं।

राजस्व विभाग का विशाल संगठन है। मुख्यतः यह विभाग राज्य के राजस्व प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में इस विभाग का संचालन राजस्व परिषद के द्वारा किया जाता था, जो कि एक उच्च स्तरीय संस्था (High Power Body) है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या-29-2000) की धारा-87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल द्वारा तात्कालिक प्रभाव से पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत राजस्व परिषद के स्थान पर उत्तरांचल राज्य में 'मुख्य राजस्व आयुक्त' कार्यालय का गठन किया गया है। मुख्य राजस्व आयुक्त- राजस्व विभाग, चकबन्दी विभाग, भू-अधिग्रहण विभाग, बन्दोबस्त विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं। उत्तरांचल शासन, भूमि संसाधन शाखा (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-2240/राजस्व/2001,दिनांक:16 जुलाई, 2001 संलग्न-परिशिष्ट-9 पर है।

जिला कार्यालय अधिष्ठान/संगठन, पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जिला मुख्यालय एवं तहसीलों के लिए स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र०सं०	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जिलाधिकारी	01	01	—
2.	अपर जिलाधिकारी	01	01	—
3.	डिप्टी कलेक्टर	06	05	01
4.	अतिरिक्त मजिस्ट्रेट	01	—	—
5.	तहसीलदार	06	01	05
6.	उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी	01	—	01
7.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01	—	—

8.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	03	—	03
9.	प्रशासनिक अधिकारी	14	14	—
10.	नायब तहसीलदार	09	07	02
11.	वैयक्तिक अधिकारी	01	—	—
12.	मुख्य सहायक	15	14	—
13.	प्रवर सहायक	25	25	—
14.	आशुलिपिक	07	03	04
15.	कनिष्ठ सहायक	27	27	—
16.	चालक	12	09	03
17.	इलैक्ट्रीशियन	01	01	—
18.	अनुसेवक	84	40	44
19.	माली	05	03	02
20.	बुनकर	02	02	—
21.	स्वच्छक	05	03	02
22.	सहायक भूलेख अधिकारी	01	01	—
23.	सहायक अभिलेखपाल	02	02	—
24.	राजस्व निरीक्षक	17	17	—
25.	रजिस्ट्रार कानूनगो	16	14	02
26.	पटवारी	144	80	64
27.	चालक भूलेख अनुभाग	05	04	01
	अनुसेवक, भूलेख अनुभाग	118	80	38

¼½ ftyk dk; kly; dk l xBu %&

1. जिला अधिकारी
2. डिप्टी कलेक्टर (मुख्यालय)/ प्रभारी अधिकारी
3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
4. प्रशासनिक अधिकारी

जिलाधिकारी के प्रधान कार्यालय में निम्नवत अनुभागों की एक श्रृंखला है, जिनमें कार्यरत सहायकों का विवरण निम्नवत है :-

राजस्व नियम संग्रह
अध्याय-48 के प्रस्तर
1091 से 1104 तक।

1& jktLo vu#kkx %&

1. राजस्व सहायक
2. सहायक राजस्व सहायक
3. देयक सहायक
4. सामान्य सहायक
5. भूमि अध्याप्ति सहायक
6. आबकारी सहायक
7. विविध/शिक्षा/शिकायत सहायक
8. पुस्तकालय सहायक/सूचना सहायक
9. टंकक

2& U; kf; d vu#kkx %&

1. न्यायिक सहायक
2. पेशकार, उपायुक्त
3. सहायक न्याय सहायक
4. शस्त्र सहायक
5. सहायक शस्त्र सहायक
6. स्थानीय निकाय सहायक
7. सैन्य सहायक
8. आशुलिपिक, जिला शासकीय अधिवक्ता
9. टंकक

3& uktjkr vu#kkx :-

1. प्रधान नाजिर
2. सहायक नाजिर

3. पत्र प्रेषक

4& I xg vuHkkx %&

1. मुख्य राजस्व लेखाकार
2. प्रधान सहायक राजस्व लेखाकार
3. बरिष्ठ सहायक,
4. कनिष्ठ सहायक

5& vkky vfHkys[kkxkj %&

1. आंग्ल अभिलेखपाल
2. सहायक आंग्ल अभिलेखपाल
3. वीडर

6& jktLo vfHkys[kkxkj %&

1. राजस्व अभिलेखपाल
2. न्यायिक अभिलेखपाल
3. सहायक राजस्व अभिलेखपाल
4. प्रतिलिपिक
5. वीडर

7& Hkny[k vuHkkx %&

1. सहायक भूलेख अधिकारी
2. भूलेख लिपिक
3. सहायक अभिलेखपाल
4. टंकक

1/2 dR; vkj dRrD; %&

जिला कार्यालय में अभिलेख एवं पत्र व्यवहार के लिये राजस्व नियम संग्रह के अनुसार विभागवार निम्नवत् व्यवस्था दी गई है :-

राजस्व नियम संग्रह

अध्याय-49 का प्रस्तर-1137

- विभाग- 1 बन्दोबस्त ।
- विभाग- 2 राजस्व न्यायालय सम्बन्धी कार्य ।
- विभाग- 3 मालगुजारी (वसूली एवं लेखा) ।
- विभाग- 4 कर एवं उपकर (नहर कर-स्थानीय कर) ।
- विभाग- 5 राजस्व (आबकारी, स्टाम्प) ।
- विभाग- 6 ऋण एवं सेवानिवृत्ति-वेतन ।
- विभाग- 7 भूमि अभिलेख, कृषि लेखपाल एवं कानूनगो ।
- विभाग- 8 भूमि सम्बन्धी विनियोग
- विभाग- 9 जिला कार्यालय अधिष्ठान, भवन, अभिलेख, कोषागार, प्रतिभूति, पुस्तकालय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ।
- विभाग- 10 कोर्ट ऑफ वार्ड, दातव्य निधि ।
- विभाग- 11 सरकारी सम्पत्ति, वन तथा बंजर भूमि, प्रत्यक्ष प्रबन्धाधीन आस्थान ।
- विभाग- 12 प्रकीर्ण तथा नक्षे (प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन,

नक्शा, पत्र व्यवहार की अनुक्रमणिका), विधेयक और विधायन, आय-व्ययक, सामान्य ।

- विभाग-12(क)
1. जमींदारी विनाश कोष ।
 2. जमींदारी विनाश प्रतिकर ।
 3. पुनर्वास अनुदान ।
 4. सीरदारी अधिकार अथवा अधिवासी ।
 5. गांव समाज और भूमि प्रबन्धन समिति ।
 6. प्रकीर्ण ।

उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त विशेष रूप से उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित पत्र व्यवहार होते हैं, जिसमें निम्नलिखित विभाग भी सम्मिलित किये गये हैं :-

विभाग- 13 राजस्व और अभाव ।

विभाग- 14 नियुक्ति ।

विभाग- 15 सामान्य प्रशासन ।

विभाग- 16 गोपनीय ।

विभाग- 17 चिकित्सा ।

विभाग- 18 गृह विभाग (सामान्य) ।

विभाग- 19 गृह विभाग (जेल) ।

विभाग- 20 गृह विभाग (पुलिस) ।

विभाग- 21 स्वायत्त शासन विभाग ।

विभाग- 22 वित्त ।

- विभाग— 23 पंचायत राज ।
- विभाग— 24 लोक (सार्वजनिक) निर्माण कार्य ।
- विभाग— 25 निर्वाचन ।
- विभाग— 26 वन ।
- विभाग— 27 शिक्षा ।
- विभाग— 28 निवासन ।
- विभाग— 29 न्याय और विधान ।
- विभाग— 30 उद्योग ।
- विभाग— 31 याचिका ।
- विभाग— 32 सांस्कृतिक कार्य एवं वैज्ञानिक शोध ।
- विभाग— 33 नियोजन एवं विकास ।
- विभाग— 34 परिवहन ।
- विभाग— 35 सहकारिता ।
- विभाग— 36 समाज कल्याण ।
- विभाग— 37 श्रम ।
- विभाग— 38 कृषि ।
- विभाग— 39 पशुपालन ।
- विभाग— 40 खाद्य एवं रसद ।
- विभाग— 41 सहायता एवं पुनर्वास ।

विभाग- 42 आबकारी ।

विभाग- 43 सूचना ।

विभाग- 44 अर्थ एवं संख्या ।

2

राजस्व विभाग के अन्तर्गत जनपद में
जिलाधिकारी, अधीनस्थ उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, वरिष्ठ
प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार
एवं कर्मचारी नियुक्त है। राजस्व विभाग को विभागीय दायित्वों के
अतिरिक्त प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है।
इस प्रकार राजस्व विभाग को जनपद में दोहरी भूमिका में अहम
दायित्वों का निर्वहन करना होता है। कार्यों, दायित्वों एवं शक्तियों
के संबंध में जनपद में जिलाधिकारी, अधीनस्थ अधिकारियों एवं
कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यों का विवरण निम्नवत् है :-

1

राजस्व विभाग के अन्तर्गत जनपद में
जिलाधिकारी, अधीनस्थ उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, वरिष्ठ
प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार
एवं कर्मचारी नियुक्त है। राजस्व विभाग को विभागीय दायित्वों के
अतिरिक्त प्रशासकीय दायित्वों का भी निर्वहन करना होता है।
इस प्रकार राजस्व विभाग को जनपद में दोहरी भूमिका में अहम
दायित्वों का निर्वहन करना होता है। कार्यों, दायित्वों एवं शक्तियों
के संबंध में जनपद में जिलाधिकारी, अधीनस्थ अधिकारियों एवं
कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यों का विवरण निम्नवत् है :-

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-20 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर में उन व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी।
- 1.1 राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की 1 (वे) शक्तियां होंगी, 2 (जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।)

- 1.2 जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणामस्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है, तो ऐसा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या उस पर आधारित हों।
- 1.3 राज्य सरकार आवश्यकतानुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखण्ड का भारसाधक बना सकती है और उसको भारसाधन से मुक्त कर सकती है, और इस प्रकार किसी उपखण्ड का भारसाधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखण्ड मजिस्ट्रेट कहलाएगा।
- 1.4 इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रवरित नहीं करेगी।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-21 के अनुसार राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझे नियुक्त कर सकती है, और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियों, जिन्हें वह उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकती है।
- 2.1 राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित कर सकता है जिनके अन्दर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का

या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएं।

- 2.2 ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबन्धित है उनके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-23 के अनुसार अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और (उपखण्ड मजिस्ट्रेट से भिन्न) प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपखण्ड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उपखण्ड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा।
- 3.1 जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय-समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।
4. जिला मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, जो उनकी राय में, उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किये जाने योग्य है।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 10 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत विधि विरुद्ध जमाव, लोक न्यूसेंस, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद आदि के बारे में व्यवस्था और परिशान्ति बनाए रखना।
6. गुण्डा एक्ट-1973 के अन्तर्गत अपराधों का विचारण करना।

7. आयुद्ध अधिनियम, 1959 तथा आयुद्ध नियमावली, 1962 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अधिसूचनाओं के अनुरूप नागरिकों को आत्म सुरक्षा, खेती सुरक्षा हेतु जनपद/राज्य की सीमा अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना तथा उनका नवीनीकरण करना, लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन करने अथवा जन सुरक्षा या शांति व्यवस्था को खतरा संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर आग्नेयास्त्र लाईसेंस निलंबित/निरस्त करना।
- 7.1 विस्फोटक नियमावली के अन्तर्गत निजी/सार्वजनिक प्रयोजनों तथा विकास कार्यों के लिए निर्धारित सीमा तक विस्फोटक का अनुज्ञापत्र जारी किया जाना।

2& vki jkf/kd i z kkl u %ukxfjd i fyl rFkk jktLo
i fyl %&

1. उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा-6 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान है।
2. कुमायूँ पुलिस एक्ट-1916 से स्पष्ट है कि पुलिस अधिनियम-1861 में राजस्व पदाधिकारियों को अतिरिक्त जोड़ा गया है। इस प्रकार राजस्व पुलिस अधिकारियों को उन समस्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है, जो नियमित पुलिस को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त है।
3. जनपद पिथौरागढ़ में कुल 115 राजस्व पुलिस चौकी स्थापित है, जिनमें भार साधक पुलिस अधिकारी एवं उनके साथ एक-एक अनुसेवक नियुक्त है। चौकियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट, अपराध रजिस्टर, केस डायरी, रोजनामचाआम आदि पुलिस प्रपत्र रखे गये है और जिनका उपयोग उनके द्वारा पुलिस कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार किया जाता है। यह प्रपत्र उन्हें

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से उपलब्ध कराये जाते हैं।

4. इसके अतिरिक्त जनपद पिथौरागढ़ की समस्त 06 तहसीलों में नायब तहसीलदार/प्रभारी तहसीलदार नियुक्त हैं और जनपद में कुल 16 राजस्व निरीक्षक नियुक्त हैं।
5. उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट की धारा-6 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान है। इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 के अनुसार जन साधारण को नागरिक सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षण देना उन्हें सुरक्षा प्रयोजनों हेतु तैयार करना, नागरिक सुरक्षा के लिए अपेक्षित वस्तुओं की व्यवस्था, भण्डारण, अनुरक्षण भवनों, परिसरों या अन्य संरचनाओं को बचाना, जीवन संपत्ति के खतरे के निवारण से संबंधित सुरक्षा का दायित्व जिले में जिला मजिस्ट्रेट का होता है।
6. जिला मजिस्ट्रेट उक्त एवं अन्य विभिन्न अधिकार प्राप्त होने से जिला मजिस्ट्रेट को जन सामान्य व्यक्तियों से उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट उन पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से जांच की अपेक्षा करता है, जो प्रार्थना-पत्र भारतीय दण्ड विधान, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पुलिस कार्यवाही से आच्छादित होते हैं, उन पर पटवारी पुलिस कार्यवाही यथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तत्पश्चात उसकी विवेचना एवं विवेचना उपरान्त आरोप पत्र में अंतिम रिपोर्ट जैसी भी स्थिति हो जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से न्यायालय को प्रस्तुत की जाती है।
7. जिला मजिस्ट्रेट प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवेचनायें, आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट परीक्षण हेतु जनपद में तैनात अभियोजन अधिकारी को प्रेषित करता है, और उ0प्र0 अभियोजन अधिकारी सेवा

नियमावली-1991 के तहत नियुक्त अभियोजन अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-25 के अनुसार मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का कार्य सम्पादित करते हैं। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों/अभियोजन अधिकारियों, प्रभारियों द्वारा महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में अपील एवं निगरानी (रिवीज़न) के प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट निर्णय लेने में सक्षम हैं।

8. जिला मजिस्ट्रेट उ०प्र० जेल नियम संग्रह के अध्याय-36, धारा-951 के अनुसार अपने जिले में किसी भी केन्द्रीय कारागार के पदेन वीक्षक हैं। इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट अध्याय 36 के अनुसार प्रदत्त अधिकारों के तहत जिले के प्रबन्धन तथा अनुशासन आदि के सम्बन्ध में निरीक्षण कर उसका समाधान सुनिश्चित कराते हैं।
9. मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्राविधान है। अतः उत्तरांचल मोटर कराधान सुधार नियमावली-2003 के नियम-31, निधि के प्रशासन और उपयोग की रीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट, अपनी अधिकारिता में दुर्घटना होने पर नियम-30 के उप नियम- (1) के अधीन राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यथ साध्य किसी ऐसे अधिकारी, जो उपखण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो, से जांच/मजिस्ट्रीयल जांच कराते हैं, और तत्पश्चात मोटरयान अधिनियम की धारा-6 के प्राविधानान्तर्गत अपनी संस्तुति परिवहन आयुक्त को प्रेषित करते हैं। तत्पश्चात संस्तुति प्राप्त होने की दशा में परिवहन आयुक्त उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से धनराशि जिला मजिस्ट्रेट के निवर्तन पर आवंटित करते हैं, जिसका वितरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रभावित परिवारों को किया जाता है।

10. उत्तरांचल राज्य अन्तर्गत दोहरी पुलिस व्यवस्था (नागरिक एवं राजस्व पुलिस) विद्यमान है। उत्तरांचल प्रदेश की अधिकांश भू-भाग अपराध का अनुवेषण, राजस्व पुलिस (पटवारी एवं नायब तहसीलदार) के द्वारा करवाया जाता है।

3& ckMZ ds l adYi ; k vkn's k ds fu"i knu ; k vxRrj fu"i knu djus dh 'kfDr %&

जिला मजिस्ट्रेट लिखित आदेश के द्वारा इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन, बोर्ड या बोर्ड की समिति या संयुक्त समिति द्वारा पारित किसी संकल्प या बोर्ड या संयुक्त समिति के किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित दिये गये किसी संकल्प अथवा आदेश के निष्पादन या अग्रेत्तर निष्पादन का प्रतिनिषेध कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट विहित प्राधिकारी के अनुमति से, किसी ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के सम्पादित किये जाने की व्यवस्था कर सकता है, जिसके निष्पादन या सम्पादित करने की नगरपालिका बोर्ड को शक्ति प्राप्त हो। बोर्ड की स्थापना होने तक बोर्ड की शक्ति का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, जब तक कि बोर्ड स्थापित न हो जाय। (संदर्भ पुस्तिका— उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम)

4& [kk | kUuk] [kk | frYguka , oa [kk | rsyka dk vf/kgj . k %&

उत्तर प्रदेश वस्तु नियंत्रण आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अभिग्रहित आवश्यक वस्तु को अपने समक्ष निरीक्षण करने के लिए पेश करना। खाद्यान्नों की दशा में उनके साम्यिक वितरण और उनकी उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए उनका विक्रय उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को उस कीमत पर किए जाने का आदेश निर्गत करना। (संदर्भ

पुस्तिका- उत्तर प्रदेश वस्तु नियंत्रण आदेश
आवश्यक वस्तु अधिनियम)

5& dfcy l ok dh 0; oLFkk djus dh vuqfr nuk %&

जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यक्ति केबिल सेवा की व्यवस्था नहीं करेगा। इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति, जो केबिल सेवा की व्यवस्था करने का इच्छुक हो ऐसी सेवा की व्यवस्था करने की अनुमति के लिए जिला मजिस्ट्रेट को उपनियम-2 के अधीन प्रपत्र-1 में आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट अपना समाधान कर लेगा कि आवेदक ने समस्त अपेक्षित सूचना दे दी है, और ऐसा समाधान हो जाने पर आवेदक को प्रपत्र-2 में एक समय में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्रदान करेगा। (संदर्भ पुस्तिका- उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविज़न नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997)

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट लिखित रूप में अभिलिखित और आवेदक को संसूचित किए जाने वाले कारणों से अनुमति देने से इन्कार कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट यथा समय आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिन के भीतर उप नियम-4 के अधीन आदेश पारित करेगा।

अनुमति का नवीनीकरण :-

उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविज़न नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली-1997 के उप नियम-4 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट आवेदन पत्र दिये जाने पर नियम-3 के अधीन दी गई अनुमति का नवीनीकरण इसकी अवधि के अवसान के पूर्व एक समय में तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए कर सकता है। ऐसा नवीनीकरण प्रपत्र-2 में दिया जायेगा।

प्रतिभूति की धनराशि :-

जिला मजिस्ट्रेट केबिल टेलीविज़न के मालिक द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि नियम करेगा, जो दो हजार रूपये या तीन मास का औसत कर जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा।

प्रतिभूति से कर की कटौती :-

जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभूति से कर के किसी बकाये की कटौती के लिए आदेश पारित कर सकता है, और ऐसे आदेश की एक प्रति मालिक को दी जायेगी। ऐसा आदेश पारित होने पर मालिक अगले मास का कर देय होने से पूर्व प्रतिभूति की धनराशि पूर्ण करेगा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट को केबिल सेवा की व्यवस्था की अनुमति को निरस्त करने की शक्ति होगी।

कर की वसूली के लिए नोटिस जारी करना :-

नियमावली के अधीन जहाँ कर के मध्ये किसी राशि का भुगतान विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी केबिल टेलीविज़न के मालिक द्वारा जो भुगतान करने का दायी है, नहीं किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट अधिनियम की धारा-34 के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली के लिए आदेश जारी करने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को मांग की सूचना जारी करके उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने को कहेगा।

c& dyDVj ds : i ea %&

संदर्भ पुस्तिका भू-राजस्व

1. राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी की नियुक्ति

करेगी, जो जिले का कलक्टर होगा, और जो अपने समस्त जिले में इस अधिनियम का तत्समय लागू प्रत्येक दूसरे कानून द्वारा कलक्टर को प्रदत्त शक्तियों तथा उस पर लागू किए गये कर्त्तव्यों का प्रयोग तथा निष्पादन करना। जिले के गांवों को लेखपाल (पटवारी) के हल्कों में कमबद्ध करने एवं हल्कों की सीमा में परिवर्तन करना, नक्शा खसरा, अधिकार अभिलेख एवं वार्षिक रजिस्टर का रख-रखाव, वार्षिक रजिस्टर में अपेक्षित परिवर्तन करना, सीमा चिन्हों पर मरम्मत एवं रख-रखाव, जुर्माना लगाना, लिपिकीय त्रुटि का संशोधन, भूमि पर प्रवेश करने एवं सर्वेक्षण कराना, वादों का अन्तरण, साक्ष्य देने अथवा अभिलेख दाखिल करने के लिए व्यक्तियों को समन कराना, त्रुटियों एवं भूलों को सुधारना, विवादों को मध्यस्थता के लिए प्रेषित करना, सहायक कलक्टर द्वितीय श्रेणी या तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील सुनना, अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब करना, सहायक कलक्टर की सभी शक्तियों से युक्त होना।

कलक्टर के भूमि अभिलेख संबंधी मुख्य कर्त्तव्यों में सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण, निरीक्षण टिप्पणी तथा अन्य प्रसूचनाओं का निष्पादन, लेखपालों के निवास संबंधी दायित्वों का प्रवर्तन, कृषि संबंधी समृद्धि में न्यूनता-अधिकता दर्ज करना तथा जांच, लेखपालों के हल्कों की संख्या और सीमाओं में परिवर्तन, सामयिक सूचनाओं को प्रस्तुत करना।

कलक्टर सम्पूर्ण जिले में ऐंसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐंसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो भू-राजस्व अधिनियम की तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि द्वारा उस पर प्रदत्त है या आरोपित है। कलक्टर न केवल कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, बल्कि सहायक कलक्टर को दी गई सब या किसी शक्ति का भी प्रयोग करेगा। जब कोई जिला अभिलेख कार्यवाही

के अन्तर्गत घोषित कर दिया जाता है तो, जब तक अन्यथा न अधिसूचित किया जाए, जिले का कलक्टर ही अभिलेख अधिकारी होगा। कलक्टर राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी है। राजस्व न्यायालय की हैसियत से उसके पास प्रारम्भिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार है। जब कोई जिला या उसका भाग उ०प्र० जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन चकबन्दी क्रिया में लाया जाता है तो तत्समय कलक्टर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जिला चकबन्दी उप निदेशक भी हो जाता है। जिले के गांवों को लेखपाल हल्कों में व्यवस्थित करना तथा ऐसे हल्कों की संख्या तथा सीमाओं का परिवर्तन करना, प्रत्येक गांव के नक्शा और खसरा का रख-रखाव करना, अधिकार अभिलेख का रख-रखाव करना, जिले के सभी गांवों का एक रजिस्टर तैयार करना और उसका रख-रखाव करना, जिसमें ऐसे क्षेत्र दिखाए जाएं जो नदी क्रिया से प्रभावित हों, एहतमाती खेती वाले हों, जिनकी मालगुजारी पूर्णतः या अंशतः माफ कर दी गई हो, प्रशमित हो, विमोचित हो या अभिहस्तांकित हो गई हों, तहसीलदार के निर्देशन पर सालाना रजिस्टर में हुई गलतियों को दुरस्त करना, नये अधिकार अभिलेख तैयार कराना, किसी मुकदमे को अपनी फाईल के अधीन किसी सक्षम न्यायालय या अधिकारी को जांच तथा निर्णयार्थ हस्तान्तरित करना या उसे अपने पास मंगाना, किसी वाद को पंच निर्णय को सुपुर्द करना, तहसीलदार या सहायक कलक्टर द्वितीय श्रेणी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनना, इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त सहायक कलक्टर की समस्त या कुछ शक्तियों का प्रयोग करना।

संदर्भ पुस्तिका- भूमि

अभिलेख नियम संग्रह।

2. भूमि अभिलेख नियम संग्रह के भाग-6 के नियम-521 के

अनुसार कलक्टर के कर्तव्य निर्धारित करने में इस बात पर जोर दिया गया है कि उस पर वर्णित

रजिस्ट्रों के माध्यम से अधिकार अभिलेख रखने का परिणियत दायित्व (Statistical obligation) है। इस दायित्व का प्रतिपालन करने के उद्देश्य से जिले के भू-अभिलेखों से निरन्तर सम्पर्क बनाना और यह देखना कि जिन कर्मचारियों पर उनके तैयार करने तथा पर्यवेक्षण का दायित्व है, वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, और वे उन्हें यथासंभव सही-सही अधिकार अभिलेख तथा सांख्यिक सामग्री (Statistical data) के रूप में तैयार करने के लिए संयुक्त प्रयास करते हैं।

स्थूल रूप से यह कह सकते हैं कि सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण, निरीक्षण टिप्पणियों तथा अन्य प्रसूचनाओं का निष्पादन, लेखपालों के निवास संबंधी दायित्वों (Obligation of residence) का प्रवर्तन, कृषि संबंधी समृद्धि में न्यूनता, अधिकता का दर्ज करना तथा जांच, लेखपालों के हल्कों की संख्या और सीमाओं (Limits) में परिवर्तन तथा सामयिक प्रसूचनाओं को प्रस्तुत करना कलक्टर के भू-अभिलेख संबंधी मुख्य कर्तव्य है।

भूमि अभिलेख नियम संग्रह क भाग-6 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण, भू-लेख निरीक्षक की भू-अभिलेखों के पर्यवेक्षण में सहायता, बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की स्वीकृति देना, भू-लेख निरीक्षक के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करना, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, वार्षिक वेतनवृद्धि और पदोन्नति की स्वीकृति, भू-लेख निरीक्षक कर्मचारियों को पारितोषिक, लेखपालों की नियुक्ति, हस्तान्तरण और अनुषासन की देख-रेख करना।

संदर्भ पुस्तिका— उ०प्र०
वसूली मैनुअल, 1974।

3- jkt dh; ns kx dh ol nyh l fuf' pr djuk %&

उत्तर प्रदेश वसूली मैनुअल के अध्याय-2 के नियम-8 के अन्तर्गत जिले में भू-राजस्व तथा

अन्य सरकारी देयों की वसूली का कानूनी दायित्व कलक्टर का होता है। अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों से कर्त्तव्य का निर्वहन सुचारू रूप से तथा ठीक समय से सुनिश्चित करना भी कलक्टर का ही दायित्व है। विशेष रूप से कलक्टर निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार होता है :-

(क) कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण, उनकी नियुक्ति तथा उनका नियंत्रण।

(ख) भू-राजस्व तथा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने योग्य अन्य देयों की ठीक समय पर वसूली।

(ग) उच्चतर प्राधिकारियों को भेजे जाने वाली विहित विवरणियों सहित अपेक्षित सूचनाओं का समय से प्रेषण।

(घ) सामान्य पर्यवेक्षण।

(ङ) कर्मचारियों का अनुशासन— संग्रह कर्मचारियों के समुचित अनुशासन तथा उनके दक्षतापूर्ण कार्य संचालन सुनिश्चित करना और खराब काम, असमय, असमर्थता, अवज्ञा, गबन और इसी प्रकार के अन्य मामलों की रिपोर्ट को महत्व देना।

संदर्भ पुस्तिका— तकावी

कानून और नियमावली
परिचय, 1965।

3-1
dk

d'f'k ; k&; Hk'fe okys [kk'rnkjka dks rdkoh __.k

forj.k rFkk ol wjh l fuf'pr djuk %&

सामान्यतः यह ऋण बीज, खाद, उर्वरक, निजी ट्रैक्टर, बैल, सांड और गाय क्रय करने हेतु तथा प्राकृतिक विपत्तियों, जिनमें अग्निकांड भी

सम्मिलित है, से क्षतिग्रस्त या विनष्ट मकानों की मरम्मत या पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना।

3-2 [v'frof"V] ck<} I w[kk rFkk vU; nsh; i'xkij] I x'ked chekj] I kEi'nkf; d mi nD] oxZ I 'k'kZ ; k vjkt'd rRok' ds f'kdkj gkus I s ykxka dks cpkuk] e' r'nh I s jkgr rFkk cpko dk;] vko' ; d nokvka [kkn; kUuk] rRdkyhu mi pkj dh 0; oLFkk] mi nDka dks 'kkUr djuk rFkk fLFkfr dks fu; .k ea j [kuk %&

1/1½ ck<+ ds I x'k ea jkgr vkfn dh r\$ kjh &

संदर्भ पुस्तिका— उ0प्र0

बाढ़ एवं दैवी आपदा
सूचना समय
नियम संग्रह।

बाढ़ से निपटने के लिए उपलब्ध जनशक्ति व भौतिक साधनों का पूर्ण सर्वेक्षण उपलब्ध होना और बाढ़ की से होना। सम्भावित रूप से बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का समय से तथा यथासंभव तीव्रगामी साधन से बाढ़ की चेतावनी देते हुए उचित प्रबन्ध करना।

1/2½ ck<+ ds nkj ku &

जिले में समय से आवश्यक प्रबन्ध करने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बाढ़ग्रस्त जिले के जिलाधिकारियों द्वारा व्यय हेतु उनके लिए पर्याप्त धन का प्राविधान करना। बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के निवासियों को बाढ़ की चेतावनी का त्वरित संदेश भेजने का प्रबन्ध करना।

शा0सं0 / जी0आई0-3

/आपदा प्रबन्धन/2001
सरकार
दि0 10-12-2001

प्राकृतिक विपत्तियों/आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तरांचल के शासनादेश संख्या—जी0आई0-3/आपदा प्रबन्धन/2001, दिनांक: 10 दिसम्बर, 2001 से जिलाधिकारी द्वारा वितरित की जाने वाली अहैतुक (निःशुल्क) सहायता की विभिन्न मदों एवं मानकों हेतु दरों

का निर्धारण किया गया है। संलग्न शासनादेश परिशिष्ट-1 पर है।

जिस अवधि में कोई क्षेत्र प्रभावित होने से जिलाधिकारी प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों के अधिकारियों तथा स्थानीय प्राधिकारी को आपदा प्रबन्धन आयुक्त के पर्यवेक्षण के अधीन आपदा प्रबन्धन योजनाओं के अनुरूप आपात राहत प्रदान करने हेतु निर्देश दे सकता है।

उत्तरांचल आपदा
न्यूनीकरण प्रबन्धन
तथा निवारण
अधिनियम, 2005

- 3.1 उपलब्ध संसाधनों के जारी करने तथा उपयोग करने के लिए इंतजाम करेगा।
- 3.2 आपदा से प्रभावित क्षेत्र के भीतर तथा उस ओर से या उस ओर को यातायात नियंत्रित तथा निर्बन्धित कर सकता है।
- 3.3 किसी आपदा क्षेत्र या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति का प्रवेश, उसके भीतर आवागमन या वहां से प्रस्थान को नियंत्रित और निर्बन्धित कर सकता है।
- 3.4 मलवा हटा सकता है।
- 3.5 तलाशी व बचाव कार्य परिचालित कर सकता है।
- 3.6 समुचित साधनों द्वारा लावारिष शवों के निस्तारण के लिए व्यवस्था कर सकता है।
- 3.7 वैकल्पिक शरण प्रदान कर सकता है।

- 3.8 भोजन, दवाईयां तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है।
- 3.9 अपने निर्देशन तथा पर्यवेक्षण के अधीन राहत प्रदान करने के लिए आपदा से सुसंगत विषय के विशेषज्ञ तथा परामर्शियों को अपेक्षित कर सकता है।
- 3.10 जैसी विहित हो, वैसी शर्तों तथा निबन्धनों पर किसी सम्पत्ति, वाहनों, उपकरण, इमारतों तथा संचार के माध्यमों पर कब्जा तथा उनका प्रयोग कर सकता है।
- 3.11 जब व जैसे अपेक्षित हो, सुख-सुविधाओं का अनन्य व अधिमानी उपयोग उपलब्ध करा सकता है।
- 3.12 अस्थायी पुलों तथा ढांचों का निर्माण करा सकता है।
- 3.13 जनता को संकटापन्न कर सकने वाले असुरक्षित ढांचों को ध्वस्त कर सकता है।
- 3.14 गैर सरकारी संगठनों से समन्वय रख सकेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऐसी सत्तायें आपदा प्रभावित क्षेत्र के भीतर अपने कार्यकलाप साम्यिक तरीके से निष्पादित करें।
- 3.15 आपदा से निपटने के लिए जनता में सूचना का प्रसार करेगा।
- 3.16 जीवन संरक्षण के उद्देश्य के लिए किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र से समस्त आबादी या उसके किसी भाग को समस्त आबादी या उसके किसी भाग को निष्क्रमण के लिए निर्देश दे सकता है, बाध्य कर सकता है तथा ऐसे निष्क्रमण के लिए उतने बल का जो आवश्यक हो प्रयोग कर करेगा।
- 3.17 किसी सम्पत्ति या जीवन के संरक्षण के लिए यदि वह समझे कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक है, तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर प्रवेश करने, किसी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, यदि स्वामी या निवासी अनुपस्थित है, या

उपस्थित होते हुए भी द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करता है।

¼½ ftykf/kdkjh mi /kkjk ¼¾ ea varfo'V 'kfDr; ka dk iz ksx ml h lhek rd djxk] ftruk fuEu iz kstuka ds fy, vko'; d gk&

4.1 समुदाय को सहायता तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए।

4.2 समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए।

4.3 विघटन को राहत प्रदान करने के लिए।

4.4 आपदा के विनाशकारी तथा अन्य प्रभावों से निपटने के लिए।

½½ ftykf/kdkjh fdl h Hkh 0; fDr ;k ljdkjh vfhkdj.k dks , s fun'k tkjh dj l drk g\$ rFkk , s vU; dne mBk l drk g\$ tks fd vkin dh of) dks jksdus ;k vkin ds iHkkoka dks de dju\$ jksdus ;k U; u djus ds fy, vko'; d gk&

½½ vkin ds nk\$ku ftykf/kdkjh dh vU; 'kfDr; ka , oa dR; &

6.1 यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा के निवारण या इसके प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु कार्यवाही या ऐसे प्रभावों से निपटने की तैयारी, जैसा विहित किया जाए, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप की जा रही है।

6.2 आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बातों जैसे पूर्व चेतावनी तथा तैयारी की स्थिति से प्राधिकरण का अवगत करायेगा।

6.3 यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा से निपटने की जानकारी जनपद में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं।

- 6.4 यह सुनिश्चित करेगा कि जिला आपदा प्रबन्धन योजनायें तैयार हो, पुनरीक्षित हो तथा अद्यतन हो।
- 6.5 स्थानीय सरकारी निकायों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सुगमता तथा समन्वय रखेगा, जिससे कि जनपद में आपदा पूर्व तथा आपदा प्रबन्धन के कार्यकलाप चलाए जाते हैं।
- 6.6 स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के समर्थन से आपात सुविधाओं की स्थापना, सामुदायिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम को सुविधाकर बनायेगा।
- 6.7 आपदा प्रबन्धन से संबंधित मामलों पर अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करेगा।
- 6.8 आपात योजनाओं, आकस्मिक योजनाओं तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों का पुनर्विलोकन करेगा।
- 6.9 यह सुनिश्चित करेगा कि जनपद में स्थानीय प्राधिकारी अपनी स्वयं की न्यूनीकरण युक्तियां विकसित करने में लगे हैं।
- 6.10 आपदा प्रबन्धन कार्यकलापों तथा योजनाओं के मध्य संबद्धता सुनिश्चित करेगा।
- 6.11 यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली व्यवस्थित है।
- 6.12 यह सुनिश्चित करेगा कि अग्निशमन उपकरण तथा आपदा प्रबन्धन से संबंधित अन्य उपकरण इस तरह अनुरक्षित रहे कि उपयोग के लिए तैयार रहे।
- 6.13 जनपद में पुनःनिर्माण तथा पुनर्वास के कार्यकलापों को समन्वित करेगा।
- 6.14 यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्धन कवायदें नियतकालिक रूप से होती रहे।

- 6.15 पुनःनिर्माण तथा पुनर्वास के लिए प्रयत्नों की प्रगति तथा परिणामों को मॉनिटर करने में प्राधिकरण को सहायता करेगा।
- 6.16 ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसी राज्य सरकार, प्राधिकरण तथा आयुक्त द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाए।
- 6.17 ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग व ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

4& LVkEi vf/kfu; e l s l cf/kr dk; l %&

- 4.1 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-47(1)(ए) के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क में कमी संबंधी संदर्भित मामलों का [विचारण/निस्तारण](#)।
- 4.2 जिले के विभिन्न भागों में स्थित भूमि तथा वाणिज्यिक भवनों का द्विवार्षिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना।

संदर्भ पुस्तिका
उल्लिखित
उत्तरांचल पंचायती
जांच
वन नियमावली, 2001

- 5& उत्तरांचल पंचायती वन नियमावली, 2001 में प्राविधानों के अनुसार शिकायत मिलने पर गबन के बारे में कराना, सदस्य या सरपंच का निलम्बन करना, वन पंचायत सदस्य या सरपंच को हटाना तथा वन पंचायत का निलंबन, अतिक्रमण या विघटन करना, पंचायती वन के अस्थायी प्रबन्ध हेतु वन पंचायत निरीक्षक की नियुक्ति, पंचायत का पुनर्गठन, वन पंचायत के देयों की वसूली तथा वन पंचायतों का निरीक्षण व कार्यों की समीक्षा करना।

संदर्भ पुस्तिका
सार्वजनिक
भूमि अध्याप्ति
की

- 6& भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत उपयोग तथा शासकीय हित में चलाए जाने वाले विकास

विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करना।

7& vkcdkjh | s | æf/kr 'kfDr; ka , oa dR; &

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम (संस्करण 1994) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कलेक्टर द्वारा अपने जनपद में स्थित विभिन्न सैन्य कैंटीनों/अर्ध सैनिक बलों की कैंटीनों को विदेशी मदिरा के भंडारण/प्रयोग हेतु लाईसेन्स निर्गत किये जाते हैं। सैन्य कैंटीनों को दो प्रकार के लाईसेन्स निर्गत किये जाते हैं, जिनमें पूर्ण दर वाले लाईसेन्स तथा रियायती दर वाला लाईसेन्स सम्मिलित है। ये लाईसेन्स निर्धारित शुल्क जमा करने उपरान्त दिये जाते हैं, जिसकी सूचना आबकारी आयुक्त को दी जानी आवश्यक है। इसी प्रकार जनपद में स्थित विदेशी एवं देशी मदिरा की दुकानों के लाईसेन्स भी शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी आबकारी नीति के तहत पूर्ण अधिभार एवं लाईसेन्स शुल्क जमा करने पर कलेक्टर द्वारा निर्गत किए जाते हैं। ये लाईसेन्स एक वर्ष के लिए ही जारी किये जाते हैं।

I & ftykf/kdkjh ds : i ea %&

1- foRrh; vf/kdkj %&

संदर्भ पुस्तिका-
प्राविधानों के
वित्तीय नियम
कार्यालयों
संग्रह खण्ड-1

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 में उल्लिखित अनुसार जिलाधिकारी अपने कार्यालय अथवा अधीनस्थ के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकायें, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदना, लेखपालों को पुरुरस्कार स्वीकृत करना, इण्डियन स्टाम्प एक्ट के अध्याय-7 के अधीन किसी अपराधी को सजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये योगदान के उपलक्ष्य में पुरुरस्कृत करना, बाढ़ और अन्य आपदाओं के संबंध में नावों, साईकिलों और स्थानों के किराया तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने हेतु प्रत्येक मामले में रू0 2,000.00 तक स्वीकृत करना,

अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि लेखे में जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि नियमावली-1985 के तहत स्वीकृत करना, अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों के छः सप्ताह तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत करना, अपने स्वयं के दौरे अथवा अधीनस्थ अराजपत्रित/राजपत्रित सरकारी सेवकों के दौरे के लिए यात्रा भत्ता स्वीकृत करना, छोटे निर्माण कार्यों के संबंध में ठेकेदारों अथवा संवितरकों को अग्रिम स्वीकृत करना, राजस्व एवं न्यायिक अभिलेख कक्ष में अंग्रेजी प्रतिलिपिक, वर्नाक्यूलर प्रतिलिपिक, अरेन्जर अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर प्रतिलिपिक, अरेन्जर, अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर वीडर, नक्शा, नवीस और अभिलेख उठाने वाला स्वीकृत करना, छोटे निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा सभी प्रकार की मरम्मतों के लिए टेंडर/ठेके स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक मामले में रू0 20,000.00 तक स्वीकृत करना, धन की प्राप्ति और भुगतान के उचित लेखा कार्य के लिए और रोकड़, नोटों (नोट्स), टिकटें (स्टाम्पस), अफीम, प्रतिभूतियां (सिक्क्योरिटीज) और अन्य सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षित परिरक्षा, आवश्यकता की स्थिति में, लिखित में आदेश द्वारा इस नियमावली के प्राविधानों का अनुसरण किये बिना, पेंशन की अदायगी न होने वाली अदायगी को करने के लिए कोषाधिकारी को प्राधिकृत करना।

जिलाधिकारी को, जब वह मुख्यालय में उपस्थित हो, जिला कोषागार शेष की जांच करना और महालेखाकार को प्रस्तुत किये जाने वाले लेखे पर हस्ताक्षर करना। जब वह महीने की पहली तारीख में दौरे के कारण अनुपस्थित हो, तब मुख्यालय पर उपस्थित जिले के कर्मचारी वर्ग में से ज्येष्ठ राजपत्रित अधीनस्थ कर्मचारी को अथवा अपने किसी सहायक अथवा उप प्रभाग के स्थायी प्रभारी अधिकारी को यह कर्तव्य सौंपना। ऐसा अधिकारी कोषागार का प्रभारी अधिकारी न हो। फिर भी जिलाधिकारी का कम से कम 6 महीने में एक बार इस कर्तव्य का अपने आप पालन करना चाहिए। जिलाधिकारी के अनुपस्थित होने का तथ्य विवरणियों और लेखे में स्पष्ट रूप से देना चाहिए। मासिक रोकड़ लेखे के शेष की जांच और उनको प्रमाणित करने तथा रोकड़ लेखा पर हस्ताक्षर करने का कर्तव्य जिलाधिकारी, जब वह स्वयं मुख्यालय पर उपस्थित हों, को स्वयं पालन करना चाहिए और जब तक कि वह अपने कर्तव्य का पालन वास्तविक शारीरिक असमर्थता के कारण न कर सके और जिसे यथोचित रूप से प्रमाणित किया गया हो, और किसी आधार पर इसे

(अकर्तव्य को) किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रतिनिहित नहीं करना चाहिए।

जिले का कार्यभार ग्रहण करने अथवा कार्यभार से मुक्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा भण्डार का पूरी तरह सत्यापन किया जाना और प्रमाण पत्र जिसकी भारग्रही अधिकारी से अपेक्षा की जाती है, कि जिसमें रोकड़, स्टाम्प और अफीम के शेष की स्थिति भी रहती है, अनिवार्य रूप से उसी दिन जबकि कार्यभार हस्तान्तरण हो, महालेखाकार के पास भेजना।

कोषागार में सरकारी धन, स्टाम्प और अफीम का गबन अथवा हानि होने की दशा में महालेखाकार को तुरन्त सूचित करना और प्रभागीय आयुक्त के माध्यम से शासन को रिपोर्ट भेजना। तत्पश्चात यथासम्भव शीघ्र ही परिस्थितियों की एक संहत रिपोर्ट जिसमें हानि का प्रकार और सीमा का विशेष रूप से उल्लेख हो और भूलों अथवा नियमों की उपेक्षा जिनके कारण इस हानि का होना सम्भव हुआ है, और वसूली की सम्भावनाओं का जिक्र कर महालेखाकार को भेजना।

1-1 depkfj ; ka dh fu; (Dr] i nkluf r o n. M nsuk %&

संदर्भ पुस्तिका अधीनस्थ अधीनस्थ
कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह—घ
कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) अनुसार
नियमावली, 1985, समूह पदोन्नति
'घ' कर्मचारी नियमावली, नियमावली—
1985 उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा नियमावली—2003,
पनिषमेंट एण्ड अपील 1976 में
रूल्स फार सबार्डिनेट आचरण

मिनिस्ट्रीयल कलक्टेड कर्मचारी सेवा नियमावली—1980,
लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली—1985 एवं
कर्मचारी सेवा नियमावली—1985 में उल्लिखित प्राविधानों के
समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के कर्मचारी की नियुक्ति करना और
का लाभ देना। उत्तरांचल सरकारी विभाग ड्राईवर सेवा
2003 के अनुसार वाहन चालकों की नियुक्ति करना।

परिनशमेंट एण्ड अपील रूल्स फॉर सबार्डिनेट सर्विसेज,
उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कोई सरकारी सेवक जिसके

सर्विसेज, 1976 एवं उ0प्र0 के विरुद्ध जांच अपेक्षित हो, या हो रही हो, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पटवारी सेवा नियमावली से जांच की समाप्ति तक के लिए निलंबित करना तथा दोष सिद्ध होने 1963 तथा चतुर्थ श्रेणी पर पदच्युत करना।

कर्मचारी सेवा नियमावली,,

1978

उत्तर प्रदेश पटवारी सेवा नियमावली, 1963 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियमावली, 1978 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार पटवारियों तथा उनके अनुसेवकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा पदोन्नति का लाभ देना।

1-2 ftyk fuokpu vf/kdkjh ds : i ea fo/kkul Hkk , oa ykdl Hkk rFkk ftyk fuokpu vf/kdkjh ¼i pLFkkfu½ ds : i ea f=Lrjh; i pk; rka@LFkkuh; fudk; ka ds fu"i {k , oa 'kkfri wkl puko l Ei kfnr djuk %&

संदर्भ पुस्तिका— लोक

और

प्रतिनिधित्व अधिनियम,

उस

1950

मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निर्देशन

नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर

जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय सभा और परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से सशक्त सब का का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा। जैसा उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा न्यस्त किये जाएं।

n& Jfed {kfri frl vk; Or ds : i ea %&

आयुक्त की शक्तियां— ऐसी शपथ पर (जिसे अधिरोपित करने के लिए आयुक्त एतद्द्वारा सशक्त किया जाता है) साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए विवश करना।

v/khuLFk vf/kdkfj ; ka@depkfj ; ka ds
dk; l
 % vkns'k %

जनपद मुख्यालय में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य उनके अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संबंध में कार्यविभाजन संबंधी आदेश संख्या-697 / चौदह-03 / 2011-12 दिनांक मार्च 24, 2015 के द्वारा निम्नानुसार कार्यविभाजन आदेश पारित किये जाते हैं :-

जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या-351 / चौदह-03 / 2011-12 दिनांक जनवरी 22, 2015, के अनुसार जिला कार्यालय के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य उनके अपने मूल दायत्वों साथ-साथ अन्य दायित्वों हेतु कार्यविभाजन निम्नानुसार किया जात है :-

¼½ Jh foukn fxjh xkLokeh] e[; fodkl
 vf/kdkjh] fi Fkk\$ kx<A

1. जिला जनगणना/सामाजिक, आर्थिक जातिगत आधारित गणना अधिकारी।
2. प्रभारी बीस सूत्रीय कार्यक्रम।
3. जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य समन्वय।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचस्थानि), पिथौरागढ़।

5. नोडल अधिकारी आपदा राहत/ जॉच कार्य।

½½ Jh i'kkUr døkj vk;l vij ftykf/kdkjh]
 fi Fkk\$ kx<A

1. जिला बित्त एवं राजस्व अधिकारी।
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।
3. सहायक आबकारी आयुक्त, पिथौरागढ़।
4. प्रभारी अधिकारी संग्रह, दैवी आपदा, खनन परिवहन।
5. वरिष्ठ प्रभार समस्त विभागों के कमप्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य।
6. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0।
7. नोडल अधिकारी/वैव मैनेजर स्वतः प्रदर्शित।
8. रैन्ट कन्ट्रोल एवं एक्विसन अधिकारी।
9. नोडल अधिकारी, सेवा का अधिकार।

10. विभागीय अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम ।
11. प्रभारी अधिकारी खाद्य एवं आपूर्ति ।
12. प्रमुख अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एन0पी0आर0
13. नोडल अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ/ समाधान
14. प्रभारी अधिकारी भू-लेख एवं भू-लेख कम्प्यूटरीकरण, जिलाकार्यालय ।
15. प्रभारी अधिकारी ई-जनाधारसेवा

- 16' वरिष्ठ प्रभार तहसील दिवस ।
17. बरिष्ठ प्रभार रिट याचिकायें जिला कार्यालय ।
18. बरिष्ठ प्रभार आडिट जिला कार्यालय ।
17. बरिष्ठ प्रभार राजनैतिक पेंशन जिला कार्यालय ।
19. बरिष्ठ प्रभार राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम ।
20. वरिष्ठ प्रभार राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम ।
21. बरिष्ठ प्रभार संयुक्त कार्यालय ।
22. बरिष्ठ प्रभार मा0 मुख्यमन्त्री घोषणायें ।
23. बरिष्ठ प्रभार सामान्य /देयक/ राजस्व सहायक/न्याय सहायक/वन, जिला कार्यालय ।
24. बरिष्ठ प्रभार शस्त्र,/ स्थानीय निकाय, जिला कार्यालय ।

¼¾ Jh vugkx vk; 1 mi ftyk eftLVW] fi Fkk\$ kx<A

1. विहित प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, पिथौरागढ़ ।
2. सेना के सम्पर्क अधिकारी ।
3. जिला प्रोटोकाल अधिकारी ।
- 4.. प्रभारी अधिकारी, आन्तरिक सुरक्षा, जिला कार्यालय ।
5. प्रभारी अधिकारी शस्त्र जिला कार्यालय ।
6. प्रभारी अधिकारी नाजरात जिला कार्यालय ।
7. मा0 जिला जज, पिथौरागढ़ द्वारा विभिन्न अवसरों पर पारित आदेशों के अनुपालन में वेल/ रिमाण्ड सम्बन्धी कार्य ।
8. प्रभारी अधिकारी नजूल ।
9. प्रभारी अधिकारी हवाईपट्टी/ हैलीपैड ।
10. प्रभारी अधिकारी विभिन्न प्रकार की परीक्षायें ।

¼½ Jh d".k døkj feJk fMIVh dyDVj ftyk
dk; kly; fi Fkkj kx<A

1. प्रभारी अधिकारी शिक्षा / शिकायत / विविध जिला कार्यालय ।
2. प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस से सम्बन्धित कार्य ।
3. प्रभारी अधिकारी (आंग्ल / राजस्व / न्यायिक अभिलेखागार), जिला कार्यालय ।
4. प्रभारी अधिकारी, सैन्य / भूमि अध्याप्ति / चिकित्सा, जिला कार्यालय
5. प्रभारी अधिकारी, (रिट याचिकायें), जिला कार्यालय ।
6. प्रभारी अधिकारी, आडिट, जिला कार्यालय ।
7. प्रभारी अधिकारी, राजनैतिक पेंशन, जिला कार्यालय ।
8. प्रभारी अधिकारी, महामहिम राज्यपाल, मा0 मुख्यमंत्री, मा0 मंत्रीगणों, मा0 आयोग, मा0 लोकायुक्त से प्राप्त होने वाले संदर्भों का निस्तारण संबंधी कार्य ।
9. प्रभारी अधिकारी, (मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष जिला कार्यालय ।
10. प्रभारी अधिकारी सयुक्त कार्यालय जिला कार्यालय ।
11. लोक सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय
12. प्रभारी अधिकारी, सामान्य / देयक / राजस्व सहायक / न्याय सहायक / वन / जिला कार्यालय
13. प्रभारी अधिकारी मा0 मुख्यमंत्री घोषणायें जिला कार्यालय ।
14. प्रभारी अधिकारी सराय एक्ट / सुख साधनकर जिला कार्यालय ।
15. प्रभारी अधिकारी सेवा का अधिकार ।
16. प्रभारी अधिकारी मेला / सांस्कृतिक कार्यक्रम ।
17. प्रभारी अधिकारी जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास ।
18. प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय वचत कार्यक्रम
19. रेंट कन्ट्रोल एवं एविक्सन अधिकारी । ।

20. आहरण वितरण अधिकारी—
 देयक/नाजरात/भूलेख/अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं
 पर्यटन कार्यालय/संग्रह/दैवीआपदा/स्थानीय
 निकाय/खनन/अभियोजन/मनोरंजन/सैनिक
 कल्याण/मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन
 कोष/जिला शासकीय अधिवक्ता अधिष्ठान
 जिला कार्यालय, पिथौरागढ़/उप भूमि अध्याप्ति
 / निबन्धक, जिला कार्यालय।

1/5½ Jh iækn dækj] mi ftyk eftLVW
 xæksyhgv

1. प्रभारी अधिकारी, भूमि अध्याप्ति, जिला कार्यालय।

1/6½ Jh gjh jke] rgl hynkj fi Fkk& kx<A

1. उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी पिथौरागढ़।
 2. सहायक जिला प्रोटोकौल अधिकारी पिथौरागढ़।
 3. उप निबन्धक पिथौरागढ़।

उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट तथाबेरीनाग एवं उप जिलाधिकारी, डीडीहाट, मुनस्यारी तथा धारचूला एक-दूसरे के सम्पर्क अधिकारी होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय अपीलीय अधिकारी (अपर जिलाधिकारी) की अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय विभागीय अपीलीय अधिकारी का कार्य सम्पादित करेंगे।

जिला मुख्यालय में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ एक-दूसरे के सम्पर्क अधिकारी होंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

1- o\$ fDrd vf/kdkjh] ftykf/kdkjh %&

- 6.1 जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन।
 6.2 गोपनीय अभिलेखों को सुरक्षित रखना।

1- i t kkl fud vf/kdkjh] ftyk dk; kly; %&

- 7.1 जिला कार्यालय के विभिन्न पटलों के कार्यों का पर्यवेक्षण।

- 7.2 जिला कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर नियंत्रण।
- 7.3 शासन तथा जिला स्तरीय विभागों से प्राप्त पत्रों पर पृष्ठांकन।
- 7.4 विभिन्न पटलों से आयी पत्रावलियों का पुनरीक्षण करने उपरान्त उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षरार्थ प्रेषण।
- 7.5 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की गोपनीय प्रविष्टियों का संरक्षण।

2- jktLo l gk; d %&

- 8.1 बजट से संबंधित पत्राचार।
- 8.2 राजनैतिक पेंशन संबंधी पत्राचार।
- 8.3 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष सम्बन्धी पत्राचार।
- 8.4 भवन निर्माण, भूमि क्रय एवं वाहन आदि क्रय करने संबंधी पत्राचार।
- 8.5 महालेखाकार तथा विभागीय सम्प्रेक्षण संबंधी पत्राचार।
- 8.6 लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा के प्रश्नों का उत्तरालेख्य का प्रेषण।
- 8.7 राजस्व विभाग के भवनों के निर्माण सम्बन्धी कार्य।
- 8.8 उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की सेवा पुस्तिकाओं आदि का रख-रखाव तथा उनके अधिष्ठान संबंधी कार्य।
- 8.9 उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण संबंधी कार्य।
- 8.10 विशिष्ट व्यक्तियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण संबंधी कार्य।
- 8.11 उप जिलाधिकारियों के अधिष्ठान एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के अधिष्ठान संबंधी कार्य।
- 8.12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित कार्य।
- 8.13 सिविल सेना सम्पर्क बैठकों का आयोजन एवं तत्संबंधी कार्य।
- 8.14 सेना के फाईरिंग रेंज सम्बन्धी कार्य।
- 8.15 नैनी-सैनी हवाई पट्टी से सम्बन्धित कार्य।
- 8.16 भारत-नेपाल सीमा संबंधी कार्य।

- 8.17 राष्ट्रीय दिवसों तथा महापुरुषों के जन्मोत्सव संबंधी कार्य।
- 8.18 सामान्य प्रशासन संबंधी कार्य।
- 8.19 संस्कृति एवं पुरातत्व संबंधी कार्य।
- 8.20 मेलों से संबंधित कार्य।

3- ll; kf; d l gk; d %&

- 9.1 जिला शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति, फीस, बिल एवं बजट संबंधी कार्य।
- 9.2 न्यायिक बन्दीगृहों से संबंधित कार्य।
- 9.3 राज्य सरकार/कलेक्टर के नाम न्यायालयों से जारी समनों पर कार्यवाही तथा उनका प्रतिवाद तैयार कराकर न्यायालय भेजे जाने संबंधी कार्य।
- 9.4 सत्र न्यायालय से दोषमुक्त हुए मामलों राज्य सरकार की ओर से अपील संबंधी कार्य।
- 9.5 शासन के गृह/कारागार विभागों से प्राप्त आदेशों का क्रियान्वयन।
- 9.6 मा0 सर्वोच्च/उच्च न्यायालय से प्राप्त रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने संबंधी कार्य।
- 9.7 विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन।
- 9.8 कानून एवं व्यवस्था संबंधी कार्य।
- 9.9 राजस्व/रेगुलर पुलिस की विवेचनाओं से संबंधी कार्य।
- 9.10 लोक सेवा आयोग से संबंधित कार्य।
- 9.11 लोक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य।
- 9.12 संरक्षित/अधिसूचित क्षेत्र से संबंधित कार्य।
- 9.13 भारत-चीन व्यापार संबंधी कार्य।
- 9.14 कैलाश मानसरोवर यात्रा संबंधी कार्य।
- 9.15 भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य।
- 9.16 पासपोर्ट संबंधी कार्य।
- 9.17 भारतीय सेना में नियुक्त अधिकारियों के चरित्र व पूर्ववृत्त का सत्यापन संबंधी कार्य।

4- ed; jktLo ys[kkdkj %&

- 10.1 भू-राजस्व, नहर कर, तकाबी तथा अन्य विविध देयों की वसूली संबंधी कार्य।
- 10.2 संग्रह अधिष्ठान से संबंधित बजट का कार्य।
- 10.3 तकाबी ऋण संबंधी कार्य।
- 10.4 संग्रह अधिष्ठान की सेवा-पुस्तिकाओं तथा गोपनीय प्रविष्टियों का रख-रखाव।
- 10.5 दैवी आपदा से संबंधी समस्त कार्य एवं आपदा प्रबन्धन संबंधी समस्त कार्य।

5- i/kku ukftj %&

- 11.1 वाहन चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अधिष्ठान संबंधी समस्त कार्य।
- 11.2 राजकीय आवासों का आवंटन।
- 11.3 लघु वाहनों एवं भवनों के अनुरक्षण व लघु निर्माण संबंधी समस्त कार्य।
- 11.4 लघु वाहनों की ईंधन व्यवस्था संबंधी कार्य।
- 11.5 राजस्व नियम संग्रह के अन्तर्गत निर्धारित लेखा संबंधी कार्य।
- 11.6 विभागीय वाहनों की खरीद एवं अनुरक्षण।
- 11.7 विशिष्ट/अतिविशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा हेतु वाहनों को उपलब्ध कराने संबंधी कार्य।
- 11.8 सदर मालखाने में जमा मालमुकद्माती एवं शस्त्रों का रख-रखाव व सुरक्षा।
- 11.9 सदर नाजरात संबंधी समस्त कार्य।
- 11.10 अरायजनवीसी कार्य हेतु अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने संबंधी कार्य एवं वार्षिक नवीनीकरण का कार्य।

6- fofo/k] f' k{kk , oa f' kdk; r l gk; d %&

- 12.1 ठेकेदारी पंजीकरण हेतु चरित्र एवं हैसियत प्रमाण निर्गत करने संबंधी कार्य।
- 12.2 विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन।
- 12.3 विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कराने संबंधी कार्य।
- 12.4 शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य।
- 12.5 लोक शिकायत संबंधी कार्य।
- 12.6 मा0 मंत्रीगणों से प्राप्त संदर्भों से संबंधित पत्राचार।

12.7 80 सी0पी0सी0 के नोटिसों से संबंधित कार्य।

7- Hkñfe v/; kflr@fpfdRI k I gk; d %&

13.1 राज्य भूमि हस्तान्तरण संबंधी कार्य।

13.2 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्य।

8- ou I gk; d %&

14.1 वन पंचायत संबंधी समस्त कार्य।

14.2 वन पंचायत कोष का रख-रखाव।

14.3 वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कार्य एवं वन भूमि हस्तान्तरण से संबंधी समस्त कार्य।

14.4 वनों का अवैध कटान रोकने संबंधी कार्य।

14.5 अप्रतिबन्धित जड़ी-बूटियों के विदोहन संबंधी कार्य।

14.6 अस्कोट कस्तूरा मृग विहार से संबंधित कार्य।

14.7 वन विभाग से संबंधित अन्य पत्राचार।

9- 'kL= I gk; d %&

15.1 आग्नेयास्त्रों के लाईसेंस संबंधी समस्त कार्य।

15.2 शस्त्र लाईसेंस संबंधी अभिलेखों का रख-रखाव।

10- LFkkuh; fudk; I gk; d %&

16.1 जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत संबंधी कार्य।

16.2 नगरपालिका परिषद की नजूल भूमि संबंधी कार्य।

11- I \$; I gk; d %&

17.1 सैनिक, अर्धसैनिक व पुलिसबलों में नियुक्त अभ्यर्थियों के चरित्र व पूर्ववृत्त का सत्यापन संबंधी कार्य।

17.2 सैनिकों की समस्याओं से संबंधित कार्य।

17.3 सेना भर्ती से संबंधित अन्य कार्य।

12- न३ द । गक; द %&

- 18.1 राजस्व विभाग के बजट से संबंधित कार्य।
- 18.2 राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, अनन्तिम पेंशन, अन्तिम पेंशन, अन्तिम उपादान की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्य।
- 18.3 सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी पत्राचार।
- 18.4 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं का रख-रखाव।
- 18.5 समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं अग्रिमों का भुगतान संबंधी कार्य।
- 18.6 अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि पासबुकों एवं लेखों का रख-रखाव तथा मासिक व्यय विवरणों का प्रेषण।
- 18.7 सामूहिक बीमा संबंधी कार्य।

13- । केकु; । गक; द %&

- 19.1 जिला कार्यालय तृतीय श्रेणी नियमित अधिष्ठान संबंधी कार्य।
- 19.2 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों का रख-रखाव।
- 19.3 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण, समयमान वेतनमान की स्वीकृति एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कार्य।
- 19.4 कर्मचारियों की जमानत संबंधी कार्य।
- 19.5 विभिन्न न्यायालयों में अवशेष वादों के निस्तारण संबंधी पत्राचार।
- 19.6 लम्बित वादों की स्थिति से प्रतिमाह मुख्य राजस्व आयुक्त, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को अवगत कराना।
- 19.7 विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त समनों की तामिली कराना।

14- LVkEi @i fjogu l gk; d %&

- 20.1 स्टाम्प वादों से संबंधित समस्त कार्य।
- 20.2 स्टाम्प विक्रताओं के लाईसेन्सों की स्वीकृति व नवीनीकरण संबंधी कार्य।
- 20.3 भूमि एवं भवनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन संबंधी कार्य।
- 20.4 साहुकारी लाईसेन्स संबंधी कार्य।
- 20.5 आर्थिक अपराध एवं करावंचन संबंधी कार्य एवं बैठकों का आयोजन।
- 20.6 परिवहन विभाग से संबंधित पत्राचार।
- 20.7 वाहनों का अस्थाई परमिट जारी करने संबंधी कार्य।

15- jktLo vfhkys[ki ky %&

- 21.1 पुराने बंदोबस्ती एवं हाल बन्दोबस्ती भू-अभिलेखों का संरक्षण।
- 21.2 अभिलेखों को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना एवं उनकी प्रतिलिपियां जारी करना।
- 21.3 विभिन्न न्यायालयों से अभिलेखागार को परेषित अभिलेखों की जांच एवं संबंधित ग्रामों के बस्तों में संरक्षित रखना।
- 21.4 पुरानी पत्रावलियों की वीडिंग से संबंधित कार्य।

16- U; kf; d vfhkys[ki ky %&

- 22.1 न्यायिक अभिलेखागार को प्राप्त होने वाली विभिन्न न्यायालयों की पत्रावलियों का संरक्षण।
- 22.2 पुरानी पत्रावलियों की वीडिंग से संबंधित कार्य।

17- vkky vfhkys[ki ky %&

- 23.1 जिला कार्यालय की समस्त डांक प्राप्त करना।
- 23.2 पत्रों पंजीबद्ध करना एवं रैवेन्यू मैनुअल के अनुसार पत्रों की विभागवार पत्रावलियां खोलना।
- 23.3 अनिस्तारित संदर्भों का निस्तारण कराना।

- 23.4 परेषण पर प्राप्त जिला कार्यालय की बन्द पत्रावलियों को अभिलेखागार में संरक्षित करना।
- 23.5 अभिलेखों की जांच एवं वीडिंग कराना।
- 23.6 मास्टर गार्ड फाईलों का रख-रखाव।
- 23.7 सामयिक परिलेखों की पंजिका का रख-रखाव एवं परिलेखों को निर्धारित अवधि तक प्रेषित कराना।
- 23.8 उत्तरापेक्षी एवं अनिस्तारित संदर्भों से प्रतिमाह जिलाधिकारी को अवगत कराना।

18- I gk; d Hk&ys[k vf/kdkjh %&

- 24.1 भू-लेख अनुभाग का बजट संबंधी कार्य।
- 24.2 भू-लेख कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण, समयमान वेतनमान की स्वीकृति, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कार्य।
- 24.3 भू-लेख कर्मचारियों की चरित्र प्रविष्टियों का रख-रखाव।
- 24.4 भू-लेख कम्प्यूटरीकरण एवं तत्संबंधी कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराना।
- 24.5 जिन्सवार, मिलान खसरा, भूमि जोत लगान का ब्यौरा तथा समय प्रस्तुत करना एवं पशुगणना, कृषि गणना एवं पड़ताल कार्य संबंधी पत्राचार।
- 24.6 पटवारी चौकियों का निर्माण एवं उनका अनुरक्षण करने संबंधी कार्य।

25 vkcdkjh I gk; d %&

- 25.1 देशी/विदेशी शराब की दुकानों की नीलामी का कार्य।
- 25.2 आबकारी राजस्व की प्राप्ति संबंधी कार्य।
- 25.3 सेना की कैंटीनों को परमिट जारी करना।
- 25.4 अफीम सेवनकर्ता को परमिट जारी करना।
- 25.5 आबकारी अपराध एवं अनुज्ञापियों के विरुद्ध कार्यवाही।
- 25.6 सूचना अधिकार से सम्बन्धित कार्य।

19- vihy vgyen %&

25.1 जिला मजिस्ट्रेट की न्यायालय से संबंधित समस्त कार्य।

20- vgyen] vfrfjDr eftLVW %&

26.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित समस्त कार्य।

rgl hy Lrj

1- mi ftykf/kdkjh@ijxuk eftLVW %&

1.1 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत धारा-143, 144, 166, 176, 209 एवं 229 बी के न्यायालय संबंधी कार्य।

1.2 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-33/39 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों की जांच एवं शुद्धि की आज्ञा प्रदान करना।

1.3 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-40, 41 व 43 के अधीन सीमा (मेड़ बन्दी) आदि मामलों का निर्णय करना और आदेश पारित करना।

1.4 भू-राजस्व अधिनियम की धारा- 210 के अन्तर्गत नामान्तरण वादों की अपील सुनवाई।

1.5 स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत वादों का निस्तारण।

1.6 भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सीलिंग भूमि, कृषि भूमि का आवंटन, आवास स्थल आवंटन, हरियाली व मतत्स्य पालन के पट्टे निर्गत करना।

1.7 तहसील के विभिन्न राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों पर प्रभावी पर्यवेक्षण व नियंत्रण।

1.8 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही करना।

1.9 कलैक्शन मैनुअल के अन्तर्गत कलेक्टर (संग्रह) के रूप में वसूली कर्मियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।

1.10 किसी भी प्रकार की दैवी आपदा आने पर सुरक्षा एवं राहत कार्य सुनिश्चित करना।

- 1.11 अपने क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना।
- 1.12 स्थाई निवास, चरित्र, पारिवारिक सदस्य आदि प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करना।
- 1.13 जनगणना कार्य को सम्पादित कराना।
- 1.14 निर्वाचन संबंधी कार्य।
- 1.15 तहसील दिवस में शिकायतों का निस्तारण करना।
- 1.16 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107/116, 109, 133, 144, 145/146 के अन्तर्गत मामलों की सुनवाई करना।
- 1.17 सार्वजनिक भू-गृहादि के अन्तर्गत कार्यवाही।
- 1.18 विकास से संबंधित कार्यों की जांच।
- 1.19 वन पंचायत अधिकारी से संबंधित कार्य।
- 1.20 क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न गोदामों, सस्ता गल्ला दुकानों, पेट्रोल पम्पों, मदिरा दुकानों का निरीक्षण।
- 1.21 विभिन्न अनुज्ञा-पत्रों एवं परमिटों की जांच।
- 1.22 सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति के रूप में कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना, सुविधायें प्रदान करना व मण्डी शुल्क आदि की वसूली करवाना।
- 1.23 विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जनशिकायतों का निस्तारण करना।
- 1.24 विशिष्ट अभ्यागतों की आगवानी, सुरक्षा, विदाई करना।
- 1.25 जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गये अन्य विविध कार्य।

2- र्गल ह्यन्कज %&

- 2.1 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के अन्तर्गत भू-राजस्व, जमाबन्दी तैयार करना।
- 2.2 भू-लेख नियमावली के अन्तर्गत भू-लेख निरीक्षक और पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 2.3 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34, 35 के अन्तर्गत नामान्तरण एवं विवादित उत्तराधिकार के मामलों का निस्तारण करना।

- 2.4 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122बी के वादों का सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के रूप में निस्तारण करना।
- 2.5 तहसील से संबंधित राजस्व अभिलेखों का सही रख-रखाव।
- 2.6 कृषि एवं फसल संबंधी आंकड़ों का संकलन एवं क्राप कटिंग आदि कार्यों का सम्पादन करना।
- 2.7 किसान बहियों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करना।
- 2.8 भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में सीलिंग भूमि, कृषि भूमि, आवास स्थल, मतत्स्य पालन व हरियाली पट्टे के आवंटन की कार्यवाही तथा आवंटियों को मौके पर कब्जा दिलाना।
- 2.9 कलैक्शन मैनुअल के अन्तर्गत मुख्य देयों एवं विविध देयों की वसूली करना।
- 2.10 संग्रह कर्मियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 2.11 फसल को प्रभावित करने वाली मौसमी आपदाओं, मनुष्यों या पशुओं की साधारण मृत्यु या कोई संक्रामक महामारी, रोग फैलने पर सूचना देना।
- 2.12 किसी भी प्रकार की आपदा आने पर सुरक्षा एवं राहत कार्य एवं विस्थापितों व प्रभावितों को भोजन एवं आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- 2.13 आपदा से हुई क्षति का सही-सही आंकलन कर सूचना उच्चाधिकारियों को देना।
- 2.14 कृषि मूल्यों में भारी गिरावट या मंहगाई की सूचना देना।
- 2.15 भूमि की उर्वरा शक्ति को अत्यधिक प्रभावित करने वाले सभी मामलों की सूचना देना।
- 2.16 तहसील में होने वाले समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को देना।
- 2.17 तहसील के सामान्य प्रशासन (विशेष रूप से भौतिक स्थिति, शान्ति व्यवस्था और अपराध) से संबंधित सभी मामलों में कलेक्टर और उप जिलाधिकारी के अधीन रहते हुए प्रशासनिक कार्य करना।

- 2.18 स्थायी निवास प्रमाण-पत्रों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर आख्या प्रस्तुत करना तथा आय, जाति प्रमाण पत्रों को नियमानुसार जारी करना।
- 2.19 विशिष्ट अभ्यागतों के आगमन पर समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 2.20 निर्वाचन, जनगणना, पशुगणना तथा कृषि गणना संबंधी कार्य।
- 2.21 चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करना।
- 2.22 जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा दिये जाने वाले जांच कार्य एवं अन्य कार्य।

3- uk; c rgl hynkj %&

- 3.1 राजस्व पुलिस के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 3.2 राजस्व पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक के रूप में समस्त अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन।
- 3.3 राजस्व पुलिस क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना।
- 3.4 भू-लेख नियमावली के अन्तर्गत भू-लेख निरीक्षण एवं पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 3.5 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-34, 35 के अन्तर्गत नामान्तरण एवं विवादित उत्तराधिकार के मामलों का निस्तारण करना।
- 3.6 रजिस्ट्रार कानूनगो कक्ष के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 3.7 कृषि एवं फसल संबंधी आंकड़ों का संकलन एवं क्राप कटिंग आदि कार्यों का सम्पादन करना।
- 3.8 भू-लेख से संबंधित विभिन्न प्रतिवेदनों पर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या का सत्यापन एवं उच्चधिकारियों को अग्रसारित करना।
- 3.9 कलैक्शन मैनुअल के अन्तर्गत मुख्य देयों एवं विविध देयों की वसूली करना।
- 3.10 संग्रह कर्मियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 3.11 राजस्व लेखाकार कक्ष के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 3.12 नायब नाजिर कक्ष के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 3.13 तहसीलदार की अनुपस्थिति में उच्चाधिकारियों के आदेश पर तहसीलदार के नैतिक कार्यों का निर्वहन।
- 3.14 तहसील में होने वाले समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को देना।
- 3.15 तहसील के सामान्य प्रशासन (विशेष रूप से भौतिक स्थिति, शान्ति व्यवस्था और अपराध) से संबंधित सभी मामलों में कलेक्टर और उप जिलाधिकारी के अधीन रहते हुए प्रशासनिक कार्य करना।

- 3.16 स्थायी निवास, आय, जाति, चरित्र, पारिवारिक सदस्य आदि विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर आख्या प्रस्तुत करना।
- 3.17 निर्वाचन, जनगणना, पशुगणना तथा कृषि गणना संबंधी कार्य।
- 3.18 विशिष्ट अभ्यागतों के आगमन पर समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 3.19 अन्य जांच कार्य, जो उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये हों।

4- i t kkl fud vf/kdkjh %&

- 4.1 तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो, संग्रह, नजारत, नकल नवीस एवं न्याय लिपिक के पटल कार्यों का पर्यवेक्षण।
- 4.2 तहसील का त्रैमासिक निरीक्षण करना।
- 4.3 तहसील में प्राप्त होने वाली डांक पर पार्श्वकन के साथ प्रस्तुतीकरण करना।
- 4.4 उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को प्रेषणीय पत्रावलियों को अपने माध्यम से प्रस्तुत करना।
- 4.5 तहसील से संबंधित नीतिगत मामलों में अपनी टिप्पणी एवं अभिमत प्रस्तुत करना।
- 4.6 सामयिक परिलेखों का समय पर प्रेषण कराना।
- 4.7 आडिट कार्य का पर्यवेक्षण।
- 4.8 पत्रावलियों/अभिलेखों का संचयन एवं विनिष्ठीकरण कराना।
- 4.9 अनिस्तारित संदर्भ, समयबद्ध प्रकृति के पत्रों की सूचना समय अन्दर भिजवाना।
- 4.10 अन्य कार्य, जो उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये हों।

5- jktLo ys[kkdkj %&

- 5.1 मुख्य देयों एवं विविध देयों से संबंधित विवरण पत्र प्रेषित करना।
- 5.2 विविध देयों की पंजिका तैयार कर उन पर वसूली का अंकन करते हुए धनराशि राजकोष में जमा करना।

- 5.3 विविध देयों की मांग का मिलान संबंधित से करना।
- 5.4 बड़े बकायेदारों की पत्रावली व टास्क फोर्स रजिस्टर तैयार करना तथा उत्पीड़क कार्यवाही जारी करना तथा उत्पीड़न पंजिकाओं का रख-रखाव।
- 5.5 संग्रह अनुभाग से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार।
- 5.6 संग्रह अभिलेखागार का रख-रखाव करना, परेषण, विनिष्ठीकरण से संबंधित कार्य।
- 5.7 संग्रह अमीन/अनुसेवकों के कार्यों पर नियंत्रण रखना।
- 5.8 संग्रह अमीन/अनुसेवकों के सेवा अभिलेखों का रख-रखाव करना।
- 5.9 संग्रह अनुभाग से संबंधित अभिलेखों का आडिट कराना व आपत्तियों का निस्तारण करना।
- 5.10 संग्रह कर्मचारियों की जमानत का लेखा-जोखा रखना।
- 5.11 उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

6- jktLo fujh{k d %&

- 6.1 राजस्व पुलिस के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
- 6.2 राजस्व पुलिस के पुलिस निरीक्षक के रूप में समस्त अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन।
- 6.3 राजस्व पुलिस क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना।
- 6.4 भू-लेख नियमावली के अन्तर्गत पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण।
- 6.5 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-33क के अन्तर्गत निर्विवादित उत्तराधिकारी के मामलों का निपटारा करना।
- 6.6 कृषि एवं फसल संबंधी आंकड़ों का संकलन एवं क्राप कटिंग आदि कार्यों का सम्पादन करना।
- 6.7 भू-लेख से संबंधित विभिन्न प्रतिवेदनों पर पटवारी की आख्या का सत्यापन करना एवं उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करना।
- 6.8 उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये प्रकरणों में जांच आख्या प्रस्तुत करना।

- 6.9 क्षेत्र में होने वाली समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को देना।
- 6.10 क्षेत्र के सामान्य प्रशासन (विशेष रूप से शान्ति व्यवस्था और अपराध) से संबंधित सभी मामलों में कलेक्टर और उप जिलाधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार के अधीन रहते हुए प्रशासनिक कार्य करना।
- 6.11 स्थायी निवास, आय, जाति, चरित्र, पारिवारिक सदस्य आदि विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर आख्या प्रस्तुत करना।
- 6.12 जनगणना, पशुगणना तथा कृषि गणना संबंधी कार्य।

7- jftLVkj dkunuxks@l gk; d jftLVkj dkunuxks %&

- 7.1 तहसील स्तर पर सभी भू-अभिलेखों का अभिरक्षण तथा रख-रखाव।
- 7.2 भू-लेख नियमावली के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो से संबंधित पंजिकाओं का रख-रखाव।
- 7.3 तहसीलदार के पेशकार/रीडर की हैसियत से वाद पत्रावलियों का रख-रखाव।
- 7.4 राजस्व निरीक्षक, पटवारी, अनुसेवकों के सेवा अभिलेखों का रख-रखाव व अन्य भत्तों का लेखा-जोखा रखना।
- 7.5 फसल संबंधी आकड़े एकत्र कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- 7.6 विभिन्न प्रकार की भूमि आवंटन की पत्रावलियों का रख-रखाव।
- 7.7 तहसील राजस्व अभिलेखागार का रख-रखाव।
- 7.8 भू-अभिलेखों की कम्प्यूटरीकृत नकल, यथा-खतौनी, खसरा एवं वाद पत्रावलियों की नियमानुसार कम्प्यूटरीकृत नकल जारी करना।
- 7.9 फसलों का गोश्वारा तैयार कर जिला मुख्यालय को प्रेषित करना।
- 7.10 अभिलेखों का परेषण और विनिष्ठीकरण कार्य करना।

- 7.11 विभिन्न प्रकार के भू-अभिलेख प्रपत्रों की मांग एवं आपूर्ति।
- 7.12 अहैतुक सहायता, गृह निर्माण सहायता, विशेष सहायता मद में मांग प्रेषित करना तथा उनकी कैश बुक का रख-रखाव।
- 7.13 दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को वितरित की गयी सहायता के वितरण का लेखा-जोखा रखना।
- 7.14 कृषि गणना, जनगणना, पशु गणना के आंकड़ों का संकलन एवं रख-रखाव।
- 7.15 निर्वाचन संबंधी कार्य।
- 7.16 आडिट से संबंधित कार्य।
- 7.17 भू-मापक यंत्रों का रख-रखाव।
- 7.18 कृषक प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करना।
- 7.19 उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन।

8- iVokjh %&

- 8.1 राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत थाना प्रभारी के रूप में समस्त अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन।
- 8.2 राजस्व पुलिस क्षेत्र में कानून एवं शान्ति व्यवस्था की स्थिति बनाये रखना।
- 8.3 प्रत्येक माह निर्धारित तिथि पर तहसील मुख्यालय पर उपस्थित होना तथा उपस्थिति के अवसर पर संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा अन्तरित किये गये समस्त मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देना। खतौनी में परिवर्तन हुए संबंधी आदेश व अन्य आदेश जो जारी किये गये हों, उन्हें रजिस्ट्रार कानूनगो से प्राप्त कर भू-अभिलेखों में अध्यावधिक करना।
- 8.4 राज्य सरकार से प्राप्त भूमि व अन्य पट्टों की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर उसकी सूचना देना।
- 8.5 रोस्टर के अनुसार खतौनी व खसरा तैयार करना एवं उसे अध्यावधिक रखना व वार्षिक अभिलेखों का दाखिला करना।

- 8.6 पड़ताल के उपरान्त खरीफ, रबि एव जायद के जिन्सवार तैयार करना तथा मिलान खसरा तैयार करना।
- 8.7 नक्शा खसरा तैयार करना।
- 8.8 भू-राजस्व की जमाबन्दियों तैयार कर मांग का निर्धारण करना।
- 8.9 किसी विपत्ति जैसे- बाढ़, भू-स्खलन, सूखा, ओला, पाला, फसल रोग, टिड्डी आक्रमण, मनुष्यों/पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने इत्यादि के सम्बन्ध में 24 घण्टे के भीतर अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करना।
- 8.10 दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों की क्षति का आंकलन करना तथा उन्हें मुआवजा वितरण करना।
- 8.11 दैवीय आपदा के समय सुरक्षा एवं राहत कार्य करना।
- 8.12 उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये प्रकरणों में जांच आख्या प्रस्तुत करना।
- 8.13 क्षेत्र में होने वाले समस्त राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को देना।
- 8.14 क्षेत्र में सामान्य प्रशासन, शान्ति व्यवस्था और अपराध से संबंधित सभी मामलों में कलेक्टर, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार के अधीन रहते हुए प्रशासनिक कार्य करना।
- 8.15 स्थायी निवास, आय, जाति, चरित्र, हैसियत, पारिवारिक सदस्य आदि विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर आख्या प्रस्तुत करना।
- 8.16 जनगणना, पशुगणना तथा कृषि गणना संबंधी कार्य।
- 8.17 निर्वाचन संबंधी कार्य।
- 8.18 उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।

9- uk; c ukftj %&

- 9.1 नजारत लेखा से संबंधित पंजिकाओं का रख-रखाव, धनराशि का वितरण एवं उपलब्ध धनराशि का रख-रखाव।
- 9.2 डांक का प्रेषण।
- 9.3 आकस्मिक व्यय प्रत्रों को प्रतिपूर्ति हेतु जिला कार्यालय प्रेषित करना।
- 9.4 राजस्व विभाग की सम्पत्ति, भूमि भवन का लेखा-जोखा रखना व आवासीय/अनावासीय भवनों का रख-रखाव, फर्नीचर, विभिन्न उपकरण आदि का रख-रखाव।
- 9.5 मालखाने से संबंधित अभिलेख एवं मालमुकद्माती आदि का रख-रखाव।
- 9.6 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावलियों एवं सेवा संबंधी प्रकरणों से संबंधित कार्य।
- 9.7 भण्डार पंजिका, वाहन पंजिका का रख-रखाव।
- 9.8 तामिली कुलिन्दाओं से नोटिस, समन, वारण्ट आदि की तामिली करवाना और उनके कार्य का पर्यवेक्षण।
- 9.9 गार्ड फाईल का रख-रखाव।
- 9.10 उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।

10- l xg vehu %&

- 10.1 मुख्य देयों एवं विविध देयों की वसूली।
- 10.2 संग्रह से संबंधित अभिलेखों, रसीद बुक आदि का सही-सही रख-रखाव।
- 10.3 वसूल की गयी धनराशि को राजकोष जमा करना।

11- ll; kf; d fyfi d %&; fMf'k; y ekgfj j ½ %&

- 11.1 तहसील स्तर पर प्राप्त होने वाले विभिन्न संदर्भों की पंजिका का रख-रखाव।
- 11.2 संदर्भों के निस्तारण के संदर्भ में पत्राचार।
- 11.3 चरित्र सत्यापन के मामलों का निस्तारण।

- 11.4 आय, जाति आदि प्रमाण-पत्रों को नियमानुसार जारी करना एवं उनकी पत्रावलियों व पंजिकाओं का रख-रखाव।
- 11.5 अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य।

I ok dk vf/kdkj vf/kfue; &2011 ds vUrxr jktLo
foHkkx I s I cf/kkr I okvka dk fooj.k %&

क्र. सं.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1.	प्रमाण-पत्र				
1.1	जाति प्रमाण पत्र	तहसीलदार	15 दिन	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
1.2	निवास प्रमाण पत्र	उप जिलाधिकारी	15 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
1.3	हैसियत प्रमाण पत्र	उप जिलाधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
1.4	चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदारी हेतु)	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	10 दिन	मुख्यालय का उप जिलाधिकारी / अपर जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
1.5	आय प्रमाण पत्र	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	15 दिन	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
1.6	उत्तरजीवी / पारिवारिक सदस्याता प्रमाण पत्र	उप जिलाधिकारी	15 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
1.7	चरित्र प्रमाण पत्र	उप जिलाधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास	जिलाधिकारी

	(रोजगार हेतु)			अधिकारी	
1.8	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	10 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
2.	चरित्र सत्यापन (राजस्व पुलिस क्षेत्रान्तर्गत)	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	45 दिन	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
3.1	दैवी आपदा आर्थिक सहायता (₹ 2000.00 तक)	तहसीलदार	दैवी आपदा घटित होने के 02 दिन के अन्दर	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
3.2	दैवी आपदा आर्थिक सहायता (₹ 5000.00 तक)	उप जिलाधिकारी	दैवी आपदा घटित होने के 03 दिन के अन्दर	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
3.3	दैवी आपदा आर्थिक सहायता (₹ 5000.00 से अधिक)	जिलाधिकारी	दैवी आपदा घटित होने के 07 दिन के अन्दर	मण्डलायुक्त	मुख्य राजस्व आयुक्त
4.	मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त धनराशि का वितरण	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	धनराशि प्राप्त होने के 05 दिन के अन्दर	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी
5.	खतौनी (ROR) की प्रति दिया जाना				

5.1	तहसील में आवेदन करने पर	रजिस्ट्रार कानूनगो	आवेदन की तिथि को ही	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
5.2	ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल / उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	संबंधित लेखपाल / उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	क्षेत्रीय स्तर पर कम्प्यूटर उपलब्ध होने की स्थिति में आवेदन की तिथि को ही, अन्यथा 15 दिन के अन्दर	तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
6.	भू-मानचित्र की प्रति दिया जाना	जिलाधिकारी की ओर से नामित प्रभारी अधिकारी	आवेदन की तिथि से 03 दिन के अन्दर	अपर जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
7.	खसरे की प्रति दिया जाना	संबंधित लेखपाल / उप राजस्व निरीक्षक (पटवारी)	आवेदन की तिथि को	नायब तहसीलदार / तहसीलदार	उप जिलाधिकारी
8.	किसान बही	तहसीलदार	07 दिन	उप जिलाधिकारी	जिलाधिकारी

सूची 3

(विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।)

1- वर्गिकीकरण प्रक्रिया

वर्गिकीकरण

अधिकारों के प्रतिनिधायन संबंधी जारी पूर्व सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के आदेश संख्या-346/नवम्-18/2013-14 (रा0स0) दिनांक जनवरी 20, 2015 से जिलाधिकारी को प्राप्त प्राधिकार की सीमा तथा प्रभावी नियमों/आदेशों के अधीन निम्नानुसार अधिकार प्रतिनिधायन किये जाते हैं :-

- | <u>वर्गिकीकरण</u> | <u>वर्गिकीकरण</u> | <u>प्रक्रिया</u> |
|--|---|---|
| <p>1. उपार्जित तथा चिकित्सा अवकाश।</p> | <p>समूह 'ग' एवं 'घ' के संबंध में उप जिलाधिकारी कार्यालय स्टाफ व तहसील स्टाफ हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी एवं जिला कार्यालय के कर्मचारियों हेतु अपर जिलाधिकारी। कोषागार के उक्त श्रेणी के कार्मिको हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी (कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी को छोड़कर)।</p> | <p>समूह 'ग' एवं 'घ' के संबंध में उप जिलाधिकारी कार्यालय स्टाफ व तहसील स्टाफ हेतु संबंधित उप जिलाधिकारी एवं जिला कार्यालय के कर्मचारियों हेतु अपर जिलाधिकारी। कोषागार के उक्त श्रेणी के कार्मिको हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी (कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी को छोड़कर)।</p> |
| <p>2. सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई/स्थाई आहरण (अन्तिम एवं अनन्तिम 90 प्रतिशत आहरण को छोड़कर)।</p> | <p>समूह 'घ' के अस्थाई आहरण प्रकरणों में उप जिलाधिकारी कार्यालय/तहसील/ भू-लेख अधिष्ठान से संबंधित परगनाधिकारी। जिला कार्यालय/भू-लेख कार्यालय/भूमि अध्याप्ति कार्यालय के समूह 'घ' के अस्थाई आहरण हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी। समूह 'ग' के अस्थाई आहरण हेतु अपर जिलाधिकारी।</p> | <p>समूह 'घ' के अस्थाई आहरण प्रकरणों में उप जिलाधिकारी कार्यालय/तहसील/ भू-लेख अधिष्ठान से संबंधित परगनाधिकारी। जिला कार्यालय/भू-लेख कार्यालय/भूमि अध्याप्ति कार्यालय के समूह 'घ' के अस्थाई आहरण हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी। समूह 'ग' के अस्थाई आहरण हेतु अपर जिलाधिकारी।</p> |

कोषागार अधिष्ठान के समूह 'ग' एवं 'घ' के कर्मचारियों के अस्थाई आहरण प्रकरणों में वरिष्ठ कोषाधिकारी।

3. यात्रा कार्यक्रम की स्वीकृति/यात्रा भत्ता हेतु नियंत्रण अधिकारी। तहसील के समूह 'घ' एवं समूह 'ग' के संबंध में संबंधित तहसीलदार (जनपद के भीतर यात्रा हेतु) उप जिलाधिकारी के समूह 'ग' एवं 'घ' के संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी (जनपद के भीतर यात्रा हेतु), कोषागारों में श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 के कार्मिकों हेतु जनपद के भीतर एवं बाहर यात्रा कार्यक्रम की स्वीकृति/यात्रा भत्ता हेतु स्वीकृता अधिकारी संबंधित कोषाधिकारी तथा कोषागार में श्रेणी ख के अधिकारियों हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला मुख्यालय के कार्यालय के समूह 'घ' हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी व समूह 'ग' हेतु अपर जिलाधिकारी (जनपद के भीतर यात्रा हेतु)। जनपद के बाहर समूह 'घ' के लिये संबंधित प्रभारी अधिकारी तथा समूह 'ग' हेतु अपर जिलाधिकारी।
4. अग्रिम यात्रा भत्ता की स्वीकृति। क्रमांक-3 के अनुसार
5. वेतन व तत्सम्बन्धी बिल आहरण तथा भुगतान/चैक हस्ताक्षर। उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत एवं आहरण-वितरण हेतु कार्य विभाजन अन्तर्गत आवंटित अधिकार को छोड़कर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी। चैक हस्ताक्षर प्रभारी अधिकारी व अपर जिलाधिकारी, संयुक्त।
(अनुशासनात्मक कार्यवाही, हड़ताल एवं अनुपस्थिति के प्रकरणों को छोड़कर)
6. शेष बिल आहरण/भुगतान/चैक हस्ताक्षर। मासिक यथास्थिति अथवा परिवर्तन आदि विवरण कोषागार भेजने हेतु

संबंधित प्रभारी अधिकारी, बिल, आहरण-वितरण अधिकारी। कार्यविभाजन आदेश अन्तर्गत आवंटित अधिकार के अतिरिक्त संबंधित प्रभारी अधिकारी (उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत) चैक हस्ताक्षर संयुक्त, प्रभारी अधिकारी व अपर जिलाधिकारी।

7. जमानत राशि प्राप्त करने एवं वापसी।

जमा करने हेतु यथास्थिति संबंधित तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी। वापसी हेतु यथास्थिति संबंधित उप जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (चैक द्वारा वापसी पर संयुक्त हस्ताक्षर)।

8. आपदा प्रबन्धन खाता संचालन/भुगतान।

प्रभारी अधिकारी/अपर जिलाधिकारी धनराशि ₹ 50,000.00 तक (कार्य/व्यय प्रस्ताव जिलाधिकारी से अनुमोदन) चैक संयुक्त हस्ताक्षर। आपदा राहत स्वीकृति अपर जिलाधिकारी निर्धारित मानकों के अन्तर्गत। आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों हेतु धनावंटन अपर जिलाधिकारी (निर्धारित मानकों के अन्तर्गत)

- | | | |
|-----|---|---|
| 9. | वन पंचायत खाता
संचालन/भुगतान। | योजना जिलाधिकारी से अनुमोदन।
आहरण, प्रभारी अधिकारी, भुगतान
स्वीकृति अपर जिलाधिकारी, चैक
संयुक्त प्रभारी अधिकारी/अपर
जिलाधिकारी। |
| 10. | मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन
कोष से स्वीकृत वित्तीय
सहायता आहरण/
वितरण। | सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी। |
| 11. | कर संग्रह/वसूली प्रमाण
पत्र जारी करना। | अपर जिलाधिकारी। |
| 12. | शस्त्र लाईसेन्स
नवीनीकरण/निलम्बन। | अपर जिलाधिकारी। |

नोट :- उक्तानुसार प्रतिनिधानित अधिकारों के होते हुए महत्वपूर्ण/संवेदनशील प्रकरणों में प्रत्येक दशा में अद्योहस्ताक्षरी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी तथा जिन प्रकरणों में प्रतिनिधानित अधिकारों का उपयोग कर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जायेगी, वहां संबंधित आदेश/निर्णय की प्रति सहित सूचना अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जायेगी।

दिनांक जनवरी 20, 2015

(सुशील कुमार)
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

v/khuLFk vf/kdkfj ; ka@de/pkfj ; ka ds dk ; l

जनपद मुख्यालय में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य उनके अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संबंध में कार्यविभाजन संबंधी आदेश संख्या-697/ चौदह-03/2011-12 दिनांक मार्च 24, 2015 के द्वारा निम्नानुसार कार्यविभाजन आदेश पारित किये जाते हैं :-

जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या-351/चौदह-03 /2011-12 दिनांक जनवरी 22, 2015, के अनुसार जिला कार्यालय के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य उनके अपने मूल दायत्वों साथ-साथ अन्य दायित्वों हेतु कार्यविभाजन निम्नानुसार किया जात है :-

1½ Jh foukn fxjh xkLokel] e[; fodkl vf/kdkjh] fi Fkkj kx<A

1. जिला जनगणना/सामाजिक, आर्थिक जातिगत आधारित गणना अधिकारी।
2. प्रभारी बीस सूत्रीय कार्यक्रम।
3. जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य समन्वय।
4. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचस्थानि), पिथौरागढ़।

5. नोडल अधिकारी आपदा राहत/ जॉच कार्य।

2½ Jh izkkUr dækj vk;l vij ftykf/kdkjh] fi Fkkj kx<A

1. जिला बित्त एवं राजस्व अधिकारी।
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।
3. सहायक आबकारी आयुक्त, पिथौरागढ़।
4. प्रभारी अधिकारी संग्रह, दैवी आपदा, खनन परिवहन।
5. वरिष्ठ प्रभार समस्त विभागों के कमप्यूटरीकरण सम्बन्धी कार्य।
6. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0।
7. नोडल अधिकारी/वैव मैनेजर स्वतः प्रदर्शित।
8. रैन्ट कन्ट्रोल एवं एक्विसन अधिकारी।
9. नोडल अधिकारी, सेवा का अधिकार।
10. विभागीय अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम।
11. प्रभारी अधिकारी खाद्य एवं आपूर्ति।
12. प्रमुख अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एन0पी0आर0
13. नोडल अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ/ समाधान
14. प्रभारी अधिकारी भू-लेख एवं भू-लेख कम्प्यूटरीकरण, जिलाकार्यालय।
15. प्रभारी अधिकारी ई-जनाधारसेवा

16' वरिष्ठ प्रभार तहसील दिवस।

17. वरिष्ठ प्रभार रिट याचिकायें जिला कार्यालय।

18. बरिष्ठ प्रभार आडिट जिला कार्यालय।
17. बरिष्ठ प्रभार राजनैतिक पेंशन जिला कार्यालय।
19. बरिष्ठ प्रभार राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम।
20. वरिष्ठ प्रभार राष्ट्रीय बचत कार्यक्रम।
21. बरिष्ठ प्रभार संयुक्त कार्यालय।
22. बरिष्ठ प्रभार मा0 मुख्यमन्त्री घोषणायें।
23. बरिष्ठ प्रभार सामान्य /देयक/ राजस्व सहायक/न्याय सहायक/वन, जिला कार्यालय।
24. बरिष्ठ प्रभार शस्त्र,/ स्थानीय निकाय, जिला कार्यालय।

3½ Jh vugkx vk;] mi ftyk eftLVW] fi Fkkj kx<A

1. विहित प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, पिथौरागढ़।
2. सेना के सम्पर्क अधिकारी।
3. जिला प्रोटोकाल अधिकारी।
- 4.. प्रभारी अधिकारी, आन्तरिक सुरक्षा, जिला कार्यालय।
5. प्रभारी अधिकारी शस्त्र जिला कार्यालय।
6. प्रभारी अधिकारी नाजरात जिला कार्यालय।
7. मा0 जिला जज, पिथौरागढ़ द्वारा विभिन्न अवसरों पर पारित आदेशों के अनुपालन में वेल/ रिमाण्ड सम्बन्धी कार्य।
8. प्रभारी अधिकारी नजूल।
9. प्रभारी अधिकारी हवाईपट्टी/ हैलीपैड।
10. प्रभारी अधिकारी विभिन्न प्रकार की परीक्षायें।

4½ Jh d".k dekj feJk fMIVh dyDVj ftyk dk; kly; fi Fkkj kx<A

1. प्रभारी अधिकारी शिक्षा/ शिकायत/ विविध जिला कार्यालय।
2. प्रभारी अधिकारी तहसील दिवस से सम्बन्धित कार्य।
3. प्रभारी अधिकारी (आंग्ल/राजस्व/न्यायिक अभिलेखागार), जिला कार्यालय।
4. प्रभारी अधिकारी, सैन्य/भूमि अध्याप्ति/चिकित्सा, जिला कार्यालय।
5. प्रभारी अधिकारी, (रिट याचिकायें), जिला कार्यालय।
6. प्रभारी अधिकारी, आडिट, जिला कार्यालय।

7. प्रभारी अधिकारी, राजनैतिक पेंशन, जिला कार्यालय।
8. प्रभारी अधिकारी, महामहिम राज्यपाल, मा० मुख्यमंत्री, मा० मंत्रीगणों, मा० आयोग, मा० लोकायुक्त से प्राप्त होने वाले संदर्भों का निस्तारण संबंधी कार्य।
9. प्रभारी अधिकारी, (मा० मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष जिला कार्यालय।
10. प्रभारी अधिकारी सयुक्त कार्यालय जिला कार्यालय।
11. लोक सूचना अधिकारी, जिला कार्यालय
12. प्रभारी अधिकारी, सामान्य/देयक/ राजस्व सहायक/न्याय सहायक/ वन/ जिला कार्यालय
13. प्रभारी अधिकारी मा० मुख्यमंत्री घोषणायें जिला कार्यालय।
14. प्रभारी अधिकारी सराय एक्ट/ सुख साधनकर जिला कार्यालय।
15. प्रभारी अधिकारी सेवा का अधिकार।
16. प्रभारी अधिकारी मेला/ साँस्कृतिक कार्यक्रम।
17. प्रभारी अधिकारी जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास।
18. प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय वचत कार्यक्रम
19. रेंट कन्ट्रोल एवं एविक्सन अधिकारी।।
20. आहरण वितरण अधिकारी— देयक/नाजरात/भूलेख/अन्तराष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन कार्यालय/संग्रह/दैवीआपदा/स्थानीय निकाय/खनन/अभियोजन/मनोरंजन/सैनिक कल्याण/मा० मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष/जिला शासकीय अधिवक्ता अधिष्ठान जिला कार्यालय, पिथौरागढ़/उप भूमि अध्याप्ति / निबन्धक, जिला कार्यालय।

1/5½ Jh iækn dækj] mi ftyk eftLVW
xæksyhgv

1. प्रभारी अधिकारी, भूमि अध्याप्ति, जिला कार्यालय।

1/6½ Jh gjh jke] rgl hynkj fi Fkk&kx<A

1. उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी पिथौरागढ़।

2. सहायक जिला प्रोटोकौल अधिकारी पिथौरागढ़।
3. उप निबन्धक पिथौरागढ़।

2& LFkki uk ¼Establishment½ I c/kh dk; I %&

राजस्व नियम संग्रह के अनुसार राजस्व विभाग (कलैक्ट्रेट) में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों, भूलेख निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, पटवारी, राजकीय वाहन चालक तथा अनुसेवकों के नियुक्ति अधिकारी जिलाधिकारी है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित नियमावलियों की अधीन दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्ति की जाती है:-

1. उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलैक्ट्रेट) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली-1980
1. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (सुपरवाइजर कानूनगो) सेवा नियमावली- 1983
2. उत्तर प्रदेश पटवारी सेवा नियमावली-1963
3. उत्तर प्रदेश अवर राजस्व लिपिक (रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो) सेवा नियमावली-1958
4. उत्तरांचल राजकीय वाहन चालक सेवा नियमावली-2003
5. चतुर्थ वर्ग सेवा नियमावली-1975
6. ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली-1991
7. स्थायीकरण नियमावली-2002
8. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930

उक्त नियमावलियों के अधीन ही नियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा, ज्येष्ठता, स्थाईकरण, मासिक वेतन वृद्धि, पदोन्नतियां तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया जिलाधिकारी द्वारा अपनायी जाती है।

सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के अन्तर्गत जहाँ कहीं आवश्यक हो कर्मचारियों के विरुद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही करने के

पञ्चात लघु/दीर्घ दण्ड, निलम्बन व सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाती है।

3& jktLo vf/kdkfj; ka l s l cf/kr ifdz k %&

संयुक्त प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अन्तर्गत न्यायिक और न्यायकेत्तर निम्नांकित मामलों की सुनवाई तथा विनिष्पत्त राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता है :-

1. धारा-28 के अन्तर्गत नक्शे व फील्ड बुक (खसरा) में संशोधन।
2. धारा-35 और 40 के अन्तर्गत उत्तराधिकार और हस्तान्तरण के मामलों में नामांकन।
3. धारा-36, 74ख, 72(2), 186 और 187 के अन्तर्गत मिलकियत जोतों की भूमि का निर्देशन और लगान का निर्धारण।
4. धारा-41 और 51 के अन्तर्गत सीमा विवादों का निपटारा।
5. धारा-87 के अन्तर्गत काश्तकारों के लगान की वृद्धि, कमी या अन्य रूप में निर्धारण और विनिश्चय करना।

उपरोक्त मामले न्यायिक मामलों के अन्तर्गत आते हैं, इनसे भिन्न अन्य मामले न्यायकेत्तर समझे जायेंगे। उपरोक्त मामलों के संचालन प्रणाली प्रक्रिया, अपील, निर्देश और पुनरीक्षण के नियम राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में दिए गये हैं, जिसके अन्तर्गत गवाहों की उपस्थिति तथा अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समन जारी करना, नोटिस/घोषणा पत्र जारी करना, पक्षकारों की अनुपस्थिति में सुनवाई करना, मामले को पंच निर्णय हेतु संदर्भित करना आदि की प्रक्रिया दी गई है।

4& Hk&jktLo , oa fofo/k ns ka dh ol wyh gsrq ifdz k %&

भू-राजस्व, राजकीय देय तथा विविध देयों की वसूली हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

1. बकायेदारों पर मांग पत्र (ज0वि0फार्म-64) उपस्थिति पत्र तामील करना।
2. गिरफ्तारी अधिपत्र (ज0वि0फार्म-70) जारी कर 14 दिन के लिए गिरफ्तार/बन्द करना।
3. चल सम्पत्ति की कुर्की द्वारा (ज0वि0फार्म-71 व 72)।
4. चल सम्पत्ति की नीलामी द्वारा।
5. अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्री (नीलामी) द्वारा।
6. बकायेदार की चल एवं अचल सम्पत्ति पर रिसीवर नियुक्त करना।

लेकिन किसी भी स्त्री या अवयस्क को गिरफ्तार कर बन्द नहीं किया जायेगा।

5& vki nk U; uhdj.k] i xU/ku rFkk fuokj.k %&

जनपद स्तर पर आपदा प्रबन्धन के लिए जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होते हैं। जिलाधिकारी को सम्भावित या वास्तविक आपदा या किसी आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए सचल, संगठित राहत प्रदान करने के लिए निम्नवत् उपायों के कार्यान्वयन तथा योजना की समेकित और अनवरत प्रक्रिया अपनानी होती है :-

संदर्भ पुस्तिका- उत्तरांचल
आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन
तथा निवारण अधिनियम,2005

1. आपदाओं की जोखिम का न्यूनीकरण अथवा उसे कम करना।
2. आपदाओं की कठोरता या परिणामों का न्यूनीकरण।
3. आपदा निवारण हेतु क्षमता निर्माण।
4. आपात तैयारी।
5. आपदा के प्रभावों का आंकलन।
6. आपात राहत तथा बचाव प्रदान करना।
7. आपदा पश्चात पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण।

6& 'kL= vuqKki =k dks tkjh djus dh i fdz k %&

शस्त्र अधिनियम, 1962 के नियम-51 के अन्तर्गत कोई भी आवेदक प्रपत्र-क में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन

करता है, तो उसकी जांच सम्बन्धित अधिकारिता के उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी से करायी जाती है। प्राप्त जांच आख्या पर जिला मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि के आधार पर उत्तरांचल राज्य की सीमा अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करते हैं तथा अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने उपरान्त शस्त्र क्रय कर प्रस्तुत करने पर शस्त्र का नम्बर अनुज्ञा पत्र तथा अभिलेखों में दर्ज किया जाता है। शस्त्र अनुज्ञापी को प्रत्येक तीसरे वर्ष शस्त्र को नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करना होता है तथा क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों/मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर शस्त्र का सत्यापन भी किया जाता है।

शस्त्र धारक की मृत्यु होने पर शस्त्र को अनुज्ञा पत्र सहित क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी/राजस्व पुलिस अधिकारी द्वारा सदर मालखाने /तहसील मालखाने में जमा कराया जाता है। लाईसेन्सी के उत्तराधिकारी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये जाने पर जमा शस्त्र को वापस प्राप्त कर सकता है। मालखाने में संरक्षित ऐसे शस्त्रों का समय-समय पर प्रभारी अधिकारी/तहसील स्तरीय अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है।

7& vkcdkjh | s | cf/kr i fdz k %&

प्रवर्तित अधिनियमों/नियमावलियों के प्राविधान के अनुसार जिले में जिलाधिकारी ही आबकारी प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है, जिसके सहयोग हेतु जिले में जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक एवं अन्य स्टाफ नियुक्त रहते हैं। जिलाधिकारी द्वारा आबकारी से संबंधित निम्न प्रक्रियायें अपनायी जाती हैं :-

1. शासन/आबकारी आयुक्त कार्यालय से आबकारी नीति के अनुसार जनपद में प्रतिवर्ष देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन करना।
2. शासन द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर जांच करने उपरान्त शासन की पूर्वानुमति के बाद बार लाईसेन्स जारी करना।

3. आबकारी अपराध से संबंधित अपीलों की सुनवाई करना तथा निस्तारण करना।

8& Hkfe vtU dh dk; bkgh@ifdz; k %&

सार्वजनिक उपयोग तथा शासकीय हित में चलने वाली विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसका अधिग्रहण अति आवश्यक होने पर कलेक्टर भूमि अर्जन अधिनियम-1984 के अधीन निम्नवत् कार्यवाही करते हैं :-

1. धारा-17 के अन्तर्गत सर्वप्रथम कलेक्टर प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
2. कलेक्टर प्रमाण पत्र जारी होने पर प्रस्ताव नियमानुसार धारा-4(1) की विज्ञप्ति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।
3. धारा-5 के अधीन क्षतिपूर्ति भुगतान एवं धारा-5(क) के अधीन आपत्ति की सुनवाई।
4. धारा-4(1) की विज्ञप्ति के पश्चात मुनादी एवं आपत्तियों के निस्तारण के बाद एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत धारा-6(1) की विज्ञप्ति हेतु प्रेषित करना।
5. धारा-6(1) की विज्ञप्ति के पश्चात धारा-9 के नोटिस की प्रति प्रत्येक प्रभावित के नाम जारी करना व आपत्ति की सुनवाई करना।
6. धारा-11 के अधीन बैनामों के आधार पर बाजारू दर पर प्रतिकर निर्धारण करना।
7. धारा-11ए के अधीन प्रस्तावित अभिनिर्णय तैयार करना तथा प्रतिकर वितरण करना।
8. धारा-12 के अधीन अन्तिम अभिनिर्णय करना तथा धारा-12ए के अधीन अभिनिर्णय में सुधार करना।
9. धारा-12(2) के अधीन लेखा समायोजन करना।
10. धारा-16 के अन्तर्गत कब्जा हस्तान्तरण करना व अमलदरामद की कार्यवाही करना।
11. धारा-17 के अधीन अर्जेन्सी क्लॉज लागू करना।

9& जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ के सभी अनुभागों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के पर्यवेक्षण हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष हेतु निरीक्षण रोस्टर तैयार किया जाता है। जिसके अनुसार निर्धारित समय पर प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक पटल सहायक का निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2007 के लिए तैयार किये गये निरीक्षण रोस्टर की छायाप्रति परिषिष्ट-1 पर संलग्न है।

10& जिला अधिष्ठान अन्तर्गत समय-समय पर मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय के लेखादल तथा महालेखाकार के लेखादल द्वारा वित्तीय लेखों/अभिलेखों का आडिट कर पर्यवेक्षण किया जाता है।

11& जिलाधिकारी द्वारा मासिक स्टाफ बैठकों के माध्यम से विभागीय प्रत्येक बिन्दुओं पर समीक्षा कर विभागीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों का मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण किया जाता है।

12& जिलाधिकारी द्वारा जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में जन सामान्य की सुविधा के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह में बहुउद्देश्यीय षिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मौके पर ही जन समस्याओं का समाधान किया जाता है तथा जनता को विकासपरक योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाती है।
i ; bsk.k , oa mRrj nkf; Ro %&

राजस्व विभाग, जिला कार्यालय के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले समस्त कार्यों को विभिन्न नियमों/अधिनियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। जिला स्तर पर पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु मण्डलायुक्त/मुख्य राजस्व आयुक्त तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये जाते हैं, जिनका अनुपालन जिला स्तर पर कराते हुए तहसील एवं ब्लॉक पर कराया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा अधीनस्थ उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश देकर

निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कराया जाता है। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार द्वारा अपने अधीनस्थों निर्देश देकर व निरीक्षण कर पर्यवेक्षण किया जाता है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इन प्रक्रियाओं के पालन में सहभागिता की जाती है, जो अधिकारी/कर्मचारी प्रक्रिया से हटकर कार्य करता है, उसका नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है।

I upuk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

eSuqvy I a[; k& 4

1/dR; ka ds fuoZgu ds fy, Lo; a }kjk LFkkfi r
eki ekuA

ft yk dk; kZy;] fi Fkkj kx<A

संघर्ष पंजीक

राजस्व विभाग में कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापमान/नियमों का उल्लेख निम्नवत् है :-

जनपद का राजस्व प्रशासन प्रदेश प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जनपद स्तर पर राजस्व प्रशासन का कार्य कलेक्टर एवं तहसील कार्यालयों के माध्यम से कराया जाता है। राजस्व विभाग में कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापमान/नियमों का उल्लेख निम्नवत् है :-

1. सामयिक परिलेखों की पंजिका/चार्ट बनाकर परिलेखों को सामयिक रूप से प्रेषित करना।

2. संदर्भों की पंजिका तैयार करवाकर संदर्भों का पंजीकरण करना तथा सामयिक निस्तारण।

3. विधायी कार्यों से संबंधित जैसे विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्य सभा के प्रश्नों का उत्तर, नियम 301 आदि के नोटिसों का उत्तर, आश्वासनों की पूर्ति आदि अनेक महत्वपूर्ण संदर्भों का समय से उत्तर भेजना।

संदर्भ पंजिका
राजस्व नियम- संग्रह

4. शासनादेश, परिषदादेश तथा स्थानीय आदेशों से संबंधित गार्ड फाईल अध्यावधिक रखना।

3& fujh{k.k %&

जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों/पटलों पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार सभी कक्ष/पटल सहायकों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2011 के लिए तैयार किये गये निरीक्षण रोस्टर की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इसी प्रकार तहसील कार्यालयों में भी प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार द्वारा तहसील के सभी पटलों का निर्धारित समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया जाता है।

4& Hkou %&

संदर्भ पुस्तिका-

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड
v vol 1 एवं राजस्व
नियम संग्रह।

1. भवनों के रख-रखाव/मरम्मत/नव निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं/स्रोतों से प्राप्त धन का वितरण रखना, भूमि एवं भवन पंजिका का रख-रखाव।
2. कम्पाउण्ड से होने वाली आय तथा उसके संग्रह की स्थिति का विवरण।
3. भवन की सुरक्षा हेतु व्यवस्था, अग्नि शमन तथा सफाई/स्वच्छता की व्यवस्था।

5& LVkQ %&

संदर्भ पुस्तिका-

1. राजस्व नियम संग्रह
2. भू-लेख नियमावली
3. सेवा नियमावली
4. सा0भ0निधि नियमावली
5. एम0जी0ओ0
6. सिविल सेवा (सी0सी0ए0)

1. स्टाफ की स्वीकृति, नियुक्ति, रिक्तियां/अवकाश/स्थानान्तरण तथा आरक्षण की स्थिति प्रदर्शित करनी।
2. कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें, अवकाश लेखा, जी0पी0एफ0 लेखा, जी0पी0एफ0 पासबुक एवं चरित्र पंजिकायें अद्यावधिक रखना।
3. कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में प्रतिदिन

नियमावली-1930

उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना।

4. भ्रष्ट, आयोग्य एवं दुष्चरित्र अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना।
5. आकस्मिक अवकाश पंजिका में स्वीकृत अवकाश का अंकन करना।
6. कर्मचारियों द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति का लेखा रखना।

6& ll; kf; d dk; l %&

संदर्भ पुस्तिका-

1. भू-राजस्व अधिनियम
2. जमींदारी विनाष अधिनियम

राजस्व प्रशासन का काफी महत्वपूर्ण तथा एकीकृत भाग लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तथा जेड0ए0 एक्ट के अन्तर्गत दोनों प्रकार के मुकदमों का शीघ्रता से निपटारा किया जाना है, जिसके लिए निम्नवत् मानक निर्धारित है :-

1. निर्विवाद दाखिल खारिज के मामले 35 दिन अन्दर निर्णित किया जाना।
2. दाखिल खारिज तथा दुरस्ती कागजात के मुकदमे तीन माह अन्तर्गत निर्णित करना।
3. नियमित वाद, प्रार्थना पत्र तथा कार्यवाहियों के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन 7 मुकदमों के निस्तारण का मानक निर्धारित है।
4. छः माह से अधिक पुराने वादों के निस्तारण हेतु प्राथमिकता देना।
5. पीठासीन अधिकारी द्वारा दायरे की अपेक्षा अधिक वादों का निस्तारण किया जाना।
6. पीठासीन अधिकारियों द्वारा स्वयं अपने न्यायालयों का त्रैमासिक निरीक्षण किया जाना।

संदर्भ पंजिका-

राजस्व नियम- संग्रह एवं संग्रह मैनुवल।

7& l xg vu#kkx %&

1. जिला स्तर से संग्रह संबंधी विभिन्न प्रपत्रों की संबंधित तहसीलों को प्रतिवर्ष तीन जून तक आपूर्ति करना।
2. जिला स्तर से भू-राजस्व मांग निर्धारित कर एल0आर0-1 मुख्य राजस्व आयुक्त को उपलब्ध कराना।
3. संग्रह मैनुअल के अनुसार नहर कर जमाबंदी समय अन्दर प्राप्त करना तथा वसूली हेतु तहसीलों को भेजना।

4. नये वित्तीय वर्ष के लिये विविध देयों की मांग का रजिस्टर 15 अप्रैल तक अध्यावधिक रखना।
5. विविध देयों की प्राप्त होने वाली मांग का केन्द्रीय वार्षिक मांग रजिस्टर बनाना तथा विभागीय स्तर पर मांग का सत्यापन करवाना।
6. मांग प्राप्त होने के बाद तत्परतापूर्वक तहसीलदारों को वसूली हेतु उपलब्ध कराना।
7. गबन के प्रकरणों की समीक्षा करना।
8. आडिट आपत्तियों के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली धनराशि तथा उसकी वसूली की समीक्षा करना।

वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15, 2015-16 में मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली हेतु जनपद पिथौरागढ़ का लक्ष्य/मापमान तथा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण निम्नवत् है :-

देयों की वसूली

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (₹ करोड़)	उपलब्धि (₹ करोड़)
1	2	3	4
1.	2010-11	1.85	1.02
2.	2011-12	1.44	1.10
3.	2012-13	1.32	1.03
4.	2013-14	1.28	0.89
5.	2014-15	1.58	1.20
6.	2015-16	0.91	

मुख्य देयों की वसूली

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (₹ करोड़)	उपलब्धि (₹ करोड़)
1	2	3	4
1.	2010-11	211.88	196.40
2.	2011-12	310.52	291.10

3.	2012-13	466.11	424.68
4.	2013-14	234.69	208.92
5.	2014-15	185.35	160.78
6.	2015-16	556.56	

8& LVkEi , oa jftLV\$ ku %&

संदर्भ पुस्तिका-
भारतीय स्टाम्प
अधिनियम-1899

1. धारा-33 एवं 47 के अन्तर्गत संदर्भित स्टाम्प वादों का निस्तारण करना।
2. कलक्टर द्वारा निर्णित वादों के सापेक्ष निर्गत वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध वसूली करना।
3. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की दृष्टि से कलक्टर द्वारा भूमि का द्विवार्षिक मूल्य निर्धारित कर आम जनता के उपयोगार्थ प्रकाशित करना।

9& eukjatu dj %&

जनपद में स्वीकृत केबिल आपरेटरों, विडियो लाईसेन्सों, अस्थाई विडियो सिनेमा, स्थायी सिनेमा तथा रोप वे राजस्व वसूली का वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 तथा 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 तथा 2015-16 का वार्षिक लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि का विवरण निम्नवत् है :-

d0 l 0	foRrh; o"kl	y{; yk[k ₹ ea	mi yfC/k yk[k ₹ ea
1	2	3	4
1	2010-11	12.80	37.93
2	2011-12	41.70	53.35
3	2012-13	62.31	74.04
4	2013-14	81.00	77.78
5.	2014-15	76.73	84.85
6.	2015-16	82.87	22.55 (जुलाई 2015 तक की स्थिति)

10& vkcdkj h jktLo %&

जनपद पिथौरागढ़ में अवस्थित सैन्य/अर्द्ध सैन्य कैंटीनों को विदेशी मदिरा भण्डारण/उपयोग हेतु दिये गये अनुज्ञापत्रों तथा विदेशी मदिरा की दुकानों आदि से राजस्व प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 का मापमान (लक्ष्य) तथा उपलब्धि का विवरण जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय द्वारा पृथक से एन0आई0सी0 की वेबसाइट में प्रदर्शित है।

11& [kfutka ds [kuu@p@ku l s vk; dk fooj .k%&

जनपद पिथौरागढ़ में उप खनिजों के खनन व चुगान से आय का वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 का लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	2010-11	7,80,00,000.00	3,51,03,011.00
2.	2011-12	---	4,77,17,924.00 (माह मार्च , 2012 तक)
3.	2012-13	---	42955379.00 (माह मार्च , 2013 तक)
4.	2013-14	---	7,10,00,905.00 (माह मार्च)
5.	2014-15	---	107212458.00
6.	2015-16	---	41777371 (जुलाई 2015 तक)

12& jk"Vh; cpr ;kstuk %&

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ का वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 का लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
1.	2010-11	4200.00	5090.69
2.	2011-12	4600.00	3907.27
3.	2012-13	2100.00	4242.47
4.	2013-14	2400.00	5545.90
5.	2014-15	4150.00	6845.00
6.	2015-16	4900.00	2871.00 (जुलाई 2015 तक)

13. भू-अभिलेखों का शुद्ध रूप

भू-अभिलेखों का शुद्ध रूप से रख-रखाव, राजस्व विभाग की शीर्ष प्राथमिकता एवं दायित्व है। यह कार्य वार्षिक एवं नियम कालिक अभिलेखों की तैयारी तथा पुराने अभिलेखों के अनुरक्षण के माध्यम से सम्पादित होता है। भू-अभिलेखों की पूर्ण विश्वसनीयता के कारण ही उच्चतम न्यायालय तक राजस्व विभाग के सबसे नीचे के कर्मचारी पटवारी/लेखपाल के साधारण हस्ताक्षर के अन्तर्गत तैयार अभिलेखों को यथावत स्वीकार किया जाता है। जिलाधिकारी मूलतः अभिलेखों की तैयारी एवं उसके रख-रखाव के लिए पूर्ण जिम्मेदारी महसूस करते हुए स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से शीतकालीन वास्तविक भ्रमण करवाकर गम्भीरतापूर्वक पड़ताल, अभिलेखों की तैयारी एवं उनका सत्यापन तथा अध्यावधीकरण सुनिश्चित कराते हैं।

संदर्भ पुस्तिका-

1. भू-लेख नियमावली
2. राजस्व नियम संग्रह

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य खाद्य फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के अनुमान :-

1. पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी क्षेत्र के कुल गांवों के 1/5 गांवों में रोस्टर के आधार पर पड़ताल कार्य प्रतिवर्ष खरीफ व रबी ऋतुओं में सम्पन्न किया जाता है। इनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसलों के क्षेत्रफल के आंकड़ों के अनुमान तैयार किये जाते हैं। खरीफ व रबी की मुख्य फसलों के उत्पादन के अनुमान निकालने हेतु खरीफ में धान, मण्डुआ, सांवा तथा रबी में गेहूँ व जौ फसलों पर प्रतिवर्ष जनपद में काप कटिंग प्रयोग सम्पन्न किये जाते हैं। इन प्रयोगों को सम्पन्न कराने के उपरान्त इन फसलों के उत्पादन के अनुमानों की गणना प्रदेशीय स्तर पर की जाती है।
2. खरीफ/रबी में पटवारियों द्वारा प्रतिवर्ष गिरदाबरी पूर्ण करने की अवधि निम्नानुसार है :-

मौसम	पड़ताल करने की निर्धारित तिथियां
खरीफ	10 अगस्त से 31 अक्टूबर
रबी	15 जनवरी से 15 मई

3. रोस्टर के अनुसार वर्ष विशेष के लिए चयनित गांवों में प्रत्येक खसरा नम्बर की पड़ताल के आधार पर जनपद भर से प्राप्त आंकड़ों को खरीफ व रबी जिन्सवारों तथा मिलान खसरा क्रमशः प-5क क, प-6 क क तथा प-4 क क के रूप में जनपद के पटवारी, भूलेख निरीक्षक, रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा जिला मुख्यालय पर एवं जनपद में नियुक्त सहायक भूलेख अधिकारी के माध्यम से प्रदेशीय मुख्यालय पर राजस्व परिषद (मुख्य राजस्व आयुक्त) को निम्न तिथियों तक प्रेषित किये जाने का प्राविधान है :-

क्र०सं०	नाम रिटर्न	पटवारी द्वारा	भूलेख निरीक्षक द्वारा	रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा	सहायक भूलेख अधिकारी द्वारा
1	2	3	4	5	6
1.	खरीफ जिन्सवार	10 नवम्बर	15 नवम्बर	25 नवम्बर	10 दिसम्बर
2.	रबी जिन्सवार	31 मई	10 जून	20 जून	01 जुलाई
3.	मिलान खसरा	15 जून	20 जून	05 जुलाई	10 जुलाई

4. खरीफ व रबी में फसलों की बुवाई के तुरन्त बाद ही फसलों के क्षेत्रफल के आंगड़े पटवारियों द्वारा अपने क्षेत्र के प्रथम गांव में पड़ताल प्रत्येक कृषि ऋतु में सम्पन्न कर आंकड़े निर्धारित रूप पत्र-4 व 5 पर तहसील मुख्यालय पर प्रस्तुत करने तथा कनिष्ठ सांख्यिकीय निरीक्षक के द्वारा जांच करने उपरान्त तहसीलदार द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रस्तुत करने की अवधियां निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मौसम	पटवारी क्षेत्र के प्रथम गांव में पड़ताल समाप्त करने की अन्तिम तिथि	क्षेत्र के अग्रिम टी.0आर0एस0 की तालिका तहसील मुख्यालय पर जमा करने की अन्तिम तिथि	टी0आर0एस0 की तालिका प्रदेशीय मुख्यालय पर प्राप्त होने की अन्तिम तिथि
1	2	3	4	5
1.	खरीफ	31 अगस्त	10 सितम्बर	15 सितम्बर
2.	रबी	08 फरवरी	15 फरवरी	28 फरवरी

5. पड़ताल का निरीक्षण :-

पटवारियों द्वारा किये गये पड़ताल कार्य का निरीक्षण राजस्व विभाग के विभिन्न अधिकारियों के अतिरिक्त फसल सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत जनपदों में नियुक्त सांख्यिकीय स्टाफ द्वारा भी खरीफ व रबी ऋतुओं में निम्नलिखित संख्या एवं समय सारिणी के अनुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी	पड़ताल निरीक्षण हेतु गांवों की संख्या	पड़ताल निरीक्षण की अवधि	
			खरीफ	रबी
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ सांख्यिकीय निरीक्षक	12	10 सितम्बर से 31 अक्टूबर	15 फरवरी से 15 मई
2.	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	10	तदैव	तदैव

6. काप कटिंग एवं सुखाई प्रयोगों का निरीक्षण :-

पटवारियों द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे काप कटिंग प्रयोग संबंधी कार्यों का निरीक्षण राजस्व विभाग विकास विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सांख्यिकीय कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु गांवों का आवंटन मण्डलीय सांख्यिकीय अधिकारी द्वारा निम्न संख्या में प्रत्येक ऋतु में किया जाता है :-

कर्मचारी	निरीक्षण हेतु गांवों की संख्या		निरीक्षण की अवधि	
	कटाई स्तर	कटाई के उपरान्त	खरीफ	रबी
1	2	3	4	5
कनिष्ठ सांख्यिकीय निरीक्षक	08	06	10 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक	मार्च से 30 जून तक
अपर सांख्यिकीय अधिकारी	08	04	तदैव	तदैव

7. राजकीय आस्थान की भूमि का संरक्षण, प्रबन्धन एवं अभिलेखों के रख-रखाव की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
8. निष्क्रान्त सम्पत्तियों के निस्तारण के संबंध में निस्तारण की कार्यवाही तथा सम्पत्तियों को हड़पने वालों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करना।
9. रेवेन्यू मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राजस्व अभिलेखागार में अभिलेखों के रख-रखाव, उनकी स्वच्छता, समय से अभिलेखों का दाखिला तथा विनिष्ठीकरण सुनिश्चित करना।
10. रेवेन्यू मैनुअल में दी गयी व्यवस्थानुसार नकल, तलाशी तथा सूचना रजिस्ट्रों का रख-रखाव तथा समय अन्दर नकल जारी करना एवं तलाशी/सूचना उपलब्ध कराना।
11. भू-लेख जेड0ए0 तथा आर0डी0 फार्म की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
12. षटवार्षिक खतौनियों का संचय सुनिश्चित करना।

13. पंचवर्षीय कृषिगणना सुनिश्चित करना।

14& utkjr %&

संदर्भ पुस्तिका—
राजस्व नियम संग्रह

1. रेवेन्यू मैनुअल के प्रस्तर— 1081 से 1087 के अन्तर्गत नजारत लेखा पंजी रजिस्टर नं0-1 से 7 का रख-रखाव तथा उसमें लम्बित धनराशि का यथासमय निस्तारण करना।
2. नजारत लेखा पंजिका संख्या-1 से 7 का दैनिक सत्यापन राजस्व नियम संग्रह में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी (नजारत) द्वारा किया जाता है।
3. नाजिर लेखे के अन्तर्गत रजिस्टर नं0-4 महत्वपूर्ण रजिस्टर है। रेवेन्यू मैनुअल के प्रस्तर-121 के अन्तर्गत रजिस्टर की जांच प्रत्येक त्रैमास के अन्त में सुनिश्चित करना।

15& nbh vki nk %&

जनपद अन्तर्गत बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बादल फटना तथा भूकम्प आदि दैवी आपदाओं से निपटने के लिए जिलाधिकारी को आपदा से पूर्व तथा पश्चात की तैयारी करनी होती है, जिसके लिए जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत निम्न कार्यवाही की गयी है :-

1. पत्र संख्या-र-1999/तेरह-/06-07,दिनांक: 03-01-2007 से आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना शासन को प्रेषित की जा चुकी है। संबंधित पत्र परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
2. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है। संलग्न परिशिष्ट-4 पर है।
3. तहसील स्तरीय तथा ब्लाक स्तरीय आपदा प्रबन्ध समितियों का गठन किया गया है। संलग्न परिशिष्ट-5 से 12 पर है।
4. ग्राम सभा स्तरीय आपदा प्रबन्ध समितियों का गठन किया जा रहा है।
5. वर्षाकाल के लिए दैवी आपदा कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है, जिसका दूरभाष नम्बर 1077 एवं 05964-226326 है। प्रत्येक वर्ष 15 जून से प्रतिदिन कन्ट्रोल रूम कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाती है।

6. शासन से जनपद में एक जिला परियोजना अधिकारी, आपदा प्रबन्धन की नियुक्ति की गयी है, जो समय-समय पर तहसील, ब्लाक, नगरीय तथा ग्रामीण स्तर पर जन जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करते है।

tuin fi Fkkj kx< ea Hkfe ds I fdly jv o"kl 2014&15

uxjh; {ks= tuin fi Fkkj kx<A I ayXud&01

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर						
			कृषि भूमि (प्रति वर्गमी० / हे०)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमी० / हे०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्गमी०)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
uxj i kfydk i fj"kn fi Fkkj kx<+									
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.2	राजस्व ग्राम कुमौड़-भाटकोट, लिन्ड्यूड़ा रई, ऐंचोली नगर क्षेत्र, भदेलागूठ, पाण्डेगांव, कुजौली।	@₹3675 / 36750000	@₹4400 / 44000000	@₹10000	@₹12000	@₹14000	@₹8875	@₹ 6,000
2	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	निरड़ा, दाडिमखोला नगर क्षेत्र, बजेटी चण्डाक नगर क्षेत्र, सेरा, खड़कोट, पुनेड़ी केदार, जाखनी, विण।	@₹2100 / 21000000	@₹3300 / 33000000	@₹10000	@₹12000	@₹14000	@₹8875	@₹ 6,000
uxj i pk; r cjhukx@xakyhgkV@MhMhgkV@/kkj pwyk@epL; kjh									
3	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील बेरीनाग के राजस्व ग्राम बेरीनाग, ढनौलीपन्त, सांगड़, खितौली, बना, भटीगांव, कलुवाखान।	@₹2985 / 29850000	@₹3300 / 33000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
4	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील गंगोलीहाट के राजस्व ग्राम हाट, रावलगांव, पुनौली, लाली, खतेड़ा, कू उप्रेती नगर क्षेत्र, खेतीगड़ा, चूडियागैर, चौडियार, नौदूगा, हनेरा।	@₹2985 / 29850000	@₹3300 / 33000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500

5	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील डीडीहाट के राजस्वग्राम हाट, काण्डे, सिटोली, धनियाखान, लोहारगांव के नगरक्षेत्र।	@₹2985 / 29850000	@₹3300 / 33000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
---	-------------------------	--	----------------------	----------------------	--------	---------	---------	--------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील धारचूला का धारचूला नगर क्षेत्र।	@₹2985 / 29850000	@₹3300 / 33000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
7	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील मुनस्यारी के राजस्व ग्राम बूंगा, मल्ला घोरपट्टा, तल्ला घोरपट्टा, सरमोली, शंखधूरा, जैती।	@₹2985 / 29850000	@₹3300 / 33000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
8	2(1)(ख) (ग)(घ)1.2	नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ की समस्त नजूल भूमि।	@₹4900 / 49000000		@₹10000	@₹12000	@₹14000	@₹8875	@₹ 6,000

नोट— 0.2 हेक्टेयर (2000 वर्ग मी0) से कम कृषि भूमि के अन्तर्गत पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

v) लखनऊ; {ks= tui n fi Fkk& kx<A l ayXud&02

क्र०सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर						
			कृषि भूमि (प्रति वर्गमी० / प्रति हेक्टे०)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमी० / प्रति हेक्टे०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्गमी०)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	1. तहसील पिथौरागढ़ के राजस्व ग्राम धनौड़ा, नेड़ा, बस्ते, पण्डा, देवलालगांव, मखौलियागांव, चैसर, दौला, जौरासी, ऐंचोली का शेष भाग, दाडिमखोला, बजेटी चण्डाक का शेष भाग, मिशनचण्डाक गैठना, खूनी, सुजई, ओड़माथा, कासनी, नैनीसैनी, सल्मोड़ा, सुवाकोट, रियांसी, लेलू, मजिरकाण्डा तोक झूलाघाट।	@₹1650 / 16500000	@₹1850 / 18500000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	तहसील पिथौरागढ़ के राजस्व ग्राम सिलौली, सिलपाटा, तड़ीगांव, पुनेडीमहर, बदलानी, मैथना, किरीगांव, टकाड़ी पौण, हुडेती, पपदेव, बडोली, मड़, जीबी, ओलीगांव, सातशिलिंग, उर्ग,भड़कटिया, रुईना,ईग्यार देवी, गुरना।	@₹1200 / 12000000	@₹1350 / 13500000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500

2	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील धारचूला के राजस्व ग्राम बलुवाकोट, दूतीबगड़।	@₹1500/ 15000000	@₹1650/ 16500000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	7. तहसील बंगापानी के राजस्व ग्राम मदकोट, बंगापानी।	@₹450/ 4500000	@₹500/ 5000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
4	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील मुनस्यारी राजस्व ग्राम नाचनी, क्वीटी, तेजम, डोर, भुर्तिग,धामीफल्यांटी।	@₹450/ 4500000	@₹500/ 5000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
5	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील डीडीहाट के राजस्व ग्राम सत्यालगांव, काण्डामानसिंह, देवल।	@₹1000/ 10000000	@₹1100/ 11000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
6	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील कनालीछीना के राजस्व ग्राम सिरौली, कण्डाली।	@₹800/ 8000000	@₹900/ 90000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
7	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील देवलथल के राजस्व ग्राम लोहाकोट, भण्डारीगांव, उसैल।	@₹900/ 9000000	@₹1000/ 10000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
8	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील बेरीनाग के राजस्व ग्राम चौकोड़ी, जोग्युड़ाथल।	@₹900/ 9000000	@₹1000/ 10000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
9	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील गंगोलीहाट के राजस्व ग्राम उप्राड़ा, जीवल।	@₹900/ 9000000	@₹1000/ 10000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
10	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील गणाई के राजस्व ग्राम देवराड़ीबोरा, कूना, गणाई, बनकोट कोटली, भटीगांव।	@₹900/ 9000000	@₹1000/ 10000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500

नोट— 0.2 हेक्टेयर (2000 वर्ग मी0) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

xkeh.k {ks= tuin fi Fkk\$ kx<A l ayXud&03

क0सं0	प्रमुख	प्रमुख मार्ग /	सामान्य दर
-------	--------	----------------	------------

1	मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति वर्गमी० / प्रति हे०)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्गमी० / प्रति हे०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्गमी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्गमी०)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	तहसील पिथौरागढ़ के राजस्व ग्राम दुंडखोला, डुमना, कूचा, रावलगांव, विषाड़, पगन्ना, गड़कोट, मसपाटी, धारीधमौड़, भट्यूड़ा, बास्ते, दुंगरी, सनघर, जजुराली, पाभै, दुंगरा, सिन्तोली, बांसमैतोली, जगतड़, भूरमुनी, सनकटिया, सिन्चौड़ा, बुंडाली, नाकोट, दिगतोली, झूणी, छानापाण्डे, गुरडा, नैनीनायक, धारीगांव, नैकिनाफुलारालग्गा बकरकटिया, हल्पाटीगौड़ियागांव, रतवाली, मझेड़ा, धारापानी, छेड़ा, दूंगाभूल, धारीगाड़, विपुल, गाड़गांव मैचाली, चामा, पैकटिया, भौड़ी, लामाखेत, बीसाबजेड़, पचौरा, स्युंसी, अदाली, भूलगांव, दुंगरीजोशी, घूनसेरागांव, नाघर, मझेड़ा, खूना, पातलपोखरी, सिरड़, नैनीनयावाद, नैनीपातल, पनखोली, कुसौली, देवतपूरचौड़ा, कुसौलीनयावाद, खर्कदोली, सोड़लेख, दांगड़, धूर्चू, मड़मानले, गलात, गौछ, अखुली, गौछनयावाद, धौलकांडा, मलान, उखडीसेरी, सुवालेख, पाली, हड़ेती, बड़ेउ, नैकिनापाण्डे, स्यांला, चिटगलीया, दिगांसकठायत, खतेड़ा, रिखई, सिमलकोट, नाघर, सेरीकुम्डार, डिगरानी, मूनाकोट, किलदेउपा, गैना, बड़ालू, लांगडी,	@₹750 / 7500000	@₹825 / 8250000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		केनखोला, खतेडा, नौगांव, बडारी, बुडलगांव, कुसेरी, आरूखोली, सलमगांव, सुंसेरा, दिगरा, पूडाखेत, गिन्डागांव, कालीपोखरी, कांटेबोरागांव, मनकटिया, बिचखोली,ध्याण, क्वीतड, जिल्फोडा, सकून, सिलौनी, कूवापानी, गौडीहाट, जामिरपानी, रज्यूडा, विसखोली, कानडी, बगडतोली, मजिरकाण्डा का शेष भाग, भटेडी, गेटीगडा, जुलपाता, सिरकूच, च्यौडीगाढ़, दोली, जाखपंत, खितोली, कांटे, बेडा,सिरपोली, थरकोट, बालाकोट, रोडागांव, तोलीफगाली, स्यूनी, टाला, जाख, गोगना, सेलग्वाली, जमराडी, राडीखूटी, खडकूभल्या, उपरतोला, पुरान, मेलडुगरी, रावलगांव, खतीगांव, धामकुण्ड, मरसोलीभाट, खडकिनी, गैना, देवदार, कुर्मा,आनू, पत्थरखानी, बिलई, सौनगांव, भाटीगांव, बडाबे, तोली, धारीऐर, सल्ला, जाजरचिंगरी, हिमतड।	@ 750 / 7500000	@₹825 / 8250000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	तहसील पिथौरागढ़ के राजस्व ग्राम देवकटिया, कूजचमलिया, धारीजोशी, हिमपानी, चौमुसीरोड़िया, सरडाविषाडमध्ये, मछानीखोला, मासौं, धिघारखोला, सैनकनला, बकसिल, डुमेत, बगौर, आगर, मल्लीसीम, तल्लीसीम, झुनखोली, नैनी, जमतडी, बिचकोट, द्यूडी, बनखण्डीतिकतड, कांटे, गढान, मूलागाड, बलेत, सुपोखरा, तिमिलपाटा, कुमलता, दोलीबिरकटिया, स्वांगुली, धूराइजर, खतीगांव, सिनखोली, भांतड, चौकियालगांव, सरपटाकेलागांव, गंगासेरी, भेटासेरामहर, भेटाधानिक, हरडी, कनारी, पाभै, सेली, धौनधूरा, गाडगांव, चिराली, ढोलीखोली,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कुचलाभदवाडी, कटियानी, घुर्चूनयावाद, रोछडा, बांसधार, कुनकटिया, दोबांस, सटगल,							
		भण्डारीगांव, तिलतड, पापला, रोडी, रोडीमध्येसिमखाल, नरगोली, डुंगरीकाण्डे, खितोली, पतलगांव, कोटलीपनेरू, मडनयावाद, नगथर, वर्तियाकोट महर, वर्तियाकोट नायक, मंथला, कांडापुनेठा, बौनकोट, बनी, दुविधा, तडीगांव, जायल, जल्तूरी, ग्यांलपीपली, आगर, बसौडमेनन, कुठेडी, हल्दू, कालावन, क्वैराली, क्वीगांव, ग्यालभाट, गुरुंगतोली, चौडा, मझेडा, जमतडी, चिमतोली तल्ली, चिमतोली मल्ली, भैसदूगा, बलतडी, ढोलीखोली, ढोलीदूगा, मनकोट, सेरीकाण्डा, सुन्तरापोखरी, बमनथल, भेलौत, निसनी, सेरी बाराकोट, थली, बडखालेख, धरासीचमेला, मेल्कू, कफरकटिया, मटियाल, भल्या, चमाली, डुंगरीरावल, सेलभीडा, कुचगाड, कुजच्यूरानी, तल्लीसार, उदयबूंगा, दिगरा, बेलतडी, रौलियागांव, क्वारबन, लोदगाड, शिलिंगया, सेल, तडेमियां, पाटीपल्चौडा।	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील धारचूला के राजस्व ग्राम धारचूला देहात, कालिका, गलाती, किमखोला, दूगातोली, छारछुम।	@₹1500 / 1500000	@₹1650 / 1650000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	पैययापोडी, रांथी, जुम्मा, स्यांकुरी, खेला, गुर्गवा, जम्कू, खेत, तांकुल, पांगला, छल्माछिलासों, ज्योतिपांगू, तन्तागांवरौंतो, हिमखोला, धारपांगू, पुनलाभटका, सोसा, न्यू, सोबला, सुवा, दर।	@₹500 / 5000000	@₹850 / 8500000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	थाम, रमतोली, खुमती, सांगडी ढकढौना, लूम, गालागाड, जिप्ती, बुंगबुंग, रूंग, सिर्दाग, सिर्खा, गुमकाना,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000

		जयकोट, कुटी, गव्यांग, गुंजी, नपल्ल्यू, नावी, बूंदी, रोगकौंग, बाँगलिंग, तेजम, वतन, उमचिया, खिमलिंग, गो, चल, दांतू, दुग्तू, नागलिंग, फिलम, बालिंग, बौन, माछा, तिदांग, सीपू, सेला।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	तहसील बंगापानी के राजस्व ग्राम तोली,बरम, भेतली,लुमती,सिरतोला, टांगा, तोमिक, बाता, निरतोली, उमडाडा, गैलातल्ला, गैलामल्ला, डोल्मा, राप्ती, वल्थी,लटकोट,सेरा, खडतोली।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	कनार,जाराजिबली,फर्वेकोट,लोदी,बिन्दी, गोल्फा, बोना,खाटा,डोबरीनार्की, वैगा, साणा, पत्थरकोट, बिर्धितराली, रोपाड, मवानीदवानी, माणीधामी, मदरमा, धामीगांव,दाखिम,गर्जिया, कौलीकन्याल, गराली,शिलिंग, ढूनामानी, आलम,दारमा	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	तहसील मुनस्यारी के राजस्व ग्राम दरकोट, मल्लादुम्मर, तल्लादुम्मर, जलथ, धापा, दरती, सेविला, कैंठी, तेली, तेलकोट, डांडाबीसा, सेरासुरईधार, कव्वाधार, सुरिंग, कनलका,कोटालगांव, इमला, जोशा, भदेली,सैणरांथी, अडखेत, किमखेत, बेडूमहर, टिमटिया, देकुना, रातों, खोयम, जेर्धी, होकरा, बेल्साबगड, हुपली, गटघोरगाडी, भैंसखाल, रसियाबगड,खेतभराड, गूंठी, रिगौनिया, ला, विर्धि, गिरगांव, पैयापिनारी,गिनी, माजकोट, मगर, मडलकिया, चचना, बांसबगड, बरा, समकोट।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	लीलम, मीलम, बिल्जू, बुर्फू, पांछूगूट, गनघर, लास्पा, मर्तोली, लो, टोला, सुमतु, खिलांच, रालम, रिलकोट, पोर्टिंग, साईभाट, साईपोलू, क्वीरी, जिमिया, बुई, पातों, मापा, उगराली,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000

		फल्यांटी, सैनर, कुल्थम,डीलम, गोपालबाड़ा, दीयावल्ला, दीयापल्ला, घटधार, बसन्तकोट, उछैती, चुलकोट, छीजा, धूरातोली, धौलियाढूंगा, फापा, वादनी, बोधी, भटकूड़ा, रिंगू,जुदुक, किरखेत, खसियाबाड़ा, मत्याली, मनाचुलकार,धामीकूड़ा, चेटीचिमला, सेला, सेलाचिटाल, सेलामल्ला, सेलमाली।							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बर्नियागांव, खोली, पापड़ी,रीडा, हरकोट, मटेना, मालूपाती, मिनालगांव, लड़ीग्वार,प्यांगती, रांथी, अखौड़िया, नगरियाबाड़ा,चरखम,नमजला,चौना, मोरपट्टा,मलौनपन्द्रहपाला, कोटा, बमनगांव, सेमली, मोडम,खेता,उपदिया, रूमिडोला, बारापाटा,रौतगांव, सांगड़ी, तोली, रूमटा, गौला, जोग्यूड़ा, कोटयूड़ा, गडेरा, कापा, बोरागांव, पार्थी, नैनथल, मूर्ति, नापड़, रौड़ा, भकुण्डा, खतेड़ा, सीणी, सुपाधार, कंटी, पुरदम, भण्डारीगांव,उमली, नामिक, छर्तिएराड़ी, सिरमोला, रूईसपाटा,दाफा, ताराकोट, नाकड़ी,रांया, सिमलथड़, बजेता, खेताली, डुगरी, लोद, मल्ला भैस्कोट,खोली, कुतिमा, डांगटी,बजेली, बासाणी, चामीभैस्कोट, सुवालेख, बमनगांवखालसा, तल्लाभैस्कोट, बाथीगूल।	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील डीडिहाट के राजस्व ग्राम हाट का शेष भाग, काण्डे का शेष भाग, भनड़ा, सिटौली का शेष भाग, धनियाखान का शेष भाग, लोहारगांव का शेष भाग, धामीगांव,डनौला, अठखेत, हेल्पिया, धौलकोट, खोलियागांव,रसगाड़ी, ऊंचाकोट, बैड़ा, हिनकोट, जोग्यूड़ा, बगड़ीहाट, भेलिया,	@₹1200 / 12000000	@₹1320 / 13200000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500

		ओगला ।							
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	चुपडाखेत, रानीखेत, ननपापों, घिमाली, चौगर्खाबलगाड़ी, मल्लीभैस्यूडी, दूनाकोट, घनधूरा, बांकू, रैतोली, बोरागांव, बर्नाएरी, बायागांव, महरगाड़ी, खेतारकन्याल, खेतराभण्डारी, पमतोड़ी, लामाघर, मालाझूला, लेपार्ती, आट, तुर्गोली, साता, खीरी, फतोड़ी, दड़मालगांव, द्यौकली, धिगतड़, कुकरौली, खोलीकन्युरी, मसमोली, चलियागांव, चलमोड़ी, कुमालगांव, बलतीर, देवली, अल्मियांगांव, ओखलगांव, टोपराधार, पतेत, ग्वीरघटीगाड़, लखतीगांव, गोबराड़ी,	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		चोपड़ा, डिगोटी, तड़ीगांव, धरतोली, बिनायक, भकुण्डा, स्याल्वे, बड़ीगांव, तीतरी, चमतोली, सिलौनी, धिंगरानी, तल्लीमिर्धि, मल्लीमिर्धि, डांगटी, डोकुना, बाराकोट, मझेड़ा, पन्तगांव, नरेत, पस्मा, चौसाल, डुंगरा, नामक, कजेड़ा, अजेड़ा, जेटीगांव, अजेड़ामध्येभरपटा, जमज्यालीगांव, मझेली, खोली, सिरोली, दुर्लख, ननकूड़ी, लीमाभाट, ओझातल्ला, गणाई, ओझामल्ला, सूनाकोट, दूगालगांव ।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	पन्थाली, हुनेरा, हुम्कापीटी, कुणिया, चामा, पन्तगांव, मल्लादूगा, दुंगेती, बगजीबला, तल्ली भैस्यूडी, अटलगांव, बिचकोट, गडेरादेउपा, भडगांव, अठक्वाली, छलौड़ी, जाख द्यौलेत, लधड़ा, कासनदेव, ओड़गांव, भूमियाथल, आंकोट, बोराबूंगा, सेरासोनाली, पाराकोट, नाखोली, नालीविसराल, भालूउडियार, बसौर, कैणी, खोजा, पमस्यारी, दौलीकोली, सननखान, रजड़ेत, डुगरागाड़ा, पुनीगांव, कौलीवर्षायत, नौलियागांव, बसौर,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000

		तिलाडी, नायल, बडेत, दुगतड, जुबरा, नाली देउपा, मड, खितोलामझेडा, कण्डेरापोखरी, ढोलाघर, बरमबचकूडी,करेला, चनकोट,करौली, भूलगांव,टूनेरा, ग्वीनौली, डुंगरी,सौगांव, तडखेत, चिटगालगांव, मेलकुडा, गैराड, धमरौली, काण्डामल्ला, काण्डातल्ला, पारीसेरा, गडेराजोशी, चमोली, बत्यूली, सैण, सिमार, राकडथल, खोल्टा,घटयूडी, विजौरी, मटयूला, गदाली,टूणीखोला, चामीगर्खा चामी रौतेला, सेरा, सॉवलीसेरा, खिटकिडी, गरसोली, सिनक्वाली, बिनियामिर्धि, खड़ियानी, छब्बीसा, दारती, लेगमकाण्डा, नाकोट, झुसिया काण्डा,औलतडी, पारतडी, महतगांव, टूलागांव,बजानी,जमतड,पत्थरकोटतल्ला ,पथरौली, ताल, पत्थरकोटमल्ला,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		नाग,उडमा, बस्तडी, कूटा, सिरतोली, बाजार, जमतडी।	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000	
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील कनालीछीना के राजस्व ग्राम गुडौली, तोलीचुफात, बन्दरलीमा, सप्या, हचीला, नैनी, ल्वांठी, सुरुण, सतगड।	@₹800 / 8000000	@₹900 / 9000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500	
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	डुण्डु, चामानाडू, सांगडी तल्ली, सांगडी मल्ली, उमरी, चौकी,मलानचर्मा,सन्न, मिताडीगांव,समेती, रतोली, गुडार,पाली, बल्यानीचौरा, डुंगरी,दयोगडा, स्यूबन, बचकोट, द्ववालीसेरा, चमडुगरी, दौलानी, गाजरी, पन्तसेरा,रूनडा, न्वाली।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500	
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	बारमों, मुडावे, बथौली, ड्यौडा, रणवा, सुनखोली, लोथडा, चनोली, अमतडी, भौतडी, ढटखोला, गैडाली, लीमाटौडा, आणागांव, गैडालीचर्मा, त्याडीगांव, दौला, पातलीगांव, मितरापुरमडा,ल्वेडा,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000	

		सेठीगांव, दिगरा, हड़खोला, सिनखोला, विच्छट्टा, लमड़ा, ख्वांकोट, तोलीगांव, सितोली, महतगांव, बगना, अमकोट, अमाली, कैशाली, थली, कोटली, कनेती, मलाननाडू, काणाधार।							
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील देवलथल के राजस्व ग्राम दिगड़ा मुवानी, गोथना, नखनौली, थालगांव।	@₹1000 / 10000000	@₹1100 / 11000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	भण्डारीगांव रजवार, भैस्यूड़ी, गुबरौली, मोडी, पंगरौली, खनफर, महतगांव, सिल, धुरौली, तारागुन, भकुण्डा, बडलचमू, अगन्या, ओलीगांव, नगरौड़ा, धौनखोला, म्यौली, बाटुला, चौखा, वर्नागांव, मेलखेत, बमडौली, सौगांव, क्षत्रीगांव, कचना, बसौड़ा, पेटखोला, बोरागांव, पण्डा, मुसगांव, उड़ई, चौपता, बेडरा, ख्वांतड़ी, बजेत, कापड़ीगांव, जिनगालगांव, लमतड़ी, बनीगांव, पुखरौड़ा, रिण, बिछुल।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	मुगरौली, तोली विनायक, भद्रिका, कुसैल, खोलासन, चमूखेत, सिलककड़मन्या, सुरौली, पथरौली, हराली, मुसगल, ओलीगैर, कारीगांव, वलना, गौड़ी, खनाली, दन्तोली, मड़कौली, मौकभाड़, छिपचिया, जोशीगांव, नैनी, बसेड़ी।	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील बेरीनाग के राजस्व ग्राम रावलगांव, बेलड़ाआगर, बटगल, स्यूतीटम्टा, स्यूतीआगर, सकुनखेत, चौरी, मणिपुर, भण्डारीगांव, उडियार, बनौली, सेलीपांख, डुगरीपन्त, बोराआगर, भूल की अध्याली, क्वैराली, झलचौना, सुकल्याड़ी, उडियारी, बैठोली, काण्डे, किरौली, ऐराड़ी, जाखरावत, बरड़, हजेती, नौलड़ा, चायलबगड़, चिलकिया।	@₹1000 / 10000000	@₹1100 / 11000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500

	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	कुमल्टा, किमकोट, बटलागांव, रौलेड़ा, कोटेश्वर, बुजियाडभण्डारी, कलेत, सिमलखेत, जोग्यूडाकेदार, मालान, पिपली, रायगड़स्यारी, जोग्यूडानरसिंह, नगौर, आमहाट, बसेत, मोराड़ी, जसौली, हाटभण्डार, जमेड़ा, खोलागांड, दौलाउप्रेती, सिलकोट, सिलाखेत, खनतड़ी, सिगौली, जालड़ी, अगड़ियागाडा चौखुना, घटेत, टेनेरा, चचरेत, ढोलकुड़ा, हवलेत, कनेड़ा, गडेराबिष्ट, बुडेरा, दिगतोली, सालीखेत, माणीखेत, पिनारी, बनोली, मैतोली, चनकाना, सकुनकाण्डे, खेतीजरौली, गड़तीरलग्गा विरतोला, सुन्यूडा, बाफिला, घांघली, खनात, गड़तिर, सिरतोला, भूवनेश्वर, पथराड़ी, पोस्ताला, पौसा, ब्याती, अनोली, टाटापटौली, सेली, रीठा, रैंतोली, ग्वीरपन्त, तमोलीग्वीर, असुर, कालासीला, धौलकटिया, बगडोली, पीपलीपुनागांव, कमदीना, बडेतबाफिला, वर्षायत, दडमेत, किरमोलिया, थर्प, जाजरखितौली, ल्वांतड, जाजरमाफी, रुईनाथल, डांगीगांव, हड़ड़ी।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बलकोटपाण्डे, पड़ियात, हतवालगांव, माझीखेत, बलगड़ी, पुरानाथल, जगथली, रिठायत, सालाखेत, लेजम, आमथल, पांखूसैरा, ओड़्यूडा, डाडल, दन्तोला, तुसरेड़ा, दशौली, डौणू, बडेतसानीगांव, बटरौली, सैनर, कोटगाड़ी, गेल्थी, जाबुका, मसूरिया, टानाइचलेत, टानाबैरात, सिगल्टी, गड़स्यारी, संगौड़, मेरला, हलियाडोब, करालामहर, करालापाठक, स्योली, नागिलागांव, लोहाथल, गोल।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख)	मन्तोली, बाघोली, नैनी, रोटन, मनगढ़,	@₹ 90 /	@₹100 /	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000

	(ग)(घ)1	नौतस, झूलतडबेंडूखेत, पहरगूँठ, सेरा, चामा, भट्टी ईजर, सेलादुतखोला, बोरासांगड, बयां, सैनीखेत, बिरतोला, सानीखेत, भूनीगांव, भनेलागांव, पुंगरखोली, पुड़ियाग, बोराखेत, लिंगूरानी, रावलखेत, गोठालगांव, गनौरा, नानीशीतला, मकारगांव, दौलावलिया, पनौली, इकलुवागाड़ा, काहकोट, खेती, गुरैना, धारी, पभ्या, गुरसूटी, गुरेनारजवार, मायल, पिल्खी, बसेत, कप्तोला, पटियालीगांव, कुटीर, हडियात नाघर, उपराडापाठक, मनौलीदबौली, गोलागांव, जाजरसिरतोली, जैखेतसुरालगांव, कमडोलीमाफी, गंगोरा, पिपलतड, छाना, झालडा, बेलकोट भण्डारी, उखेडा, टांगा, अमतड, लिखतड, पनौली, बरतुंगासिरतोली, भूल्यूडापनौली, मुसौलापुनौली, सिमतोला, बडेतचौनाला, कालेटी, मनेतलग्गाकालेटी, गुरबुरानीदशौनी, गुरबुरानीउपाध्याय, काणाखेत, जाखलग्गाडुडरिया, डुंगरी लग्गा जगथली, लालूका, टुनखोला, नायलसपनौली, साहगराऊ, गराऊ, छलौडी, डुंगरीलग्गा बयां, गडेरापन्त, खितोली, भनारकोट, चामीखेत, कौलीसौकियाथल, अस्याली, कसाडी, बल्याऊ, उखड़ानी,	900000	1000000						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		उपीसिरतोली, मुडौली, डुंगरी, लछिमा, हिपा, सिल्दों, भैसियाउडियार, सेलावन, बमरेतभकुण्डा, ठठौली, बैरीगांव, कफल्टाविरग्वाली, ग्वीर, चौसाला, लेग, प्यारा, बौगाड, बन्तोली, नायल, बसेत, खन्डार, बोकलकटिया, मखौली, ननेत, हिरमोली, खोलागांव, कूडी, बाटलाबरौला, पूठागांव, द्वालीखोली,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000	

		जाजरगूँठ, पपस्यारी, तोराथल, भटीगांव, मड़करौंगा, जजौली, दड़मोली सुनेती, नायलसपोली, जलाती, भुरौला, गंगोली।							
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील गणाई के राजस्व ग्राम सेराउर्फबड़ोली,भनौलीगूँठ,बड़ोलीसेरा, सिमलता, घोड़ासील, फालरों, कुनबे, जखेड़ाचकडोडियाधार, खरचौड़ा, जखेड़ी, पटान, बांस, बैसाली, भिनगड़ी, रैतोली, सिमसिमानी, गांवखेत, खैरोली।	@₹800 / 8000000	@₹900 / 9000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	टुपरौली, चिमरी, ढिगारखोली, कलौनगूँठ, टुपकुड़ी, देवराड़ीपन्त, बड़यूड़ा, बासीखेत, दाणू, रूगड़ी, पलतोड़ी, जातड़ी, सिरौली, बटगेरी, सिरसोली, दुनई, स्यूनाड़ी, रोट, नैकाणा, ज्वांटा, नरूवाघोल, ढिगालगांव, ढिगालगांवलग्गा किरौला, भुनेड़ा, सिमाली, भाटगड़ा, लाखतोली, मल्लीगवाड़ी,तल्लीगवाड़ी,कुनलता, भयूं, कुनलताचकसैतोला,कोलूभैर, नाघर, डसीलाखेत,नैनोली, नाकोट,पील्खी, ग्वासीकोट, चौना, ठठौली।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	जांटा, सोनीलग्गानैकाणांसोनी, बासीखेतलग्गाढनौलीसेरा,ढनौलीसेरा चक, सीमाचकलेटी, बाजड़, धारीधूमलाकोट,खुरियागांव, भानमती,जमतोला, जमतोलालग्गाजाख, जमतोलालग्गाताल, मटियाल, भरकोट, चौकीगूँठ, भेतकुड़ी,सिलकोट, नेनवालगांव, कांकड़ा, चौनापातल, ज्यूलियाखेत,नैली, पभ्या, फटियाली, कंधारी, नायलगगूँठ, खटाली, चमतोला, ओलियांगाव, उढोली, जखेड़ाभजना,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		पासदेव, धारीधुमका, सिंगरौली,पोखरी, गौल, भन्याडी, सनरखोला, भरद्वारी, गौण, गुनाकिटान, धपना, चापड़, पुलई, बज्यूड़ा, मकढोट, सैलोनी,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000

		काल्वेफारसोला, भैंसात, खडकी, सारतोला, नैनी, अनोली, गोबरगडा, ग्वाल, खितोली, रतगडीया, सिराडी, दोतरी, विरौली, बुज्याड, चौड़ा।							
1	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.3	तहसील गंगोलीहाट के राजस्व ग्राम जोग्यूडा, भण्डारीगांव, कफलाडी, फुटसील, रावलगांव मध्येपुराना डाक बंगला, बालाकूचा, रणकोट, कोठेरा, कू उप्रेती का शेष भाग, भण्डारीगांव, खेतीगांव, जरमालगांव, बोकटा, उपनामाफी, काण्डा, बटकातोली, भूलीगांव, डूनी, दुबौलाविरतोला, टिम्टाचमडुगरा, नाली।	@₹800 / 8000000	@₹900 / 9000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
	2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1.4	चितगल, पाली, अग्रौन, पोखरी, मल्लागर्खा, सौनकीहाट, सौनगांव, बाँयल, चौली, लेचुरालजोशी, सकार, खुलेत, कोटलीलम्गाविरगोली, बिरगोली, ब्यालकटिया, बहिलकोट, हटवालबाँयल, जजूट, पिपलेत, खरिक, टकौली, नाग, जजौली, सुरखाल, किमटा, डोबालखेत, भाटगांव, तल्लीबसैं, मल्लीबसैं, नैनोलीकैणा, सुगडी, सिबना, गानुरा, धराडी, बनेलागांव, सुरखाल पाठक, सुरखालसुगडा, सुनखोला, डम्डे, बुरसुमबाडी, कालतिर, खैलाडी, चहज, ड्यूलहाडाकोट, पिपलीनिगलटी, चौडधुरौली, खरकोली, अस्कोडा, तुलखण्ड, रौतेडा, खतीगांव, बडेना, बुंगली, बडेनाकुण्ड, प्यांतोली, झलतोला, बानडी, चाखबोरा, रीठायत, नौखुना, इटाना, ज्वाल, कन्डाराछीना, सुन्यूडा, ल्वेशर, आगर, खेतीगांव, मातोली, पोथनाधरगडा।	@₹300 / 3000000	@₹330 / 3300000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2(1)(क)(ख) (ग)(घ)1	गुलागांव, सिमतोला, जत्युड़ी, सिनगाड़ी, आंवला तल्ला मल्ला सुगरनौला, बोयल,सुवाल, चनियागांव, हतियामतिया, सौली, नथनियां, घाजरी, घटपाथर, नरगवाड़ी, गराली, चहाली,सालीखेत, आमटाना,हरडिया, जमड़कोट, मणकोट, गोठानी, सुनौली, मखौलीसूजीविसौदी, तुनाड़सूजीविसौदी, तनाड़बगड़, काणीखेत, बालातड़ी, ल्वेचट्टासौण, ल्वेचट्टाभगड़ाखेत, हनेरालगगारोल, कपतड़, पन्तखेत, देवतुंग, भुनार, कमद, हितरौ, राकड़, सुतारगांव, सिरौली, गड़तिर, कसेड़ी, बघर, गोपिल, घट्यूड़ी, भामा, जाखनीउप्रेती, जराजाखनी, दन्तोली, मड़कनाली, बलीगांव, चौधारी, रँगल, दयोराला, सेरागड़ा, मटेला, कुन्तोला, बेशौली, डोडरी, निशीगांव, गुलाई,बेलुरी, सुसाण, झड़कोठेरा, सिमलकोट, जागरी, रौलियागांव, क्वीनाड़, तैनखोला, रैतोला, चमलेख, सुरखाल साहू, ओलीगांव, खेत, टुडिल, पाभैं, सन्, कनारागूठ, डाडाघर, कलियापातल, लिंग,जड़तोला, रस्यून, सिनौलीभमल्टा, नानी, पालीपल्याल, सरकाण्डे,गोदीगाड़,कोटकनौरा, घांघल, सुकना, गोल्थी, दुनखोली, धरमोली, जमणलेख, शालाबोटी, टण्डाचौड़ी, दुगईकन्युरी, जाखनी, बरियूड़ा, बौड़ीस्टवै, मनखोला, बुसैल,	@₹ 90 / 900000	@₹100 / 1000000	@₹8000	@₹10000	@₹12000	@₹7000	@₹ 3,000
-----------------------	---	-------------------	--------------------	--------	---------	---------	--------	----------

नोट— 0.2 हेक्टेयर (2000 वर्ग मी0) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

I ayXud&06

' kkl ukns' k I a [; k&289@2014@xxxvii/9%@LVKEi &80@2009 fnukæd 28-10-2014 ds fclnq 2¼1½d df" k Hkfe dk eW ; kædu fd ; s tkus I ECU/kh ekudA

Ø-I a	Js kh dk fooj .k	nj
1	यदि कृषि भूमि 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	कृषि भूमि के प्रतिवर्ग मी०/हे० की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्य निर्धारित किया जायेगा।
2	कृषि भूमि 15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	कृषि भूमि के प्रतिवर्ग मी०/हे० की दर में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्य निर्धारित किया जायेगा।
3	कृषि भूमि 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	कृषि भूमि के प्रतिवर्ग मी०/हे० की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्य निर्धारित किया जायेगा।
4	कृषि भूमि 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	कृषि भूमि के प्रतिवर्ग मी०/हे० की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

fclnq 2¼1½[k vdf" k Hkfe dk eW ; kædu fd ; s tkus I ECU/kh ekudA

Ø-I a	Js kh dk fooj .k	nj
1	यदि अकृषि भूमि 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	अकृषि भूमि के प्रतिवर्ग मी०/हे० की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्य निर्धारित किया जायेगा।
2	अकृषि भूमि 15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	अकृषि भूमि के प्रतिवर्ग मी०/हे० की दर में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्य निर्धारित किया जायेगा।
3	अकृषि भूमि 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	अकृषि भूमि के प्रतिवर्ग मी०/हे० की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्य निर्धारित किया जायेगा।
4	अकृषि भूमि 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	अकृषि भूमि के प्रतिवर्ग मी०/हे० की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

fcUnq 2¼1½x cgpeft yk vkokl h; Hkou ea fLFkr vkokl h; ¶yV ds eW; k&du fd; s tkus I Ecu/kh ekudA

Ø-1 a	Jskh dk fooj .k	nj
2.1	बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है	बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर) मूल्य (सामान्य दर में) 5 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन निर्धारित किया जायेगा।
2.2	बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है	बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर) मूल्य (सामान्य दर में) 4 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन निर्धारित किया जायेगा।
2.3	बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है	बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर) मूल्य (सामान्य दर में) प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन निर्धारित किया जायेगा।
2.4	बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर) मूल्य (सामान्य दर में) 2 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन निर्धारित किया जायेगा।

fVli .kh&बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी, सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित होगा।

fcUnq 2¼1½?k okf .kft; d Hkou ea fLFkr i fr" Bku dk eW; k&du fd; s tkus I Ecu/kh ekudA

- वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित किया जायेगा।
- दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हेतु निर्धारित मानी जायेगी।

Ø-l a	Js kh dk fooj .k	nj
2.1	यदि दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मी० या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है	दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर (सामान्य दर में) मूल्यांकन का निर्धारण किया जायेगा।
2.2	दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है	दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर (सामान्य दर में) मूल्यांकन का निर्धारण किया जायेगा।
2.3	दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है	दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर (सामान्य दर में) मूल्यांकन का निर्धारण किया जायेगा।
2.4	दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है	दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर (सामान्य दर में) मूल्यांकन का निर्धारण किया जायेगा।

3. भू तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों अथवा कार्नर पर स्थित है तो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में आनुपातिक रूप से प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
4. दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं। दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट या प्रथम तल में होने की दशा में, द्वितीय तल व तृतीय तल में स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थित होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भू तल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
5. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं, निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा।
- परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि को प्रभावी दरों से कम नहीं होगी।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

I p u k d k v f / k d k j v f / k f u ; e]
2005

e s u q v y I a [; k & 5

1/4 v i u s } k j k ; k v i u s f u ; æ . k k / k h u / k k f j r ; k v i u s
d e p k f j ; k a } k j k v i u s d R ; k a d s f u o z u d s f y ,
i z ; k x f d , x ; s f u ; e] f o f u ; e] v u q s ' k] f u n f ' k d k
v k j v f H k y s [k A

f t y k d k ; k z y ;] f i F k k j k x < A

परिशिष्ट-1

विभाग का नाम-

राजस्व

विभागाध्यक्ष का नाम-

मुख्य राजस्व आयुक्त देहरादून।

क्र. सं.	विभाग	अधिनियम का नाम एवं प्रख्यापन वर्ष	नियमावली प्रख्यापित		प्रख्यापित नियमावली के अन्तर्गत प्रारूप निर्धारण	
			है	नहीं	है	नहीं
01	jktLo	1. Revenue Recovery (U. P. Amendment) Act, 1965. 2. Land Acquisition (U. P. Amendment) Act 1954. 3. Government Grants (U. P. Amendment) Act, 1960. 4. U.P Land Revenue Act 1901. 5. Bundelkhand Encumbered Estates Act,1903. 6. Oudh Settled Estates Act,1917. 7. Usurious Loans Act, 1918. 8. Usurious Loans U.P (Amendment) Act, 1934. 9. U.P.Town Improvement Act (so far as land acquisition is concerned) 1919. 10. U.P Estat Act, 1920. 11. U.P.Board Of Revenue Act, 1922 12. U.P.Agriculturist Relief Act, 1934 13. U. P. Encumbred Estates Act, 1934. 14. U.P. Tenancy Act, 1939. 15. U.P Debts Redemption Act,1940. 16. U.P Regulation of Agricultural Credit Act, 1940. 17. The Kumaun Nayabad and Waste Land	है		है	

	<p>Act,1948.</p> <p>18. Village Abadi Act, 1949.</p> <p>19. U.P. Acquisition of Property (Flood Relief) Act, 1949.</p> <p>20. U.P. Land Acquisition (Rehabilitation Of Refugees) Act, 1948.</p> <p>21. U.P. Zamindari Abolition & Land Reforms Act, 1950.</p> <p>22. Dudi- Rebertsganj (District Mirzapur) Agriculturist Relief Act, 1951.</p> <p>23. U.P Flood (Emergency) Powers (Requisition and Evacuation) Act, 1951.</p> <p>24. Jaunsar- Bawar Security Of Tenures And Land Records Act, 1952.</p> <p>25. U.P. Commutation Of Rents (Regularization Of Proceedings) Act ,1952.</p> <p>26. U.P. Land Tenures (Regularization of Transfer) Act, 1952.</p> <p>27. U.P. Zamindar's Dabt Reduction Act ,1952.</p> <p>28. U.P. Bhoodan Yagna Act, 1952.</p> <p>29. U.P.Board Of Revenue (Declaration Of Procedures And Validation) Act, 1953</p> <p>30. U.P. Consolidation Of Holdings Act1953</p> <p>31. U.P. Land Eviction And Rent (Recovery) Act 1953</p> <p>32. The Kumaun Agricultural Lands (Miscellaneous) Provisions Act 1954</p> <p>33. U.P. Urban Areas Zamindari Abolition And Land Reforms Act 1956</p> <p>34. Jaunsar- Bawar Zamindari Abolition And Land Reforms Act, 1956</p> <p>35. U.P.House Sites Flood Affected Areas (Temporary Powers) Act 1957</p> <p>36. U.P. Government Estates Thekadari Abolition Act 1958</p> <p>37. Kumaun & Uttarakhand Zamindari Abolition And Land Reforms Act, 1960</p> <p>38. U.P.Imposition Of ceiling On Land Holdings Act,1960</p> <p>39. U.P.Malgujari tatha Lagan Par Apatik Adhibhr Adhinyam 1962.</p> <p>40. U.P. (Nagar Kshetra) Bhumi tatha Bhawan Kar Adhinyam [U.P.(Urban Area) Land & Building Tax Act] 1962</p> <p>41. U.P.Vrihat Jot Kar Adhinyam (Large Land Holding Tax) Act,1963</p> <p>42. U.P.Land Laws Amendment Act,1965</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>43. U.P.Public Moneys (Recovery of Dues) Act,1965.</p> <p>44. Benaras Family Domains Act,1904.</p> <p>45. U.P.Bhoodan Yagna Act,1953.</p> <p>46. U.P.Board of Revenue (Regulation of Procedure) Act,1966.</p> <p>47. U.P.Charitable Endowments (Extension of Powers) ACT,1950.</p> <p>48. U.P.Evacuee Interest (Separation) Supplementary Act, 1963.</p> <p>49. U.P.Evacuee Interest (Separation) Supplementary Act,1961.</p> <p>50. United Provinces Famine Relief Fund Act,1936.</p> <p>51. U.P.Government Estates Thekedari Abolition Act,1958.</p> <p>52. U.P.Government Estates Thekedari Abolition (Re-enactment and Validation) Act,1970.</p> <p>53. Jaunsar-Bawar Pargana (District Dehradun) Revenue Officials (Special Powers) Act,1958.</p> <p>54. U.P.Lands Reforms (Supplementary) Act,1952.</p> <p>55. U.P.Lands Reforms (Evacuee Land) Act,1957.</p> <p>56. U.P.Land Revenue (Tehri Garhwal Amendment) Act,1956.</p> <p>57. U.P.Land Tenures (Regulation of Transfers)(Re-enactment and Validation) Act,1972.</p> <p>58. Rampur Thekedari and Pattedari Abolition Act,1954.</p> <p>59. U.P.Recovery of Government Dues(Acquired Estates and Determined Leases) Act,1960.</p> <p>60. U.P.Regulation of Money Landing Act,1976.</p> <p>61. U.P.Land Development Tax Act,1972.</p> <p>62. United Provinces Regulation of Agricultural Credit Act,1940.</p> <p>63. Tehri Garhwal Revenue Officals (Special Power) Act,1956.</p> <p>64. United Provinces Village Abadi Act,1948.</p> <p>Department: - Revenue - CODE</p> <p>1. Famine Relief Code, 1953</p> <p>Department: - Revenue - HAND BOOK</p> <p>1. Hand Book On Land Acquisition 1957.</p> <p>2. Hand Book Revenue And Criminal Courts</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>1954</p> <p>Department: - Revenue - MANUALS</p> <p>1- U.P. Land Records Manual 1972</p> <p>2- Manual Of Orders Of The Revenue Department (Revenue Manual) 1989</p> <p>3- Manual Of Land Tenures Of The Kumaun Division (Stowell's Manual) 1907</p> <p>4- Settlement Manual,1944</p> <p>5- Manual For The Revision Of Maps And Records 1952 (Revised Edition)</p> <p>6- Revenue Court Manual 1950</p> <p>7- U.P. Gaon Samaj Manual 1953</p> <p>Department : - Revenue - RULES</p> <p>1- Consolidation of Holdings Manual & Rules.</p> <p>2- U.P. Taqavi Rules 1942</p> <p>3- Guide To Taqavi Law & Rules 1942</p> <p>4- Rules and Orders Relating To Kumaun Division 1938</p> <p>5- U.P. Zamindari Abolition And Land Reforms Rules 1952</p> <p>6- Rules For The Revision Of Maps And Records For The Kumaun Division 1956</p> <p>7- The Uttarakhand Kumaun Land Revenue Settlement Rules 1960</p> <p>8- U.P. Bhoodan Yagana Rules 1953</p> <p>9- The Requisitioning and Acquisition Of Immovable Property Rules 1953</p> <p>10- U.P. Revenue Record Rules 1966</p> <p>11- U.P. Vrihat Jot Kar Niymavali 1963</p> <p>12- Rules For Collection Of Canal Dues (Chapter XI Of Revenue Manual) 1989</p> <p>13- U.P. Revenue Service Rules</p> <p>उक्त विभागीय दायित्वों के अलावा राजस्व विभाग को प्रशासकीय दायित्वों के निर्वहन के लिए निम्नांकित को भी उपयोग में लाया जाता है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Advocates Act,1961 2. Antiquities and Art Treasures Act, 1972. 3. Arms Act, 1959 (with Asdrms Rules-1962) 4. Bonded Labour System (Abolition Act) 1976. 5. Contonment Act, 1924 6. Cattle Trspass Act, 1871 7. Cencus Act, 1948 8. Cinematography Act, 1952 9. Citizenship Act, 1955 and Rules 1956 10. Civil Procedure Code, 1908 11. Criminal Procedure Code 1973 12. Vommision of Inquiry Act,1952 				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>13. Commision of Sati (Prevention) Act, 1957</p> <p>14. Contempt of Courts Act , 1971</p> <p>15. Cotten Ginig and Pressing Factory Act, 1925</p> <p>16. Custom Act 1962</p> <p>17. Dramatic Performance Act ,1876</p> <p>18. Drug and Magic Remdies (Objectionable Advertisement) Act, 1954</p> <p>19. Drugs (Control) Act, 1950</p> <p>20. Employment Exchanges (Compulsary Notification of Vacancies) Rules 1960 with reference to the Employment Exchanges (Compulsary Notification of Vacancies) Act,1959.</p> <p>21. Epedemic Diseases Act, 1897.</p> <p>22. Essential Commodites Act, 1955</p> <p>23. Essential Service Maintainence Act, 1981</p> <p>24. Explosives Rules,1983</p> <p>25. Factories Act,1948</p> <p>26. Foreigners Act,1946</p> <p>27. Gas Cylinders Rules,1981</p> <p>28. Gold (Conrol Act)1968</p> <p>29. Guirdians And Wards Act,1980</p> <p>30. Identification of Prisoners Act,1920</p> <p>31. Immoral Traffic (Prevention) Act,1956</p> <p>32. Goonda ACT 1973</p> <p>33. Financial Hand Book Vol. I to V</p>				
--	--	--	--	--	--

Department : - Revenue - ACTS

1. Revenue Recovery (U. P. Amendment) Act, 1965.
2. Land Acquisition (U. P. Amendment) Act 1954.
3. Government Grants (U. P. Amendment) Act, 1960.
4. U.P Land Revenue Act 1901.
5. Bundelkhand Encumbered Estates Act,1903.

6. Oudh Settled Estates Act,1917.
7. Usurious Loans Act, 1918.
8. Usurious Loans U.P (Amendment) Act, 1934.
9. U.P.Town Improvement Act (so far as land acquisition is concerned) 1919.
10. U.P Estat Act, 1920.
11. U.P.Board Of Revenue Act, 1922
12. U.P.Agriculturist Relief Act, 1934
13. U. P. Encumbred Estates Act, 1934.
14. U.P. Tenancy Act, 1939.
15. U.P Debts Redemption Act,1940.
16. U.P Regulation of Agricultural Credit Act, 1940.
17. The Kumaun Nayabad and Waste Land Act,1948.
18. Village Abadi Act, 1949.
19. U.P. Acquisition of Property (Flood Relief) Act, 1949.
20. U.P. Land Acquisition (Rehabilitation Of Refugees) Act, 1948.
21. U.P. Zamindari Abolition & Land Reforms Act, 1950.
22. Dudi- Rebertsganj (District Mirzapur) Agriculturist Relief Act, 1951.
23. U.P Flood (Emergency) Powers (Requisition and Evacuation) Act, 1951.
24. Jaunsar- Bawar Security Of Tenures And Land Records Act, 1952.
25. U.P. Commutation Of Rents (Regularization Of Proceedings) Act ,1952.
26. U.P. Land Tenures (Regularization of Transfer) Act, 1952.
27. U.P. Zamindar's Dabt Reduction Act ,1952.
28. U.P. Bhoodan Yagna Act, 1952.
29. U.P.Board Of Revenue (Declaration Of Procedures And Validation) Act, 1953
30. U.P. Consolidation Of Holdings Act1953
31. U.P. Land Eviction And Rent (Recovery) Act 1953
32. The Kumaun Agricultural Lands (Miscellaneous) Provisions Act 1954
33. U.P. Urban Areas Zamindari Abolition And Land Reforms Act 1956
34. Jaunsar- Bawar Zamindari Abolition And Land Reforms Act, 1956
35. U.P.House Sites Flood Affected Areas (Temporary Powers) Act 1957
36. U.P. Government Estates Thekadari Abolition Act 1958
37. Kumaun & Uttarakhand Zamindari Abolition And Land Reforms Act, 1960
38. U.P.Imposition Of ceiling On Land Holdings Act,1960
39. U.P.Malgujari tatha Lagan Par Apatik Adhibhr Adhiniyam 1962.
40. U.P. (Nagar Kshetra) Bhumi tatha Bhawan Kar Adhiniyam [U.P.(Urban Area) Land & Building Tax Act] 1962
41. U.P.Vrihat Jot Kar Adhiniyam (Large Land Holding Tax) Act,1963
65. U.P.Land Laws Amendment Act,1965
66. U.P.Public Moneys (Recovery of Dues) Act,1965.
67. Benaras Family Domains Act,1904.
68. U.P.Bhoodan Yagna Act,1953.
69. U.P.Board of Revenue (Regulation of Procedure) Act,1966.
70. U.P.Charitable Endowments (Extension of Powers) ACt,1950.
71. U.P.Evacuee Interest (Separation) Supplementary Act, 1963.
72. U.P.Evacuee Interest (Separation) Supplementary Act,1961.
73. United Provinces Famine Relief Fund Act,1936.
74. U.P.Government Estates Thekedari Abolition Act,1958.
75. U.P.Government Estates Thekedari Abolition (Re-enactment and Validation) Act,1970.
76. Jaunsar-Bawar Pargana (District Dehradun) Revenue Officials (Special Powers) Act,1958.
77. U.P.Lands Reforms (Supplementary) Act,1952.
78. U.P.Lands Reforms (Evacuee Land) Act,1957.

79. U.P.Land Revenue (Tehri Garhwal Amendment) Act,1956.
80. U.P.Land Tenures (Regulation of Transfers)(Re-enactment and Validation) Act,1972.
81. Rampur Thekedari and Pattedari Abolition Act,1954.
82. U.P.Recovery of Government Dues(Acquired Estates and Determined Leases) Act,1960.
83. U.P.Regulation of Money Landing Act,1976.
84. U.P.Land Development Tax Act,1972.
85. United Provinces Regulation of Agricultural Credit Act,1940.
86. Tehri Garhwal Revenue Officials (Special Power) Act,1956.
87. United Provinces Village Abadi Act,1948.

Department: - Revenue - CODE

1. Famine Relief Code, 1953

Department: - Revenue - HAND BOOK

1. Hand Book On Land Acquisition 1957.
2. Hand Book Revenue And Criminal Courts 1954

Department: - Revenue - MANUALS

- 1- U.P. Land Records Manual 1972
- 2- Manual Of Orders Of The Revenue Department (Revenue Manual) 1989
- 3- Manual Of Land Tenures Of The Kumaun Division (Stowell's Manual) 1907
- 4- Settlement Manual,1944
- 5- Manual For The Revision Of Maps And Records 1952 (Revised Edition)
- 6- Revenue Court Manual 1950
- 7- U.P. Gaon Samaj Manual 1953

Department : - Revenue - RULES

- 1- Consolidation of Holdings Manual & Rules.
- 2- U.P. Taqavi Rules 1942
- 3- Guide To Taqavi Law & Rules 1942
- 4- Rules and Orders Relating To Kumaun Division 1938
- 5- U.P. Zamindari Abolition And Land Reforms Rules 1952
- 6- Rules For The Revision Of Maps And Records For The Kumaun Division 1956
- 7- The Uttarakhand Kumaun Land Revenue Settlement Rules 1960
- 8- U.P. Bhoodan Yagana Rules 1953
- 9- The Requisitioning and Acquisition Of Immovable Property Rules 1953
- 10- U.P. Revenue Record Rules 1966
- 11- U.P. Vrihat Jot Kar Niymavali 1963
- 12- Rules For Collection Of Canal Dues (Chapter XI Of Revenue Manual) 1989
- 13- U.P. Revenue Service Rules

उक्त विभागीय दायित्वों के अलावा राजस्व विभाग को प्रशासकीय दायित्वों के निवर्हन के लिए निम्नांकित को भी उपयोग में लाया जाता है:-

1. Advocates Act,1961
2. Antiquities and Art Treasures Act, 1972.
3. Arms Act, 1959 (with Asdrms Rules-1962)
4. Bonded Labour System (Abolition Act) 1976.
5. Contonment Act, 1924
6. Cattle Trspass Act, 1871
7. Cencus Act, 1948
8. Cinematography Act, 1952
9. Citizenship Act, 1955 and Rules 1956
10. Civil Procedure Code, 1908
11. Criminal Procedure Code 1973
12. Vommision of Inquiry Act,1952
13. Commision of Sati (Prevention) Act, 1957
14. Contempt of Courts Act , 1971
15. Cotten Ginig and Pressing Factory Act, 1925
16. Custom Act 1962
17. Dramatic Performance Act ,1876
18. Drug and Magic Remdies (Objectionable Advertisement) Act, 1954
19. Drugs (Control) Act, 1950
20. Employment Exchanges (Compulsary Notification of Vacancies) Rules 1960 with reference to the Employment Exchanges (Compulsary Notification of Vacancies) Act,1959.
21. Epedemic Diseases Act, 1897.
22. Essential Commodites Act, 1955
23. Essential Service Maintainence Act, 1981
24. Explosives Rules,1983
25. Factories Act,1948
26. Foreigners Act,1946
27. Gas Cylinders Rules,1981
28. Gold (Conrol Act)1968
29. Guirdians And Wards Act,1980
30. Identification of Prisoners Act,1920
31. Immoral Traffic (Prevention) Act,1956
32. Goonda ACT 1973
33. Financial Hand Book Vol. I to V

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ।

उपरोक्तानुसार उल्लिखित समस्त अधिनियम, कोड, हेण्डबुक, मैनुअल तथा नियमावलियां पुस्तिकाओं के रूप में कार्यालय पुस्तकालय में पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है

/C/h

शासनादेश/परिषदादेश, जो इस विभाग को प्राप्त हुए हैं, के अनुक्रम में अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। शासनादेश/ परिषदादेशों का विवरण निम्नवत् है –

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़ ।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

संख्या र- 7065 / पन्द्रह-रा0स0 / 2009-10 दिनांक जुलाई , 2010

fc'k; & mRrjk[k.M jkT; ea iCRr l eLr vf/kfu; eka ds fdz; kUo; uds vUrXr
i ft d kvka rFkk vfHkys[kka ds ik: i ka dk fu/kkZ .k] mudk iz[; ki u rFkk
muds fu; eka ea gh l ekos ku vfkok LorU= : i l s ik: i ka dk fu/kkZ .ka
&&&&

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4219/मु0रा0अ0-सू0अ0/2010 दिनांक 08
जुलाई 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संदर्भ में जनपद पिथौरागढ़ के राजस्व विभाग से सम्बन्धित सूचना
परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि.

भवदीय

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e]
 2005

eşuy I a[; k& 06

, s nLrkostka dş tks ml ds }kjk /kkfjr ; k ml ds
fu; a.kk/khu gş i 0xkş dk fooj.kA

ft yk dk; kşy;] fi Fkkş kx<A

esuy l a ; k& 06

, s nLrkostka dš tks ml ds }kj k /kkfj r ; k ml ds fu; æ. kk/khu
gš i oxkš dk foj .kA

I v̄puk dk vf/kdkj vf/kfu; e]
2005

eṣṣṣy I a[; k& 07

fdI h 0; oLFkk dh fof' kf"V; ka tks ml dh uhfr dh
I ḡpuk ; k ml ds dk; kṽo; u ds I cak ea turk ds
I nL; ka I s i jke'kz ds fy, ; k muds }kjk vH; kosnu
ds fy, fo | eku gA

ftyk dk; kzy;] fi Fkkj kx<A

esuy l a ; k& 07

fdl h 0; oLFkk dh fof'kf"V; ka tks ml dh uhfr dh l j puk
 ; k ml ds dk; kll; u ds l cak ea turk ds l nL; ka l s
 i jke'kz ds fy, ; k muds }kjk vH; konu ds fy, fo|eku
 gA

I wuk dk vf/kdkj vf/kfu; e]
2005

ešuy I a[; k& 08

, s ckMkš i fj "knkš I fefr; ka vkš vU; fudk; ka ds
fooj.k ftuea nks ; k vf/kd 0; fDr gš ftudk ml ds
Hkkx: i ; k bl ckjs ea I ykg nus ds iz; kstu ds fy,
xBu fd; k x; k gš fd D; k mu ckMkš i fj "knkš
I fefr; ka vkš vU; fudk; ka dh cBda turk ds fy,
[kyh gkxh ; k cBda ds dk; bRr rd turk dh
i gop gkxhA

ftyk dk; kzy;] fi Fkkš kx<A

eşuqy I a[; k& 08

, d s cksMkđ ij "knkđ I fefr; ka vkş vU; fudk; ka ds
fooj.k ftuea nks ;k vf/kd 0; fDr gş ftudk ml ds
Hkkx: i ;k bl ckjs ea l ykg nus ds iz; kstu ds fy, xBu
fd; k x; k gS fd D; k mu cksMkđ ij "knkđ I fefr; ka vkş
vU; fudk; ka dh cBda turk ds fy, [kyh gkxh ;k cBdka
ds dk; bRr rd turk dh igp gkxhA

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e]
2005

eşuqy I a[; k& 09

¼vf/kdkfj; ka , oa deþpkfj; ka dh funf' kdk½

ft yk dk; kzy;] fi Fkkş kx < A

राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वर्तमान पते तथा

दूरभाष नम्बर कार्यालय में उपलब्ध है, जिनका यथासमय आवश्यकता पड़ने पर शासकीय तथा

लोकहित में सम्पर्क करने पर जनता के कार्यों का सम्पादन करवाया जाता है। राजस्व नियम संग्रह के अनुसार प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को विभागवार कार्य आवंटित किया गया है। जनपद पिथौरागढ़ में राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् है :-

1-1 फु; फेर व/क" Bku] फत्यक दक; कड्य;] फि फकडकx<+ %&

1-1 फु; फेर व/क" Bku] फत्यक दक; कड्य;] फि फकडकx<+ %&

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदनाम	व्यक्तिगत पता	दूरभाष नम्बर
1.	श्री सुशील कुमार शर्मा	जिलाधिकारी	जिलाधिकारी निवास भाटकोट पिथौरागढ़	225201 225301 225202
2.	श्री प्रशान्त कुमार आर्य	अपर जिलाधिकारी	राजकीय आवास भाटकोट	9456593393
3.	श्री जय भारत सिंह	उप जिलाधिकारी डीडीहाट	राजकीय आवास डीडीहाट	9410164415
4.	श्री अनुराग आर्य	उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़	राजकीय आवास भाटकोट	9452964626
5.	श्री पारितोष वर्मा	उप जिलाधिकारी धारचूला	राजकीय आवास धारचूला	9411194530
6.	रिक्त	उप जिलाधिकारी बेरीनाग	राजकीय आवास बेरीनाग	9411423317
7.	श्री कृष्ण कुमार मिश्रा	डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़	राजकीय आवास भाटकोट	9412936952
8.	श्री प्रमोद कुमार	उपलिाधिकारी	राजकीय आवास	—

		गंगोलीहाट	गंगोलीहाट	
9	रिक्त	उपजिलाधिकारी मुनस्यारी	राजकीय आवास मुनस्यारी	05961-2222 01
8.	रिक्त	तहसीलदार डीडीहाट	राजकीय आवास डीडीहाट	9411119904
9.	श्री हरी राम	तहसीलदार पिथौरागढ़	—	
10.	रिक्त	तहसीलदार धारचूला	—	
11.	रिक्त	तहसीलदार मुनस्यारी	—	
12.	रिक्त	तहसीलदार बेरीनाग	—	
13.	रिक्त	तहसीलदार गंगोलीहाट	—	
14.	श्री जीवन सिंह चौहान	नायब तहसीलदार पिथौरागढ़	राजकीय आवास पिथौरागढ़।	9412100583
15.	श्री डिगर सिंह मेहरा	नायब तहसीलदार गंगोलीहाट	राजकीय आवास गंगोलीहाट	
16.	रिक्त	नायब तहसीलदार बेरीनाग	राजकीय आवास बेरीनाग	
17.	श्री डिगर सिंह मेहरा	नायब तहसीलदार मुनस्यारी	राजकीय आवास मुनस्यारी	9412976681
18.	श्री इन्द्र बहादुर मल	नायब तहसीलदार धारचूला	राजकीय आवास धारचूला	9410133414
19	श्री पूरन चन्द्र पन्त	नायब तहसीलदार डीडीहाट	राजकीय आवास डीडीहाट	
20	श्रीमती नीलू चावला	नायब तहसीलदार कनालीछीना	—	—
21.	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	नायब तहसीलदार देवलथल	—	—
22.	रिक्त	वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी		
23	रिक्त	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय पिथौरागढ़।		
24	रिक्त	ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तहसील पिथौरागढ़		
25	श्री जगदीश चन्द्र भट्ट	वैयक्तिक सहायक	ग्राम सिलौली पिथौरागढ़	
26	श्रीमती कान्ती टोलिया	आशुलिपिक उप जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़	टकाना कालोनी पिथौरागढ़।	
27	श्री आनन्द कुमार	आशुलिपिक जिला शासकीय अधिवक्ता कार्यालय पिथौरागढ़		9412913793
28	श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय	प्रशासनिक अधिकारी	टकाना कालोनी पिथौरागढ़	9411194874

29	श्री कुन्दन सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	बेरीनाग	
30	श्रीमती माया मेहरा	प्रशासनिक अधिकारी	राजकीय आवास गंगोलीहाट	
31	श्री गोविन्द राम	प्रशासनिक अधिकारी	टकाना खेत पिथौरागढ़	9720175317
32	श्रीमती निर्मला पांगती	प्रशासनिक अधिकारी	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	9412929873
33	श्रीमती गोवन्दी बर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	ग्राम भदेलबाड़	9897611727
34	श्री नन्दन राम	प्रशासनिक अधिकारी	रा.आ, टकाना	9411337907
35	श्रीमती तुलसी शाह	प्रशासनिक अधिकारी	रई पिथौरागढ़	9879067934
36	श्रीमती नर्वदेश्वरी भट्ट	प्रशासनिक अधिकारी	निकट स्टेडियम	9456543826
37	श्री राम दत्त	प्रशासनिक अधिकारी	निकट जी0आई0सी0	8979841407
38	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	प्रशासनिक अधिकारी	निकट चिमस्यानौला	7500863778
39	श्री सुभाष राम	प्रशासनिक अधिकारी	राजकीय आवास धारचूला	
40	श्री कुण्डल राम	प्रशासनिक अधिकारी	राजकीय आवास मुनस्यारी	
41	कु0 देवकी कसन्याल	प्रशासनिक अधिकारी	निकट स्टेडियम	9927166792
42	श्री जगदीश चन्द्र उप्रेती	प्रशासनिक अधिकारी	स.वि.कालोनी जी.आई. सी. पिथौरागढ़	9411574976
43	श्री बट्टी दत्त भट्ट	प्रधान सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	8979270519
44	श्री हरीश राम टम्टा	प्रधान सहायक	राजकीय आवास गंगोलीहाट	
45	श्री प्रवीन्द्र सिंह डीनियां	प्रधान सहायक	कला सदन विकास नगर भाटकोट	9837514247
46	श्रीमती निर्मला रावत	प्रधान सहायक	ग्राम बजेटी	9410502909
47	श्री तेज सिंह धामी	प्रधान सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	
48	श्री गोवर्धन कापड़ी	प्रधान सहायक	ग्राम बस्ते	9997453001
49	श्री महिमन कुमार जोशी	प्रधान सहायक	टकाना बैण्ड पिथौरागढ़	9411349000
50	श्रीमती मीरा पाण्डेय	प्रधान सहायक	टकाना कालोनी पिथौरागढ़	9634566974
51	श्रीमती भगवती बोरा	प्रधान सहायक	राजकीय आवास धारचूला	
52	श्री प्रदीप पुनेड़ा	प्रधान सहायक	ग्राम पुनेड़ी पिथौरागढ़	9411119219
53	श्री शंकर राम	प्रधान सहायक	राजकीय आवास डीडीहाट	
54	श्री महेन्द्र चन्द	प्रधान सहायक	ग्राम कुमौड़	
55	श्रीमती राधा पाण्डेय	प्रधान सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	9568277797
56	श्रीमती कमला सौन	प्रधान सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	9012750423
57	श्रीमती गीता सिरौला	वरिष्ठ सहायक	रई पिथौरागढ़	9760109476
58	श्री नरेश कुमार जोशी	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास धारचूला	9897578626
59	श्री देवेन्द्र सिंह धर्मसक्त्	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास	

			मुनस्यारी	
60	श्री लक्ष्मीशंकर थावल	वरिष्ठ सहायक	रई पिथौरागढ़	
61	श्री केशव दत्त बचखेती	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास गंगोलीहाट	
62	श्री महेश चन्द्र जोशी	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास मुनस्यारी	
63	श्री किसन सिंह	वरिष्ठ सहायक	ग्राम पधेड़ा, पिथौरागढ़	9917918438
64	श्रीमती कमला पन्त	वरिष्ठ सहायक	बेरीनाग	
65	श्रीमती कमला नाथ	वरिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	8859968998
66	श्री भूपाल सिंह	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास धारचूला	
67	श्री दिनेश मोहन पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास डीडीहाट	
68	श्री कमल किशोर पाण्डेय	वरिष्ठ सहायक	ग्राम मैईला, पिथौरागढ़	9927474155
69	श्री नीरज कुमार पन्त	वरिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	9897416934
70	श्री अनिल पन्त	वरिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	9917669211
71	श्रीमती मनीषा चन्द	वरिष्ठ सहायक	ऐंचोली, पिथौरागढ़	9412925361
72	श्री पंकज कुमार	वरिष्ठ सहायक	टकाना कालोनी पिथौरागढ़	9410769971
73	श्री भरत लाल	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास गंगोलीहाट	
74	श्री ओम प्रकाश	वरिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	9411873432
75	श्री महेश पाठक	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास मुनस्यारी	
76	श्री श्याम सिंह	वरिष्ठ सहायक	तहसील आवास पिथौरागढ़	7500324088
77	श्री राजेन्द्र सिंह पाल	वरिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	9412093715
78	श्री पारस कन्याल	वरिष्ठ सहायक	डीडीहाट	9557624198
79	श्री धर्मानन्द पाठक	वरिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	
80	श्री खीमानन्द भट्ट	वरिष्ठ सहायक	राजकीय आवास धारचूला	
81	श्री गोधन सिंह	कनिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ़	
82	श्री महेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	टकाना कालोनी पिथौरागढ़	9536860638
83	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	पाण्डेगाँव	8449790577
84	श्रीमती पुष्पा लुन्ठी	कनिष्ठ सहायक	कनालीछीना	
85	श्रीमती गोपा जोशी	कनिष्ठ सहायक	ग्राम उर्ग	9456732607
86	श्री सन्तोष सिंह	कनिष्ठ सहायक	बेरीनाग	
87	श्री प्रेम चन्द्र जोशी	कनिष्ठ सहायक	जॉजरदेवल	9897712339
88	श्री दीपक पुजारी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय आवास गंगोलीहाट	
89	श्री प्रकाश सिंह	कनिष्ठ सहायक	राजकीय आवास गंगोलीहाट	

90	श्री धर्म सिंह नपलच्याल	कनिष्ठ सहायक	टकाना कालोनी पिथौरागढ	9410796776
91	श्री चन्द्र मोहन पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	रई पिथौरागढ	9917804852
92	श्री सपन कुमार	कनिष्ठ सहायक	राजकीय आवास डीडीहाट	9458681464
93	श्री देवेश पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास पिथौरागढ ।	7895065299
94	श्री सुरेश चन्द्र भट्ट	कनिष्ठ सहायक	राजकीय आवास धारचूला	
95	श्री विक्रम सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	राजकीय आवास मुनस्यारी	
96	कु0 रंजना पन्त	कनिष्ठ सहायक	पिथौरागढ	9411586482
97	श्रीमती कविता अन्ना	कनिष्ठ सहायक	कनालीछीना	
98	श्री महेश चन्द	कनिष्ठ सहायक	ग्राम तडीगाँव	
99	श्री कमल राम आर्य	कनिष्ठ सहायक	रई पिथौरागढ	
100	श्री हरी शंकर टम्टा	कनिष्ठ सहायक		
101	श्री सतीश उप्रेती	कनिष्ठ सहायक	घण्टाकरण पिथौरागढ ।	
102	श्री मदन मोहन जोशी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय आवास धारचूला	
103	श्री दीपक भण्डारी	कनिष्ठ सहायक	राजकीय आवास गंगोलीहाट	
104	श्री प्रकाश जोशी	कनिष्ठ सहायक	ऐचोली पिथौरागढ	
105	श्रीमती रेखा बोरा	कनिष्ठ सहायक	राजकीय आवास डीडीहाट	
106	श्रीमती ज्योति जोशी	कनिष्ठ सहायक	टकाना कालोनी पिथौरागढ	
107	श्री नवल सिंह मर्तोल्या	कनिष्ठ सहायक	मुनस्यारी	
108	कु0 गीता बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	टकाना कालोनी पिथौरागढ	
109	श्री संदीप बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	ऐचोली पिथौरागढ ।	
110	श्री मुहम्मद नाजिम	कनिष्ठ सहायक	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ	9759162711
111	श्री फकीर राम	चालक, जिलाधिकारी	ग्राम मेलडुंगरी पिथौरागढ	
112	श्री नारायण सिंह मेहता	चालक जिलाधिकारी	राजकीय आवास भाटकोट पिथौरागढ	
113	श्री जीवन लाल वर्मा	चालक जिलाधिकारी	पूल्ड आवास कालोनी पिथौरागढ ।	
114	श्री नारायण सिंह ठगुन्ना	चालक,जिला कार्यालय	राजकीय आवास भाटकोट पिथौरागढ	
115	श्री बसन्त कुमार	चालक उ0जि0अ0 गंगोलीहाट	तहसील आवास गंगोलीहाट	
116	श्री मोहन सिंह बुर्फाल	चालक उ0जि0अ0	तहसील आवास	

		मुनस्यारी	मुनस्यारी	
117	श्री भुवन चन्द्र भट्ट	चालक उ0जि0अ0 डीडीहाट	तहसील आवास डीडीहाट	
118	श्री महेश चन्द्र देवलाल	चालक, उप जिलाधिकारी पिथौरागढ	ग्राम देवलालगाँव	
119	श्री मथुरा दत्त जोशी	इलैक्ट्रिशियन	ग्राम सेरा	9997410457

I xg vf/k"Bku %&

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	ललित सिंह कन्याल	संग्रह अमीन
2.	मनोज कुमार जोशी,	संग्रह अमीन
3.	राजेन्द्र प्रसाद,	संग्रह अमीन
4.	श्याम सुन्दर पाण्डे,	संग्रह अमीन
5.	नवीन लाल वर्मा,	संग्रह अमीन
6.	बहादुर राम,	संग्रह अमीन
7.	केशव दत्त तिवारी,	संग्रह अमीन
8.	हेम चन्द्र उप्रेती,	संग्रह अमीन
9.	भूपेन्द्र सिंह वल्दिया,	संग्रह अमीन
10.	बृजमोहन अवस्थी,	संग्रह अमीन
11.	हर सिंह	संग्रह अनुसेवक
12.	गिरीश चन्द्र जोशी	संग्रह अनुसेवक
13.	पूरनचन्द्र पाठक,	संग्रह अनुसेवक
14.	ओम प्रकाश,	संग्रह अनुसेवक
15.	राजेन्द्र प्रसाद,	संग्रह अनुसेवक
16.	शिवदत्त भट्ट,	संग्रह अनुसेवक
17.	राजेन्द्र सिंह,	संग्रह अनुसेवक
18.	विपिन चन्द्र फुलेरा,	संग्रह अनुसेवक
19.	मदन सिंह,	संग्रह अनुसेवक
20.	मोहन राम,	संग्रह अनुसेवक
21.	श्याम सिंह बिष्ट,	संग्रह अनुसेवक
22.	शंकर दत्त जोशी,	संग्रह अमीन
23.	होशियार सिंह मेहता,	संग्रह अमीन
24.	कमान सिंह,	संग्रह अनुसेवक
25.	चामू सिंह,	संग्रह अनुसेवक
26.	प्रेम प्रकाश,	संग्रह अमीन
27.	अब्दुल यामीन,	संग्रह अमीन
28.	कुंवर सिंह,	संग्रह अमीन
29.	महादेव भट्ट,	संग्रह अनुसेवक
30.	त्रिलोक सिंह,	संग्रह अनुसेवक
31.	हिम्मत सिंह,	संग्रह अनुसेवक
32.	श्याम लाल,	संग्रह अनुसेवक
33.	आलम सिंह,	संग्रह अमीन
34.	जगत सिंह,	संग्रह अनुसेवक
35.	नरेश राम,	संग्रह अमीन
36.	असुर राम,	संग्रह अनुसेवक

37.	भूपेन्द्र सिंह,	संग्रह अनुसेवक
38.	नारायण सिंह फर्सवान	संग्रह अमीन
39.	लक्ष्मण सिंह पांगती,	संग्रह अमीन
40.	गोबिन्द सिंह देउपा,	संग्रह अमीन
41.	रमेश राम,	संग्रह अनुसेवक
42.	बलभद्र सिंह राठौर,	संग्रह अनुसेवक
43.	विरेन्द्र सिंह नितवाल,	संग्रह अनुसेवक
44.	महेन्द्र सिंह,	संग्रह अनुसेवक
45.	खुशाल सिंह चिराल,	संग्रह अमीन
46.	दीवान सिंह,	संग्रह अमीन
47.	हरीश चन्द्र पन्त,	संग्रह अमीन
48.	गोबिन्द सिंह,	संग्रह अनुसेवक
49.	मोहन सिंह कन्याल,	संग्रह अनुसेवक
50.	हरीश चन्द्र पन्त,	संग्रह अनुसेवक
51.	उत्तम सिंह धामी,	संग्रह अमीन
52.	राजे सिंह मेहरा,	संग्रह अमीन
53.	प्रकाश चन्द्र वर्मा	संग्रह अमीन
54.	श्याम सिंह बजेटा,	संग्रह अनुसेवक
55.	बहादुर सिंह बोहरा,	संग्रह अनुसेवक
56.	प्रेम राम,	संग्रह अनुसेवक
57.	शंकर लाल,	संग्रह अनुसेवक

Hkmys[k vf/k"Bku %&

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद	आवास का पता	दूरभाष नम्बर कोड नं०-05964	
				कार्यालय	आवास
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अन राम	भूलेख अधिकारी,	थल पिथौरागढ़।		
2.	श्री हरीश गिरि	सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो सम्बद्ध जिला कार्यालय	जोशी निवास लिंक रोड पिथौरागढ़	225202	9411194105
3.	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय	पटवारी/सर्वे विशेषज्ञ उप भूमि अध्याप्ति कार्यालय	ग्राम नेड़ा (रई) पिथौरागढ़	226326	226298
4.	श्री नरेन्द्र प्रसाद	अनुसेवक	ग्राम सेरा (खड़कोट) पिथौरागढ़	225202	9997208377
5	श्री आबिद हुसैन	चालक, तहसील पिथौरागढ़	तहसील आवास पिथौरागढ़		
6	श्री बालम सिंह रौतेला	चालक, तहसील गंगोलीहाट	तहसील आवास गंगोलीहाट		
7	श्री जाकिर अली	चालक, तहसील बेरीनाग	बेरीनाग		
8	श्री राम प्रसाद	चालक, तहसील मुनस्यारी	तहसील आवास मुनस्यारी		
9	श्री जगत सिंह	चालक, तहसील धारचूला	तहसील आवास धारचूला		

I wuk dk vf/kdkj vf/kfu; e]

2005

ešuy I a[; k& 10

i R; d vf/kdkjh vkš depkjh }kjk i klr ekfl d
ikfj Jfed ftl eam ds fofu; eka ea ; Fkmi cfU/kr
ifrdj dh izkkyh I fEefyr gA

ftyk dk; kzy;] fi Fkkš kx<A

ešny l d; k& 10

i R; d vf/kdkjh vkš depkjh }kjk iklr ekfl d ikfjJfed ftl ea ml ds fofu; eka
ea ; Fkkmicflu/kr ifrdj dh izkkyh l fefyr gA

राजस्व विभाग अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल मासिक परिलब्धियों का विवरण अधिष्ठानवार निम्नवत् है:-

1& ftyk dk; kly;

1-1 fu; fer vf/k"Bku] ftyk dk; kly;] fi Fkkš kx<+ %&

क्र० सं०	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदनाम	वेतनमान /	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
1.	श्री सुशील कुमार	जिलाधिकारी	15600-39100	7600	
2.	श्री प्रशान्त कुमार आर्य	अपर जिलाधिकारी	15600-39100	6600	
3.	श्री पारितोष वर्मा	उप जिलाधिकारी	15600-39100	5400	
4.	श्री अनुराग आर्य	उप जिलाधिकारी	15600-39100	5400	
5.	श्री प्रमोद कुमार	उप जिलाधिकारी	15600-39100	5400	
6.	श्री जय भारत सिंह	उप जिलाधिकारी	15600-39100	5400	
7.	श्री कृष्ण कुमार मिश्रा	उप जिलाधिकारी	15600-39100	5400	
8.	श्री हरी राम	तहसीलदार	15600-39100	5400	
9.	श्री जीवन सिंह चौहान	नायब तहसीलदार	9300- 34800	4200	
10.	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	नायब तहसीलदार	9300- 34800	4200	
11.	श्री हरीश चन्द्र आर्य	नायब तहसीलदार	9300- 34800	4200	
12.	श्री खुशाल राम	नायब तहसीलदार	9300- 34800	4200	
13.	श्री पूरन चन्द्र पन्त	नायब तहसीलदार	9300- 34800	4200	
14.	श्रीमती नीतू चावला	नायब तहसीलदार	9300- 34800	4200	
15.	श्री डिगर सिंह महारा	नायब तहसीलदार	9300- 34800	4200	
16.	श्री इन्द्र बहादुर मल	नायब तहसीलदार			
17.	श्री जगदीश चन्द्र भट्ट	आशुलिपिक	9300- 34800	4200	
18.	श्रीमती कान्ती टोलिया	आशुलिपिक	9300- 34800	2800	
19.	श्री आनन्द कुमार	आशुलिपिक	9300- 34800	2800	
20.	श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 34800	4600	
21.	श्री कुन्दन सिंह	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 34800	4600	
22.	श्रीमती माया मेहरा	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 34800	4600	
23.	श्री गोविन्द राम	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 3480	4600	
24.	श्रीमती निर्मला पांगती	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 34800	4600	
25.	श्रीमती गोवन्दी बर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 34800	4600	
26.	श्री नन्दन राम	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 34800	4600	
27.	श्रीमती तुलसी शाह	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 34800	4600	
28.	श्रीमती नर्वदेश्वरी भट्ट	प्रशासनिक अधिकारी	9300- 34800	4600	
29.	श्री राम दत्त	प्रशासनिक अधिकारी	5200-20200	4600	
30.	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	प्रशासनिक अधिकारी	5200-20200	4600	
31.	श्री सुभाष राम	प्रशासनिक अधिकारी	5200-20200	4600	

32	श्री कुण्डल राम	प्रशासनिक अधिकारी	5200-20200	4600	
33	कु० देवकी कसन्याल	प्रशासनिक अधिकारी	5200-20200	4600	
34	श्री जगदीश चन्द्र उप्रेती	प्रशासनिक अधिकारी	5200-20200	4600	
35	श्री बद्री दत्त भट्ट	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
36	श्री हरीश राम टम्टा	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
37	श्री प्रवीन्द्र सिंह डीनियां	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
38	श्रीमती निर्मला रावत	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
39	श्री तेज सिंह धामी	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
40	श्री गोवर्धन कापडी	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
41	श्री महिमन कुमार जोशी	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
42	श्रीमती मीरा पाण्डेय	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
43	श्रीमती भगवती बोरा	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
44	श्री प्रदीप पुनेड़ा	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
45	श्री शंकर राम	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
46	श्री महेन्द्र चन्द	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
47	श्रीमती राधा पाण्डेय	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
48	श्रीमती कमला सौन	प्रधान सहायक	5200-20200	4200	
49	श्रीमती गीता सिरौला	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
50	श्री नरेश कुमार जोशी	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
51	श्री देवेन्द्र सिंह धर्मसक्तू	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
52	श्री लक्ष्मीशंकर थावल	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
53	श्री केशव दत्त बचखेती	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
54	श्री महेश चन्द्र जोशी	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
55	श्री किसन सिंह	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
56	श्रीमती कमला पन्त	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
57	श्रीमती कमला नाथ	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
58	श्री भूपाल सिंह	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
59	श्री दिनेश मोहन पाण्डेय	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
60	श्री कमल किशोर पाण्डेय	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
61	श्री नीरज कुमार पन्त	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
62	श्री अनिल पन्त	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
63	श्रीमती मनीषा चन्द	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
64	श्री पंकज कुमार	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
65	श्री भरत लाल	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
66	श्री ओम प्रकाश	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
67	श्री श्याम सिंह	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
68	श्री राजेन्द्र सिंह पाल	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
69	श्री पारस कन्याल	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
70	श्री धर्मानन्द पाठक	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
71	श्री खीमानन्द भट्ट	प्रवर सहायक	5200-20200	2800	
72	श्री महेश पाठक	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
73	श्री गोधन सिंह	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
74	श्री महेश सिंह	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
75	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
76	श्रीमती पुष्पा लुन्ठी	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
77	श्रीमती गोपा जोशी	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	

78	श्री शन्तोष सिंह	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
79	श्री प्रेम चन्द्र जोशी	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
80	श्री दीपक पुजारी	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
81	श्री प्रकाश सिंह	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
82	श्री धर्म सिंह नपलच्याल	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
83	श्री चन्द्र मोहन पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
84	श्री सपन कुमार	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
85	श्री देवेश पाण्डेय	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
86	श्री सुरेश चन्द्र भट्ट	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
87	श्री विक्रम सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
88	कृ० रंजना पन्त	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
89	श्रीमती कविता अन्ना	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
90	श्री महेश चन्द	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
91	श्री हरी शंकर टम्टा	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
92	श्री कमल राम आर्य	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
93	श्री सतीश उप्रेती	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
94	श्री मदन मोहन जोशी	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
95	श्री दीपक भण्डारी	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
96	श्री प्रकाश जोशी	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
97	श्रीमती रेखा बोरा	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
98	श्रीमती ज्योति जोशी	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
99	श्री नवल सिंह मर्तोल्या	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
100	कु० गीता बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
101	श्री सदीप बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	
102	श्री खीम राम	अनुसेवक	5200-20200	1900	
103	श्री बलवन्त सिंह	अनुसेवक	5200-20200	1800	
104	श्री आनन्द किशोर	अनुसेवक	5200-20200	1800	
105	श्री जीवन चन्द्र पाण्डेय	अनुसेवक	5200-20200	1800	
106	श्रीमती बिमला देवी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
107	श्री पुष्कर राम	अनुसेवक	5200-20200	1800	
108	श्री श्याम सिंह	अनुसेवक	5200-20200	1800	
109	श्रीमती सावित्री देवी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
110	श्री महेश प्रकाश	अनुसेवक	5200-20200	1800	
111	श्रीमती बिमला देवी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
112	श्री जय दत्त भट्ट	अनुसेवक	5200-20200	1900	
113	श्रीमती विशना देवी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
114	श्री दान सिंह धामी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
115	श्री शिव सिंह	अनुसेवक	5200-20200	1900	
116	श्रीमती शान्ती जोशी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
117	श्री नारायण दत्त जोशी	अनुसेवक	5200-20200	1900	
118	श्री दली चन्द	अनुसेवक	5200-20200	1900	
119	श्री शिव सिंह नेगी	अनुसेवक	5200-20200	1900	
120	श्री देवेन्द्र सिंह	अनुसेवक	5200-20200	1800	
121	श्री लक्ष्मण सिंह मेहरा	अनुसेवक	5200-20200	1800	
122	श्री खिमानन्द पंचोली	अनुसेवक	5200-20200	1800	
123	श्री श्रीराम	अनुसेवक	5200-20200	1800	

124	श्री तेज राम	अनुसेवक	5200-20200	1800	
125	श्रीमती भागीरथी कापड़ी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
126	श्री योगेश कुमार जोशी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
127	श्री दीपक भट्ट	अनुसेवक	5200-20200	1800	
128	श्री अर्जुन सिंह	अनुसेवक	4440-7440	1650	
129	श्री तेज सिंह	अनुसेवक	5200-20200	1900	
130	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	अनुसेवक	4440-7440	1650	
131	श्री लाल सिंह	अनुसेवक	5200-20200	1900	
132	श्री मनमोहन	अनुसेवक	5200-20200	1800	
133	श्रीमती विद्या देवी चन्दोला	अनुसेवक	5200-20200	1800	
134	श्रीमती पार्वती देवी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
135	श्री हरी राम	अनुसेवक	5200-20200	1800	
136	श्रीमती सीता देवी	अनुसेवक	5200-20200	1800	
137	श्री मथुरा दत्त जोशी	इलेक्ट्रीशियन	5200-20200	2400	
138	श्री ललित सिंह	माली	5200-20200	1900	
139	श्री शोबन राम	माली	5200-20200	1900	
140	श्री लालू राम	माली	5200-20200	1900	
141	श्री मोहन सिंह बुर्फाल	चालक	5200-20200	1900	
142	श्री नारायण सिंह	चालक	5200-20200	1900	
143	श्री फकीर राम	चालक	5200-20200	1900	
144	श्री नारायण सिंह ठगुन्ना	चालक	5200-20200	1900	
145	श्री बसन्त कुमार	चालक	5200-20200	1900	
146	श्री दान सिंह ठगुन्ना	चालक	5200-20200	1900	
147	श्री महेश चन्द्र देवलाल	चालक	5200-20200	1900	
148	श्री भुवन चन्द्र	चालक	5200-20200	1900	
149	श्री जीवन लाल वर्मा	चालक	5200-20200	2800	
150	श्री गिनेश बाल्मिकी	स्वच्छक	5200-20200	1900	
151	श्रीमती सुमन देवी	स्वच्छक	5200-20200	1800	
152	श्री नरेश कुमार	स्वच्छक	5200-20200	1800	
153	श्री जाहिद खान	बुनकर	5200-20200	1800	
154	श्री जीत लाल रत्नाकर	बुनकर	5200-20200	1800	

संख्या 1 अ; क& 11

I Hkh ; kstukvkq i Lrkfor 0; ; ka vkq fd; s x; s l fork. kka i j
fj i kV/kq dh foF' kf"V; ka mi nf' kr djrs gq s vi us i R; sd vfHkdj . k
dkv vkofVr ctVA

जनपद पिथौरागढ़ में राजस्व विभाग अन्तर्गत क्रमशः नियमित अधिष्ठान, संग्रह अधिष्ठान, भूलेख अधिष्ठान, दैवी आपदा एवं शासकीय अधिवक्ता तथा ट्रेड हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट का विवरण अधिष्ठानवार निम्नवत् है :-

1& fu; fer vf/k" Bku %&

अनुदान संख्या-06
लेखाशीर्षक -

2053-जिला प्रशासन आयोजनेत्तर
093-जिला स्थापनायें
03-कलक्टरी स्थापना

en l a; k&mi 'kh"kd en	vkofVr ctV
1	2
01-वेतन	1,21,00000.00
02-मजदूरी	10,00000.00
03-महंगाई भत्ता	1,39,15,000.00
04-यात्रा व्यय	1,000,00.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	-
06-अन्य भत्ते	12,10,000.00
07-मानदेय	-
08-कार्यालय व्यय	2,00,000.00
09-विद्युत देय	1,50,000.00
10-जलकर	20,000.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	80,000.00
12-कार्यालय फर्नीचर	-
13-टेलीफोन पर व्यय	1,00,000.00
14-वाहनों का क़य	-
15-अनुरक्षण एवं पेट्रोल	5,00,000.00
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	40,000.00
17-किराया उपशुल्क	-
22-आतिथ्य व्यय	-
23-गुप्त सेवा व्यय	-
27-चिकित्सा व्यय	-
29-भवनों का अनुरक्षण	-
42-अन्य व्यय	-
45-अवकाश यात्रा सुविधा	-
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	80,000.00

नियमित अधिष्ठान, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ हेतु वित्तीय वर्ष
2015-16 में आवंटित बजट है।

o"kl 2015&16
2& l xg vf/k"Bku %& ft yk dk; kly; fi Fkkj kx<A

लेखाशीर्षक —

2029—भूराजस्व

101—संग्रहण

03—भू—राजस्व

en l d; k&mi 'khi"kd en	vkofVr ctV
1	2
01—वेतन	4,000,000.00
02—मजदूरी	—
03—महंगाई भत्ता	4,60,000.00
04—यात्रा व्यय	3,000.00
05—स्थानान्तरण यात्रा व्यय	—
06—अन्य भत्ते	4,000.00
07—मानदेय	—
08—कार्यालय व्यय	5,000.00
09—विद्युत देय	—
10—जलकर	—
11—लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	5,000.00
13—टेलीफोन	—
27—चिकित्सा व्यय	—
46—कम्प्यूटर/हार्डवेयर क्रय	—
47—कम्प्यूटर स्टेशनरी	3,000.00
48—महंगाई वेतन	—

संग्रह अधिष्ठान जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ हेतु वित्तीय वर्ष 2015—16 में आवंटित बजट है।

1& nfh vki nk %& o"kl 2015&16

अनुदान संख्या-06

लेखाशीर्षक -

2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत

800-अन्य व्यय

01-केन्द्रीय आयोजनागत/पुरोनिधानित योजनायें

en l a[; k&mi 'kh"kd en	vkofVr ctV ₹ yk[k ea	dy 0; ; ₹ yk[k ea	vo'kSk ₹ yk[k ea
1	2	3	4
अहैतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह सहायता	100.00	100.00	-
सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण	100.00	-	100.00
कृषि इनपुट (एस0डी.आर. एफ./मा. मुख्यमंत्री राहत कोष)	417.931	377.62	40.311
कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्गों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु	250.00	102.00	148.00
योग:-	867-931	579-62	288-311

द्वैवी आपदा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट से संबंधित है।

3& Hkmys[k vf/k"Bku %& ftyk dk; kLy; fi FkkSj kx<A

अनुदान संख्या-06

लेखाशीर्षक -

2029 - भूराजस्व

103 - भू-अभिलेख

03 - जिला अधिष्ठान

en l a[; k&mi 'kh"kd en	vkofVr ctV
1	2
01-वेतन	9,00,000.00
02-मजदूरी	-
03-महंगाई भत्ता	10,35,000.00
04-यात्रा व्यय	10,000.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	-

06-अन्य भत्ते	90,000.00
07-मानदेय	—
08-कार्यालय व्यय	10,000.00
09-विद्युत देय	—
10-जलकर	—
11-लेखन सामग्री	5,000.00
15-अनुरक्षण एवं पेट्रोल	—
25-लघु निर्माण	—
27-चिकित्सा व्यय	—
29-भवनों का अनुरक्षण	—
46-कम्प्यूटर/हार्डवेयर क्रय	—
47-कम्प्यूटर स्टेशनरी	5,000.00
48-महंगाई वेतन	—

भूलेख अधिष्ठान, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट है।

1& ftyk 'kkl dh; vf/koDrk %&

अनुदान संख्या-04

लेखाशीर्षक —

2014-न्याय प्रशासन आयोजनेत्तर

114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)

04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता

en l d; k&mi 'kh"kd en	vkofVr ctV
1	2
01-वेतन	3,20,000.00
03-महंगाई भत्ता	3,50,000.00
04-यात्रा भत्ता	12,000.00
06-अन्य भत्ते	12,000.00
07-मानदेय	—
08-कार्यालय व्यय	13,000.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10,000.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	33,00,000.00
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	8,000.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	—
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	4,000.00

जिला शासकीय अधिवक्ता, जिला कार्यालय, पिथौरागढ़ हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित बजट है।

1. VIM

अनुदान संख्या-23

लेखाशीर्षक-

2851- ग्रामाद्योग तथा लघु उद्योग

00- आयोजनेत्तर

102 लघु उद्योगा

18- उत्तराखण्ड अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पर्यटन
कार्यालय की स्थापना

en l a[; k&mi 'kh"kd en	vkofVr ctV
1	2
01-वेतन	2,90,000.00
02-मजदूरी	70,000.00
03-महंगाई भत्ता	3,48,000.00
04-यात्रा व्यय	20,000.00
05-स्थानान्तरण व्यय	10,000.00
06-अन्य भत्ते	30,000.00
08-कार्यालय व्यय	30,000.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20,000.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20,000.00
13-टेलीफोन पर व्यय	20,000.00
15 गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि पर खरीद	50,000.00
29- अनुरक्षण	10,000.00
42-अन्य व्यय	20,000.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	10,000.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	20,000.00

ट्रेड के मानदेय हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवंटित बजट है।

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e]
2005

eşuıy I a[; k& 12

I gkf; dh dk; ~~zæka~~ ds fu"i knu dh jhfr ftI ea
vko~~f~~Vr jkf k vkş , s dk; ~~zæka~~ ds Qk; nkxfg; ka ds
C; kşs I fEefyr gA

ftyk dk; kzy;] fi Fkkş kx<A

सूच्य 12 ; क& 12

1 gkf; dh dk; ~~डेका~~ ds fu"i knu dh jhfr ftl ea vkofVr jkf'k vkj , d s dk; ~~डेका~~ ds Qk; nkxf; ~~का~~ ds C; Kjs l fEefyr gA

सूच्य 13 ; क& 13

1/2 vi us }kj k vuqRr fj ; k; rj vuqki =ka ; k i kf/kdkj ka ds i kflrdrk/ka dh fof' kf"V; ka 1/2

जैसा कि मैनुअल के पूर्व बिन्दुओं में काफी विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है कि राजस्व विभाग को विभागीय अधिकारों के साथ-साथ प्रशासकीय दायित्वों के अन्तर्गत प्राधिकारों/अनुज्ञापत्रों एवं रियायतों को विभिन्न नियमों/अधिनियमों/उप नियमों के अन्तर्गत दिये जाने की व्यवस्था है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा विभागीय दायित्वों के अन्तर्गत जन सामान्य की सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्नवत् रियायतें, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार प्रदान किये जाते हैं:-

1&fi Vh'ku jkbMj ykb7 7l %&

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन संख्या- (करेक्शन स्लिप नं0-34) 594/वीसी-51, दिनांक: 18-10-1968 के अनुसार भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन-555ए में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट कम्पाउण्ड कलैक्ट्रेट एवं तहसील कोर्ट कम्पाउण्ड के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों को जांचापरान्त संतुष्ट होने पर पिटीशन राईटर का लाईसेन्स स्वीकृत किया जाता है तथा निर्धारित शुल्क राजकोष जमा करने पर लाईसेन्स प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाता है। निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर लाईसेन्स निरस्त करने का अधिकार भी जिलाधिकारी को प्राप्त है। जनपद पिथौरागढ़ में पिटीशन राईटर के कुल 36 लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं।

2&LVkei oSMj ykb7 7l %&

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के नियम 151 (ख) (10) के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा जनपद में स्टाम्प वैण्डरी कार्य हेतु अर्हता पूर्ण

करने वाले आवेदकों को जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर स्टाम्प वैण्डर का लाईसेन्स निर्गत किया जाता है। निर्धारित शर्तों के उल्लंघन करने पर लाईसेन्स निरस्त करने का अधिकार भी जिलाधिकारी को प्राप्त है। स्टाम्प वैण्डर के लाईसेन्स को निर्धारित शुल्क जमा करने पर हर वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। जनपद में स्टाम्प वैण्डर के कुल 42 लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत न्यायालय परिसरों में स्टाम्प वैडरों के नाम/पते व पंजीकरण संख्या की सूची।

क्र०सं०	लाईसेंसी का नाम व पता	पंजीकरण संख्या व वर्ष
01	श्री देवकी नन्दन जोशी पुत्र श्री षष्ठी बल्लभ, कलक्ट्रेट परिसर, पिथौरागढ़।	02 / 1997
02	श्री शेर राम मस्ताना पुत्र श्री गोपाल राम, ग्राम व पोस्ट जाख पन्त, जिला-पिथौरागढ़।	33 / 1997
03	श्री जगदीश सिंह मेहता पुत्र श्री धन सिंह मेहता, ग्राम व पोस्ट ऐंचोली, जिला-पिथौरागढ़।	10 / 2005-06
04	श्री अमर नाथ लोहनी पुत्र गोपाल दत्त लोहनी, कलक्ट्रेट परिसर, पिथौरागढ़।	05 / 2006
05	श्री घनानन्द जोशी पुत्र जे०एन०जोशी, जजी परिसर, पिथौरागढ़।	44 / 1997
06	श्री प्राण दत्त भट्ट पुत्र श्री धर्मानन्द भट्ट, जजी परिसर, पिथौरागढ़।	47 / 1990
07	श्री गजेन्द्र बहादुर पुत्र श्री खड़क सिंह, निवासी- रई, पिथौरागढ़।	04 / 2006-7
08	कु० जानकी नाथ पुत्री श्री पुष्कर नाथ, ग्राम- बुथखोला, पिथौरागढ़।	09 / 2008 / 09
09	श्रीमती चन्द्र प्रभा पाठक पत्नी श्री महेश चन्द्र पाठक, धर्मशाला लाईन, पिथौरागढ़।	35 / 2008-9
10	श्री महेश चन्द्र पन्त पुत्र श्री नन्द किशोर पन्त, तहसील रोड, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	32 / 1985-86
11	श्री गंगा सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, ग्राम-भड़गांव, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	33 / 1998
12	श्री योगेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री बहादुर राम, निवासी-सूनाकोट, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	34 / 2008-09
13	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्राम सुन्यूडा, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	20 / 2001
14	श्रीमती कमला पाण्डेय पत्नी श्री देवी दत्त, गणाई गंगोली, पिथौरागढ़।	15 /
15	श्री भगवान सिंह नेगी पुत्र श्री मोहन सिंह, ग्राम हाट, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	39 / 1998
16	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री धरम सिंह, ग्राम घोड़ासिल, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	23 / 2001
17	श्री हीरा सिंह बोरा पुत्र श्री भवान सिंह, ग्राम	35 / 2002

	देवराड़ीबोरा, गणाई गंगोली, पिथौरागढ़।	
18	श्री किशन चन्द्र पाठक पुत्र श्री फजेन्द्र दत्त पाठक, ग्राम हाट, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	31 / 2001
19	श्री श्रीष चन्द्र उप्रेती पुत्र श्री उर्बा दत्त उप्रेती, ग्राम कुंजनपुर, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	22 / 2006-07
20	श्री जगदीश चन्द्र पन्त पुत्र श्री मोहन चन्द्र पन्त, ग्राम पाली, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	21 / 2008
21	श्री जितेद्र सिंह देउपा पुत्र श्री राम सिंह ग्राम कुंजनपुर, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	22 / 2008
22	श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री केशर सिंह, ग्राम कालिका, धारचूला, पिथौरागढ़।	37 / 1981
23	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री मान सिंह, ग्राम-ढुंगातोली, धारचूला, पिथौरागढ़।	24 / 1997
24	श्री अम्बा दत्त द्विवेदी पुत्र श्री चिन्तामणी, ग्राम सेविला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	21 / 2001
25	श्री त्रिलोक सिंह बर्निया पुत्र श्री भीम सिंह, ग्राम बर्नियागांव, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	18 / 1983-84
26	श्री लक्षमण सिंह पांगती पुत्र श्री ज्योति सिंह, ग्राम बूंगा, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	36 / 1995
27	श्री विद्यासागर पन्त पुत्र श्री जमुना दत्त, ग्राम गराउ, बेरीनाग, पिथौरागढ़।	28 / 1999
28	श्री राजेन्द्र प्रसाद पन्त पुत्र श्री पूर्णानन्द, ग्राम पम्पा, बेरीनाग, पिथौरागढ़।	24 / 2001
29	श्री महेश चन्द्र पन्त पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त पन्त, तहसील परिसर, बेरीनाग, पिथौरागढ़।	32 / 85-86
30	श्री रईस अहमद पुत्र श्री अब्दुल करीम, थल, पिथौरागढ़।	03 / 2005
31	श्री कर्ण बहादुर पाल पुत्र श्री हयात सिंह पाल, अस्कोट, पिथौरागढ़।।	38 / 1998
32	श्रीमती पदमावती पत्नी श्री नारायण राम, कापड़ीगांव, कनालीछीना, पिथौरागढ़।	31 / 2006
33	श्री भुवन चन्द्र जोशी पुत्र श्री लीलाधर जोशी, टनकुपर रोड, पिथौरागढ़।	34 / 2010-11
34	श्री हरीश चन्द्र पन्त पुत्र श्री गौरी दत्त पन्त, खितोली, बेरीनाग, पिथौरागढ़।	35 / 2010
35	श्री हरीश सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, ग्राम बड़ेत, बेरीनाग, पिथौरागढ़।	36 / 2010
36	श्री राजेन्द्र पाटनी पुत्र श्री जनार्दन पाटनी,	37 / 2010

	ग्राम दिगतोली, पिथौरागढ़।	
37	श्री होशियार सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, ग्राम ख्वांकोट, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	38 / 2010-11
38	श्री गोपाल राम पुत्र श्री हरी राम ग्राम बगीचा, धारचूला, पिथौरागढ़।	39 / 2010-11
39	श्री सुन्दर राम पुत्र श्री रतन राम घोरपट्टा, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	40 / 2010-11
40	श्री सुरेश सिंह बनकोटी पुत्र श्री बनकोट, पिथौरागढ़।	41 / 2011
41	श्री गिरीश चन्द्र जोशी हाल- ग्राम- कुमौड़, पिथौरागढ़।	42 / 2012

3& [kuu vu|k i=@i VVs %&

औद्योगिक विकास अनु0-1
उत्तरांचल शासदन,
देहरादून संख्या-168/
vii-1 / 197-ख / 2005,
दिनांक: 04-02-2006

औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-168 / VII-1 / 197 -ख / 2005, दिनांक: 04-02-2006 के अनुसार उत्तरांचल खनिज नीति 2001 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उप खनिजों के खनन / चुगान के पट्टे सरकारी निगमों को जांचोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। वर्तमान में इस स्तर से कोई खनन अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं है।

औद्योगिक विकास
उत्तरांचल शासन, देहरादून
संख्या-3498 / औ0वि0-
22ख / 2001, दिनांक:
17-10-2002

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या- 3498 / औ0वि0-22ख / 2001, दिनांक: 17-10-2002 के प्रस्तर-2.5 में निहित प्राविधानों के अनुसार निजी नाप भूमि के खनन प्रस्ताव अनुमति के लिए शासन को प्रेषित किये जाते हैं। शासन की पूर्वानुमति उपरान्त शासन द्वारा स्वीकृत अवधि/क्षेत्रफल के लिये पट्टे जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। जनपद में वर्तमान में कुल 10 खनन पट्टे/अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किये गये हैं। इसी शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार सिविल/वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत शासन की पूर्वानुमति उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान में निम्न 11 खनन पट्टे/अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं। शासनादेश संलग्न परिशिष्ट-4 पर है।

futh uki Hkfe@jktLo Hkfe ea Lohdr mi [kfutka ds [kuu i VVka dk foj].ka

क्र० सं०	आवेदक का नाम	क्षेत्र का नाम एवं क्षेत्रफल	उपखनिज का नाम	शासनादेश सं० / दिनांक	स्वीकृत अवधि
01.	मै० कमल जियोटैक सर्विसेज	ग्राम बालाकोट, तहसील पिथौरागढ़ ख०नं० 121 से 135,240 से 245,247 से 251,79 से 83, 114 से 117 तक uki HkfeA	लाइमस्टोन (निम्नग्रेड)	शा०सं०-2606 / औ०वि० / 195-ख / 2001 दिनांक 07 जनवरी, 2002	25-06-2003 से 24-06-2018
02.	श्री पवन सिंह महारा पुत्र श्री हुकुम सिंह महारा नि० सिनेमा लाईन पिथौरागढ़।	ग्राम जमराड़ी तहसील पिथौरागढ़ ख०नं०-7888 से 7893 तक रकवा 0.118 है० uki HkfeA	रेता, बजरी, बोल्टर	शा०सं०-3171 / VII-II / 205-ख / 2010 दिनांक 23-12-2011 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं० 505 / तीस-13(2010-11) दिनांक 07-04-2012	07-07-2012 से 06-07-2017 तक
03.	श्रीमती कुमुद महर नि०ग्राम चैंसर, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़।	ग्राम सिरड, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़। क्षेत्रफल 0.745 है०। futh uki Hkfe	बजरी, पत्थर, बोल्टर	शा०सं०-2969 / VII-I / 12-ख / 2013 दिनांक 30-12-2013 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं० 402 / तीस-01(2011-12) दिनांक जनवरी 28, 2014	22-03-2014 से 21-03-2019 तक (पाँच वर्ष)
04.	श्री हरेन्द्र सिंह महर, नि० ग्राम चैंसर, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़।	ग्राम चैंसर, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़। क्षेत्रफल 0.660 है०। futh uki Hkfe	रोड़ी, बजरी, बोल्टर	शा०सं०-2968 / VII-I / 64-ख / 2013 दिनांक 30-12-2013 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं० 468 / तीस-05(2012-13) दिनांक फरवरी 10, 2014	22-03-2014 से 21-03-2019 तक (पाँच वर्ष)
05.	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री धनीलाल निवासी धर्मशाला लाईन पिथौरागढ़।	jktLo mi [kfut {ks= ग्राम मजिरकौडा, जनपद एवं तहसील पिथौरागढ़। क्षेत्रफल 0.488 है०	रेता, बजरी, बोल्टर	शा०सं०-1917 / VII-I / 130-ख / 2013 दिनांक 23-09-2013 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं० 429 / तीस-09 / मजिरकौडा-निविदा / 2013-14 दिनांक 31-01-2014	21-03-2014 से 30-09-2016 तक
06.	श्री भुवन सिंह गुंज्याल निवासी धर्मशाला, लाईन	jktLo mi [kfut {ks= ग्राम राड़ीखूँटी, जनपद एवं	रेता, बजरी, बोल्टर	शा०सं०-1917 / VII-I / 130-ख / 2013 दिनांक 23-09-2013 एवं	21-03-2014 से 30-09-2016 तक

	पिथौरागढ़।	तहसील पिथौरागढ़। क्षेत्रफल 0.896 है०		जिलाधिकारी के आदेश सं० 427 / तीस-07 / राड़ीखूँटी-निविदा / 2013-14 दिनांक 31-01-2014	
07.	श्री हरीश सिंह गुंज्याल, पुत्र श्री बहादुर सिंह गुंज्याल, धर्मशाला लाईन पिथौरागढ़।	jktLo mi [kfu] {ks= ग्राम घिंघरानी, तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़। क्षेत्रफल 1.169 है०	रेता, बजरी, बोल्डर	शा०सं०-1917 / VII-I / 130-ख / 2013 दिनांक 23-09-2013 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं० 428 / तीस-08 / घिंघरानी-निविदा / 2013-14 दिनांक 31-01-2014	21-03-2014 से 30-09-2016 तक
08.	मै० सिद्ध माइन्स नि० ऐंचोली, पिथौरागढ़	xke , pksyh]rgl hy , oa जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्रफल 0.329 है० नापभूमि	पत्थर, बोल्डर	शा०सं०-118 / VII-I / 2014-ख / 2004 दिनांक 28-01-2014 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं०- 583 / तीस-02 / 2010-11 दिनांक मार्च 06, 2014	31-07-2014 से 30-07-2019 तक (पाँच वर्ष)
09.	श्री कैलाश सिंह देवली, ग्राम व पो० वल्थी, तहसील मुनस्यारी।	ग्राम व पो० वल्थी, तहसील मुनस्यारी क्षेत्रफल क्षेत्रफल 0. 249 है० नापभूमि	रेता, बजरी, बोल्डर	शा०सं०-2799 / VII-I / 2013 / 32-ख / 2012 दिनांक 23-09-2013 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं० 584 / तीस-25(2011-12) दिनांक मार्च 06, 2014	01-11-2014 से 31-10-2019 तक
10.	श्रीमती भागीरथी देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह खनका नि० ग्राम पुरगड़ा, पो० ओ०, चमाली, तहसील व जिला पिथौरागढ़।	ग्राम खर्कदौली, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़। खाता सं०-09 मध्ये कुल रकवा 0.451 है०	रोड़ी, बजरी, पत्थर	शा०सं०-1221 / VII-I / 145-ख / 2014 दिनांक 26-08-2014 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं० 01 / तीस-19(2012-13) दिनांक नवम्बर 07, 2014	09-03-2015 से 08-03-2020 तक 05 वर्ष
11.	श्री मानबहादुर पाल, पुत्र श्री हनुमान सिंह पाल, नि० देवलचौड़ खाम पो० मानपुर पश्चिम तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल।	ग्राम तितरी, तहसील डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ के ख०सं० 126 मध्ये कुल 0.601 है० नाप भूमि	रेता, बालू, बोल्डर	शा०सं०-1318 / VII-I / 76-ख / 2013 दिनांक 22-09-2014 एवं जिलाधिकारी के आदेश सं० 02 / तीस-01(2012-13) दिनांक नवम्बर 07, 2014	10-03-2015 से 09-03-2020 तक 05 वर्ष

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में स्वीकृत मुख्य खनिजों (सोपस्टोन/मैग्नेसाईड/डोलोमाईट) से स्वीकृत है। जिनका विवरण निम्नवत् है।

or&ku ea tuin fi Fkk& kx<+vUrxir eq; [kfutka ¼ ki LVku@e&us kbM½ ds Lohdr [kuu i VVka dh I uphA

क्र सं	खनन अनुज्ञा पत्रधारक/पट्टाधारक का नाम	स्वीकृत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल	स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि	मुख्यखनिज का नाम (खनन सामग्री का नाम)
01	मौ भगवती मिनरल्स,ग्राम सिलकोट, तहसील गंगोलीहाट।	ग्राम सिलकोट,तहसील गंगोलीहाट, 6.47 एकड़ नापभूमि	08-03-2002 से 07-03-2022 तक	सोपस्टोन
02	सर्वश्री शिखर मिनरल्स,ग्राम भरद्वारी तह0 गंगोलीहाट	ग्राम सनरखोला,तहसील गंगोलीहाट,4.15 हैक्टे0 नापभूमि।	20-05-2004 से 19-05-2024 तक	सोपस्टोन
03	मै0 एन0बी0मिनरल्स,ग्राम डुण्डू, तह0 डीडीहाट।	ग्राम डुण्डू,तहसील डीडीहाट,4.241 है0 (1.950 है0नापभूमि एवं 2.291 है0वेनाप)	09-07-2000 से 08-07-2020 तक	मैग्नेसाईट / सोपस्टोन / डोलोमाईट
04	श्री भूपेन्द्र सिंह मेहरा,नि0सिनेमा लार्डिन पिथौरागढ़।	ग्राम चौपाता,तहसील डीडीहाट 1.671 हैक्टेयर नापभूमि	31-08-2000 से 30-08-2020 तक	सोपस्टोन
05	श्री बसन्त सिंह सामन्त,नि0 लोहाकोट, तहसील डीडीहाट।	ग्राम चौपाता,तहसील डीडीहाट 3.72 हैक्टेयर नापभूमि	24-10-2000 से 23-10-2020 तक	सोपस्टोन
06	श्री हरीश चन्द्र जोशी,नि0ग्राम भड़कटिया,तहसील पिथौरागढ़।	ग्राम पुखरौड़ा,तहसील डीडीहाट 8.30 हैक्टेयर नापभूमि	04-11-2000 से 03-11-2020 तक	सोपस्टोन
07	डी0डी0 एसोसिएट,नि0घण्टाकरण, तह0पिथौरागढ़।	ग्राम लोहाकोट,तहसील डीडीहाट 3.8 एकड़ नापभूमि	22-10-2003 से 21-10-2023 तक	सोपस्टोन
08	श्री ललित मोहन पेटशाली, नि0 ग्राम चितई, जनपद अल्मोड़ा	ग्राम राईगढ़स्यारी,तहसील बेरीनाग 1.41 हैक्टेयर नापभूमि	29-12-2004 से 28-12-2024 तक	सोपस्टोन

09	श्री सुशान्त पन्त,नि०गाम लोहाकोट, तहसील डीडीहाट	ग्राम लोहाकोट,तहसील डीडीहाट 4.715 हैक्टेयर नापभूमि	16-03-2005 से 15-03-2025 तक	सोपस्टोन
10	मै० के०एस० सोपस्टोन माइन्स, गोरापड़ाव हल्द्वानी जिला नैनीताल	ग्राम मल्ली साँगड़ी,तहसील डीडीहाट 4.582 हैक्टेयर नापभूमि	09-08-2007 से 08-08-2027 तक	सोपस्टोन / डोलोमाईट
11	श्री प्रदीप चन्द्र जोशी,निवासी चिमिस्थानौला,जी०आई०सी०रोड,पिथौरागढ़	ग्राम जोशीगाँव (गौलचौरा),तहसील गंगोलीहाट 4.303 हैक्टेयर नापभूमि	11-10-2007 से 10-10-2027 तक	सोपस्टोन
12	मै० भरत माइन्स,नि०29 आवास विकास कालौनी ल्द्वानी।(नैनीताल)	ग्राम सनरखोला,गाँण,तहसील गंगोलीहाट,4.128 हैक्टे० नापभूमि।	01-10-2007 से 30-09-2027 तक	सोपस्टोन
13	श्री हरेन्द्र सिंह महारा,नि०ग्राम व पो० जाड़ापानी,जिला पिथौरागढ़।	ग्राम बोराआगर,तहसील बेरीनाग,4.445 हैक्टे० नापभूमि।	31-03-2009 से 30-03-2029 तक	सोपस्टोन
14	श्री त्रिलोक सिंह मनराल,नि०ग्राम जवाहर ज्योति,(दमुवाढुंगा) पो० काठगोदाम,जिला नैनीताल।	ग्राम भन्याड़ी,तहसील गंगोलीहाट,4.049 हैक्टे० नापभूमि।	22-09-2009 से 21-09-2029 तक	सोपस्टोन
15	श्री मोहन चन्द्र शर्मा,नि० ग्राम बास्ते,तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	ग्राम हराली,तहसील डीडीहाट,4.89 हैक्टे० नापभूमि।	13-04-2010 से 12-04-2030 तक	सोपस्टोन
16	माँ भगवती मिनरल्स प्रो० श्री मनोज साहनी नि० घण्टाकरण,पिथौरागढ़।	ग्राम बमडौली,तहसील डीडीहाट,4.203 हैक्टे० नापभूमि।	15-01-2011 से 14-01-2031 तक	सोपस्टोन
17	श्री भूपेन्द्र सिंह मारा पुत्र श्री किशन सिंह माहरा नि० सिनेमा लाईन पिथौरागढ़।	ग्राम म्यौली,तहसील डीडीहाट,4.326 हैक्टे० नापभूमि।	14-06-2011 से 13-06-2031 तक	सोपस्टोन / मैग्नेसाईट
18	श्री इन्द्रसिंह कार्की पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह कार्की एण्ड पार्टनर नि०पीपलतड़ तहसील डीडीहाट।	ग्राम ठाँगा,तहसील बेरीनाग,4.492 हैक्टे० नापभूमि।	01-09-2011 से 31-08-2031 तक	सोपस्टोन
19	श्री मानिक चन्द्र पाण्डे पुत्र स्व० श्रीमती रूकमणी पाण्डे एवं स्व० श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे नि० ग्राम खड़कोट,तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	ग्राम चौपाता,तहसील डीडीहाट,1.575 हैक्टे० नापभूमि।	12-09-2011 से 11-09-2031 तक	सोपस्टोन
20	श्री ठाकुर सिंह डसीला पुत्र श्री शेरसिंह डसीला नि० ग्राम बासीखेत,पो० देवराड़ीपन्त तहसील	ग्राम दौणू,तहसील गंगोलीहाट,4.321 हैक्टे० नापभूमि।	30-12-2011 से 29-12-2031 तक	सोपस्टोन

	गंगोलीहाट ।		तक	
21	श्री दानसिंह उर्फ चन्द्र सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी ग्राम रीठा, तहसील बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़ ।	ग्राम रीठा, तहसील बेरीनाग, 4.855 हैक्टे० नापभूमि ।	22-08-2014 से 21-08-2034 तक	सोपस्टोन
22	श्री जीवन सिंह मल, पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह मल्ल, निवासी गाम जाखनी पो० व जनपद पिथौरागढ़ ।	ग्राम डुंगरा, तहसील एवं जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्रान्तर्गत 4.184 हैक्टे० नापभूमि ।	16-02-2015 से 15-02-2035 तक	मैग्नेसाईट / डोलोमाईट
23	श्रीमती देवकी देवी पाण्डे, पत्नी स्व० पीताम्बर पाण्डे, निवासी ग्राम हुड़ेती, पो० डिग्रीकालेज पिथौरागढ़ ।	ग्राम तोली तहसील धारचूला-12.94 है० नाप / वेनाप, 6.001 है० नाप भूमि ।	25-09-2013 से 31-03-2030 तक नवीनीकृत	सोपस्टोन

4&

LFkkl fuokl i æk.k&i = fuxr fd; k tkuk %&

शासनादेश संख्या-2588-
एक-04 / सा.प्रशा. / 2001,
दि० 20-11-2001

सरकारी विभागों / निगमों / सेना / पुलिस में नौकरी तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश आदि प्रयोजनों के लिये आम लोगों, विद्यार्थियों को स्थाई निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। उत्तरांचल शासन के सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून के अद्यतन शासनादेश संख्या-2588 / एक-04 / सा.प्रशा / 2001, दिनांक: 20 नवम्बर, 2001 के अनुसार शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान में शासनादेश में निर्धारित प्रारूप पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं। शासनादेश संलग्न परिशिष्ट-6 पर है।

जन सामान्य की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशों पर स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी उप जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को इस प्रयोजनार्थ जिला मुख्यालय आने हेतु अनावश्यक धन एवं समय व्यय न करना पड़े। उप जिलाधिकारियों द्वारा जांचोपरान्त आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पर ही स्थाई निवास प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं।

5&jkT; k/khu l okvka ea vkj{k.k grq tkfr i æk.k i = fuxr fd; k tkuk %&

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व नागरिकों के

शा0सं0-1540/कार्मिक-
सेवा

2/2002, दिनांक:
29-03-2003

पिछड़े अन्य वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक

(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथा अनुकूलित एवं संशोधित) की धारा-9 के अनुसार इन वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है। जनता एवं विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्मिक अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-1540/कार्मिक-2/2002, दिनांक: 29 मार्च, 2003 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जाति प्रमाण पत्र संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर निर्गत किये जाते हैं, ताकि किसी भी आवेदक को असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें प्रमाण पत्र उसी दिन सहजता से प्राप्त हो सके। शासनादेश संलग्न परिशिष्ट-7 पर है।

6&

B&nkjh iz kstu grq pfj = , oa gfl ; r i&k.k i = tkjh fd ; k tkuk%&

शा0सं0-670/23-2-97-
39(2)/84
दि0 19-03-1997

लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-670/23-2-97-39(2)/84, दिनांक: 19-03-1997 के अनुसार लोक निर्माण विभाग तथा अन्य निर्माणदायी विभागों में पथकर वसूली तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु ठेकेदारों को उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र दिये जाने का प्राविधान है। इसी शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार संबंधित ठेकेदारों के आवेदन पत्र की आवश्यक जाँच कराने उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाते हैं। यह चरित्र प्रमाण पत्र 06 माह के लिए तथा हैसियत प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध होता है। शासनादेश संलग्न परिशिष्ट-8 पर है।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2006 में कुल 533 चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं तथा वर्ष 2007 में वर्तमान तक कुल 03 चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। वर्ष 2007 में अब तक जारी किये गये चरित्र एवं हैसियत प्रमाण पत्रों की सूची संलग्न परिशिष्ट-9 पर है।

7&'kL= ykb7 77 tkjh djuk , oa mudk uohuhdj .k%&

शा0सं0-1987आर/छ:-पु0

आयुद्ध अधिनियम, 1959 एवं आयुद्ध नियमावली, 1962 तथा

-6-678/96, दिनांक:

03-06-1998

शा0सं0-2600आर/छ:पु0

-5-1999, दिनांक:

21-04-1999

शा0सं0-271आर/छ:-पु0

-5-91-573/91,

दि0 25-02-1991

भारत सरकार के

शा0सं0-11016/

16/2009-आम्श

दिनांक 31 मार्च, 2010

शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अधिसूचनाओं में दिये

गये निर्देशों के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नागरिकों को आत्म सुरक्षा /खेती सुरक्षा/विरासतन एवं अन्य प्रयोजनार्थ शस्त्र अनुज्ञापत्र जनपद /राज्य की सीमा अन्तर्गत विधिवत जांच करवाकर संतुष्ट होने पर निर्गत किये जाते हैं। इन शस्त्रों का नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष में निर्धारित शुल्क एवं औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुए किया जाता है। किसी लाईसेन्सी के विरुद्ध ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर कि जिससे जन सुरक्षा अथवा शान्ति व्यवस्था को खतरा है अथवा लाईसेन्स में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो नियमानुसार शस्त्र लाईसेन्स/आग्नेयास्त्र के **निलम्बन / निरस्तीकरण** के बारे में अपेक्षित कार्यवाही कर लाईसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा लाईसेन्स को निरस्त किया जा सकता है। संबंधित शासनादेश संलग्न परिशिष्ट-10, 11 एवं 12 पर है। आलोच्य अवधि में जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत कुल 2778 शस्त्र लाईसेन्स स्वीकृत/प्रचलन में है, जिनमें उत्तरांचल राज्य गठन से पूर्व 2275 तथा उत्तरांचल राज्य गठन से अब तक के 503 शस्त्र लाईसेन्स सम्मिलित है।

7.2 सम्पूर्ण भारतवर्ष की सीमान्तर्गत लाईसेन्स चाहने वाले आवेदक का प्रार्थना पत्र आवश्यक जांचोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट की संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को संदर्भित किया जाता है।

7.3 विस्फोटक नियमावली के अन्तर्गत निजी प्रयोजनों/सार्वजनिक प्रयोजनों एवं विकास से संबंधित कार्यों के लिये 5 किग्रा0 तक के विस्फोटक का अनुज्ञापत्र स्वयं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जा सकता है तथा जिला मजिस्ट्रेट की अनुसंसा पर संयुक्त विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा द्वारा 5 किग्रा से अधिक विस्फोटक का अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जाता है।

8&ek\j xkM# vkfn okguka dks vLFkk; h ijfeV tkjh djuk %&

मोटर गाड़ी आदि वाहनों के रोड परमिट परिवहन विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं। यदि किसी वाहन का परमिट किसी निश्चित सीमा तक स्वीकृत है, लेकिन उसे किसी विशेष अथवा आवश्यक कार्य से परमिट की सीमा से बाहर जाना है तो परमिटधारी की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-87 के उपधारा (1) के खण्ड (ग) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट अस्थायी परमिट स्वीकृत कर सकते हैं, जिसके लिये उन्हें शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। यह परमिट आवेदक के अनुरोध पर अस्थायी परमिट शुल्क ₹ 300.00,

यात्री कर प्रतिदिन ₹ 200.00 की दर से तथा कोर्ट फीस ₹ 100.00 जमा करने पर जारी किया जाता है।

उत्तरांचल शासन,
परिवहन अनुभाग
अधिसूचना संख्या-05/
IX/577/2005,
दिनांक: 02-01-2006

अस्थाई परमिट आवेदकों के अनुरोध पर विशेष प्रयोजनार्थ यथा शादी-विवाह समारोह, गोष्ठियों में सम्मिलित होने, किसी सेमीनार में हिस्सा लेने आदि के लिये जारी किया जाता है। जनपद पिथौरागढ़ माह जनवरी, 2010 से अब तक कुल 87 अस्थाई परमिट जारी किये गये हैं। उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या-05/IX/577/2005, दिनांक: 02 जनवरी, 2006 संलग्न परिशिष्ट-13 पर है।

9&Lora=rk l æke l sukfu; ka , oa muds vkfJrka@
mRrjkf/kdkfj; ka dks ifjp; iæ.k&i = tkjh djuk %&

mRrjkpy 'kkl u 'kkl ukns'k
l a[; k&1010@XX%3%@04&18Lo0l 0l 0@2004]
x'g vu|kkx fnukad% 29 vDVicj] 2004] 'kkl ukns'k l a[; k&620
XX%5%@05&18
'kk0l 0&1010@XX%3%@ Lo0l 0l 0@2004] fnukad% 07 vDVicj] 2005 , oa 'kkl ukns'k
04&18Lo0l 0l 0@2004 l a[; k&613@ XX%5%@11&18@Lo0l 0l 0@2004 fnukad 16
fl rEcj fnukad% 29&10&2004 2011 ea fn; s x; s ikfo/kkuka ds vuq kj Lora=rk
l æke l sukfu; ka , oa , oa 'kk0l 0&620@XX%5%@ muds vkfJrka@mRrjkf/kdkfj; ka dks
fu/kkfjr ik: i ij ftykf/kdkjh 05&18Lo0l 0l 0@2004 }kjk ifjp; iæ.k k i=
fuxr fd; s tkrs gA tuin fi Fkkj kx<+ ea fnukad% 07&10&2005 fnukad 21-03-
2012 rd dy 577 ifjp; iæ.k k i = fuxr fd; s

एवं संख्या-613/ XX(5) गये हैं। शासनादेश संलग्न परिशिष्ट-14 एवं 15 पर है।
/ 11-18/स्व0सं0से0/
2004 दिनांक 16 सितम्बर, 2011

उत्तर प्रदेश
केबिल टेलीविजन
नेटवर्क नियमावली
1997

10&dfcy l ok dh 0; oLFkk dh vuøfr %&

उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली 1997 के उप नियम-3 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना कोई व्यक्ति केबिल सेवा की व्यवस्था नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो केबिल सेवा की व्यवस्था करने का इच्छुक हो, वह जिला मजिस्ट्रेट को उप नियम-2 के अधीन प्रपत्र-1 में आवेदन कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 60 दिन के भीतर उप नियम-4 के अधीन आदेश पारित कर अनुमति प्रदान करते हैं। अनुज्ञप्ति की समय सीमा समाप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारक के नवीनीकरण हेतु आवश्यक जांचोपरान्त आगामी तीन वर्षों के लिए अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जाता है। जनपद पिथौरागढ़ में अब तक केबिल आपरेटर के 24, वीडियो लाईब्रेरी के 27, अस्थाई वीडियो सिनेमा के - अस्थाई सिनेमा के 01 लाईसेन्स स्वीकृत हैं। संबंधित नियमावली संलग्न परिशिष्ट-16 पर है। (दिनांक 31.03.2011 तक की स्थिति)

11&vkcckjh vf/kfu; e ds vlrxr tkjh fd;s tkus okys
ykb7 7l %&

उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल (संस्करण 1994) के नियम 650 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में स्थित सैन्य कैंटीनों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कैंटीनों को निर्धारित शुल्क जमा करने पर रियायती दरों पर विदेशी मदिरा **भण्डारण/उपयोग** हेतु प्रपत्र एफ0एल0-9ए तथा पूर्ण दर का लाईसेन्स एफ0एल0-9 पर कुल 17 लाईसेन्स जारी किये गये हैं। लाईसेन्स प्राप्तकर्ताओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट-17 पर है।

उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल तथा उत्तरांचल शासन देहरादून की अधिसूचना संख्या-186/XXIII/2011/02/2011, दिनांक: 15 मार्च, 2011 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में दिनांक: 29-03-2011 को देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही लाटरी पद्धति से करवाई गई, जिनमें जनपद की कुल 22 (12 विदेशी एवं 10 देशी मदिरा) देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये लाटरी निकाली गयी। तत्पश्चात उन्हें जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र एफ0एल0-5डी-10 एवं सी0एल0-5(1)-13 जारी किये गये। 01 अवशेष देशी मदिरा दुकान के व्यवस्थापन की कार्यवाही गतिमान है। अधिसूचना संलग्न परिशिष्ट-18 पर एवं देशी/विदेशी मदिरा दुकानों तथा लाईसेन्स प्राप्तकर्ताओं की सूची संलग्न परिशिष्ट-19 पर है।

efuqy l a ; k& 14

½dl h byDVkfud : i ea l puk ds l Ecl/k ea C; kjs tks ml dks
mi yC/k gka ; k ml ds }kjk /kkfjr gka ½

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से आज उत्तराखंड राज्य ने अल्प समय में ही सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में अग्रणी स्थान बना लिया है। इक्कसवीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना क्रान्ति को वर्तमान युग में राज्य सरकार ने कम्प्यूटर व आई0टी0 तकनीकी को सरकारी कार्यालयों, विभागों, स्कूल-कालेजों के साथ-साथ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचा दिया है।

सरकारी काम-काज में शीघ्रता लाने और आम आदमी तक विकास योजनाओं को सुगमता से पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस की व्यवस्था लागू की गयी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजनाओं का निरन्तर अनुश्रवण कर इस योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई गई है। सरकारी कार्यालयों एवं अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

जिला कार्यालय पिथौरागढ़ में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नवत् संसाधन उपलब्ध है :-

1& dEl; Wj l fo/kk %&

जिला कार्यालय पिथौरागढ़ के सभी कक्षों/पटलों में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है। जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों/पटलों में कुल 20 कम्प्यूटर स्थापित किये गये है तथा कार्यालय के समस्त कार्य कम्प्यूटर से ही सम्बन्धित कक्ष/पटल सहायकों द्वारा सम्पादित किये जाते है। इसी प्रकार जनपद के सभी 06 उप जिलाधिकारी कार्यालयों एवं सभी 06 तहसीलों में भी कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है ।

जिला कार्यालय पिथौरागढ़ में विभिन्न कक्षों/पटलों में स्थापित कम्प्यूटरों में निम्नवत् ब्यौरे उपलब्ध है :-

1. राजस्व सहायक कक्ष :-
 - 1.1 मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण-पत्र
 - 1.2 विभिन्न मदों में प्राप्त बजट तथा व्यय विवरण-पत्र
 - 1.3 राजस्व विभाग की आडिट आपत्तियों का विवरण
 - 1.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/आश्रितों की सूची
 - 1.5 मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं का विवरण

- 1.6 उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की टिप्पणी
- 1.7 जिलाधिकारी द्वारा किये गये अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का विवरण
- 1.8 नैनी-सैनी हवाई पट्टी से संबंधित विवरण

2— न्यायिक सहायक कक्ष :-

- 2.1 उत्तराखंड आन्दोलनकारियों से संबंधित विवरण।
- 2.2 कैलाश मानसरोवर यात्रियों से संबंधित विवरण।
- 2.3 भारत-चीन व्यापार से संबंधित विवरण।
- 2.4 मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण-पत्र।
- 2.5 जिला शासकीय अधिवक्ताओं से संबंधित विवरण।
- 2.6 मासिक स्टाफ बैठक से संबंधित कार्यवृत्ति एवं विवरण-पत्र।
- 2.7 पासपोर्ट से संबंधित।

3— प्रधान नाजिर कक्ष :-

- 3.1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची।
- 3.2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी का रोस्टर।
- 3.3 मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण-पत्र
- 3.4 राजस्व विभाग के विभागीय वाहनों का विवरण।
- 3.5 राजस्व विभाग के विभागीय टेलीफोन संयोजनों की सूची।
- 3.6 वी0आई0पी0 ड्यूटी हेतु जिला स्तरीय राजकीय वाहनों के अधिग्रहण का रोस्टर।
- 3.7 पिटीशन राइटर्स की सूची।

4— मुख्य राजस्व लेखाकार कक्ष :-

- 4.1 राजकीय एवं विविध देयों की मांग एवं वसूली का ब्यौरा।
- 4.2 दस हजार रूपये से अधिक की धनराशि के बकायेदारों की सूची।
- 4.3 मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण—पत्र
- 4.4 सीजनल संग्रह अमीनों की मासिक वसूली कारगुजारी।
- 4.5 दैवीय आपदाओं से संबंधित समस्त घटनाओं, राहत तथा परिसम्पत्तियों तथा मरम्मत/पुनर्निमाण संबंधी विवरण।
- 4.6 दैनिक वर्षा के आंकड़े तथा कन्ट्रोल रूम ड्यटी का विवरण।
- 4.7 संग्रह अधिष्ठान से संबंधित बजट का विवरण।
- 4.8 आडिट आपत्तियों का विवरण।

5— भूलेख कक्ष :-

- 5.1 मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण—पत्र
- 5.2 भूलेख अधिष्ठान से संबंधित बजट का विवरण।
- 5.3 भूलेख अधिष्ठान से संबंधित आडिट आपत्तियों का विवरण।
- 5.4 भूलेख अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची।
- 5.5 भूलेख कम्प्यूटरीकरण का विवरण।

6— देयक कक्ष :-

- 6.1 नियमित अधिष्ठान संबंधी बजट एवं व्यय का विवरण।
- 6.2 नियमित अधिष्ठान अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मासिक परिलब्धियों का विवरण।
- 6.3 नियमित अधिष्ठान से संबंधित आडिट आपत्तियों का विवरण।
- 6.4 मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण—पत्र
- 6.5 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि से संबंधित लेखा।
- 6.6 अनिस्तारित पेंशन प्रकरणों का विवरण।

7— सामान्य लिपिक, स्टाम्प/परिवहन लिपिक कक्ष :-

- 7.1 मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण—पत्र
 - 7.2 जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जिला कार्यालय के विभिन्न कक्षों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण रोस्टर।
 - 7.3 आगामी दो वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची।
 - 7.4 नियमित अधिष्ठान अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोटिक्रम सूची।
 - 7.5 स्टाम्प वादों से संबंधित विवरण।
 - 7.6 आर्थिक करावंचन से संबंधित विवरण।
 - 7.7 स्टाम्प वैण्डरों से संबंधित विवरण।
- 2& Qk/sk LVS/ I fo/kk %&

पत्राचार तथा प्रासंगिक संदर्भों की प्रतियां निकालने के लिए जिला कार्यालय में फोटो स्टेट मशीन की सुविधा उपलब्ध है। जिला कार्यालय में फोटो स्टेट मशीन हेतु पृथक से एक कक्ष की व्यवस्था की गयी है, जहाँ पर दो फोटो स्टेट मशीन रखी गयी है तथा एक फोटो स्टेट मशीन वैयक्तिक सहायक कक्ष, जिलाधिकारी में रखी गयी है एवं एक फोटो स्टेट मशीन जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में भी स्थापित की गयी है। इसी प्रकार जनपद की समस्त उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालयों में फोटो स्टेट मशीन की सुविधा उपलब्ध है।

3& QDI I fo/kk %&

राजकीय कार्यों के त्वरित सम्पादन हेतु एवं पत्रों के तत्काल आदान—प्रदान हेतु जिला कार्यालय में एवं जनपद की तहसीलों (तहसील

पिथौरागढ़ को छोड़कर) में फ़ैक्स सुविधा उपलब्ध है। जिला कार्यालय एवं तहसील कार्यालयों के फ़ैक्स नम्बरों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	विवरण	फ़ैक्स नम्बर
1.	जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय	05964-225441
2.	जिला कार्यालय	05964-225395
3.	जिला कार्यालय, दैवी आपदा	05964-226326
4.	उप जिलाधिकारी कार्यालय बेरीनाग	05964-224116
5.	उप जिलाधिकारी कार्यालय, डीडीहाट	05964-232125
6.	उप जिलाधिकारी कार्यालय, धारचूला	05967-222207
7.	उप जिलाधिकारी कार्यालय, मुनस्यारी	05961-222215
8..	उप जिलाधिकारी कार्यालय गंगोलीहाट	05964-242443

4. तहसील कार्यालयों के फ़ैक्स नम्बर

राजकीय कार्यों के सम्पादनार्थ एवं सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु जिला कार्यालय एवं जनपद की समस्त तहसीलों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। जिला कार्यालय एवं उप जिलाधिकारी/तहसील कार्यालयों के टेलीफोन नम्बरों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	विवरण	टेलीफोन नम्बर
1.	जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	05964-225201 05964-225301
2.	जिला कार्यालय, पिथौरागढ़	05964-225202
3.	जिला कार्यालय, दैवी आपदा कक्ष	1077 05964-226236

4.	उप जिलाधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़	05964-225950
5.	उप जिलाधिकारी कार्यालय बेरीनाग	05964-224116
6.	उप जिलाधिकारी कार्यालय, डीडीहाट	05964-232125
7.	उप जिलाधिकारी कार्यालय, धारचूला	05967-222207
8.	उप जिलाधिकारी कार्यालय, मुनस्यारी	05961-222215
9..	उप जिलाधिकारी कार्यालय गंगोलीहाट	05964-242443
10.	तहसील कार्यालय, पिथौरागढ़	05964-225245
11.	तहसील कार्यालय, गंगोलीहाट	05964-242440
12.	तहसील कार्यालय, बेरीनाग	05964-244760
13.	तहसील कार्यालय, डीडीहाट	05964-232132
14.	तहसील कार्यालय, धारचूला	05967-222207
15.	तहसील कार्यालय, मुनस्यारी	05961-222201

5& ok; jyl l v %&

राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी भ्रमणशील अधिकारी है, जिन्हें कार्यालय कार्य के अतिरिक्त राजकीय कार्य के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय भ्रमण भी करना होता है। भ्रमण के दौरान अपने कार्यालय एवं उच्चाधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने हेतु जनपद में जिलाधिकारी सहित समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को आवंटित वाहनों में वायरलैस सैट स्थापित किये गये हैं, जिसके द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान भी सभी अधिकारी एक-दूसरे के सम्पर्क में बने रहते हैं।

6& ohfM; ks dkWQfI x l fo/kk %&

जनपद पिथौरागढ़ में जिला कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल की स्थापना की गयी है, जिसमें एन0आई0सी0 के माध्यम से समय-समय पर शासकीय एवं विकास कार्यों की समीक्षा की जाती है।

7& ftyk l ipuk foKku dlnz ¼, u0vkbDI h0½ %&

जिला कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल के ठीक सामने जिला सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा किया जाता है।

8& blVjuW %&

जनपद में वी-सेट के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे इन्टरनेट में उपलब्ध आवश्यक व उपयोगी सूचनाओं को समय-समय पर एकत्रित किया जाता है। इस वी-सेट के माध्यम से जनपद मुख्यालय में स्थित समस्त जिला स्तरीय कार्यालयों को जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि विभिन्न विभागों के बीच सूचना का आदान-प्रदान तेजी व त्रुटिरहित ढंग से किया जा सके।

9& b&esy %&

ई-मेल के माध्यम से समय-समय पर शासन से निर्देश प्राप्त करने के साथ ही आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया जाता है।

10& ekI e foKku dlnz %&

जिला कार्यालय में मुख्य भवन के समीप स्थित एक अतिरिक्त भवन में मौसम विज्ञान केन्द्र की स्थापना की गयी है। जहाँ पर भूकम्पमापी यंत्र

एवं वर्षामापी यंत्र स्थापित किये गये है। यह यंत्र स्वचालित है, जिनसे वर्षा एवं भूकम्प की तीव्रता का आंकलन प्राप्त होता है।

tui n fi Fkkj kx<+vUrxr thfor@er Lorark l xke l sukfu; ka dh l ph %&

क्र० सं०	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम	पिता का नाम	पता	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री केशर सिंह	श्री आन सिंह	ग्राम दिगड़ा, पट्टी मुवानी, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
2-	Jh tkkj fl g	Jh irki fl g	xke fnxMk] iVvh epkuh] rgl hy MhMhgkV] ftyk fi Fkkj kx<A	thfor
3.	श्री तारा दत्त	श्री भानदेव	ग्राम कमतोली, पट्टी मुवानी, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
4.	श्री पान सिंह	श्री मान सिंह	ग्राम दिगड़ा, पट्टी मुवानी, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
5.	श्री चन्द्रकान्त	—	ग्राम कमतोली, पट्टी मुवानी, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	सेनानी के आश्रित वर्तमान में खटीमा में मूल रूप से निवास कर रहे हैं।
6.	श्री ललित चन्द	श्री रुयूल चन्द	ग्राम पतेत, पट्टी सल्यालगाँव, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
7.	श्री गोपाल सिंह	श्री बहादुर सिंह	ग्राम देवली, पट्टी सत्यालगाँव, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
8.	श्री गम्भीर सिंह	श्री फकीर सिंह	ग्राम देवली, पट्टी सत्यालगाँव, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
9.	श्री किशन सिंह	श्री शेर सिंह	ग्राम चलमोड़ी, पट्टी सल्यालगाँव, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
10.	श्री पदम सिंह	श्री मोहन सिंह	ग्राम खोलासन पट्टी चमू तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
11.	श्री जगत सिंह	श्री राम सिंह	ग्राम सिल, पट्टी चमू तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
12.	श्री सोबन सिंह	—	ग्राम काफलीगैर, पट्टी सानदेव, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री सोबन सिंह पूर्व से तराई भावर में निवास करते हैं।

--2--

13.	श्री शेर सिंह	श्री लाल सिंह	ग्राम चुपड़ाखेत पट्टी आदिचौरा तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
14.	श्री कान सिंह	श्री किशन सिंह	ग्राम व पट्टी पमतोडी तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
15.	श्री खुशाल सिंह	श्री हरक सिंह	ग्राम मालाझूला पट्टी पमतोडी तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
16.	श्री माधों सिंह जंगपांगी	श्री खुशाल सिंह	नगर पंचायत डीडीहाट तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
17.	श्री धनी लाल	श्री भीम लाल	ग्राम हाटथर्प पट्टी डीडीहाट तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
18.	Jh nð fl g	Jh nyhi fl g	xke dkSyh gkVFkiZ iVVh ,o rgl hy MhMhgkV] ftyk fi Fkkj kx<A	thfor
19.	श्री मिलाप सिंह	श्री भवान सिंह	ग्राम खोजा पट्टी देवविसौना तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
20.	श्री बाला दत्त पंत	श्री हरी दत्त पंत	ग्राम व पट्टी भातड़ तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
21.	श्री गोपाल सिंह	श्री जीत सिंह	ग्राम भडगांव पट्टी भैस्यूडी तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
22.	श्री भीम सिंह	श्री जोगा सिंह	ग्राम नाकोट पट्टी नारायणनगर तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
23.	श्री भवान सिंह	श्री राय सिंह	ग्राम बजानी पट्टी जौरासी तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
24.	श्री त्रिलोक सिंह	श्री राय सिंह	ग्राम बजानी पट्टी जौरासी तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
25.	श्री गम्भीर सिंह	श्री खुशाल सिंह	ग्राम व पट्टी हचीला तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
26.	श्री शेर सिंह	श्री महेन्द्र सिंह	ग्राम तोली चुफात पट्टी हचीला तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
27.	श्री हर सिंह	श्री पदम सिंह	ग्राम चौसाल पट्टी गर्खा तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
28.	श्री अमर सिंह	श्री हर सिंह	ग्राम चौसाल ग्राम गर्खा तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु

—3—

29.	श्री मिलाप सिंह	श्री ठग सिंह	ग्राम व पो0 मझेड़ा तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
30.	श्री प्रताप सिंह	श्री सोबन सिंह	ग्राम उड़मा पट्टी सिंगाली तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
31.	श्री बहादुर सिंह	श्री कुंवर सिंह	ग्राम गणार्ई पट्टी व पो0 सिंगाली तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
32.	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री जगत सिंह	ग्राम खोलियागांव पट्टी अस्कोट तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
33.	श्री प्रताप सिंह	श्री हरक सिंह	ग्राम हिनकोट पट्टी अस्कोट तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
34.	श्री गुमान सिंह	श्री प्रताप सिंह	ग्राम लिमाभाट पट्टी जौरासी तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
35.	श्री कल्याण सिंह	श्री हर सिंह	ग्राम लमतड़ी, पट्टी विसौनाखान, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
36.	श्री माधो सिंह	श्री रुद्र सिंह	ग्राम बल्यानीचौरा पट्टी कनालीछीना तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
37.	श्री दान सिंह	श्री धरम सिंह	ग्राम पंतसेरा पट्टी पीपली तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
38.	श्री नन्द राम	श्री दत्त राम	ग्राम सतगढ़ पट्टी सिरौली तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
39.	श्री राम दत्त	श्री पुर्षोत्तम	ग्राम सतगढ़ पट्टी सिरौली तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
40.	श्री देवी दत्त	श्री पूर्णानन्द	ग्राम सतगढ़ पट्टी सिरौली तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
41.	श्री लाल सिंह	श्री किशन सिंह	ग्राम लोहाकोट, पट्टी देवलथल तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
42.	श्री मान सिंह	—	ग्राम पातलीगांव पो0 मलानचर्मा तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
43.	श्री काशी सिंह	श्री पूरन सिंह	ग्राम छिपचिया(जिनगाल), पट्टी देवलथल तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु

—4—

44.	श्री विजय सिंह	श्री तेज सिंह	ग्राम काणाधार पट्टी तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ़।	ख्वाकोट जिला	मृत्यु
45.	श्री दलीप सिंह	श्री देब सिंह	ग्राम काणाधार पट्टी तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ़।	ख्वाकोट जिला	मृत्यु
46.	श्री त्रिलोक सिंह	श्री नरपत सिंह	ग्राम एवं पोस्ट धारचूला (हाट), पट्टी धारचूला, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़।		मृत्यु
47.	श्री जोगा सिंह	श्री लक्ष्मण सिंह	ग्राम नगर पंचायत, धारचूला, पट्टी धारचूला, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़।		मृत्यु
48.	श्री परमल सिंह हयांकी	श्री करम सिंह हयांकी	ग्राम ज्योतिपांगू, पट्टी सोसा, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़।		मृत्यु
49.	श्री हरी दत्त	श्री गंगा दत्त	ग्राम लेजम पट्टी आमथल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
50.	श्री कुशल सिंह	श्री विशन सिंह	ग्राम उडीसिरतोली पट्टी आमथल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
51.	श्री भीम सिंह	श्री जौहार सिंह	ग्राम जाज सिरतोली पट्टी उप्राडापाठक तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
52.	श्री धन सिंह	श्री पदम सिंह	ग्राम लोहाथल पट्टी लोहाथल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
53.	श्री बुद्धिबल्लभ	श्री अम्बादत्त	ग्राम बरतुंगा पट्टी थल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
54.	श्री लछम सिंह	श्री महेन्द्र सिंह	ग्राम डांडल पट्टी पांखू तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
55.	श्री मधुसूदन	श्री लक्ष्मीदत्त	ग्राम मखौली पट्टी संगौड तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
56.	श्री विशन सिंह	श्री कुशल सिंह	ग्राम व पट्टी लोहाथल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
57.	श्री मदन सिंह	श्री राम सिंह	ग्राम व पट्टी लोहाथल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
58.	श्री त्रिलोक सिंह	श्री गोपाल सिंह	ग्राम डांगीगांव पट्टी उप्राडापाठक तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
59.	श्री तारादत्त	श्री ईश्वरी दत्त	ग्राम गराऊँ पट्टी कालेटी तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु
60.	श्री प्रताप सिंह	श्री वीर सिंह	ग्राम व पट्टी आमथल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़		मृत्यु

—5—

61.	श्री बट्टी दत्त	श्री मोती राम	ग्राम दशौली, पट्टी पांखू तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
62.	श्री उत्तम सिंह	श्री दौलत सिंह	ग्राम जाजर सिरतोली पट्टी उप्राडापाठक तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
63.	श्री गोपी चन्द	श्री उत्तम चन्द	ग्राम कौलीशैकियाथल पट्टी आमथल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
64.	श्री देवी दत्त	श्री दुर्गा दत्त	ग्राम उखड़ानी पट्टी आमथल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
65.	श्री त्रिलोक सिंह	श्री जोगा सिंह	ग्राम जौग्यूडाथल पट्टी थल तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
66.	श्री दीवान सिंह	श्री गोपाल सिंह	ग्राम ब्याती पट्टी त्रिपुरादेवी तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
67.	श्री मनोरथ पन्त	श्री भवानी दत्त	ग्राम ढनौली पट्टी एवं तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
68.	श्री दीवान सिंह दशौनी	श्री प्रताप सिंह	ग्राम सिमायल पट्टी भुवनेश्वर तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
69.	श्री प्रताप सिंह	श्री किशन सिंह	ग्राम भण्डारीगांव पट्टी राईआगर तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
70.	श्री चंचल सिंह	श्री किशन सिंह	ग्राम सेलादुतखोला पट्टी डुंगरीपंत तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
71.	श्री दीवान सिंह	श्री सोबन सिंह	ग्राम डुंगरीपन्त, पट्टी डुंगरीपंत तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
72.	श्री तारा दत्त	श्री गंगा दत्त	ग्राम दौलाउप्रेती पट्टी चौडमन्या तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
73.	श्री मनी राम	श्री रतनमणी	ग्राम असुर पट्टी खितौली तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
74.	श्री प्रेम सिंह	श्री हर सिंह	ग्राम बड़ेतबाफिला पट्टी कालासिला तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
75.	श्री प्रेम बल्लभ	श्री चन्द्रबल्लभ	ग्राम कपतोला पट्टी कालासिला तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
76.	श्री बहादुर सिंह	श्री तेज सिंह	ग्राम पुंगरखोला, पट्टी गढ़तिर तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
77.	श्री लक्ष्मी दत्त	श्री कामदेव	ग्राम बजेत, पट्टी कालासिला तहसील बेरीनाग जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
78.	श्री खड़क गिरी	श्री विशन गिरी	ग्राम जाख पट्टी थरकोट तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु

79.	श्री चंचल गिरी	श्री विशन गिरी	ग्राम जाख पट्टी थरकोट तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
80.	श्री कालू सिंह	श्री आन सिंह	ग्राम तोली पट्टी थरकोट तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
81.	श्री मोहन सिंह	श्री जोगा सिंह	ग्राम तोली पट्टी थरकोट तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
82.	श्री नित्यानन्द	श्री मोती राम	ग्राम तोली पट्टी थरकोट तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
83.	श्री भीम सिंह	श्री घूसा सिंह	ग्राम व पट्टी थरकोट तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
84.	श्री भोला दत्त	श्री विशन दत्त तिवारी	ग्राम गुरना पट्टी इग्यारह तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
85.	श्री राम सिंह	श्री लाल सिंह	ग्राम शेरीकाण्डा पट्टी इग्यारह तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
86.	श्री दान सिंह	श्री पूरन सिंह	ग्राम गैना पट्टी शिलिंग तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
87.	श्री राम सिंह	श्री हर सिंह	ग्राम बडालू पट्टी मूनाकोट, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
88.	श्री प्रेम चन्द	श्री बच्ची चन्द	ग्राम बडालू पट्टी मूनाकोट, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
89.	श्री परमानन्द	श्री पुरुषोत्तम	ग्राम मजिरकाण्डा, पट्टी मजिरकाण्डा, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
90.	श्री राम दत्त	श्री देवी दत्त	ग्राम मजिरकाण्डा, पट्टी मजिरकाण्डा, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
91.	श्री जय सिंह	श्री रतन सिंह	ग्राम मजिरकाण्डा, पट्टी मजिरकाण्डा, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
92.	श्री कर्म सिंह	श्री आन सिंह	ग्राम मजिरकाण्डा, पट्टी मजिरकाण्डा, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
93.	श्री किशन सिंह	श्री भवान सिंह	ग्राम भटेड़ी, पट्टी मजिरकाण्डा, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
94.	श्री बहादुर सिंह	श्री भवान सिंह	ग्राम भटेड़ी, पट्टी मजिरकाण्डा, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु
95.	श्री रामी चन्द	श्री तेनी चन्द	ग्राम बगड़तोली, पट्टी गौड़ीहाट, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ ।	मृत्यु

—7—

96.	श्री कर्णध्वज चन्द	श्री केशी चन्द	ग्राम जगतूरी, पट्टी मड़सौन, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
97.	श्री रामी चन्द	श्री मोती चन्द	ग्राम रियांसी, पट्टी मूनाकोट, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
98.	श्री श्याम सिंह	श्री शेर सिंह	ग्राम मनकोट, पट्टी दोली, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
99.	श्री राम सिंह	श्री डमर सिंह	ग्राम दोली, पट्टी दोली, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
100.	श्री जय सिंह	श्री रतन सिंह	ग्राम मजिरकाण्डा (सेरीगाँव), पट्टी मजिरकाण्डा, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
101.	श्री हरि नाथ	श्री शंकर नाथ	ग्राम भटेड़ी, पट्टी मजिरकाण्डा, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
102.	श्री कालू सिंह	श्री जीत सिंह	ग्राम सातशिलिंग, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
103.	श्री जमन सिंह	श्री प्रताप सिंह	ग्राम सातशिलिंग, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
104.	श्री रामी चन्द	श्री लाली चन्द	ग्राम स्यूसी, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
105.	श्री भवनी चन्द	श्री गोपी चन्द	ग्राम लामाखेत, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
106.	श्री गोपाल सिंह	श्री हिम्मत सिंह	ग्राम बीसाबजेड़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
107.	श्री गुमान गिरी	श्री खड़क गिरी	ग्राम नैनी (सिमानी), पोस्ट दिगतोली, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
108.	श्री काशी राम	श्री हरी दत्त	ग्राम रई, पोस्ट पिथौरागढ़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
109.	श्री लक्ष्मण सिंह	श्री बैराग सिंह	ग्राम चैसर, पोस्ट बिण, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
110.	श्री देव सिंह	श्री रजजीत सिंह	ग्राम कुमौड, पोस्ट पिथौरागढ़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
111.	श्री जगत सिंह	श्री राय सिंह	ग्राम नया बाजार, पिथौरागढ़, पोस्ट पिथौरागढ़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
112.	श्री बची लाल शाह	श्री बद्री लाल	के0एम0ओ0 स्टेशन, पिथौरागढ़, पोस्ट पिथौरागढ़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु

113.	श्री गंगा दत्त शर्मा	श्री केशव दत्त	नया बाजार पिथौरागढ़, पोस्ट पिथौरागढ़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
114.	श्री बृज मोहन	श्री शिव रतन	ग्राम लुन्द्यूडा, पोस्ट पिथौरागढ़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
115.	श्री जवाहर	श्री जीत सिंह	ग्राम कुमौड़, पोस्ट पिथौरागढ़, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
116.	श्री जोगा सिंह	श्री महेन्द्र सिंह	ग्राम जजुराली (मालूबेला), पोस्ट जजुराली, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
117.	श्री बाल दत्त तिवारी	श्री अम्बा दत्त	ग्राम बजेटी, पोस्ट डिग्री कालेज, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
118.	श्री कृष्णानन्द उप्रेती	श्री राम दत्त उप्रेती	ग्राम कुजौली (हुडेती), पट्टी चण्डाक, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
119.	श्री प्रयाग दत्त पन्त	श्री दुर्गा दत्त	ग्राम हल्पाटी, पोस्ट चण्डाक, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
120.	श्री केदार दत्त	श्री नारायण दत्त	मूल निवासी ग्राम राई, पोस्ट आगर, तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
121.	श्री मान सिंह	श्री बहादुर सिंह	ग्राम भट्यूडा, पोस्ट थरकोट, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
122.	श्री शेर सिंह	श्री बहादुर सिंह	ग्राम भट्यूडा, पोस्ट थरकोट, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
123.	श्री प्रभाकर पाण्डे	श्री बुद्धि बल्लभ	ग्राम पांभै, पोस्ट पांभै, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
124.	श्री खड़क चन्द	श्री धनी चन्द	ग्राम टकाना निकट डाट पुल, पोस्ट शिवालिया, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
125.	श्री दलीप सिंह	श्री कालू सिंह	ग्राम सनघर, पोस्ट बास्ते, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
126.	श्री जवाहर सिंह	श्री जीत सिंह	ग्राम चौली पो0 खुलेत तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
127.	श्री जीत सिंह	श्री मदन सिंह	ग्राम ब्यालकटिया पो0 खुलेत तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
128.	श्री लाल सिंह	श्री किशन सिंह	ग्राम व पो0 मल्लागर्खा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
129.	श्री भवान सिंह	श्री सबल सिंह	ग्राम सिगलकोट, कू कोठेरा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु

130.	श्री हिम्मत सिंह	श्री बहादुर सिंह	ग्राम सिगलकोट, कूँ कोठेरा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
131.	श्री विशन सिंह	श्री बचै सिंह	ग्राम व पो० गानुरा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
132.	श्री ईश्वरी दत्त	श्री जीवानन्द	ग्राम व पो० चिटगल तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
133.	श्री जोध सिंह	श्री करम सिंह	ग्राम व पो० गानुरा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
134.	श्री उमेद सिंह	श्री प्रेम सिंह	ग्राम सुगडी पो० चौरपाल तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
135.	श्री चन्द्र सिंह	श्री जोगा सिंह	ग्राम गानुरा पो० चौरपाल तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
136.	श्री मोहन सिंह	श्री लछम सिंह	ग्राम नैनोलीकैणा पो० चौरपाल तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
137.	श्री खडक सिंह	श्री मोहन सिंह	ग्राम हनेरा तहसील एवं पो० गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
138.	श्री लक्ष्मण सिंह	श्री पदम सिंह	ग्राम मडकनाली तहसील एवं पो० गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
139.	श्री लीलाधर	श्री अम्बादत्त	ग्राम हाट तहसील एवं पो० गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
140.	श्री डिगर सिंह	श्री प्रेम सिंह	ग्राम ल्वेचट्टा सौण पो० कन्डारीछीना तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
141.	श्री पुरुषोत्तम	श्री गोपाल दत्त	ग्राम हाट तहसील एवं पो गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
142.	श्री जोगा सिंह	श्री किशन सिंह	ग्राम रावलगांव तहसील एवं पो० गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
143.	श्री दौलत सिंह	श्री डिगर सिंह	ग्राम व पो० बुंगली तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
144.	श्री चंचल सिंह उर्फ देवगिरी	श्री गुजा गिरी	ग्राम दुबौला पो० राड़ीखूटी तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
145.	श्री देब सिंह	श्री उदय सिंह	ग्राम व पो० नाली तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
146.	श्री उत्तम सिंह	श्री दलीप सिंह	ग्राम बहिलकोट पो० बिरगोली तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
147.	श्री खडक सिंह	श्री गोपाल सिंह	ग्राम पाली पो० चौपाता तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु

—10—

148.	श्री प्रेम गिरी	श्री रतन गिरी	ग्राम व पो0 मल्लागर्खा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
149.	श्री उदय सिंह	श्री प्रताप सिंह	ग्राम बोकटा पो0 चौनाला तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
150.	श्री शेर नाथ	श्री बहादुर नाथ	ग्राम बुरसुम पो0 कनारा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
151.	श्री डिकर सिंह	श्री प्रताप सिंह	ग्राम भण्डारीगांव पो0 कोटेरा तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
152.	श्री पदम सिंह	श्री प्रेम सिंह	ग्राम घट्यूडी पो0 कमद तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
153.	श्री गोपाल दत्त	श्री हीरा बल्लभ	ग्राम हाट तहसील एवं पो0 गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
154.	श्री शेर सिंह	श्री गोपाल सिंह	ग्राम हाट तहसील एवं पो0 गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
155.	श्री कुँवर सिंह	श्री किशन सिंह	ग्राम हनेरा तहसील एवं पो0 गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
156.	श्री देव सिंह	श्री भवान सिंह	ग्राम व पट्टी बनकोट तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
157.	श्री उमेद सिंह	श्री गजेन्द्र सिंह	ग्राम जातडी पट्टी बनकोट तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
158.	श्री महेन्द्र सिंह	श्री प्रेम सिंह	ग्राम व पट्टी बनकोट तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
159.	श्री भवान सिंह	श्री आन सिंह	ग्राम बटगेरी (नाघर) पट्टी बनकोट तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
160.	श्री गुलाब सिंह	श्री फते सिंह	ग्राम भुनेडा पट्टी गणाई तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
161.	श्री कमल सिंह	श्री कुशल सिंह	ग्राम भुनेडा पट्टी गणाई तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
162.	श्री दीवान सिंह	श्री थेप सिंह	ग्राम भुनेडा पट्टी गणाई तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
163.	श्री गुसाई सिंह	श्री उदय सिंह	ग्राम चौकी पट्टी गणाई तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
164.	श्री ईश्वरी दत्त	श्री टीका राम	ग्राम व पट्टी गणाई तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
165.	श्री गोपाल सिंह	श्री राम सिंह	ग्राम सेरा उर्फ बडोली पट्टी गणाई तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु

—11—

166.	श्री अजब सिंह	श्री प्रेम सिंह	ग्राम पटान पट्टी सिमलता तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
167.	श्री दीवान सिंह	श्री मोहन सिंह	ग्राम जखेडी पट्टी सिमलता तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
168.	श्री विशन सिंह	श्री देव सिंह	ग्राम सुन्युडा पट्टी खिरमाण्डे तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
169.	श्री प्रताप सिंह	श्री गुलाब सिंह	ग्राम सुन्युडा पट्टी खिरमाण्डे तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
170.	श्री मोहन सिंह	भवान सिंह	ग्राम खेतीगांव पट्टी खिरमाण्डे तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
171.	श्री राम सिंह	श्री पूरन सिंह	ग्राम खेतीगांव पट्टी खिरमाण्डे तहसील गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
172.	श्री हरीश चन्द्र सिंह	श्री हयात सिंह	ग्राम सुरिंग पट्टी तिकसैन तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
173.	श्री पुरुषोत्तम जोशी	श्री गंगा दत्त जोशी	ग्राम भटकूडा पट्टी सेबिला तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
174.	श्री सोबन सिंह	श्री तेज सिंह	ग्राम मलौन तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
175.	श्री भवान सिंह	श्री मदन सिंह	ग्राम गूठी तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
176.	श्री चन्द्र सिंह	श्री विजय सिंह	ग्राम टांगा तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
177.	श्री प्राण दत्त	श्री गौरी दत्त	ग्राम व पट्टी बांसबगड तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
178.	श्री मोहन सिंह	श्री केशन सिंह	ग्राम बरा तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
179.	श्री चन्द्र सिंह	श्री कल्याण सिंह	ग्राम रायां तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
180.	श्री दीवान सिंह	श्री नाथू सिंह	ग्राम बजेता तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
181.	श्री विशन सिंह	श्री पदम सिंह	ग्राम बजेता तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
182.	श्री भीम सिंह	श्री धन सिंह	ग्राम जोशा तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु

—12—

183.	श्री नरी राम	श्री कीटू राम	ग्राम जोशा तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
184.	श्री गोपाल दत्त	श्री नन्द राम	ग्राम खेतभराड तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
185.	श्री गुमान सिंह	श्री हरपाल सिंह	ग्राम बुई तहसील मुनस्यारी जिला पिथौरागढ़	मृत्यु
186.	श्री बची राम	श्री गंगा दत्त	ग्राम चेटीचिमला, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु
187.	श्री जोहार सिंह	श्री सूर्य सिंह	ग्राम बिन्दी, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़।	मृत्यु

tui n fi Fkkj kx<+vUrxlr fpflgr mRrjk[k.M jkT; vkUnsyudkfj; ka dh l iph

क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक	वर्ग/श्रेणी
1	श्री गोविन्द सिंह महर पुत्र श्री मोहन सिंह महर निवासी ग्राम कुमौड़ जनपद पिथौरागढ़ ।	23.11.1994 से दिनांक 16.1.1995 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है।	—
2	श्री गजेन्द्र सिंह उर्फ गंगू पुत्र श्री जोध सिंह निवासी थल, जनपद पिथौरागढ़ ।	23.11.1994 से दिनांक 16.1.1995 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है।	—
3	स्व० श्री निर्मल कुमार जोशी उर्फ पंडित पुत्र श्री ईश्वरी प्रसाद जोशी निवासी पोखरी तहसील गंगोलीहाट	23.11.1994 से दिनांक 6.12.1994 तक तथा दिनांक 26.10.1994 से दिनांक 6.12.1994 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है।	—
4	श्री प्रयाग सिंह डसीला पुत्र श्री गोपाल सिंह डसीला निवासी सुकल्याड़ी थाना बेरीनाग ।	30.12.1994 से दिनांक 17.1.1995 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है।	—
5	श्री कुंवर सिंह खनका पुत्र श्री प्रताप सिंह खनका निवासी गढ़तिर रोड, थाना बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़ ।	30.12.1994 से दिनांक 17.1.1995 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है।	आन्दोलनकारी लापता है
6	श्री महेश चन्द्र पाठक पुत्र श्री गोपाल दत्त पाठक निवासी थल पिथौरागढ़ ।	3.10.1994 से दिनांक 10.10.1994 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है।	—
7	श्री नारायण सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी ग्राम कालिका तहसील धारचूला ।	3.10.1994 से दिनांक 10.10.1994 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है।	—
8	श्री चन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम झनकोट तहसील खटीमा मूल निवासी ग्राम पातलीगांव पट्टी गोवर्सा जनपद पिथौरागढ़ ।	2.9.1994 से दिनांक 23.9.1994 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है।	—
9	श्रीमती हेमलता उपाध्याय पत्नी श्री पीताम्बर उपाध्याय निवासी ग्राम लुन्द्यूडा, रई, पिथौरागढ़ ।	2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
10	श्री रवि शेखर कापड़ी पुत्र श्री चन्द्र शेखर कापड़ी निवासी ग्राम दौला तहसील व जनपद पिथौरागढ़ ।	24.7.1995 को को गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 25.7.1995 को जमानत पर रिहा कर दिया गया ।	—
11	श्री शशि शेखर कापड़ी पुत्र श्री चन्द्र शेखर कापड़ी निवासी ग्राम दौला तहसील व जनपद पिथौरागढ़ ।	2.5.1996 को गिरफ्तार किया गया एवं दिनांक 4.5.1996 को मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के आदेशों से रिहा किया गया ।	—
12	श्री शिव शंकर भट्ट पुत्र श्री टीका राम भट्ट निवासी ग्राम कानाकोट थाना लोहाघाट हाल कस्बा झूलाघाट तहसील	28.8.1994 को गिरफ्तार कर दिनांक 28.8.1994 को ही रिहा कर दिया गया है।	—

	व जनपद पिथौरागढ़।		
13	श्री निर्मल चौधरी पुत्र श्री मोती लाल चौधरी निवासी जी.आई.सी. रोड़, पिथौरागढ़।	श्री निर्मल चौधरी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 से दिनांक 4.5.1996 तक देव सिंह इण्टर कॉलेज से गिरफ्तार कर अस्थाई जेल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में निरूद्ध रखा गया है।	—
14	श्री प्रेम बल्लभ जोशी पुत्र स्व० श्री पीताम्बर जोशी निवासी बजेटी (पाण्डेगांव), तहसील व जनपद पिथौरागढ़।	श्री प्रेम बल्लभ जोशी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 से दिनांक 4.5.1996 तक गिरफ्तार कर अस्थाई जेल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में निरूद्ध रखा गया है।	—
15	श्री गणेश दत्त कापड़ी पुत्र श्री धर्मानन्द कापड़ी निवासी ग्राम सिरड़ तहसील व जनपद पिथौरागढ़।	श्री गणेश दत्त कापड़ी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 से दिनांक 4.5.1996 तक गिरफ्तार कर निरूद्ध रखा गया है।	—
16	श्री नरेन्द्र प्रकाश पन्त पुत्र श्री गोबिन्द बल्लभ पन्त निवासी ग्राम पुराना थल पो० बलगड़ी तहसील बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़।	श्री नरेन्द्र प्रकाश पन्त को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 1.5.1996 से दिनांक 4.5.1996 तक गिरफ्तार कर निरूद्ध रखा गया है।	—
17	श्री तपन सिंह रावत पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह रावत निवासी ग्राम जाखनी तहसील व जनपद पिथौरागढ़।	श्री तपन सिंह रावत को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 24.7.1995 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा किया गया है।	—
18	श्रीमती राधिका शर्मा पत्नी श्री सन्तोष शर्मा निवासी लक्ष्मी निवास धारचूला रोड़ पिथौरागढ़।	श्रीमती राधिका शर्मा को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा किया गया है।	—
19	श्री गणेश पाल पुत्र श्री दिल पाल निवासी मेहरा भवन, पुराना चौक बाजार, पिथौरागढ़।	श्री गणेश पाल को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 से दिनांक 4.5.1996 तक गिरफ्तार कर निरूद्ध रखा गया है।	—
20	श्रीमती प्रेमा बम पत्नी श्री शमशेर बहादुर बम निवासी जाखनी, पिथौरागढ़।	श्रीमती प्रेमा बम को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा किया गया है।	—
21	श्रीमती गोबिन्दी देवी सामन्त पत्नी श्री शिव सिंह सामन्त निवासी ग्राम नैनी-सैनी तहसील व जिला पिथौरागढ़।	श्रीमती गोबिन्दी देवी सामन्त को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा किया गया है।	—
22	श्रीमती मुन्नी सामन्त पत्नी श्री कुशल सिंह सामन्त निवासी ग्राम दिगरा पो० मलान तहसील डीडीहाट, जनपद पिथौरागढ़।	श्रीमती मुन्नी सामन्त को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा किया गया है।	—
23	श्री विपिन चन्द्र जोशी पुत्र श्री नन्दा बल्लभ जोशी निवासी तिलढुकरा, जनपद पिथौरागढ़।	श्री विपिन चन्द्र जोशी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 22.8.1994 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा किया गया है।	—
24	श्री दिनेश सिंह मटवाल पुत्र श्री धन सिंह मटवाल निवासी जाखनी तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	श्री दिनेश सिंह मटवाल को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 24.7.1995 से दिनांक 25.7.1995 तक गिरफ्तार कर निरूद्ध रखा गया है।	—
25	श्री महेन्द्र सिंह लुण्ठी पुत्र श्री उमेद सिंह लुण्ठी निवासी ग्राम लुण्ठ्यूड़ा तहसील व जनपद पिथौरागढ़।	श्री महेन्द्र सिंह लुण्ठी के विरुद्ध पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान मु०अ० संख्या 363/94 धारा के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है।	—
26	श्री भुवन चन्द्र जोशी पुत्र श्री तुलसी दत्त जोशी निवासी तिलढुकरा, तहसील	श्री भुवन चन्द्र जोशी के विरुद्ध पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान मु०अ० संख्या 363/94	—

	व जिला पिथौरागढ़ ।	धारा के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	
27	श्रीमती जानकी वर्मा पत्नी श्री डी0 पी0 वर्मा निवासी टनकपुर रोड़, कुमौड़, तहसील व जिला पिथौरागढ़	श्रीमती जानकी वर्मा को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा किया गया है ।	—
28	श्री तारा दत्त पाठक पुत्र श्री ईश्वरी दत्त पाठक निवासी ग्राम व पो0 दशौली तहसील बेरीनाग ।	श्री तारा दत्त पाठक को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 से दिनांक 4.5.1996 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
29	श्री राजेन्द्र सिंह कार्की पुत्र श्री दीवान सिंह कार्की निवासी ग्राम लोहाथल तहसील बेरीनाग ।	श्री राजेन्द्र सिंह कार्की को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
30	श्री राजेन्द्र पन्त पुत्र श्री हरीश चन्द्र पन्त निवासी ढनोला थाना बेरीनाग ।	श्री राजेन्द्र पन्त को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
31	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री गंगादत्त निवासी पाण्डेखोला तहसील बेरीनाग ।	श्री मोहन चन्द्र पाण्डे को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
32	श्री दान सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह निवासी कस्बा बेरीनाग ।	श्री दान सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
33	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री केशर सिंह निवासी नया बाजार, बेरीनाग ।	श्री दीवान सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
34	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री कृपाल दत्त निवासी कस्बा बेरीनाग ।	श्री रमेश चन्द्र को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
35	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह निवासी ग्राम सांगड़, बेरीनाग ।	श्री गोपाल सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
36	श्री हेम चन्द्र पन्त पुत्र श्री श्याम दत्त पन्त निवासी ग्राम भटीगांव तहसील बेरीनाग ।	श्री हेम चन्द्र पन्त को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
37	श्री धीरज बिष्ट पुत्र श्री गणेश सिंह बिष्ट निवासी बेरीनाग ।	श्री धीरज बिष्ट को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 15.5.2000 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
38	श्री रवि लुन्ठी उर्फ रवीन्द्र लुन्ठी पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह लुन्ठी निवासी ग्राम लुन्ठ्यूड़ा, पिथौरागढ़ ।	श्री रवि लुन्ठी उर्फ रवीन्द्र सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.12.1994 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
39	श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री खड़क सिंह निवासी ग्राम कुमौड़ थाना / तहसील, पिथौरागढ़ ।	श्री रघुवीर सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.12.1994 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
40	श्री इन्द्रजीत सिंह बिष्ट पुत्र श्री खड़क सिंह निवासी ग्राम कुमौड़ तहसील व जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री इन्द्रजीत सिंह बिष्ट को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 12.12.1994 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	—
41	श्री नारायण सिंह पुत्र श्री तेज सिंह निवासी महर भवन, टकाना रोड़, पिथौरागढ़ ।	श्री नारायण सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 से दिनांक 4.5.1996 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—

42	श्रीमती कलावती थरकोटी पत्नी श्री कुण्डल सिंह निवासी ग्राम लेलू पो0 वड्डा तहसील व जिला पिथौरागढ़ ।	श्रीमती कलावती थरकोटी पत्नी श्री कुण्डल सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
43	श्री नन्द किशोर जोशी पुत्र श्री गोपाल दत्त जोशी निवासी ग्राम न्वाली पो0 चैनपुर तहसील डीडीहाट जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री नन्द किशोर जोशी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.2.1993 को गिरफ्तार किया जाना अंकित किया गया है ।	-
44	श्री भवान सिंह कठायत पुत्र श्री दीवान सिंह कठायत निवासी बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री भवान सिंह कठायत के विरुद्ध पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान मु0अ0 संख्या 64/94 पंजीकृत किया गया है ।	-
45	श्री ज्योति सिंह धरियाल पुत्र स्व0 श्री बीर सिंह निवासी ग्राम गौडीहाट तहसील व जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री ज्योति सिंह धरियाल को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
46	श्री रमेश चन्द्र ढकरियाल पुत्र श्री प्रताप राम निवासी ग्राम ढाक हाल कस्बा धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री रमेश चन्द्र ढकरियाल पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
47	श्री राजेन्द्र सिंह रायपा पुत्र श्री जय सिंह निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री राजेन्द्र सिंह रायपा को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
48	श्री दीवान सिंह गुन्ज्याल पुत्र श्री हरक सिंह निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री दीवान सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
49	श्री भीम सिंह नवियाल पुत्र श्री कुलो सिंह निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री भीम सिंह नवियाल को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
50	श्री गोबिन्द जोशी पुत्र श्री जनार्दन जोशी निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री गोबिन्द जोशी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
51	श्री पूरन गिरी पुत्र श्री नैन गिरी निवासी बैड़ा, जौलजीवी जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री पूरन गिरी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
52	श्री मनोज कुमार वर्मा पुत्र श्री नारायण लाल निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री मनोज कुमार वर्मा को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
53	श्री गणेश गर्व्याल पुत्र श्री दीवान सिंह निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री गणेश गर्व्याल को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
54	श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री तेज सिंह निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री सुखराज सिंह को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
55	श्री एजाज अहमद पुत्र श्री अनवर अहमद निवासी धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री एजाज अहमद को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
56	श्री दया राम पुत्र श्री मोती राम निवासी ग्राम छमला छिलासाँ तहसील धारचूला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री दया राम को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर उसी दिन रिहा कर दिया गया ।	-
57	श्री पंकज कुमार पुत्र श्री ओंकार सूद	श्री पंकज सूद को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय	-

	पो0 राईआगर, जनपद पिथौरागढ़ ।	के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था ।	
73	श्री नरेश चन्द्र उप्रेती पुत्र स्व0 श्री भवानी दत्त उप्रेती निवासी ग्राम हुडेती तहसील व जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री नरेश चन्द्र उप्रेती को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 2.5.1996 से दिनांक 4.5.1996 तक गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
74	श्री काशी सिंह ऐरी पुत्र श्री केशर सिंह ऐरी ग्राम कुमौड़, जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री काशी सिंह ऐरी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 1.5.1996 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
75	श्री चन्द्र शेखर कापड़ी पुत्र श्री जय दत्त कापड़ी निवासी ग्राम दौला जनपद पिथौरागढ़ ।	श्री चन्द्र शेखर कापड़ी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 1.5.1996 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
76	श्रीमती सुनीता कापड़ी पत्नी श्री महेश चन्द्र कापड़ी निवासी ग्राम दौला पिथौरागढ़ ।	श्रीमती सुनीता कापड़ी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 31.7.1995 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
77	श्रीमती रुक्मणी नगरकोटी पत्नी श्री हरीश चन्द्र नगरकोटी निवासी ग्राम दौला पिथौरागढ़ ।	श्रीमती रुक्मणी नगरकोटी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 31.7.1995 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
78	श्री चन्द्रशेखर पुनेड़ा पुत्र श्री दयाकृष्ण पुनेड़ा निवासी ग्राम झूनीगांव, पिथौरागढ़ ।	श्री चन्द्रशेखर पुनेड़ा को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 31.7.1995 व दिनांक 2.5.1996 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
79	श्री हयात चन्द पुत्र श्री मोहन चन्द निवासी ग्राम तड़ीगांव पिथौरागढ़ ।	श्री हयात चन्द को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 31.7.1995 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
80	श्री जगदीश चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री टीकाराम कापड़ी निवासी ग्राम दौला, पिथौरागढ़ ।	श्री जगदीश चन्द्र कापड़ी को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 31.7.1995 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया है ।	—
81	स्व0 श्री नेत्र बल्लभ भट्ट पुत्र श्री परमानन्द भट्ट निवासी जी0आई0सी0 रोड़, पिथौरागढ़ ।	श्री नेत्र बल्लभ भट्ट को पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 31.7.1995 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
82	श्री पी0 सी0 भट्ट पुत्र श्री ईश्वरी दत्त भट्ट निवासी ग्राम बाजड़ पो0 सानी उडियार, जिला पिथौरागढ़ ।	निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, नैनीताल की आख्या के अनुसार श्री पी0सी0 भट्ट द्वारा उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 24.8.1994 को उत्तराखण्ड कान्ति दल द्वारा आयोजित बंद/अनशन कार्यक्रम में प्रतिभा किया गया था ।	—
83	श्रीमती जानकी पत्नी श्री खड़क सिंह निवासी कालिका तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़ ।	श्रीमती जानकी के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर शान्ति भंग के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
84	श्री घनश्याम जोशी पुत्र श्री प्रयाग दत्त जोशी निवासी ग्राम घिमाली जिला पिथौरागढ़ ।	श्री घनश्याम जोशी के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर शान्ति भंग के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
85	श्री भवान सिंह कुंवर पुत्र श्री बाला सिंह निवासी ग्राम बलुवाकोट तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ ।	श्री भवान सिंह कुंवर के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर शान्ति भंग के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
86	श्रीमती शोभा मिश्रा पत्नी श्री दीप नारायण निवासी रई, जिला पिथौरागढ़ ।	श्रीमती शोभा मिश्रा के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर शान्ति भंग के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
87	श्री हयात सिंह तड़ागी पुत्र स्व0 श्री	श्री हयात सिंह तड़ागी के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग	—

	राजीव सिंह तड़ागी निवासी ग्राम दाडिमखोला जिला पिथौरागढ़ ।	को लेकर शान्ति भंग के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	
88	श्री सुभाष चन्द्र जोशी पुत्र श्री पूरन चन्द्र जोशी निवासी ग्राम व पो0 सिलौनी जिला पिथौरागढ़ ।	श्री सुभाष चन्द्र जोशी के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
89	श्री प्रेम सिंह धामी पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह धामी निवासी ग्राम भौतड़ी मड़मानले, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री प्रेम सिंह धामी के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
90	श्री गोपाल सिंह धामी पुत्र श्री प्रहलाद सिंह धामी निवासी ग्राम भौतड़ी, मड़मानले, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री गोपाल सिंह धामी के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
91	श्री गोपाल सिंह धामी पुत्र श्री जय सिंह धामी निवासी ग्राम व पो0 कटियानी, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री गोपाल सिंह धामी के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
92	श्री दिलीप सिंह धामी पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम कटियानी, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री दिलीप सिंह धामी के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
93	श्री हरीश भट्ट पुत्र श्री देवी दत्त भट्ट निवासी ग्राम दौला (बिण) जिला पिथौरागढ़ ।	श्री हरीश भट्ट के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की मांग को लेकर अभियोग पंजीकृत हुआ है ।	—
94	श्री राजेन्द्र भट्ट पुत्र श्री बंदी दत्त भट्ट, निवासी गुरना, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री राजेन्द्र भट्ट को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.02.1998 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
95	श्री बसन्त सिंह सामन्त पुत्र श्री लाल सिंह सामन्त, निवासी रई, जिला पिथौरागढ़	श्री बसन्त सिंह सामन्त को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 31.07.1995 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
96	श्री चन्द्र प्रकाश पुनेड़ा पुत्र श्री दया किशन पुनेड़ा, निवासी रई, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री चन्द्र प्रकाश पुनेड़ा को राज्य नहीं तो चुनाव नहीं के नारे लगाते हुये तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 01.05.1996 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
97	श्री लक्ष्मण सिंह वल्दिया पुत्र श्री माधो सिंह वल्दिया, निवासी ऐंचोली, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री लक्ष्मण सिंह वल्दिया को राज्य नहीं तो चुनाव नहीं के नारे लगाते हुये तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 02.05.1996 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
98	श्री पुष्कर सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह, ग्राम भौतड़ी, मड़मानले, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री पुष्कर सिंह को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 02.03.2000 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
99	श्री जगत सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह, ग्राम बैड़ा, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री जगत सिंह को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 02.03.2000 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
100	श्री दिवान सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, ग्राम मानले, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री दिवान सिंह को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 02.03.2000 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
101	श्री धन सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, ग्राम मानले, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री धन सिंह को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 02.03.2000 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था । 1998 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था ।	—
102	श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री दान सिंह, ग्राम भौतड़ी, मड़मानले, जिला पिथौरागढ़ ।	श्री गुलाब सिंह को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 02.03.2000 को	—

		गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	
103	श्री पदम सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह, ग्राम भौतड़ी, जिला पिथौरागढ़।	श्री पदम सिंह को को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 02.03.2000 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
104	श्री भगवान सिंह डोबाल पुत्र श्री हर्ष सिंह डोबाल, निवासी गणाई, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री भगवान सिंह डोबाल के विरुद्ध थाना डीडीहाट द्वारा दिनांक 23.02.1998 को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर गिरफ्तार किया गया था।	—
105	श्री चंचल राम पुत्र श्री विशन राम, निवासी कुमौड़, जिला पिथौरागढ़।	श्री चंचल राम को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान दिनांक 02.03.2000 को गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
106	श्री चंचल सिंह बोरा पुत्र श्री केशर सिंह, निवासी दुरलेख, जौरासी, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री चंचल सिंह बोरा को प्रथक उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
107	श्री देवेन्द्र सिंह वर्मा उर्फ डी0पी0 वर्मा पुत्र श्री खड़क राम, निवासी टनकपुर रोड, जिला पिथौरागढ़।	श्री देवेन्द्र सिंह वर्मा उर्फ डी0पी0 वर्मा को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
108	श्री धीरेन्द्र सिंह तड़ागी पुत्र श्री राजीव सिंह तड़ागी, निवासी दाड़िमखोला, जिला पिथौरागढ़।	श्री धीरेन्द्र सिंह तड़ागी को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
109	श्री दिनेश चन्द्र औझा पुत्र श्री प्रयाग दत्त औझा, निवासी जयन्ती पुस्तक भण्डार, पाण्डे गाँव, जिला पिथौरागढ़।	श्री दिनेश चन्द्र औझा को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
110	श्री दिनेश उप्रेती पुत्र श्री कैलाश उप्रेती, निवासी हुड़ेती, जिला पिथौरागढ़।	श्री दिनेश उप्रेती को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
111	श्री गणेश सिंह तड़ागी पुत्र श्री रंजन सिंह तड़ागी, निवासी दाड़िमखोला, ऐंचोली, जिला पिथौरागढ़।	श्री गणेश सिंह तड़ागी को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
112	श्री गंगा सिंह बिष्ट पुत्र श्री रंजन सिंह तड़ागी, निवासी बस स्टेशन, जिला पिथौरागढ़।	श्री गंगा सिंह बिष्ट को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
113	श्री हरि दत्त उप्रेती पुत्र श्री राम दत्त, निवासी कुजौली, टकाना, जिला पिथौरागढ़।	श्री हरि दत्त उप्रेती को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
114	श्री जनार्दन उप्रेती पुत्र श्री चन्द्रशेखर उप्रेती, निवासी हुड़ेती, जिला पिथौरागढ़।	श्री जनार्दन उप्रेती को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
115	श्री कल्याण सिंह सामन्त पुत्र श्री भवान सिंह सामन्त, निवासी ऐंचोली, जिला पिथौरागढ़।	श्री कल्याण सिंह सामन्त को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
116	श्री ललित उप्रेती पुत्र श्री जय दत्त उप्रेती, निवासी हुड़ेती, जिला पिथौरागढ़।	श्री ललित उप्रेती को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
117	श्री प्रेम सिंह राठौर पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी पाण्डेगाँव, जिला पिथौरागढ़।	श्री प्रेम सिंह राठौर को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर दिनांक 23.02.2000 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
118	श्री शेख इकबाल बक्श पुत्र श्री इमाम	श्री शेख इकबाल बक्श को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी	—

	बख्शा, निवासी सिल्थाम, जिला पिथौरागढ़।	करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	
119	श्री सुशील कुमार पाण्डे पुत्र श्री माधवानंद पाण्डे, निवासी पाभैं वल्दिया, जिला पिथौरागढ़।	श्री सुशील कुमार पाण्डे को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
120	श्री विक्रम सिंह कसन्याल पुत्र श्री हर सिंह कसन्याल, निवासी ग्राम सैनी, जिला पिथौरागढ़।	श्री विक्रम सिंह कसन्याल को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
121	श्रीमती उर्मिला चंद पत्नी श्री खीम चंद, निवासी घड़ा रोडी पाली, जिला पिथौरागढ़।	श्रीमती उर्मिला चंद को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की मांग को लेकर दिनांक 23.02.2000 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
122	स्व0 श्री दरबान सिंह कुँवर पुत्र श्री नवल सिंह, निवासी टकाड़ी, जिला पिथौरागढ़।	स्व0 श्री दरबान सिंह कुँवर को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
123	स्व0 श्री हर्ष सिंह धामी पुत्र श्री जय सिंह धामी, निवासी धारचूला रोड, सिल्थाम, जिला पिथौरागढ़।	स्व0 श्री हर्ष सिंह धामी को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
124	स्व0 श्री जय दत्त कापड़ी पुत्र श्री कमलापति कापड़ी, निवासी दौला, जिला पिथौरागढ़।	स्व0 श्री जय दत्त कापड़ी को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
125	स्व0 श्री जामिन अली खान पुत्र श्री मुंशी हसन खान, निवासी लुन्डूडा, जिला पिथौरागढ़।	स्व0 श्री जामिन अली खान को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
126	श्रीमती गीता जिमक्वाल पत्नी श्री राम लाल, निवासी धारचूला, जिला पिथौरागढ़।	श्रीमती गीता जिमक्वाल को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
127	श्री चन्द्रकांत भट्ट पुत्र श्री देवी दत्त भट्ट, निवासी कमतोली, जिला पिथौरागढ़।	श्री चन्द्रकांत भट्ट को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
128	श्री कल्याण सिंह धानिक पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, निवासी कुंजनपुर, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री कल्याण सिंह धानिक को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
129	श्री रोहित पाण्डे पुत्र श्री शेषधर पाण्डे, निवासी मधुसदन, टकाना कालौनी, जिला पिथौरागढ़।	श्री रोहित पाण्डे के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 22.08.94 को थाना थल में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
130	श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी तहसील वार्ड, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री मनमोहन सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को डीडीहाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
131	श्री दिनेश चन्द्र नगरकोटी पुत्र श्री उमापति नगरकोटी, निवासी दौला, जिला पिथौरागढ़।	श्री दिनेश चन्द्र नगरकोटी के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 20.08.94 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
132	श्री तारा सिंह धानिक पुत्र श्री तेज सिंह धानिक, निवासी कुंजनपुर, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री तारा सिंह धानिक को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को गंगोलीहाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
133	श्री जगत सिंह पुत्र श्री लछमन सिंह, निवासी ग्राम रोडीपाली, जिला पिथौरागढ़।	श्री जगत सिंह के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 20.08.94 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—

134	श्री राजेन्द्र सिंह डोबाल पुत्र श्री शेर सिंह डोबाल, ग्राम जुवाल, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री राजेन्द्र सिंह डोबाल को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
135	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, निवासी ग्राम रूंग शकुन, जिला पिथौरागढ़।	श्री मोहन सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
136	श्री नारायण सिंह पुत्र श्री जय सिंह, निवासी जिनगाल, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री नारायण सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
137	कै० खड़क सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, ग्राम पीपली, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	कै० खड़क सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
138	श्री धन सिंह धामी पुत्र श्री हर सिंह धामी, ग्राम व पो० बारमौं, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री धन सिंह धामी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
139	श्री ललित मोहन पंत पुत्र श्री लोकमणि पंत, निवासी ग्राम सांगड़ी, पो० छड़नदेव, जिला पिथौरागढ़।	श्री ललित मोहन पंत को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
140	श्री धन सिंह धामी पुत्र जमन सिंह धामी, ग्राम भौतड़ी, पो० मड़मानले, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री धन सिंह धामी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
141	श्री दान सिंह ऐरी पुत्र श्री प्रताप सिंह ऐरी, ग्राम सिनखोला, पो० छड़नदेव, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री दान सिंह ऐरी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
142	श्री चन्द्र सिंह मेहता पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह मेहता, ग्राम व पो० डुंगरी, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री चन्द्र सिंह मेहता को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
143	श्री भुवन चन्द्र पंत पुत्र श्री कृष्णानंद पंत, ग्राम मिताड़ीगाँव, पो० डुंगरी, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री भुवन चन्द्र पंत को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
144	श्री हयात सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, ग्राम ढटखोला, पो० चैनपुर, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री हयात सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
145	श्री प्रेम राम पुत्र श्री बची राम, निवासी बलतिर, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री प्रेम राम के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.08.1994 को थाना थल में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
146	श्री भगत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम खतेड़ा, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़।	श्री भगत सिंह के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.08.1994 को थाना थल में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
147	श्री गोविन्द सिंह चौहान पुत्र श्री डिगर सिंह चौहान, निवासी बडलचमू, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द सिंह चौहान के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.02.1993 को थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
148	श्री अशोक भण्डारी पुत्र श्री प्रताप सिंह भण्डारी, निवासी ऐंचोली, जिला पिथौरागढ़।	श्री अशोक भण्डारी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
149	श्री कुंदन नाथ पुत्र श्री गोविन्द नाथ,	श्री कुंदन नाथ के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.	—

	निवासी बलगडी थल, तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़।	08.1994 को थाना थल में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	
150	श्री मनोज कुमार भैंसोड़ा पुत्र श्री शंकर सिंह भैंसोड़ा, निवासी बलतिर, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री मनोज कुमार भैंसोड़ा के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.08.1994 को थाना थल में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
151	श्री शेषधर पाण्डे पुत्र श्री जानकी नंदन पाण्डे, निवासी मधुसदन, टकाना, जिला पिथौरागढ़।	श्री शेषधर पाण्डे के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.02.1993 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
152	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री जगत सिंह, धारचूला रोड, जिला पिथौरागढ़।	श्री राजेन्द्र सिंह रावत के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान मु0अ0सं0 363/94 थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में पंजीकृत हुआ था।	—
153	श्री नारायण दत्त जोशी पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त जोशी, निवासी सिनेमा लाईन, जिला पिथौरागढ़।	श्री नारायण दत्त जोशी के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.08.1994 को थाना थल में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
154	श्री देवेन्द्र लाल वर्मा पुत्र स्व0 श्री राम लाल वर्मा, निवासी राम सदन, टकाना रोड, जिला पिथौरागढ़।	श्री देवेन्द्र लाल वर्मा के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.02.1993 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
155	श्री हयात सिंह पुत्र श्री खुशाल सिंह, ग्राम मातोली, पो0 छड़नदेव, जिला पिथौरागढ़।	श्री हयात सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
156	श्री भूपाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, ग्राम जिनगाल, पो0 बिसौनाखान, जिला पिथौरागढ़।	श्री भूपाल सिंह के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 20.08.1994 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
157	श्री पुष्कर दत्त पाण्डे पुत्र स्व0 श्री केदार दत्त पाण्डे, ग्राम व पो0 गुडौली, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री पुष्कर दत्त पाण्डे को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
158	स्व0 श्री होशियार सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, ग्राम व पो0 ख्वाकोट, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	स्व0 श्री होशियार सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
159	श्री लाल सिंह रावत पुत्र श्री बहादुर सिंह रावत, निवासी ग्राम धनौड़ा, निकट रई पुल, जिला पिथौरागढ़।	श्री लाल सिंह रावत के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.02.93 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
160	श्री पुष्कर कुमार उर्फ वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री देव राम, निवासी जाजरदेवल, पो0 नैनीसैनी, जिला पिथौरागढ़।	श्री पुष्कर कुमार उर्फ वीरेन्द्र कुमार के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 20.08.1994 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
161	श्री हेम चन्द्र कोठारी पुत्र श्री उर्वादत्त कोठारी, निवासी जी0आई0सी0 रोड, जिला पिथौरागढ़।	श्री हेम चन्द्र कोठारी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
162	श्री गणेश दत्त जोशी पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त जोशी, निवासी सिनेमा लाईन, जिला पिथौरागढ़।	श्री गणेश दत्त जोशी के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 20.08.1994 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।	—
163	श्री दिनेश गुरुरानी पुत्र श्री तारा दत्त गुरुरानी, निवासी जी0आई0सी0 रोड, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री दिनेश गुरुरानी के सम्बन्ध में विशेष शाखा अभिसूचना विभाग की उपशाखा डीडीहाट से उपलब्ध गोपनीय दैनिकी सं0 10/87 दिनांक 08.02.1987 एवं गोपनीय दैनिकी सं0 26/87 दिनांक 19.03.87 के आधार पर वर्ष 1987 के दौरान उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में सक्रिय रहने के प्रमाण प्राप्त हुये हैं।	—

164	श्री होशियार सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी ग्राम घुरौली, पो0 दशाईथल, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री होशियार सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को चौकी गंगोलीहाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
165	श्री प्रताप सिंह बिष्ट पुत्र श्री गोपाल सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम हटकेश्वर, पो0 हटकेश्वर, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़	श्री प्रताप सिंह बिष्ट को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को चौकी गंगोलीहाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
166	श्री भगवान सिंह स्यालाकोटी पुत्र श्री रतन सिंह, निवासी ग्राम इराना, पो0 कण्डारछीना, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री भगवान सिंह स्यालाकोटी को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को चौकी गंगोलीहाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
167	श्री पूरन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, निवासी ग्राम टुण्डा, पो0 कण्डारीछीना, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री पूरन सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
168	श्री राम दत्त उप्रेती पुत्र स्व0 श्री पूर्णानन्द उप्रेती, निवासी चौढियार, पो0 दशाईथल, जिला पिथौरागढ़।	श्री राम दत्त उप्रेती को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को चौकी गंगोलीहाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
169	श्री महेन्द्र सिंह गोबाड़ी पुत्र श्री कृपाल सिंह, निवासी ग्राम व पो0 भटेड़ी, जिला पिथौरागढ़।	श्री महेन्द्र सिंह गोबाड़ी को उत्तराखण्ड राज्य के शीघ्र गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
170	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी ग्राम व पो0 भटेड़ी, झूलाघाट, पिथौरागढ़।	श्री लक्ष्मण सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
171	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी ग्राम व पो0 भटेड़ी, झूलाघाट, पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
172	श्री दीपक जोशी पुत्र श्री जयदत्त जोशी, निवासी लुन्द्यूड़ा, पिथौरागढ़।	श्री दीपक जोशी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
173	श्री अनिल उपाध्याय पुत्र श्री शंकर दत्त उपाध्याय, दादा मैडिकल स्टोर, नेहरू पार्क, पिथौरागढ़।	श्री अनिल उपाध्याय के सम्बन्ध में विशेष शाखा अभिसूचना विभाग की उपशाखा डीडीहाट से उपलब्ध गोपनीय दैनिकी सं0 10/87 दिनांक 08.02.1987 एवं गोपनीय दैनिकी सं0 26/87 दिनांक 19.03.87 के आधार पर वर्ष 1987 के दौरान उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में सक्रिय रहने के प्रमाण प्राप्त हुये हैं।	—
174	श्री जगत सिंह पुत्र श्री दान सिंह, निवासी सुवालेख पिथौरागढ़।	श्री जगत सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
175	श्री दिवान सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह, निवासी मिर्ठी, पिथौरागढ़।	श्री दिवान सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 02.03.200 को थाना कोतवाली डीडीहाट द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
176	श्री रमेश थलाल पुत्र स्व0 श्री हरक सिंह थलाल, निवासी धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री रमेश थलाल को उत्तराखण्ड राज्य की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
177	श्री नारायण सिंह ठगुन्ना पुत्र स्व0 श्री जीत सिंह, निवासी कालिका, धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री नारायण सिंह ठगुन्ना को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
178	श्री लाल सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह, निवासी ग्राम व पो0 कालिका,	श्री लाल सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर	—

	धारचूला, पिथौरागढ़।	निरुद्ध रखा गया था।	
179	श्री गोविन्द लाल वर्मा पुत्र स्व० श्री भवानी लाल वर्मा, निवासी ग्राम व पो० थल, पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द लाल वर्मा को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
180	श्री बहादुर सिंह बाफिला पुत्र श्री चन्द्र सिंह, निवासी पड़ियात, पो० हजेती, पिथौरागढ़।	श्री बहादुर सिंह बाफिला को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
181	श्री लीलाम्बर पंत पुत्र स्व० श्री प्रेम बल्लभ पंत, निवासी ग्राम ढनौली, पो० बेरीनाग, पिथौरागढ़।	श्री लीलाम्बर पंत को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस डीडीहाट द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
182	श्री लक्ष्मी दत्त पंत पुत्र श्री ईश्वरी दत्त पंत, निवासी ग्राम गराड, पो० देवीनगर, पिथौरागढ़।	श्री लक्ष्मी दत्त पंत को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस डीडीहाट द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
183	श्री जगदीश चन्द पंत पुत्र स्व० श्री राधाबल्लभ पंत, निवासी ग्राम ढनौली, पो० बेरीनाग, पिथौरागढ़।	श्री जगदीश चन्द पंत को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस डीडीहाट द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
184	श्री सुरेश चन्द्र पंत पुत्र श्री मोहन चन्द्र पंत, निवासी ग्राम पिनारी, पो० बेरीनाग, पिथौरागढ़।	श्री सुरेश चन्द्र पंत को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस डीडीहाट द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
185	श्री लोक बहादुर पुत्र श्री धाम सिंह, निवासी ग्राम जैती, पो० मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	श्री लोक बहादुर को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
186	श्री दान सिंह शाही पुत्र श्री मदन सिंह शाही, ग्राम मल्ला भैसकोट, पो० भैसकोट, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	श्री दान सिंह शाही को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
187	श्री मनमोहन सिंह धर्मशक्तू पुत्र श्री प्रेम सिंह धर्मशक्तू, ग्राम गोल्फा, पो० बोना, मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	श्री मनमोहन सिंह धर्मशक्तू को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को कोतवाली पुलिस डीडीहाट द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
188	श्री होशियार सिंह पुत्र श्री धन सिंह, नि० सकुन, पिथौरागढ़।	श्री होशियार सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
189	श्री होशियार सिंह धामी पुत्र श्री प्रताप सिंह, नि० मढ मडमानले, पिथौरागढ़।	श्री होशियार सिंह धामी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
190	श्री दलीप धामी पुत्र श्री नाथू सिंह, नि० कल्याणपुर, उ०सि० नगर।	श्री दलीप धामी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
191	श्री बी०डी० कोहली पुत्र श्री इन्दुलाल, नि० हुड़ेती, पिथौरागढ़।	श्री बी०डी० कोहली को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
192	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री जय सिंह, नि० बिसखोली, पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
193	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री जय सिंह, नि० धारचूला रोड, पिथौरागढ़।	श्री गोपाल सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—

194	श्री होशियार सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, नि0 रोड़ी पाली, पिथौरागढ़।	श्री होशियार सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
195	श्री नारायण दत्त जोशी पुत्र श्री शिव दत्त, नि0 हनुमान मंदिर, पिथौरागढ़।	श्री नारायण दत्त जोशी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
196	श्रीमती कुशुम देवी पत्नी श्री काशी राम, नि0 भाटकोट, पिथौरागढ़।	श्रीमती कुशुम देवी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
197	श्रीमती रेनू पत्नी श्री नरेन्द्र भट्ट, नि0 तिलढुकरी, पिथौरागढ़।	श्रीमती रेनू को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
198	श्री बंशीधर जोशी पुत्र श्री चूड़मणि, नि0 चौकी गोवर्षा, पिथौरागढ़।	श्री बंशीधर जोशी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
199	श्री मंगल सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, नि0 धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री मंगल सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
200	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री प्रताप सिंह, नि0 धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री रमेश चन्द्र को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
201	श्री दिवान सिंह पुत्र श्री छुरकिया सिंह, नि0 धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री दिवान सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
202	श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री कालू सिंह, नि0 कालिका, धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री त्रिलोक सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
203	श्री जोध सिंह बोरा पुत्र श्री लाल सिंह, नि0 पमस्यारी, पिथौरागढ़।	श्री जोध सिंह बोरा को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
204	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, नि0 साता, डीडीहाट, पिथौरागढ़।	श्री मनोहर सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
205	श्री नारायण मर्तोलिया पुत्र श्री मोहन सिंह, नि0 डीडीहाट, पिथौरागढ़।	श्री नारायण मर्तोलिया को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
206	श्री रमेश पंचपाल पुत्र श्री दुर्गा सिंह, नि0 डीडीहाट, पिथौरागढ़।	श्री रमेश पंचपाल को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
207	श्री कल्याण धामी पुत्र श्री कुशल सिंह, नि0 डिग्री कालेज रोड खटीमा।	श्री कल्याण धामी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
208	श्री ईश्वर धरियाल पुत्र श्री केशर सिंह, नि0 गौड़ीहाट, पिथौरागढ़।	श्री ईश्वर धरियाल को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
209	श्री वीर जंगपाल पुत्र श्री राजेन्द्र पाल,	श्री वीर जंगपाल को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर	—

	नि० अस्कोट, पिथौरागढ़।	दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	
210	श्री हयात सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, नि० जजुराली बाँस, पिथौरागढ़।	श्री हयात सिंह को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
211	श्री पी०एस० नगरकोटी पुत्र श्री मोतीराम, नि० दौला, पिथौरागढ़।	श्री पी०एस० नगरकोटी को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
212	श्री दान सिंह बिष्ट एडवोकेट पुत्र स्व० श्री दिवान सिंह बिष्ट, नि० तिलढुकरी, पिथौरागढ़।	श्री दान सिंह बिष्ट को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
213	श्री बसन्त कुमार पंत पुत्र श्री पीताम्बर पंत, एडवोकेट।	श्री बसन्त कुमार पंत को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
214	श्री मनोहर लाल साह पुत्र श्री मथुरालाल साह, एडवोकेट।	श्री मनोहर लाल साह को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
215	श्री विजय वल्लिया पुत्र श्री वजीर सिंह वल्लिया, एडवोकेट।	श्री विजय वल्लिया को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
216	श्री जी०बी० भट्ट पुत्र श्री प्रेमबल्लभ भट्ट, एडवोकेट।	श्री जी०बी० भट्ट को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
217	श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री दीवान सिंह बिष्ट, एडवोकेट।	श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
218	श्री सुरेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री जे०सी० जोशी, एडवोकेट।	श्री सुरेश चन्द्र जोशी को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
219	श्री ललित सांमत पुत्र श्री एल०एस० सांमत, एडवोकेट।	श्री ललित सांमत को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
220	श्री मोहन सिंह महारा पुत्र श्री सोबन सिंह महारा, एडवोकेट।	श्री मोहन सिंह महारा को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।	—
221	श्री गजेन्द्र साही पुत्र श्री शेर बहादुर	श्री गजेन्द्र साही को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.	—

	सिंह, एडवोकेट।	08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की	
267	श्री पुष्कर सिंह सामंत पुत्र श्री प्रताप सिंह, एडवोकेट।	श्री पुष्कर सिंह सामंत को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की	—
268	श्री डी0एन0 भट्ट पुत्र श्री हरी दत्त भट्ट, एडवोकेट।	श्री डी0एन0 भट्ट को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की	—
269	श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री चंचल सिंह बिष्ट, एडवोकेट।	श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की	—
270	श्री हरीश पुनेठा पुत्र श्री तपोधन पुनेठा, एडवोकेट।	श्री हरीश पुनेठा को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की	—
271	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री एन0सिंह, एडवोकेट।	श्री राजेन्द्र सिंह को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की	—
272	श्री मोहन चन्द्र भट्ट पुत्र श्री हरी दत्त भट्ट, एडवोकेट।	श्री मोहन चन्द्र भट्ट को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की	—
273	श्री बहादुर सिंह चौधरी पुत्र श्री एम0एस0 चौधरी, एडवोकेट।	श्री बहादुर सिंह चौधरी को उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 26.08.1994 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था तथा दिनांक 06.10.1994 को उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की	—
274	श्री माधवानंद पुत्र स्व0 श्री गिरधर दत्त जोशी, निकट राजा होटल, पिथौरागढ़।	श्री माधवानंद जोशी द्वारा वर्ष 1989 में जनपद में भाजपा द्वारा गठित उत्तराखण्ड संघर्ष समिति के अध्यक्ष पद पर रहते हुये उत्तराखण्ड आन्दोलन में भाग लिये जाने की पुष्टि हुई है।	—
275	श्री केदार दत्त भट्ट पुत्र श्री गणेश दत्त भट्ट, निवासी सेरी कुम्डार, पिथौरागढ़।	श्री केदार दत्त भट्ट के विरुद्ध उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान दिनांक 23.02.93 को थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 39/93 अन्तर्गत धारा 188 भादवि पंजीकृत हुआ है।	—
276	श्रीमती बसन्ती वर्मा पत्नी श्री भागवत लाल, ग्राम पपदेव, पो0 पौण, पिथौरागढ़।	श्रीमती बसन्ती वर्मा को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
277	श्रीमती माधवी बिष्ट पत्नी श्री हीरा सिंह, निवासी तिलढुकरी, पिथौरागढ़ हाल निवासी शान्त बाजार, चम्पावत।	श्रीमती माधवी बिष्ट को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
278	श्री कृष्णानन्द चौसाली पुत्र श्री राधापति, निवासी ग्राम कांडा, पो0 सौगाँव, तह0 डीडीहाट, पिथौरागढ़।	श्री कृष्णानन्द चौसाली को उत्तराखण्ड राज्य के गठन की माँग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—

279	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र मोती सिंह, निवासी टकाड़ी, जिला पिथौरागढ़।	श्री लक्ष्मण सिंह उत्तराखण्ड राज्य को उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे आदि नारेबाजी करते हुये दिनांक 23.02.1998 को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
280	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कुँवर सिंह, धनौली, जिला पिथौरागढ़।	श्री गोपाल सिंह को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 24.07.2000 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
281	श्री गोपाल दत्त पुत्र श्री गंगा दत्त, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़।	श्री गोपाल दत्त को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 23.02.1988 को थाना डीडीहाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।	—
282	श्री हुकुम सिंह धामी पुत्र श्री राम सिंह धामी, ग्राम भौतड़ी, तह0 डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री हुकुम सिंह को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
283	श्री कमान सिंह पुत्र श्री कुँवर सिंह, निवासी भौतड़ी, पो0 मड़मानले, तह0 पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़।	श्री कमान सिंह को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
284	श्री कमान सिंह पुत्र श्री हरक सिंह, निवासी ग्राम भौतड़ी, पो0 मड़मानले, जिला पिथौरागढ़।	श्री कमान सिंह को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
285	श्री गणेश खनका पुत्र स्व0 श्री प्रेम सिंह, ग्राम रौछड़ा, पो0 मड़मानले, जिला पिथौरागढ़।	श्री गणेश खनका को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को कोतवाली पुलिस पिथौरागढ़ द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
286	श्री राजेन्द्र लाल वर्मा पुत्र श्री जोगा लाल, निवासी ग्राम सुनारगाँव, पो0 दशाईथल, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री राजेन्द्र लाल वर्मा को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
287	श्री खड़क सिंह ऐरी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, ग्राम गुईया, बलुवाकोट, धारचूला, जिला पिथौरागढ़।	श्री खड़क सिंह ऐरी को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
288	श्री होशियार सिंह सिरौला पुत्र श्री बहादुर सिंह, ग्राम लमतड़ी, बिसौनाखान, जिला पिथौरागढ़।	श्री होशियार सिंह सिरौला को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
289	श्रीमती देवकी देवी पत्नी श्री खड़क राम, सिनेमा लाईन, जिला पिथौरागढ़।	श्रीमती देवकी देवी को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
290	श्री जनार्दन उप्रेती पुत्र श्री जीवनन्द उप्रेती, हुडेती, डिग्री कालेज, जिला पिथौरागढ़।	श्री जनार्दन उप्रेती को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
291	श्री रतन गिरी गोस्वामी पुत्र श्री राम गिरी, शिव मंदिर वार्ड, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री रतन गिरी गोस्वामी को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
292	श्री महिमन सिंह कन्याल पुत्र श्री राम सिंह कन्याल, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री महिमन सिंह कन्याल को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—

293	श्री लक्ष्मी दत्त जोशी पुत्र श्री उमापति जोशी, जी0आई0सी0 वार्ड, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री लक्ष्मी दत्त जोशी को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
294	श्री दीवान सिंह देउपा पुत्र श्री गम्भीर सिंह, ग्राम चौणदी झोलघर, जिला पिथौरागढ़।	श्री दीवान सिंह देउपा को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
295	श्री शेर सिंह साही पुत्र श्री बहादुर सिंह साही, शिव मंदिर वार्ड, डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री शेर सिंह साही को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
296	श्री राजेन्द्र पन्त पुत्र श्री जगदीश चन्द्र, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री राजेन्द्र पन्त को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
297	श्री चन्द्र राम पुत्र श्री कालू राम, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री चन्द्र राम को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
298	श्री सुरेश पन्त पुत्र श्री राम प्रसाद पन्त, गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री सुरेश पन्त को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
299	श्री गोपाल सिंह धानिक पुत्र श्री कुँवर सिंह धानिक, शाहगढ़, बेरीनाग।	श्री गोपाल सिंह धानिक को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
300	श्री जय राम पुत्र श्री दीवान राम, ग्राम ग्वीर, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़।	श्री जय राम को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
301	श्री फकीर सिंह पुत्र श्री सोबन सिंह, चनकाना, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़।	श्री फकीर सिंह को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
302	श्री दरबान कुँवर पुत्र श्री होशियार सिंह, टकाड़ी, डिग्री कालेज, पिथौरागढ़, जिला पिथौरागढ़।	श्री दरबान कुँवर को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
303	श्री हीरा राम पुत्र श्री झुसियाराम, थल बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़।	श्री हीरा राम को उत्तराखण्ड राज्य की मॉग को लेकर दिनांक 02.07.2000 को कमिश्नरी घेराव पर थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर निरुद्ध रखा गया था।	—
304	श्री गिरीजा शंकर पन्त पुत्र श्री जय दत्त पन्त, निवासी ग्राम ढनौली, पो0 बेरीनाग	श्री गिरीजा शंकर पन्त को राज्य आन्दोलन के दौरान थाना बेरीनाग में दिनांक 24.02.1993 को धारा 107/116/151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया।	
305	श्री खुशाल सिंह भण्डारी पुत्र श्री हरक सिंह भण्डारी, ग्राम गुरैना, वि0ख0 बेरीनाग	श्री खुशाल सिंह भण्डारी को थाना बेरीनाग में दिनांक 24.02.1993 को धारा 107/116/151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया।	
306	श्री हरीश भट्ट पुत्र श्री राम दत्त भट्ट, निवासी जल निगम के पीछे, टकाना रोड, पिथौरागढ़।	श्री हरीश भट्ट को दिनांक 23.02.1988 को 123 उ0क्रा0द0 कार्यकर्ताओं के साथ जिला कार्यालय प्रांगण में एकत्रित होकर "उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे" आदि भाषणबाजी एवं शान्ति भंग का अन्देश देकर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 गिरफ्तार कर निरुद्ध किया गया।	

307	श्री नरेन्द्र सिंह बोरा पुत्र श्री हर सिंह बोरा, ग्राम पईयांपौड़ी	श्री नरेन्द्र सिंह बोरा 02 अक्टूबर, 1994 को उत्तराखण्ड की मांग को लेकर दिल्ली रैली में पुलिस लाठी चार्ज में घायल हुए।
308	श्री श्यामा चरण उप्रेती पुत्र स्व० आनन्द बल्लभ उप्रेती, ग्राम कुन्जनपुर, गंगोलीहाट	श्री श्यामा चरण उप्रेती को दिनांक 20.08.1994 को थाना बेरीनाग में धारा 147/385/452/504 भादवि बनाम श्यामाचरण उप्रेती व 17 अन्य के विरुद्ध पंजीकृत हुआ।
309	श्री चरणदत्त उपाध्याय पुत्र स्व० श्री भवानी दत्त उपाध्याय, निवासी स्टेशन रोड, बेरीनाग, पिथौरागढ़	श्री चरणदत्त उपाध्याय को दिनांक 24.02.1993 को थाना बेरीनाग में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान प्रतिबन्धित रैली में भाग लेने एवं शान्ति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
310	श्री रणजीत विश्वकर्मा पुत्र स्व० श्री नरीराम विश्वकर्मा, सेनानी आश्रम गाँधीनगर, पो० जोशा, तहसील मुनस्यारी, जिला पिथौरागढ़	श्री रणजीत विश्वकर्मा दिनांक 02.02.1996 से स्थान गांधी चौक, पिथौरागढ़ में पृथक उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाये गये आन्दोलन के दौरान सक्रिय रहे, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
311	श्री गणेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री चन्द्र बल्लभ जोशी, निवासी ग्राम रैतोली, पो० गौलचौरा, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़	श्री गणेश चन्द्र जोशी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में प्रतिभाग किया जाना प्रकाश में आया, जिसकी सहमति/पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
312	श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री फकीर सिंह, निवासी ग्राम एवं पो० हजेती पडियात, तहसील बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़।	श्री बहादुर सिंह बाफिला द्वारा दिनांक 24.07.2000 को कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 151/107/116 द०प्र०सं० के तहत गिरफ्तार किया गया है।
313	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री शेर सिंह बिष्ट, ग्राम टुन्टाचौड़ा, पो० ओ०-कन्डराछीना, तहसील गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़	श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट द्वारा दिनांक 23.02.1988 को "उत्तराखण्ड राज्य लेके रहेंगे" शान्ति भंग का अंदेशा देखकर थाना कोतवाली, पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा धारा 151/107/116 द०प्र०सं० गिरफ्तार कर निरुद्ध किया गया।
314	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त पुत्र श्री बसन्त बल्लभ पन्त, निवासी ग्राम मिताड़ीगाँव, पो० डुंगरी कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त को दिनांक 25.08.1994 तथा दिनांक 31.08.1994 को अन्तर्गत धारा 107/116/151 द०प्र०सं० के अन्तर्गत थाना कोतवाली में निरुद्ध किया गया।
315	श्री जोत सिंह धामी, ग्राम एवं पो० बलुवाकोट	श्री जोत सिंह धामी, उक्त को दिनांक 09.02.96 को उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
316	श्री केशर सिंह धपवाल पुत्र ब्रिशन सिंह, निवासी तहसील वार्ड, डीडीहाट	श्री केशर सिंह धपवाल द्वारा दिनांक 23.02.1988 को उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर डीडीहाट में प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
317	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री दान बहादुर, निवासी गाँधीनगर (तल्ली बाजार), तहसील पिथौरागढ़	श्रीमती शान्ति देवी द्वारा दिनांक 23.02.1988 को उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर डीडीहाट में प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
318	श्री आन सिंह उर्फ आनन्द सिंह, ग्राम ननकुड़ी, पो० अजेड़ा, तहसील डीडीहाट	श्री आन सिंह, उक्त को दिनांक 02.03.2000 को डीडीहाट में गिरफ्तार कर निरुद्ध किया गया।
319	श्री नैन सिंह खोलिया पुत्र श्री बहादुर सिंह, ग्राम खोली, पो० अजेड़ा, डीडीहाट	श्री नैन सिंह खोलिया, उक्त को दिनांक 02.03.2000 को डीडीहाट में गिरफ्तार कर निरुद्ध किया गया।

320	श्री खड़क सिंह खोलिया पुत्र श्री दीवान सिंह, ग्राम खोली, पो0 अजेड़ा, डीडीहाट	श्री खड़क सिंह खोलिया को दिनांक 02.03.2000 को धारा 107/117 जा0फौ0 में गिरपतार कर निरुद्ध किया गया।
321	श्री पूरन सिंह बोरा पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह, ग्राम झलीमा, पो0 जौरासी, डीडीहाट	श्री पूरन सिंह बोरा, उक्त को दिनांक 23.02.1988 को राज्य की मांग को लेकर डीडीहाट में प्रदर्शन किया गया, जिसमें उक्त को गिरपतार कर निरुद्ध किया गया।
322	श्री चन्द्र सिंह बोरा पुत्र स्व0 श्री जीत सिंह बोरा, ग्राम दुर्लख, पो0 जौरासी, डीडीहाट	श्री चन्द्र सिंह बोरा, उक्त को दिनांक 23.02.1988 को राज्य की मांग को लेकर डीडीहाट में प्रदर्शन किया गया, जिसमें उक्त को गिरपतार कर निरुद्ध किया गया।
323	श्री नारायण सिंह बोरा पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह बोरा, ग्राम झलीमा, पो0 जौरासी, डीडीहाट	श्री नारायण सिंह बोरा, उक्त को दिनांक 23.02.1988 को राज्य की मांग को लेकर डीडीहाट में प्रदर्शन किया गया, जिसमें उक्त को गिरपतार कर निरुद्ध किया गया।
324	श्री फकीर सिंह बोरा पुत्र स्व0 श्री कुँवर सिंह, ग्राम झलीमा, पो0 जौरासी, डीडीहाट	श्री फकीर सिंह बोरा, उक्त को दिनांक 23.02.1988 को राज्य की मांग को लेकर डीडीहाट में प्रदर्शन किया गया, जिसमें उक्त को गिरपतार कर निरुद्ध किया गया।
325	श्री कृपालु मेहरा उर्फ हरीश सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, ग्राम हुनेरा, पो0 आदिचौरा, तहसील डीडीहाट	श्री कृपालु मेहरा उर्फ हरीश सिंह, उक्त द्वारा दिनांक 02.03.2000 को डीडीहाट में राज्य मांग को लेकर प्रदर्शन करने पर गिरपतार कर निरुद्ध किया गया।
326	श्री मनोहर सिंह पुत्र स्व0 श्री बहादुर सिंह, ग्राम छाना, पो0 जौरासी	श्री मनोहर सिंह, उक्त को दिनांक 23.02.1988 को राज्य की मांग को लेकर डीडीहाट में प्रदर्शन किया गया, जिसमें उक्त को गिरपतार कर निरुद्ध किया गया।
327	श्री हयात सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, ग्राम हनेरा, गंगोलीहाट	श्री हयात सिंह को दिनांक 02.03.2000 को चौकी गंगोलीहाट में 151 द0प्र0सं0 में गिरपतार कर निरुद्ध किया गया।
328	श्रीमती हंसा जोशी पत्नी श्री जय दत्त जोशी, निवासी लिन्द्यूड़ा, पिथौरागढ़	श्रीमती हंसा जोशी द्वारा दिनांक 26.02.1996 को राज्य निर्माण को लेकर आमरण अनशन में सक्रिय प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
329	श्री चंचल सिंह पुत्र स्व0 श्री दिवान सिंह, ग्राम बिसखोली, पो0 बगरतोली, थाना झूलाघाट, पिथौरागढ़	श्री चंचल सिंह को उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में गिरपतार कर निरुद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
330	श्री प्रेम सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह, ग्राम खड़क्यूड़ा, पो0 गौड़ीहाट, पिथौरागढ़	श्री प्रेम सिंह को उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर दिनांक 02.03.2000 को पिथौरागढ़ में गिरपतार कर निरुद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
331	श्री भवान सिंह धामी पुत्र स्व0 खड़क सिंह, ग्राम सुरौण, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत, अस्कोड़ा, पो0 कनालीछीना	श्री भवान सिंह धामी को दिनांक 25.08.1994 को पिथौरागढ़ में गिरपतार कर निरुद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
332	श्री भगवान सिंह दिगारी पुत्र स्व0 हरक सिंह, ग्राम पंचायत सन्न (पाली), कनालीछीना	श्री भगवान सिंह दिगारी को दिनांक 25.08.1994 को पिथौरागढ़ में गिरपतार कर निरुद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
333	श्री चन्द्र शेखर उप्रेती पुत्र स्व0 जय दत्त उप्रेती, ग्राम हुडेती, पो0 डिग्री कॉलेज, पिथौरागढ़	श्री चन्द्र शेखर उप्रेती को दिनांक 23.02.1988 को पिथौरागढ़ में गिरपतार कर निरुद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।

334	श्री शंकर राम पुत्र श्री सोबन राम, निवासी ग्राम हुड़ेती, पो0 डिग्री कॉलेज, पिथौरागढ़	श्री शंकर राम को दिनांक 23.02.1988 को पिथौरागढ़ में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
335	श्री रामी राम पुत्र श्री झपुवा राम, पूर्व अध्यक्ष, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल बलुवाकोट, ग्राम रौझाड़, पो0 पन्थागाँव, तहसील धारचूला, जनपद पिथौरागढ़।	श्री रामी राम, उक्त को दिनांक 23.02.1988 को धारचूला में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
336	श्री गंगा दत्त जोशी पुत्र श्री हरी दत्त जोशी, निवासी पितरौटा, एडवोकेट, पिथौरागढ़	श्री गंगा दत्त जोशी, उक्त द्वारा दिनांक 03.10.1994, 06.10.1994 को उत्तराखण्ड राज्य की मांग के समर्थन पर हड़ताल की।
337	श्री कुन्दन राम पुत्र श्री पाना राम, निवासी तहसील वार्ड, डीडीहाट	श्री कुन्दन राम को दिनांक 23.02.1988 को डीडीहाट में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
338	श्री बंशीधर पाठक पुत्र श्री शिव दत्त पाठक, ग्राम एवं पो0 थल	श्री बंशीधर पाठक को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
339	श्री राम दत्त चौसाली पुत्र श्री त्रिलोचन चौसाली, निवासी ग्राम कांडा, पो0 सौगांव, तहसील डीडीहाट	श्री राम दत्त चौसाली, उपरोक्त को दिनांक 30.09.1994 को पिथौरागढ़ में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
340	श्री योगेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, एडवोकेट, निवासी निकट वन विभाग कार्यालय, पिथौरागढ़	श्री योगेश चन्द्र पाण्डेय, उक्त द्वारा दिनांक 03.10.1994, 06.10.1994 को उत्तराखण्ड राज्य की मांग के समर्थन पर हड़ताल की।
341	श्री आनन्द सिंह बिष्ट पुत्र स्व0 श्री विशन सिंह बिष्ट, अधिवक्ता, जिला न्यायालय, पिथौरागढ़।	श्री आनन्द सिंह बिष्ट, उक्त द्वारा दिनांक 03.10.1994, 06.10.1994 को उत्तराखण्ड राज्य की मांग के समर्थन पर हड़ताल की।
342	श्री बसन्त भट्ट पुत्र श्री आर0डी0 भट्ट, गुरना, पिथौरागढ़	श्री बसन्त भट्ट, उक्त द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
343	श्री गोविन्द सिंह कसन्याल पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी सैनी, पो0 नैनी सैनी, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द सिंह कसन्याल द्वारा दिनांक 16.09.1994 को खटीमा में उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किये जाने पर गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
344	श्री सुरेन्द्र सिंह महर पुत्र स्व0 श्री मोती सिंह महर, ग्राम बिण, पिथौरागढ़	श्री सुरेन्द्र सिंह महर, उक्त द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
345	श्री गोविन्द लाल साह पुत्र श्री चिरंजी लाल साह, निवासी हाट थर्प, तहसील डीडीहाट।	श्री गोविन्द लाल साह को दिनांक 02.03.2000 में थाना डीडीहाट के अभिलेखानुसार धारा 107/116 द0प्र0सं0 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।
346	श्री गणेश उप्रेती पुत्र स्व0 श्री घनानन्द उप्रेती, ग्राम हुड़ेती, पिथौरागढ़	श्री गणेश उप्रेती द्वारा दिनांक 16.09.1994 को खटीमा में उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन किये जाने पर गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।

347	श्री गंगा सिंह पुत्र श्री पान सिंह उर्फ फान सिंह, ग्राम सकुन, पिथौरागढ़।	श्री गंगा सिंह, उक्त को दिनांक 16.02.96 को उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
348	श्री नारायण सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह उर्फ अमर सिंह, निवासी चिफलतरा	श्री नारायण सिंह को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरुद्ध किया गया।
349	श्री उमेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री प्रेम बल्लभ जोशी, निवासी चिटगालगाँव	श्री उमेश चन्द्र जोशी को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरुद्ध किया गया।
350	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह, ग्राम भडगाँव, पो0 चौबाटी	श्री सुरेन्द्र सिंह को दिनांक 23.02.1988 को डीडीहाट में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरुद्ध किया गया।
351	श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री दान सिंह, ग्राम ज्वाल, पो0 कण्डाराछीना	श्री जगदीश सिंह को दिनांक 02.03.2000 को गंगोलीहाट में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरुद्ध किया गया।
352	श्रीमती सीमा धामी पत्नी श्री दलीप सिंह धामी, निवासी कटियानी, हाल लिंक रोड, पिथौरागढ़	श्रीमती सीमा धामी द्वारा दिनांक 24.02.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
353	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, ग्राम मनकोट, पो0 कटियानी	श्री दीवान सिंह द्वारा दिनांक 25.02.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
354	श्री हर्ष सिंह डोभाल पुत्र श्री गुलाब सिंह, निवासी जाखनी, पिथौरागढ़	श्री हर्ष सिंह डोभाल द्वारा दिनांक 29.02.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
355	श्री राजेश पाण्डेय पुत्र श्री राम दत्त पाण्डेय, ग्राम गौँछ, पिथौरागढ़।	श्री राजेश पाण्डेय द्वारा दिनांक 04.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
356	श्री पान सिंह खम्पा पुत्र श्री चन्द्र सिंह खम्पा, निवासी जी0आई0सी0 रोड, पिथौरागढ़।	श्री पान सिंह खम्पा द्वारा दिनांक 12.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
357	श्री कीर्ति बल्लभ भट्ट पुत्र श्री हरी दत्त भट्ट, ग्राम जाख, पिथौरागढ़।	श्री कीर्ति बल्लभ भट्ट द्वारा दिनांक 15.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
358	श्री भवान सिंह पुत्र श्री गिरधर सिंह, ग्राम रावलगाँव, पिथौरागढ़।	श्री भवान सिंह द्वारा दिनांक 11.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
359	श्री जगत सिंह पुत्र श्री होशियार सिंह, ग्राम अखुली, पो0 गौँछ, पिथौरागढ़	श्री जगत सिंह द्वारा दिनांक 17.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों

		द्वारा की गयी।	
360	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, ग्राम भौतडी, मड़मानले, पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द सिंह द्वारा दिनांक 04.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
361	श्री दान सिंह ऐरी पुत्र श्री पुष्कर सिंह ऐरी, निवासी द्योत पुस्चुणा, पो0 नैनी सैनी, पिथौरागढ़।	श्री दान सिंह ऐरी द्वारा दिनांक 07.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
362	श्री सलीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल करीम, निवासी थल, पिथौरागढ़।	श्री सलीम अहमद द्वारा दिनांक 07.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
363	श्री प्रेम सिंह अन्ना पुत्र श्री तेज सिंह, ग्राम एवं पो0 घिंघरानी, पिथौरागढ़	श्री प्रेम सिंह अन्ना द्वारा दिनांक 17.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
364	श्री बद्री दत्त जोशी पुत्र श्री लोकमणि जोशी, निवासी धर्मशाला लाईन, पिथौरागढ़।	श्री बद्री दत्त जोशी द्वारा दिनांक 06.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
365	श्री दीवान सिंह मेहता पुत्र श्री जवाहर सिंह, ग्राम बेड गोगना, पिथौरागढ़	श्री दीवान सिंह मेहता द्वारा दिनांक 05.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
366	श्री दिनेश चन्द्र पुनेड़ा पुत्र श्री जमुना दत्त, निवासी पुनेड़ी महर, पो0 एवं जिला पिथौरागढ़।	श्री दिनेश चन्द्र पुनेड़ा द्वारा दिनांक 17.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
367	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी पुत्र स्व0 गंगा दत्त, ग्राम घिमाली, पो0 सानदेव, डीडीहाट	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी द्वारा दिनांक 15.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
368	श्री चन्द्र सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह, ग्राम एवं पो0 बडारी, पिथौरागढ़।	श्री चन्द्र सिंह को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
369	श्री विजेन्द्र सिंह धामी पुत्र श्री गोपाल सिंह धामी, निवासी धारचूला रोड, पिथौरागढ़	श्री विजय सिंह को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
370	श्री कुन्दल सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह, ग्राम एवं पो0 कटियानी, पिथौरागढ़।	श्री कुन्दल सिंह को दिनांक 25.08.1994 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	

371	श्री प्रेम सिंह जिमवाल पुत्र श्री मान सिंह, ग्राम ओगला, पो0 ओगला, पिथौरागढ़।	श्री प्रेम सिंह जिमवाल को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
372	श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री हर्ष सिंह, ग्राम एवं पो0 कटियानी, पिथौरागढ़।	श्री दिनेश सिंह को दिनांक 25.08.1994 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
373	श्री कान्ति राम पुत्र श्री मंगल राम, ग्राम तड़ीगाँव, जिला पिथौरागढ़।	श्री कान्ति राम को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
374	श्री प्रेम राम पुत्र श्री रामी राम, ग्राम तड़ीगाँव, जिला पिथौरागढ़।	श्री प्रेम राम को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
375	श्रीमती रमा देवी पत्नी श्री प्रेम राम, ग्राम तड़ीगाँव, जिला पिथौरागढ़।	श्रीमती रमा देवी को दिनांक 31.07.1995 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
376	श्री गिरीश भट्ट पुत्र श्री तारा दत्त, ग्राम घुंसेरागाँव, पिथौरागढ़	श्री गिरीश भट्ट को दिनांक 25.08.1994 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
377	श्री सुरेश चन्द्र मखौलिया पुत्र स्व0 काशी राम, ग्राम रई, पो0 सिल्थाम, पिथौरागढ़	श्री सुरेश चन्द्र मखौलिया को दिनांक 25.08.1994 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
378	श्री हेम पुनेठा पुत्र श्री आर0 सी0 पुनेठा, निवासी जी0आई0सी0 रोड, पिथौरागढ़	श्री हेम पुनेठा को दिनांक 25.08.1994 को पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
379	श्री जीवन लाल पुत्र श्री राधे लाल, निवासी नारायणनगर, डीडीहाट	श्री जीवन लाल को दिनांक 02.03.2000 को डीडीहाट में धारा 107/116/151 में गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
380	श्री कुण्डल चन्द देउपा पुत्र श्री शिव चन्द, निवासी टकाना, पिथौरागढ़।	श्री कुण्डल चन्द देउपा द्वारा दिनांक 23.02.1988 को थाना कोतवाली, पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
381	श्री कुण्डल सिंह सौन पुत्र श्री खड़क सिंह, निवासी बीसाबजेड़, पिथौरागढ़।	श्री कुण्डल सिंह सौन द्वारा दिनांक 23.02.1988 को थाना कोतवाली, पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 गिरफ्तार कर निरूद्ध किया गया।	
382	श्री पप्पू गिरी गोस्वामी उर्फ ओम प्रकाश पुत्र श्री रतन गिरी, ग्राम शिव मन्दिर वार्ड, डीडीहाट	श्री पप्पू गिरी गोस्वामी उर्फ ओम प्रकाश द्वारा दिनांक 10.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
383	श्री प्रहलाद सिंह चुफाल पुत्र श्री पुष्कर सिंह चुफाल, ग्राम बाँकू, पो0 दूनाकोट, डीडीहाट, पिथौरागढ़	श्री प्रहलाद सिंह चुफाल द्वारा दिनांक 10.03.1996 को स्थान गांधी चौक में राज्य गठन की मांग को लेकर आमरण अनशन में प्रतिभाग किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आन्दोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
384	श्री आनन्द बल्लभ जोशी पुत्र श्री राम दत्त जोशी, ग्राम एवं पो0 मेलडुंगरी, तहसील पिथौरागढ़	श्री आनन्द बल्लभ जोशी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	

385	श्री गिरीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री चिन्तामणि शर्मा, एडवोकेट, निवासी लिन्द्यूडा, पिथौरागढ़।	श्री गिरीश चन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
386	श्री जगमोहन चन्द पुत्र श्री लक्ष्मण चन्द, एडवोकेट, निवासी जाखनी, पिथौरागढ़।	श्री जगमोहन चन्द द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
387	श्री पंकज शर्मा पुत्र श्री लीला राम शर्मा, एडवोकेट, निवासी घन्टाकरण, पिथौरागढ़	श्री पंकज शर्मा द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
388	श्रीमती डिगरी बाफिला पत्नी श्री भगवान सिंह बाफिला, एडवोकेट, निवासी कमदीना, पो0 जाबुकाथल, बेरीनाग	श्रीमती डिगरी बाफिला द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
389	श्री दिनेश चन्द्र खर्कवाल पुत्र श्री घनश्याम सिंह खर्कवाल, एडवोकेट, निवासी ग्राम एवं पो0 वड्डा, पिथौरागढ़	श्री दिनेश चन्द्र खर्कवाल द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
390	श्री टी0एन0पन्त पुत्र श्री उर्वादत्त पन्त, एडवोकेट, निवासी टकाना, पिथौरागढ़	श्री टी0एन0पन्त द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
391	श्री मोहन चन्द्र भट्ट पुत्र श्री कृपाल दत्त भट्ट, एडवोकेट, निवासी लिन्द्यूडा, पिथौरागढ़	श्री मोहन चन्द्र भट्ट द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
392	श्री अजय बोहरा पुत्र स्व0 कालू सिंह, एडवोकेट, निवासी जाखनी, पिथौरागढ़	श्री अजय बोहरा द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
393	श्री भगवान सिंह डांगी पुत्र स्व0 नैन — सिंह, एडवोकेट, निवासी तहसील वार्ड, पो0 एवं तहसील डीडीहाट।	श्री भगवान सिंह डांगी को दिनांक 23.02.1988 को डीडीहाट में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।
394	श्री गंगा सिंह बाफिला पुत्र स्व0 कल्याण सिंह, एडवोकेट, निवासी रई, पिथौरागढ़	श्री गंगा सिंह बाफिला द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
395	श्री रमेश चन्द्र कापड़ी पुत्र श्री धर्मानन्द कापड़ी, एडवोकेट, निवासी रई, पिथौरागढ़	श्री रमेश चन्द्र कापड़ी द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
396	श्री गजेन्द्र सिंह सौन पुत्र स्व0 त्रिलोक सिंह, एडवोकेट, निवासी चिमसियानौला, पिथौरागढ़	श्री गजेन्द्र सिंह सौन द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
397	श्री दीवान सिंह सौन पुत्र श्री दान सिंह, एडवोकेट, निवासी न्यूसेरा कालौनी, पिथौरागढ़	श्री दीवान सिंह सौन द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
398	श्री गोपाल दत्त जोशी पुत्र श्री हरी दत्त, एडवोकेट, निवासी लिंक रोड, पिथौरागढ़	श्री गोपाल दत्त जोशी द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।

399	श्री राजेन्द्र सिंह सामन्त पुत्र श्री खुशाल सिंह, एडवोकेट, निवासी चिमसियानौला, पिथौरागढ़	श्री राजेन्द्र सिंह सामन्त द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
400	श्री सन्तोष चन्द पुत्र स्व० टी०एस०चन्द, एडवोकेट, निवासी सिल्थाम, पिथौरागढ़	श्री सन्तोष चन्द द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
401	श्री राजकुमार मल पुत्र स्व० श्री जगत सिंह मल, एडवोकेट, निवासी कुम्डार, पो० सेरीकुम्डार, पिथौरागढ़	श्री राजकुमार मल द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
402	श्री राजेन्द्र बहादुर चन्द पुत्र स्व० बहादुर चन्द, एडवोकेट, निवासी धनौड़ा, पिथौरागढ़	श्री राजेन्द्र बहादुर चन्द द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
403	श्री भूपाल सिंह बनकोटी पुत्र श्री गोपाल सिंह, एडवोकेट, निवासी जी०आई०सी० रोड, पिथौरागढ़	श्री भूपाल सिंह बनकोटी द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
404	श्री मदन सिंह अधिकारी पुत्र स्व० हिम्मत सिंह अधिकारी, एडवोकेट, निवासी टकाना, पिथौरागढ़	श्री मदन सिंह अधिकारी द्वारा दिनांक 06.10.1994 एवं दिनांक 03.10.1994 को न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
405	श्री दान सिंह पुत्र श्री देव सिंह खडायत तहसील वार्ड नगर पंचायत, डीडीहाट	श्री दान सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
406	श्रीमती दुर्गा पत्नी श्री दान सिंह खडायत तहसील वार्ड नगर पंचायत, डीडीहाट	श्रीमती दुर्गा द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
407	अशोक सिंह पुत्र श्री दान सिंह तहसील वार्ड नगर पंचायत, डीडीहाट	श्री अशोक सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।
408	श्री दिनेश चन्द्र जोशी पुत्र स्व० श्री प्रयाग दत्त, ग्राम घिमाली, पो० सानदेव, डीडीहाट।	श्री दिनेश चन्द्र जोशी को दिनांक 23.02.1988 को डीडीहाट में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।
409	श्री रघुनाथ सिंह चौहान पुत्र स्व० मोहन सिंह चौहान, एडवोकेट, निवासी अम्बेडकर वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री रघुनाथ सिंह चौहान उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
410	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट पुत्र श्री मुकुन्द सिंह, एडवोकेट, निवासी ग्राम हाटथर्प, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट को दिनांक 23.02.1988 को डीडीहाट में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।
411	श्री नन्द किशोर ओझा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र ओझा, एडवोकेट, निवासी ग्राम एवं पो० सिंगाली, तहसील डीडीहाट।	श्री नन्द किशोर ओझा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
412	श्री डिगर सिंह बोरा पुत्र श्री चंचल सिंह, एडवोकेट, निवासी तहसील वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री डिगर सिंह बोरा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।

413	श्री मोहन चन्द्र ओझा पुत्र स्व० श्री केदार दत्त, एडवोकेट, निवासी हेल्पिया, पो० अस्कोट, तहसील डीडीहाट।	श्री मोहन चन्द्र ओझा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
414	श्री चामू सिंह भैंसोड़ा पुत्र स्व० श्री उज्जवल सिंह, एडवोकेट, निवासी जी०आई०सी० वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री चामू सिंह भैंसोड़ा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
415	श्री मनोहर सिंह चौहान पुत्र स्व० श्री मोहन सिंह चौहान, एडवोकेट, निवासी अम्बेडकर वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री मनोहर सिंह चौहान उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
416	श्री ओम प्रकाश वर्मा पुत्र श्री परशी लाल वर्मा, एडवोकेट, निवासी शिव मन्दिर वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री ओम प्रकाश वर्मा श्री ओम प्रकाश वर्मा को दिनांक 23.02.1988 को डीडीहाट में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।
417	श्री लक्ष्मी दत्त भट्ट पुत्र स्व० श्री शिरोमणि भट्ट, एडवोकेट, ग्राम रौंझाड़, पो० पन्थगाँव, तहसील धारचूला।	श्री लक्ष्मी दत्त भट्ट उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
418	श्री रमेश्वर सिंह झाला पुत्र स्व० श्री कल्याण सिंह, एडवोकेट, निवासी तहसील वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री रमेश्वर सिंह झाला उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
419	श्री गोपाल सिंह देऊपा पुत्र स्व० शेर सिंह, एडवोकेट, ग्राम कुमाल गांव, पो० थल, तहसील डीडीहाट।	श्री गोपाल सिंह देऊपा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
420	श्री हयात सिंह पोखरिया पुत्र स्व० गम्भीर सिंह, एडवोकेट, निवासी जी०आई०सी० वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री हयात सिंह पोखरिया को दिनांक 23.02.1988 को डीडीहाट में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।
421	श्री त्रिवेणी प्रसाद पन्त पुत्र स्व० मथुरा प्रसाद, एडवोकेट, निवासी जी०आई०सी० वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री त्रिवेणी प्रसाद पन्त उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
422	श्री मनोज कुमार पन्त पुत्र स्व० शिरामणि पन्त, एडवोकेट, निवासी नार्मल वार्ड, तहसील डीडीहाट।	श्री मनोज कुमार पन्त उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर न्यायालयों में न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
423	श्री ललित मोहन मर्तोलिया पुत्र श्री लाल सिंह मर्तोलिया, एडवोकेट, निवासी उद्योग वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री ललित मोहन मर्तोलिया द्वारा न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
424	श्री अरविन्द सिंह चौहान पुत्र श्री रघुनाथ सिंह चौहान, एडवोकेट, निवासी अम्बेडकर वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री अरविन्द सिंह चौहान द्वारा न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
425	श्री सत्यवान सिंह मर्तोलिया पुत्र स्व० खुशाल सिंह, एडवोकेट, निवासी उद्योग वार्ड, पो० एवं तहसील डीडीहाट।	श्री सत्यवान सिंह मर्तोलिया द्वारा न्यायिक कार्यों से विरत रहकर उत्तराखण्ड मुद्दे के समर्थन पर हड़ताल की।
426	श्री हरीश सिंह बोहरा पुत्र श्री होशियार सिंह ग्राम तडीगांव, पो०	श्री हरीश सिंह बोहरा को दिनांक 31.07.1995 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया

	व जिला पिथौरागढ़।	गया।	
427	श्री त्रिलोक सिंह पुत्र स्व० श्री जमन सिंह ग्राम तडीगांव, पो० व जिला पिथौरागढ़।	श्री त्रिलोक सिंह को दिनांक 31.07.1995 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।	
428	श्री महेन्द्र सिंह देउपा पुत्र स्व० श्री धन सिंह ग्राम तडीगांव, पो० व जिला पिथौरागढ़।	श्री महेन्द्र सिंह देउपा द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
429	श्री भूपाल सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह ग्राम भौतडी पो० मडमानले, पिथौरागढ़।	श्री भूपाल सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
430	श्री भरत सिंह ऐरी पुत्र श्री राम सिंह ऐरी ग्राम व पो० चौंसाल, तहसील डीडिहाट, पिथौरागढ़।	श्री भरत सिंह ऐरी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
431	श्री पुष्कर चौहान पुत्र श्री खडक सिंह ग्राम बुंगा पो० बुंगाछीना, जिला पिथौरागढ़।	श्री पुष्कर चौहान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
432	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० श्री बी०डी० पाण्डेय ग्राम पाण्डेय गांव, पो० व जिला पिथौरागढ़।	श्री भुवन चन्द्र पाण्डेय द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
433	श्री गोविन्द सिंह धामी पुत्र श्री कल्याण सिंह ग्राम हचीला, पो० रणगांव, पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द सिंह धामी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
434	श्री कैलाश भट्ट पुत्र श्री श्रीकृष्ण भट्ट ग्राम भोडी, पो० रसैपाटा, जिला पिथौरागढ़।	श्री कैलाश भट्ट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
435	श्री उर्वादत्त कापडी पुत्र श्री धर्मानन्द कापडी ग्राम व पो० सतगड, जिला पिथौरागढ़।	श्री उर्वादत्त कापडी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
436	श्री लछम सिंह उर्फ लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री नैन सिंह ग्राम व पो० बारमाँ, जिला पिथौरागढ़।	श्री लछम सिंह को दिनांक 30.08.1994 को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया। उक्त व्यक्ति के उत्तराखण्ड आंदोलन में प्रतिभाग किये जाने की पुष्टि चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
437	श्री सुभाष जोशी पुत्र श्री शंकर दत्त जोशी ग्राम घिमाली, पो० सानदेव, जिला पिथौरागढ़।	श्री सुभाष जोशी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	

438	श्री हेम चन्द्र पाल पुत्र स्व० श्री पदम सिंह पाल ग्राम देवल अस्कोट, पो० अस्कोट, पिथौरागढ़।	श्री हेम चन्द्र पाल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
439	श्री हीराबल्लभ भट्ट पुत्र स्व० श्री माधवानन्द भट्ट ग्राम नगरोडा, पो० बुंगाछीना, पिथौरागढ़।	श्री हीराबल्लभ भट्ट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
440	श्री मदन मोहन सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह, ग्राम अमाली ख्वांकोट हाल निवासी केण्ट रोड न्यु कलौनी तिलदुकरी, पिथौरागढ़	श्री मदन मोहन सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
441	श्री गोपीराम पुत्र श्री रामी राम ग्राम भरखेत पौण पो० पौण, पिथौरागढ़।	श्री गोपीराम द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
442	श्री खष्टी बल्लभ जोशी पुत्र श्री दुर्गादत्तजोशी ग्राम भौंतडी, पो० मडमानले, पिथौरागढ़।	श्री खष्टी बल्लभ जोशी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
443	श्री प्रवीन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी मिशन भाटकोट, पिथौरागढ़।	श्री प्रवीन सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
444	श्री जयलाल फिरमाल पुत्र श्री पान सिंह बलुवाकोट, तहसील धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री जयलाल फिरमाल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
445	कु० लक्ष्मी पुत्री श्री दरपान राम सानदेव (मोरपट्टा) थल तहसील वार्ड डीडीहाट, पिथौरागढ़।	कु० लक्ष्मी को दिनांक 23.02.1988 को थाना कोतवाली डीडीहाट में धारा 107/116/151 में निरुद्ध किया गया।	
446	श्री कमान सिंह सामन्त पुत्र श्री झुपुर सिंह ग्राम व पो० बलुवाकोट, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़।	श्री कमान सिंह सामन्त द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
447	श्री तारा सिंह भाट पुत्र श्री धन सिंह भाट ग्राम व पो० बलुवाकोट, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़।	श्री तारा सिंह भाट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
448	श्री भवान सिंह पुत्र श्री गोपालसिंह ग्राम रतोली, पो० कनालीछीना, पिथौरागढ़।	श्री भवान सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
449	हरीश चन्द्र जोशी पुत्र श्री पूर्णानन्द जोशी ग्राम बमडोली, ऐराडा पो०	श्री हरीश चन्द्र जोशी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया,	

	सौगांव, जिला पिथौरागढ़।	जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
450	श्री धर्म सिंह ऐरी पुत्र श्री हनुमान सिंह ऐरी ग्राम व पो0 पन्थगांव, तहसील धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री धर्म सिंह ऐरी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
451	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री हर सिंह कठायत ग्राम व पो0 बलुवाकोट, तहसील धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
452	श्री कल्याण सिंह बोरा पुत्र श्री केशर सिंह ग्राम पयां पो0 फचयां पौडी, धारचूला पिथौरागढ़।	श्री कल्याण सिंह बोरा द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
453	श्री बहादुर सिंह बोरा पुत्र श्री नैन सिंह बोरा ग्राम व पो0 फचयां पौडी धारचूला पिथौरागढ़।	श्री बहादुर सिंह बोरा द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
454	श्री लालमणि ओली पुत्र स्व0 श्री गोपाल दत्त ग्राम व पो0 सतगड, जिला पिथौरागढ़।	श्री लालमणि ओली दिनांक 31.07.1995 को को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।	
455	श्री मोहन सिंह पिंगल पुत्र श्री हीरा सिंह पिंगल ग्राम व पो0 कालिका, तहसील धारचूला पिथौरागढ़।	श्री मोहन सिंह पिंगल द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
456	श्री धन सिंह ठकुराठी पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह ठकुराठी ग्राम कचना, पो0 अलगडा, जिला पिथौरागढ़।	श्री धन सिंह ठकुराठी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
457	श्री गणेश राम पुत्र श्री शिवराम ग्राम हुडेती, पो0 डिग्री कालेज, जिला पिथौरागढ़।	श्री गणेश राम दिनांक 23.02.1988 को को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।	
458	श्री देव सिंह पुत्र श्री चिमड सिंह ग्राम पन्थगांव, तहसील धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री देव सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
459	श्री हर सिंह पुत्र श्री भुर सिंह ग्राम व पो0 पन्थगांव, तहसील धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री हर सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
460	श्री पदम सिंह पुत्र श्री देव सिंह ग्राम व पो0 पन्थगांव, तहसील धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री पदम सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	

461	श्री प्रकाश जोशी पुत्र श्री भाष्कर दत्त जोशी जी0आई0सी0, पिथौरागढ़।	श्री प्रकाश जोशी दिनांक 25.08.1994 को को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107 / 116 / 151 में निरुद्ध किया गया।	
462	श्रीमती उमा जोशी पत्नी श्री रामदत्त जी0आई0सी0 पिथौरागढ़ (महादेव धारा पिथौरागढ़)।	श्रीमती उमा जोशी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
463	श्री जीवन सिंह पुत्र श्री के0एस0 बिष्ट जी0आई0सी0, पिथौरागढ़।	श्री जीवन सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
464	श्री देवकी नन्दन भट्ट पुत्र श्री टीकाराम भट्ट ग्राम दोली पो0 गौडीहाट पिथौरागढ़।	श्री देवकी नन्दन भट्ट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
465	श्री नरेश उप्रेती पुत्र श्री हरीदत्त उप्रेती हुडेती पो0 डिग्री कालेज, जिला पिथौरागढ़।	श्री नरेश उप्रेती दिनांक 23.02.1988 को को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107 / 116 / 151 में निरुद्ध किया गया।	
466	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री तेज सिंह ग्राम अस्कोट, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री गोविन्द सिंह द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
467	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र पदम सिंह ग्राम खरक्यूडा, पो0 गौडीहाट, जिला पिथौरागढ़।	श्री राजेन्द्र सिंह दिनांक 02.03.2000 को को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107 / 116 / 151 में निरुद्ध किया गया।	
468	श्री राजेश मेहता पुत्र श्री बहादुर सिंह ग्राम डुंगरी, पो0 कनालीछीना, पिथौरागढ़।	श्री राजेश मेहता द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
469	श्री श्याम सिंह पुत्र श्री दान सिंह ग्राम दाडिमखोला पो0 ऐंचोली, पिथौरागढ़।	श्री श्याम सिंह दिनांक 23.02.1988 को को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107 / 116 / 151 में निरुद्ध किया गया।	
470	श्री मदन राम पुत्र श्री कालू राम बलुवाकोट, तहसील धारचूला, पिथौरागढ़।	श्री मदन राम द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
471	श्री राम सिंह खोलिया पुत्र मोहन सिंह ग्राम सूनाकोट पो0 सिंगाली, पिथौरागढ़।	श्री राम सिंह खोलिया द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
472	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिंह ग्राम चुपडाखेत, तहसील डीडीहाट, पिथौरागढ़।	श्री त्रिभुवन सिंह चुफाल दिनांक 02.03.2000 को को थाना कोतवाली डीडीहाट में धारा 107 / 116 / 151 में निरुद्ध किया गया।	
473	श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री त्रिलोचन ओली ग्राम ओलीगांव बुंगाछीना,	श्री सतीश चन्द्र द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया	

	पिथौरागढ़।	गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
474	श्री चांद सिंह धामी पुत्र श्री हुकुम सिंह ग्राम घुर्चू पो0 गोंछ, पिथौरागढ़।	श्री चांद सिंह धामी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	
475	श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री गौरी दत्त, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़।	श्री भगवती प्रसाद दिनांक 23.02.1988 को को थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।	
476	श्री भगवान सिंह पोखरिया पुत्र स्व0 श्री तेज सिंह ग्राम डुंगरा कनालीछीना, पिथौरागढ़।	श्री भगवान सिंह दिनांक 02.03.2000 को को थाना कोतवाली डीडिहाट में धारा 107/116/151 में निरूद्ध किया गया।	
477	श्री तेज सिंह बिष्ट पुत्र श्री गोपाल सिंह, गागरा बलुवाकोट, पिथौरागढ़।	श्री तेज सिंह बिष्ट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मांग को लेकर सक्रिय भागीदारी कर समय-समय पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी पुष्टि उत्तराखण्ड आंदोलन चिन्हिकरण समिति के सदस्यों द्वारा की गयी।	

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

सूचना कक्ष 15

सूचना कक्ष का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को जिला कार्यालय (राजस्व विभाग) जनपद पिथौरागढ़ में निम्नवत् सुविधायें अनुरक्षित की गयी हैं :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को जिला कार्यालय (राजस्व विभाग) जनपद पिथौरागढ़ में निम्नवत् सुविधायें अनुरक्षित की गयी हैं :-

1. जिला कार्यालय के प्रत्येक कक्ष पर नम्बर अंकित कर अनुभागों एवं अधिकारियों के बोर्ड लगाये गये हैं तथा प्रत्येक पटल पर पटल सहायकों की नाम पट्टियां (Name Plate) रखी गयी है, ताकि नागरिकों को अनुभागों, पटलों, अधिकारियों व कर्मचारियों के संबंध में सरलता से जानकारी प्राप्त हो सके।

2. लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय कक्ष के बाहर आम जनता से मिलने के समय का बोर्ड लगाया गया है।

3. जिला कार्यालय के कक्ष संख्या-15 में 'सुविधा कक्ष, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की स्थापना की गयी है। इस कक्ष में पुस्तकालय, वाचनालय भी स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मैनुअल, अधिनियम, नियमावलियां, शासनादेशों का संकलन, गार्ड फाईलें आदि रखी गयी है। जिला कार्यालय में प्राप्त होने वाले दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जन सामान्य के उपयोगार्थ रखा जाता है।

4. सुविधा कक्ष में जन सामान्य की समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक इनकमिंग सुविधायुक्त हेल्पलाइन फोन नम्बर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भ में होने वाले अनुमानित व्यय के संबंध में मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून द्वारा सूचना चाही गयी है। वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है। मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून से प्रेषित सूचना/मांग के अनुरूप धनावंटन प्राप्त हो जाने पर उक्त फोन नम्बर अतिशीघ्र जिला कार्यालय के उक्त सुविधा कक्ष में स्थापित कर लिया जायेगा तथा जन सामान्य, अधीनस्थ विभागों, जनपद स्तरीय विभागों को जानकारी हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में प्रैस नोट प्रसारित किया जायेगा

तथा साथ ही मण्डलायुक्त, मुख्य राजस्व आयुक्त, शासन एवं माननीय सूचना आयोग कार्यालय को भी इसकी सूचना प्रेषित की जायेगी।

5. जिला कार्यालय प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुला रहता है। इसी प्रकार जिला कार्यालय का पुस्तकालय/वाचनालय जिसमें सुविधा कक्ष, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की स्थापना की गयी है, भी प्रत्येक कार्य दिवस को जन सामान्य को सूचना अभिप्राप्त करने के लिए प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुला रहता है।

सूचना अधिकार, 2005

जनपद स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राजस्व विभाग के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी को निम्नवत् नामित किया गया है :-

लोक सूचना अधिकारी

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | लोक सूचना अधिकारी— | प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय, जिला कार्यालय पिथौरागढ़। |
| 2. | विभागीय अपीलीय अधिकारी— | अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़। |

सहायक लोक सूचना अधिकारी

- | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|
| 1. | लोक सूचना अधिकारी— | 1. उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ |
| | | 2. उप जिलाधिकारी, गंगोलीहाट |

	3. उप जिलाधिकारी, बेरीनाग
	4. उप जिलाधिकारी, डीडीहाट
	5. उप जिलाधिकारी, धारचूला
	6. उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी—	अपरजिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

rgl hy dk; kly; Lrj ij %&

1. लोक सूचना अधिकारी—	1. प्रशासनिक अधिकारी पिथौरागढ़
	2. प्रशासनिक अधिकारी गंगोलीहाट।
	3. प्रशासनिक अधिकारी, बेरीनाग
	4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी डीडीहाट।
	5. प्रशासनिक अधिकारी, धारचूला
	6. प्रशासनिक, मुनस्यारी
	7. नायब तहसीलदार कनालीछीना
	8. नायब तहसीलदार देवलथल।
	9. नायब तहसीलदार थल।
	10. नायब तहसीलदार बंगापानी।
	11. नायब तहसीलदार गणार्ई—गंगोली।
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी—	1. तहसीलदार,, पिथौरागढ़
	2. तहसीलदार,, गंगोलीहाट
	3. तहसीलदार,, बेरीनाग
	4. तहसीलदार,, डीडीहाट
	5. तहसीलदार,, धारचूला
	6. तहसीलदार,, मुनस्यारी
	7. तहसीलदार,, डीडीहाट
	8. तहसीलदार डीडीहाट
	9. तहसीलदार, बेरीनाग।
	10. तहसीलदार मुनस्यारी।
	11. तहसीलदार, गंगोलीहाट।
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी	समस्त तहसील में नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो

उपरोक्त के अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों एवं राजस्व पुलिस कार्य से संबंधित लोक प्राधिकारियों को भी मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/मु0रा0आ0/2006, दिनांक: 17 नवम्बर, 2006 से (संलग्न परिशिष्ट-1) निम्नानुसार नामित किया गया है :-

लोक सूचना अधिकारियों की सूची

2.	लोक सूचना अधिकारी-	पटवारी / लेखपाल
3.	विभागीय अपीलीय अधिकारी-	सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक

राजस्व विभाग, जनपद पिथौरागढ़ में नामित लोक सूचना अधिकारियों की सूची।

क्र०स०	लोक सूचना अधिकारी का नाम	पदनाम / तैनाती	दूरभाष नं०
1	श्री कृष्ण कुमार मिश्रा।	प्रभारी अधिकारी सयुक्त जिला कार्यालय पिथौरागढ़	9412936952
2.	श्री अनुराग आर्या	उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़	9411423317
3.	श्री प्रमोद कुमार	उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट	
4.	श्री जय भारत सिंह	उपजिलाधिकारी डीडीहाट	9456334433
5.	श्री पारितोष वर्मा	उपजिलाधिकारी धारचूला	9411194530
6.	श्री रिक्त	उपजिलाधिकारी बेरीनाग	9410578626
7.	श्री जय भारत सिंह	उपजिलाधिकारी डीडीहाट / मुनस्यारी	9456334433
8.	श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय	प्रशासनिक अधिकारी, पिथौरागढ़	9458373577
9.	श्री जगदीश चन्द्र उप्रेती	प्रशासनिक अधिकारी डीडीहाट	9536288742
10.	श्रीमती माया महारा	प्रशासनिक अधिकारी गंगोलीहाट	9317214816
11.	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट	प्रशासनिक अधिकारी बेरीनाग	8755647007
12.	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	प्रशासनिक अधिकारी धारचूला	7500863778
13.	श्री कुण्डल राम	प्रशासनिक अधिकारी मुनस्यारी	9568190893
14.	श्री गिरीश भट्ट	नायब तहसीलदार देवलथल	9897369098
15	श्रीमती नीलू चावला	नायब तहसीलदार कनालीछीना	8193896025
16	श्री इन्द्र बहादुर मल	नायब तहसीलदार बंगापानी	8193896015
17	श्री हरीश चन्द्र आर्य	नायब तहसीलदार गणाई	8193896011

jkTLo foHkkx ftyk dk; kZy;] fi Fkkj kx<+vUrRr orZeku ykd I uk vf/kdkfj; ks , oa foHkkxh; vi hyh; vf/kdkfj; ka dk foj .kA

1	2	3	4	5	6	7
1	प्रभारी अधिकारी, सयुक्त कार्यालय, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।	श्री कृष्ण कुमार मिश्रा	8193896030 / piodmoffice.pth@gmail.com	अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	श्री प्रशान्त आर्य,	8193896008 / prviappl.admpith@gmail.com
2.	उपजिलाधिकारी पिथौरागढ़	श्री अनुराग आर्या	8193896004 / sdmpithoragrah@gmail.com	अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	श्री प्रशान्त आर्य,	8193896008 / prviappl.admpith@gmail.com
3.	उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट	श्री प्रमोद कुमार	9411194530 / piосdmggt@gmail.com	अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	श्री प्रशान्त आर्य,	8193896008 / prviappl.admpith@gmail.com
4.	उपजिलाधिकारी डीडीहाट	श्री जय भारत सिंह	8193896006 / piосdmdidihat@gmail.com	अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	श्री प्रशान्त आर्य,	8193896008 / prviappl.admpith@gmail.com
5.	उपजिलाधिकारी धारचूला	श्री पारितोष वर्मा	05967-222207, 222817 piосdmofficedha@gmail.com	अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	श्री प्रशान्त आर्य,	8193896008 / prviappl.admpith@gmail.com
6.	उपजिलाधिकारी मुनस्यारी	श्री कौस्तुब मिश्रा	8755319095 / piосdmofficemunsiyari@gmail.com	अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	श्री प्रशान्त आर्य,	8193896008 / prviappl.admpith@gmail.com

-2-

1	2	3	4	5	6	7
7.	उपजिलाधिकारी बेरीनाग	श्री हेमन्त कुमार वर्मा	9410578626 / piosdmofficeberinag@gmail.com	अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।	श्री प्रशान्त आर्य,	8193896008 / prviappl.admpith@gmail.com
8.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पिथौरागढ़	श्री सतीश चन्द्र पाण्डेय, प्र०प्रशा० अ०	9458373577 / rtitehsilpth@gmail.com	तहसीलदार पिथौरागढ़	श्री जीवन सिंह चौहान प्र. तहसीलदार /	8193896009 / tehsildarph@gmail.com
9.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डीडीहाट	श्री जगदीश चन्द्र उप्रेती प्र०प्रशा०अ०	9536288742 / piotehsildidihat@gmail.com	तहसीलदार डीडीहाट	श्री पूरन चन्द्र पन्त, प्र. तहसीलदार	8193896021 / piotehsildidihat123@gmail.com
10.	प्रशासनिक अधिकारी गंगोलीहाट	श्रीमती माया महरा	9317214816 / piotehselggt@gmail.com	तहसीलदार गंगोलीहाट	श्री, डिगर सिंह मेहरा प्र. तहसीलदार	8193896018 / pio1appilggt@gmail.com
11.	प्रशासनिक अधिकारी बेरीनाग	श्री कुन्दन सिंह बिष्ट	8755647007/ piotahsilberinag@gmail.com	तहसीलदार बेरीनाग	श्री खीम सिंह बिष्ट,	8193896012 / apilyadhikaritahsilberinag@gmail.com
12.	प्रशासनिक अधिकारी धारचूला	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	7500863778 / loksuchnadharchula@gmail.com	तहसीलदार धारचूला	श्री कुवर सिंह भण्डारी, प्र. तहसीलदार	05967-222207 / appealyauthority@gmail.com
13.	प्रशासनिक अधिकारी मुनस्यारी	श्री कुण्डल राम	9568190893 / piotehsilofficemunsiyari@gmail.com	तहसीलदार मुनस्यारी	श्री खुशाल राम प्र. तहसीलदार	9410133414 / applauthoritytehsilmunsiyari@gmail.com
14.	नायब तहसीलदार देवलथल	श्री गिरीश भट्ट	9897369098 / piotehsildevalthal@gmail.com	तहसीलदार देवलथल	रिक्त	—
15.	नायब तहसीलदार	श्रीमती नीतू चावला	8193896025 / piotehsilkanalichina@gmail.com	तहसीलदार कनालीछीना	रिक्त	—

	कनालीछीना।					
16	नायब तहसीलदार गणाई	श्री हरीश चन्द्र आर्य	8193896011 / piotehsilganai76@gmail.com	तहसीलदार गणाई	रिक्त	—
17	नायब तहसीलदार बंगापानी धारचूला	श्री इन्द्र बहादुर मल	8193896015	तहसीलदार बंगापानी धारचूला	रिक्त	—

प्रभारी अधिकारी,
जिला कार्यालय, पिथौरागढ़।

I p u k d k v f / k d k j v f / k f u ; e]
2005

e s u q v y I a [; k & 17

, s h v U ; I p u k t k s f o f g r d h t k ; A

f t y k d k ; k z y ;] f i F k k j k x < A

e s u q v y I a [; k & 17

, s h v U ; I p u k t k s f o f g r d h t k ; A

जिलाधिकारी कार्यालय में जनपद के समस्त विभागीय, अधिकारी अथवा कर्मचारियों से संबंधित शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसकी नियमानुसार कार्यवाही करने उपरान्त त्वरित निस्तारण किया जाता है।
